छत्तीसगढ़ विधान सभा

की

अशोधित कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

षष्ठम् विधान सभा **पंचम सत्र**

सोमवार, दिनांक 17 मार्च, 2025

(फाल्गुन 26, शक सम्वत् 1946)

[अंक 13]

Web copy

छत्तीसगढ़ विधान सभा

सोमवार, दिनांक 17 मार्च, 2025

(फाल्गुन 26, शक संवत् 1946)

विधान सभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई.

{अध्यक्ष महोदय (डॉ. रमन सिंह) पीठासीन हुए}

तारांकित प्रश्नों के मौखिक उत्तर

लोक निर्माण विभाग संभाग बिलासपुर द्वारा वार्षिक मरम्मत/विद्युतीकरण पर व्यय राशि

[लोक निर्माण]

1. (*क्र. 2098) श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह : क्या उप मुख्यमंत्री (लोक निर्माण) महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) लोक निर्माण विभाग (विद्युत/यांत्रिकी) संभाग बिलासपुर द्वारा 01/10/2019 से 31/12/2024 तक की अवधि में वार्षिक मरम्मत/विद्युतीकरण कार्य कितने स्थानों पर, कितनी-कितनी राशि से कराये गये? उक्त कार्यों के क्रियान्वयन हेतु कौन-कौन से एजेंसियों/फर्मों को कितनी-कितनी राशि का भुगतान किया गया ? वर्षवार, कार्यवार जानकारी प्रदान करें? शासकीय भवनों के अतिरिक्त अन्य स्थानों पर कराए गए विद्युतीकरण मरम्मत कार्य की सूची पृथक से उपलब्ध करावें ? (ख) उक्त अवधि में क्या बिना शासकीय भवन उल्लेख के देयकों का भुगतान किया गया है ? यदि हां, तो कितने एवं क्या वे अनियमितता की श्रेणी में आते हैं एवं उस पर क्या कार्यवाही की गई ? सम्पूर्ण जानकारी प्रदान करें ?

उप मुख्यमंत्री (लोक निर्माण) (श्री अरूण साव) : (क) एवं (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र अनुसार है।

श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह :- अध्यक्ष महोदय, मैंने वार्षिक मरम्मत एवं किए गए विद्युतीकरण में पर्टिक्यूलर भवन एवं स्थानों की जानकारी चाही थी । लेकिन आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि मुझे सिर्फ सेक्शन की जानकारी प्रदान कर दी गई है उसमें कौन से भवन की जानकारी, कौन सी जगह की जानकारी, 80 प्रतिशत जगह पर उल्लेखित नहीं की गई है । मैंने जो प्रश्न किया था उसके मुताबिक यह जवाब नहीं आया है । दूसरा, इसके अलावा मंत्री जी से यह पूछना चाहूंगा कि 01.10.2019 से 31.12.2024 तक कितने अनुबंधित और कितने ग़ैर अनुबंधित कार्य कराये गये हैं, उक्त अवधि में शासकीय भवनों का नाम देयकों में उल्लेखित नहीं है, ऐसा आपके जवाब में आया है । तो क्या यह

नियम विरूद्ध नहीं है कि जो भुगतान किया गया है, उस पर उस भवन का, उस स्थान का नाम उल्लेखित करना अनिवार्य है या नहीं ?

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्नों की श्रृंख्ला नहीं, पहले एक प्रश्न का उत्तर आ जाए फिर दूसरा प्रश्न करिये ।

श्री अरूण साव :- अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने बहुत वृहद प्रश्न पूछा है, 01.10.2019 से 31.12.2024 तक की अवधि में वार्षिक मरम्मत विद्युतीकरण के कितने कार्य, कितनी-कितनी राशि से कराये गये ? माननीय सदस्य को बहुत विस्तार से उत्तर उपलब्ध कराया गया है । 9156 स्थानों पर मरम्मत के कार्य किये गये, जिसकी राशि का भुगतान 99 करोड़, 33 लाख हुआ है । इसके लिए 19301 देयक, किस एजेंसी को कितनी राशि, फर्म का भुगतान किया गया है, वर्षवार, कार्यवार विस्तार से जानकारी दी गई है । वास्तविकता यह है कि कई छोटे काम होते हैं, ठेकेदार 2-3 कामों का एक ही बार बिल ले लेता है । 2 ट्यूबलाईट बदलना है, 2 वायरिंग करेक्शन करना है तो सामान्यत: देयकों में वह किस भवन के लिए है, इसका उल्लेख नहीं होता, इसकी एंट्री माप पुस्तिका में होती है । माननीय सदस्य ने जो दूसरा प्रश्न किया है कि कितने अनुबंधित और कितने ग़ैर अनुबंधित कार्य कराये गये ? अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि 2019-20 में अनुबंधित कार्य 170 और गैर अनुबंधित कार्य 1378 । 2020-2021 में अनुबंधित कार्य 330 और ग़ैर अनुबंधित कार्य 5345 । 2021-22 में अनुबंधित कार्य 375 और ग़ैर अनुबंधित 3398 । 2022-23 में अनुबंधित कार्य 392 और ग़ैर अनुबंधित 2682। 2023-24 में अनुबंधित कार्य 773 और ग़ैर अनुबंधित 3366 । 2024-25 में अनुबंधित कार्य 556 और ग़ैर अनुबंधित कार्य 537 । कुल मिलाकर इस अवधि में अनुबंधित कार्यों की संख्या 2596, जिसके लिए 67 करोड़,13 लाख 3 हजार रूपए का भुगतान हुआ है । ग़ैर अनुबंधित कार्यों की संख्या 16705 इसके लिए 32 करोड़, 20 लाख रूपए का भुगतान किया गया है । कुल मिलाकर इस अवधि में 479 फर्मों को ये भुगतान कर, कार्य कराया गया है ।

श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह :- अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से बहुत प्वाइंटेड सवाल पूछना चाहूंगा कि जब हम भुगतान करते हैं तो उसमें स्थान का नाम और कौन से भवन में कार्य कराया गया है, क्या यह नियमावली में है कि उसका नाम उल्लेखित करना अनिवार्य है या नहीं ?

श्री अरूण साव :- अध्यक्ष महोदय, मैंने बहुत स्पष्ट रूप से बताया है कि सामान्यत: देयक में स्थान का उल्लेख नहीं होता । माप पुस्तिका में यह उल्लेख होना चाहिए, होता है ।

श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह :- अध्यक्ष महोदय, मैंने जो पूछा है उसमें जवाब में सेक्शन का नाम उल्लेख है, जगह और भवन का नाम उल्लेख नहीं किया गया है। अध्यक्ष महोदय, मैं एक चीज और आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं, बाकी के डिपार्टमेंट से दिनांक 27.10.2023 को एक नोटिस इश्यू होता है जिसमें ये लिखा जाता है कि अगर जगह और भवनों का नाम उल्लेखित नहीं किया गया है तो सभी

देयकों को फर्जी माना जाएगा, ये नोटिस आपके डिपार्टमेंट ने दिनांक 23.10.2023 को इश्यू किया है। उसके बाद जब RTI लगाई जाती है तो RTI में भी आपके विभाग से ये जवाब आता है कि कौन सा भवन और कौन सा स्थान है, हमारे पास जानकारी निरंक है। उसके बाद अभी दिनांक 05.03.2025 को एक गाईडलाईन इश्यू होती है जिसमें ये लिखा गया है, ये देखा गया है कि विद्युत यांत्रिकी खंड द्वारा बहुतायत संख्या में स्वीकृति के बिना अनुबंध संपादित किए जाते हैं, उनकी गहन समीक्षा अधीक्षण अभियंता स्वयं करें। मरम्मत कार्य, मद में भुगतान पूर्व संबंधित प्रशासकीय विभाग को नियमित रूप से देयक भुगतान के पूर्व सूचना दी जाए एवं किन-किन भवनों में क्या-क्या कार्य संपादित हुआ है, उसका उल्लेख कर सर्व संबंधितों को सूचना अवश्य दी जाए। मंत्री जी, लगभग 100 करोड़ का मामला है, जैसा आपने बताया कि उसका 105 करोड़ रूपए का बजट है। न RTI में, न विधान सभा में ये जानकारी दी जा रही है कि वह पैसा कौन से भवन में और कौन से स्थान पर खर्च किया गया है, न RTI में जानकारी है, न विधान सभा के पटल पर जानकारी है। अध्यक्ष महोदय, यह गंभीर विषय है, इस पर संज्ञान लेना चाहिए और इसका भौतिक सत्यापन होना चाहिए, एक भी जानकारी प्रदान नहीं की जा रही है।

श्री अरूण साव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, शासकीय पैसे का दुरूपयोग न हो इसलिए समय-समय पर अधिकारियों द्वारा आवश्यक निर्देश दिये जाते हैं। माननीय सदस्य को किसी स्पेसीफिक स्थान, किसी सब डिवीजन के बारे में कोई कम्प्लेंट हो कि यहां पर इस प्रकार से फर्जी बिल का आहरण हुआ है तो वे बताएं निश्चित रूप से उस पर जांच करके कार्रवाई करेंगे।

श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह :- अध्यक्ष महोदय, मेरा एक आखिरी सवाल है। मैंने इस पर एक प्रश्न ये भी लगाया था कि आपको पिछले दो साल में कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं और उसको हटा दिया गया है। ये बहुत सामान्य सा सवाल था कि कितनी शिकायतें प्राप्त हुई है और उस पर क्या जांच की गई है ? वह सवाल भी हटा दिया गया है।

अध्यक्ष महोदय :- चलिए नेता जी आप पूछ लीजिए।

नेता प्रतिपक्ष (डॉ. चरणदास महंत) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, ये थोड़ा विचित्र लग रहा है कि आपने 100 करोड़ रूपए का भुगतान कर दिया और उसमें भुगतान करने का जो स्थान है, किस स्थान के लिए भुगतान किया, नहीं किया, आपने संधारण स्थल का नाम नहीं बताया, आप उसको क्यों छिपाना चाहते हैं, ये समझ में नहीं आ रहा है ? क्या बिना स्थान और बिना कार्य के ऐसे ही भुगतान कर देना अनियमितता की श्रेणी में नहीं आता ? माननीय मंत्री जी बताएंगे, अगर अनियमितता की श्रेणी में नहीं आता तो फिर आप लोगों ने ये गाइडलाईन जो जारी किया है, जैसे कि विधायक जी ने कहा है, ये गाईडलाईन अभी दिनांक 05.03.2025 को क्या जरूरत पड़ गई ? ये माननीय मंत्री जी बताएंगे।

श्री अरूण साव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने जैसे स्पष्ट किया कि शासकीय राशि का दुरूपयोग न हो इसलिए उच्च अधिकारी समय-समय पर मार्गदर्शन देते हैं। जैसे मैंने बताया कि सामान्यत: देयक में भवन का उल्लेख नहीं होता, भवन का उल्लेख माप पुस्तिका में होना चाहिए। इस तरह की कोई शिकायत है, अगर किसी स्थान पर, किसी सब डिवीजन पर, किसी एजेंसी को गलत ढंग से भुगतान हुआ है, ऐसी कोई जानकारी माननीय सदस्य को है तो उपलब्ध कराएं, उसमें निश्चित रूप से जांच होगी और कार्रवाई होगी। सरकार के एक भी पैसे का दुरूपयोग किसी को करने की अनुमति नहीं है।

अध्यक्ष महोदय :- ठीक है।

डॉ. चरणदास महंत :- माननीय मंत्री जी, मैं आपके उपर कोई आरोप नहीं लगा रहा हूं। मगर इसमें बताया गया है कि एक एयर कंडीशन के रख रखाव में 2 लाख 66 हजार रूपए खर्च हुए जबकि 40-50 हजार में एयर कंडीशन आ जाता है। इस तरह की अनियमितताएं आपके प्रश्न में हैं। आप इसको अलग से अपने अधिकारी लोगों से पूछिए कि जो 40-50 हजार के एयर कंडीशन हैं, उसको 2 लाख 66 हजार में कैसे बनाते हैं, ये जरूर पूछिएगा ताकि आप हम लोगों को अगली बार संतुष्ट कर सकें।

श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय।

अध्यक्ष महोदय :- एक मिनट। माननीय सदस्यों को इसी प्रश्न से संदर्भित है। इस प्रश्न का उत्तर लगभग 1500 पृष्ठों में है जो पूरा उत्तर दिया गया है, वह डेढ़ हजार पृष्ठों में दिया गया है। मेरा सदस्यों से अनुरोध है कि आप कोशिश यह करें कि एक सीमित अवधि में और जो जानकारी चाहते हैं। स्पेसिफिक विषय में अपने विधान सभा क्षेत्र या जिले के संबंध में, परंतु जब इसकी व्यापकता पूरे प्रदेश में हो जाती है तो डेढ़ हजार पेज का इसका जवाब आया है, रिप्लाई आया है। अब उस डेढ़ हजार पेज में से सारी बातों को एक प्रश्न के पूरे दौर में नहीं हो सकता तो मुझे लगता है कि हम प्रश्न के दायरे को कोशिश करें कि जवाब सही समय में सही आ जाये।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, एक सेकण्ड।

अध्यक्ष महोदय :- क्या आपका इसी में प्रश्न है?

श्री अजय चंद्राकर :- नहीं, मैं आपको दूसरी बात बता रहा हूं। अध्यक्ष महोदय, इसी विधान सभा में खरसिया बायीं तट टर्नकी बेसिस में ऐसे 5 बण्डल बस्ते पटल पर रखे गये थे और उसमें बहस हुई थी।

अध्यक्ष महोदय :- ऐसा नहीं होना चाहिए।

श्री अजय चंद्राकर :- अध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे अनुरोध है कि यदि मामला महत्वपूर्ण है तो संख्या नहीं देखनी चाहिए।

डॉ. चरणदास महंत :- अध्यक्ष महोदय, आप स्वयं प्रश्न की गंभीरता को समझ रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय :- नहीं-नहीं, मैं इस प्रश्न की गंभीरता को समझ रहा हूं, इसलिए मैं आपको अवसर दे रहा हूं।

डॉ. चरणदास महंत :- अध्यक्ष महोदय, एक मिनट, मैं भी इसमें एक प्रश्न पूछना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय :- इस प्रश्न में है?

डॉ. चरणदास महंत :- हां, इसी प्रश्न में है।

अध्यक्ष महोदय :- इसमें तो बहुत प्रश्न हो गये हैं। वह आखिरी प्रश्न पूछ रहे हैं।

श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस प्रश्न में आपका संरक्षण चाहूंगा। मैंने जो प्रश्न पूछा है, उसका जवाब ही नहीं आया है। मैंने सिर्फ इतना प्रश्न पूछा है कि कौन से स्थान पर कौन से भवन में कार्य किया गया है? उसकी जगह पर मुझे सेक्शन बता दिया गया है। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण बता रहा हूं। पहले पेज में जो जवाब आया है, उसमें उप संभाग मुंगेली अंतर्गत एयर कंडिशनर का वार्षिक मरम्मत कार्य 9 जगहों में दिखाया गया है तो मैंने आपसे वही प्रश्न तो पूछा है कि आखिर कहां पर कार्य किया गया है? लेकिन इसका जवाब नहीं आ रहा है, इसलिए मुझे इस प्रश्न में आपका संरक्षण चाहिए। मैंने जो प्रश्न पूछा है, उसका जवाब ही नहीं दिया गया है।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, मंत्री जी।

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय अध्यक्ष महोदय, एक मिनट। आप जो प्रश्न पूछ रहे हैं, वह ठीक पूछ रहे हैं। पिछली विधान सभा में हम लोग कई बार प्रश्न लगाते थे और यह पिछली विधान सभा के कार्यकाल का है तो भवन बना ही नहीं होगा। अब मंत्री जी को बता दिया गया है तो मंत्री जी तो जवाब दे रहे हैं, लेकिन पिछली विधान सभा में ऐसे ही गोलमाल हुआ है। अध्यक्ष जी तो रहे हैं, लेकिन दूसरी बात एयर कंडिशनर का। (व्यवधान)

श्रीमती संगीता सिन्हा :- यदि यह पिछले कार्यकाल का है तो आप इसकी जांच करवा लीजिए। (व्यवधान)

श्री कुंवर सिंह निषाद :- आप इन दोनों की जांच करवा लीजिए। (व्यवधान)

श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह :- अभी तक का मिलेगा या नहीं मिलेगा? (व्यवधान)

श्री धरमलाल कौशिक :- दूसरी बात, हमने कोविड काल का इंडोर स्टेडियम का एयर कंडिशनर का प्रश्न पूछा था कि कितने में AC लगे और कितने में क्या लगे तो 10 AC आ जाएंगे, उसका केवल AC का किराया दिया गया। पिछली सरकार में यही सब कारगुजारी हुई है, तभी तो लोग आपको बिदा किये हैं।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- अब 1 AC के रिपेयरिंग के 2 लाख, 40 हजार रूपये हो रहे हैं। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय :- धरम जी।

श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह :- अध्यक्ष महोदय, मुझे इस प्रश्न में आपका संरक्षण चाहिए।

श्री उमेश पटेल :- अध्यक्ष महोदय, मंत्रियों से यह कैसा जवाब मिल रहा है ? क्या आप भूल गये ? लिखा कुछ है और बोल कुछ और रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, आप बैठिये। धरम जी, मंत्री जी सक्षम हैं, आप उनको जवाब देने दीजिए।

श्री धरमलाल कौशिक :- अध्यक्ष महोदय, मैं जवाब की बात नहीं कर रहा हूं। मंत्री जी जवाब दे रहे हैं, लेकिन पिछले कार्यकाल में ऐसा ही हुआ है कि 1 AC के रिपेयरिंग के पैसे से 10 AC खरीद लेंगे। रिपेयरिंग के ज्यादा पैसे लगे। उस पैसे से आप बाजार से एक हाई मास्क का AC खरीद लेंगे। उसमें 10 हाई मास्क AC के पैसे से ज्यादा पैसे लगे। (व्यवधान)

श्री कुंवर सिंह निषाद :- सेम अभी आपने किया है। आप 2 लाख, 40 हजार रूपये में उसकी रिपेयरिंग करते हैं। (व्यवधान)

श्रीमती संगीता सिन्हा :- माननीय अध्यक्ष महोदय जी। (व्यवधान)

श्री उमेश पटेल :- अध्यक्ष महोदय, प्रश्नकाल इतना महत्वपूर्ण है। मंत्री जी को जवाब देने दिया जाये या तो फिर इनको जवाब देने के लिए अधिकृत कर दिया जाये।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, मंत्री जी जवाब दे रहे हैं।

श्री रामकुमार यादव :- ए अभी अपन आप ला मंत्री समझत हे। (हंसी)

अध्यक्ष महोदय :- ठीक है।

श्री अरूण साव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रश्न यह है कि दिनांक 01.10.2019 से दिनांक 31.12.2024 तक की अवधि में कितने स्थानों पर कितनी-कितनी राशि से वार्षिक मरम्मत विद्युतीकरण कार्य कराये गये? उक्त कार्यों के क्रियान्वयन हेतु कौन-कौन सी एजेंसी फर्मों को कितनी-कितनी राशि का भुगतान किया गया? इसकी आप वर्षवार व कार्यवार जानकारी प्रदान करें। माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसे आपने बताया कि इसकी 1500 पृष्ठों की जानकारी है। हमने माननीय सदस्य को एक-एक चीज की जानकारी उपलब्ध कराई है। यदि आपको और भी कोई जानकारी चाहिए तो हम निश्चित रूप से उपलब्ध करा देंगे।

अध्यक्ष महोदय :- जानकारी उपलब्ध करा देंगे। ठीक है।

श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वाइंटेड प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय :- मंत्री जी आपको जानकारी उपलब्ध करा देंगे। प्रश्न क्रमांक-2। रोहित साहू जी।

अभनपुर से पांडुका तक राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण

[लोक निर्माण]

2. (*क्र. 910) श्री रोहित साहू : क्या उप मुख्यमंत्री (लोक निर्माण) महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि:- **(क)** राष्ट्रीय राजमार्ग 130 अभनपुर से पांडुका तक निर्माण कार्य की स्वीकृति आदेश कब हुआ ? स्वीकृति आदेश में कार्य पूर्ण करने की अवधि क्या निर्धारित थी? **(ख)** क्या समयावधि में कार्य पूर्ण कर लिया गया है? क्वालिटी चेक करा ली गयी है? यदि नहीं तो कब तक पूर्ण कर ली जावेगी ?

उप मुख्यमंत्री (लोक निर्माण) (श्री अरूण साव) : (क) जानकारी **संलग्न प्रपत्र**[1] अनुसार है। **(ख)** जी नहीं। निर्माण कार्य के दौरान क्वालिटी चेक कराया गया है। निर्माण के पूर्णता की निश्चित तिथि बताया जाना संभव नहीं है।

श्री रोहित साहू :- माननीय अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद। मेरा प्रश्न अभनपुर से पांडुका तक राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण से संबंधित है। मैंने माननीय मंत्री जी से जो प्रश्न किया था, उसका जवाब आ गया है। मैं माननीय मंत्री जी से यह जानकारी जानना चाहता हूं कि राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक-130 अभनपुर से पांडुका तक निर्माण कार्य का स्वीकृति आदेश कब हुआ है और यह कार्य कब तक पूर्ण हो जायेगा? अभी बहुत सारे काम चल रहे हैं और अभी भी कुछ काम बाकी हैं। उससे बहुत दिनों से क्षेत्र में परेशानी भी हो रही है तो यह कार्य कब तक पूर्ण हो जायेगा और आप उसमें क्या-क्या गुणवत्ता से काम करा सकते हैं?

श्री अरूण साव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-130 (C) प्रारंभिक रूप से यह अभनपुर से पांडुका तक था, जिसकी लंबाई 40.38 किलोमीटर थी, बाद में इसकी संशोधित लंबाई 35.45 किलोमीटर हुई। चूंकि शेष मार्ग का निर्माण लोक निर्माण विभाग ने कुर्रा गांव से लेकर नवापारा नदी पोल तक फोरलेन का कर लिया था, इसलिए इसकी संशोधित लंबाई 35.45 किलोमीटर हुई। उक्त कार्य के दो लेन पेवर सोल्डर मय पुल-पुलिया सहित सड़क चौड़ीकरण निर्माण का कार्य 196.16 करोड़ रूपये की प्रशासकीय स्वीकृति सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय नई दिल्ली से 22.12.2020 को प्रदान की गई थी। उक्त कार्य का कार्यादेश 23.3.2022 को ठेकेदार मेसर्स सुभाष कुमार अग्रवाल खरसिया को दिया गया था। अनुबंध की राशि 102.98 करोड़ है। अनुबंधानुसार कार्य की पूर्णता अवधि माह यानि दिनांक 24.9.2023 निर्धारित थी। वर्तमान में 1.4 किलोमीटर का निर्माण कार्य शेष है। 72.06 करोड़ की राशि व्यय हुई है। यूटिलिटी, शिफ्टिंग और मुआवजा भुगतान में विलंब के कारण और ठेकेदार द्वारा समानुपातिक प्रगति नहीं देने के कारण विलंब हुआ है। जो पेनाल्टी लगनी है, उसके एवज

[1] परिशिष्ट ''एक''

ठेकेदार का 2.24 करोड़ रूपये रोककर रखा गया है। अगर किसी तरह का उल्लंघन होगा तो उसे अंतिम भुगतान करते समय समायोजन करवा लिया जायेगा।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, अजय जी पूछ लीजिये।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें निर्माण के दौरान गुणवत्ता जांच कराया गया है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि जिस दिन सड़क का निर्माण प्रारंभ होता और पूर्ण होने की अवधि के बीच में, चूंकि यह राष्ट्रीय राजमार्ग का प्रश्न है, परन्तु विभाग का क्या view है, आप चाहे तो बता सकते हैं कि गुणवत्ता जांच की प्रक्रिया क्या है ? कितनी बार जांच की जाती है ? आप इस सड़क निर्माण में गुणवत्ता जांच किये तो गुणवत्ता में कोई फर्क पाया गया या सही पाया गया है ? इसकी जितनी बार जांच होनी चाहिए, उतनी बार जांच हुई या नहीं हुई ? यह बताने का कष्ट करेंगे ?

श्री अरूण साव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, सामान्यत: नियमित रूप से अलग-अलग स्तर पर गुणवत्ता की जांच होती है, अलग-अलग स्तर पर जांच होती है। गुणवत्ता की जांच की गई है और गुणवत्ता संतोषप्रद पाया गया है।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने कहा कि इसे रूलर डेवलपमेंट में MQM जांच करता या SQM जांच करता है या विभागीय जांच होती है ? तीन बार जांच होती है, इस-इस चरण में जांच होती है। मैंने आपसे यह पूछा है कि गुण्वत्ता जांच की प्रक्रिया क्या है ? कितनी बार कौन-कौन सी प्रक्रिया में जांच करते हैं और इस सड़क की जांच हुई है या नहीं हुई है ? कितनी बार जांच हुई है, मैंने यह पूछा था ? गुणवत्ता जांच की प्रक्रिया तो रहेगी ही, आपने वह तो एकदम सामान्य बात बताया।

श्री अरूण साव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, गुणवत्ता जांच की नियमित प्रक्रिया है। सब इंजीनियर होते हैं, वह नियमित जांच करते हैं, उसके ऊपर एस.डी.ओ. होते हैं, वह जांच करते हैं। जहां तक इस सड़की की गुणवत्ता जांच की बात है तो नियमित रूप से जांच हुई है। माननीय सदस्य तारीखवार पूछेंगे तो मैं उन्हें तारीख उपलब्ध करा दूंगा।

विकासखण्ड बरमकेला के नावापारा मार्ग पर स्थित किंकारी नाला की मिट्टीकी जांच

[लोक निर्माण]

3. (*क्र. 1784) श्रीमती उत्तरी गनपत जांगड़े : क्या उप मुख्यमंत्री (लोक निर्माण) महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** विकासखण्ड बरमकेला के अंतर्गत नावापारा मार्ग पर स्थित किंकारी नाला में चिकनी मिट्टी किस खदान (नक्सा/खसरा) से ली गयी है तथा इस मिट्टी की कितनी-कितनी मात्रा हेतु जांच लोकनिर्माण विभाग के प्रयोगशाला से कराई गई, कृपया जानकारी देवें ? **(ख)** उक्त मिट्टी हेतु कितनी राशि का भुगतान किया गया ?

उप मुख्यमंत्री (लोक निर्माण) (श्री अरूण साव) : (क) बरमकेला के नवापारा मार्ग पर स्थित किंकारी नाला के पहुंच मार्ग में मिट्टी ग्राम खोरीगांव के कृषक के निजी भूमि से (अनुबंधक द्वारा अनुमति लेकर) मिट्टी उपयोग में लाया गया है। नक्सा/खसरा की जानकारी **पुस्तकालय में रखे प्रपत्र** अनुसार है। मिट्टी की जांच कराई गई है, जांच प्रतिवेदन पुस्तकायल में रखे प्रपत्र अनुसार है। **(ख)** मिट्टी की मात्रा 3482.09 घन मीटर हेतु रु. 10,68,930/- का भुगतान किया गया है।

श्रीमती उत्तरी गनपत जांगड़े :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगें कि विकासखण्ड बरमकेला के अन्तर्गत नवापारा मार्ग पर स्थित किंकारी नाला में चिकनी मिट्टी किस खदान नक्शा से ली गई है तथा इस मिट्टी की कितनी-कितनी मात्रा जांच लोक निर्माण विभाग से प्रयोगशाला से कराई गई है, कृपया जानकारी देंवे ? उक्त मिट्टी हेतु कितनी राशि का भुगतान किया गया ?

श्री अरूण साव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्या सन् 2022 से नाला के निर्माण को लेकर शिकायती करती रही हैं। जहां तक मिट्टी की गुणवत्ता की जांच की बात है तो 4 बार जांच कराई गई है। 24.02.20123, 02.11.2023, 03.12.2024 एवं 03.03.2025 को जांच कराया गया है। मिट्टी की कुल मात्रा 23,627 घन मीटर होना चाहिए। उसमें से 3,482 घन मीटर का 10 लाख रूपये का भुगतान किया गया है। इस काम की अनुबंधित राशि 9 करोड़ 63 लाख है, उसमें से अब तक ठेकेदार को 6 करोड़ 41 लाख 68 हजार रूपये का भुगतान हुआ है। अभी फिर से माननीय सदस्य महोदया की शिकायत आई है। प्रमुख अभियन्ता ने जांच कर रिपोर्ट देने के लिए कहा है। थोड़े दिन पहले 22.02.2025 को एक रिपोर्ट सुपरीटेन्डेट इंजीनियर ने रिपोर्ट दी है, उसमें कुछ खामियां पाई गई है। हमने चीफ इंजीनियर को एक विस्तृत जांच के लिए पत्र लिखा है और जांच के उपरांत उस पर जो भी स्थिति पाई जाएगी, उसके अनुसार कार्रवाई जाएगी।

श्रीमती उत्तरी गनपत जांगड़े :- माननीय अध्यक्ष महोदय, वहां पर पूरा खराब मिट्टी को डाला गया है, जिससे आवागमन में बहुत दिक्कत हो रही है। मेरा माननीय उप मुख्यमंत्री निवेदन है कि उसका उच्च स्तर से जांच होनी चाहिए और दूसरा विभाग से जांच होनी चाहिए, तब भी वह पुल अच्छा होगा।

श्री अरूण साव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसे मैंने बताया कि मुख्य अभियंता को जांच करने के लिए हमने दिनांक 10.03.2025 को आदेशित किया है। उसकी विस्तृत जांच होगी और जांच में जो भी खामी व त्रुटि पाई जाएगी, उसके अनुरूप कार्यवाही की जाएगी।

अध्यक्ष महोदय :- ठीक है। प्रश्न क्रमांक 04, श्री बघेल लखेश्वर।

श्रीमती उत्तरी गनपत जांगड़े :- माननीय अध्यक्ष महोदय, उसको दूसरे विभाग से जांच करानी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय :- दूसरे विभाग जांच नहीं करता है। यह विभाग ही जांच करेगा।

जिला बस्तर में डी.एम.एफ.टी. व सी.एस.आर. मद अंतर्गत स्वीकृत कार्य

[वाणिज्य एवं उद्योग]

4. (*क्र. 2468) श्री बघेल लखेश्वर : क्या वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** जिला-बस्तर को वर्ष 2022, 2023 एवं 2024 में डी.एम.एफ.टी. व सी.एस.आर. मद में प्राप्त राशि का विवरण देवें? **(ख)** प्रश्नांश "क" के परिप्रेक्ष्य में ही प्राप्त राशि अंतर्गत किन-किन ग्राम पंचायतों व नगरीय निकायों में (प्रत्यक्ष गांव/अप्रत्यक्ष गांव की स्पष्टता के साथ) कौन-कौन से कार्य स्वीकृत किए गए? स्वीकृत राशि एवं व्यय की स्थिति सहित कार्य की अद्यतन स्थिति बतावें? **(ग)** प्राप्त कुल राशि से कितनी राशि प्रत्यक्ष गांवों एवं कितनी राशि अप्रत्यक्ष गांवों को दी गयी? बतावें?

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री (श्री लखन लाल देवांगन) : (क) कार्यालय, जिला खनिज संस्थान न्यास तथा कार्यालय जिला पंचायत, जिला-बस्तर से प्राप्त जानकारी अनुसार जिला-बस्तर को वर्ष 2022, 2023 एवं 2024 में डी.एम.एफ.टी. व सी.एस.आर. मद में कुल राशि रू. 423.1974 करोड़ (चार सौ तेईस करोड़ उन्नीस लाख चौहत्तर हज़ार रुपये) प्राप्त हुआ है। प्राप्त राशि का **विस्तृत विवरण जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-अ** पर दर्शित है। **(ख)** उत्तरांश "क" के परिप्रेक्ष्य में ही प्राप्त राशि अंतर्गत पंचायतों व नगरीय निकायों में (प्रत्यक्ष गांव/अप्रत्यक्ष गांव की स्पष्टता के साथ) डी.एम.एफ.टी. से स्वीकृत कार्य, स्वीकृत राशि एवं व्यय की स्थिति सहित कार्य की अद्यतन स्थिति ग्राम पंचायतवार विस्तृत विवरण जानकारी **पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-ब** (प्रत्यक्ष गाँव) एवं विस्तृत विवरण जानकारी **पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-स** (अप्रत्यक्ष गाँव) पर दर्शित है तथा सी.एस.आर. मद से स्वीकृत कार्य, स्वीकृत राशि एवं व्यय की स्थिति सहित कार्य की अद्यतन स्थिति ग्राम पंचायतवार विस्तृत विवरण जानकारी **पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-द** पर दर्शित है। **(ग)** जिला खनिज संस्थान न्यास, जिला बस्तर अंतर्गत प्राप्त कुल राशि से राशि रू. 175.67103 करोड़ (एक सौ पचहत्तर करोड़ सरसठ लाख दस हज़ार) प्रत्यक्ष गांवों एवं राशि रू. 259.28208 करोड़ (दो सौ उनसठ करोड़ अट्ठाईस लाख बीस हज़ार) अप्रत्यक्ष गांवों को स्वीकृति दी गयी है। **विस्तृत विवरण जानकारी पुस्तकालय में रखेप्रपत्र-ब** (प्रत्यक्ष गाँव) एवं **विस्तृत विवरण जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-स** (अप्रत्यक्ष गाँव) पर दर्शित है।

श्री बघेल लखेश्वर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने जिला-बस्तर में डी.एम.एफ.टी. व सी.एस.आर. मद के अंतर्गत स्वीकृत कार्य के संबंध में जानकारी चाही थी। उन्होंने इस संबंध में मुझे ढेर सारी जानकारी दी है, लेकिन मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि आपने खर्च में 42,319 लाख 74 हजार बताया है और इस प्रश्न के जवाब में 423.1974 (चार सौ तेईस करोड़ उन्नीस लाख चौहत्तर हज़ार रुपये) बताया है। इन दोनों में क्या अंतर है? 423 करोड़ वाला उत्तर सही है या 42,319 लाख वाला उत्तर सही है, इसको थोड़ा स्पष्ट करेंगे?

श्री लखन लाल देवांगन :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य को 169 पेज की जानकारी उपलब्ध कराई गई है। वह अंतर के बारे में पूछ रहे हैं। उसमें अलग-अलग एक लाख और एक करोड़ में आंकड़ा दिया गया है, उसको पढ़ने और समझने में फर्क हुआ होगा। आप उसको पूरा ध्यान से देख लें।

श्री बघेल लखेश्वर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि 42,319 लाख 74 हजार रूपये और आपने इस प्रश्न के जवाब में करोड़ में, चार सौ तेईस करोड़ उन्नीस लाख चौहत्तर हजार रूपये जानकारी दी है। आपने जो शब्दों में उल्लेख किया है, उसको मैं पूछना चाह रहा था।

श्री लखन लाल देवांगन :- माननीय अध्यक्ष महोदय, वह 423 करोड़ है।

अध्यक्ष महोदय :- ठीक है। वह 423 करोड़ ही है। उसके आगे बिन्दु लगा है। 423 करोड़ 19 लाख रूपये है।

श्री लखन लाल देवांगन :- अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने खनिज विभाग और भारत सरकार का प्रश्न पूछा है। यह प्रश्न विधान सभा से मेरे विभाग में आया तो मैं मंत्री होने के कारण मैंने उनको उसका पूरा विस्तृत जवाब दिया है।

अध्यक्ष महोदय :- नहीं, उनको जवाब तो देना है, उसमें कोई बात ही नहीं है। आप मंत्री हैं। आप दूसरा प्रश्न करिये।

श्री बघेल लखेश्वर :- आप मंत्री हैं, भाई। चाहे भारत सरकार का प्रश्न हो या चाहे राज्य सरकार का प्रश्न हो, आपको सबका उत्तर देना है। माननीय मंत्री जी, कृपया आप यह बताना चाहेंगे कि वर्ष 2024-2025 में कौन-कौन सी सामग्रियां खरीदी गई हैं? आपने 169 पेज का उत्तर दिया है, लेकिन आपने कौन-कौन से वर्ष में किन-किन सामग्रियों की खरीदी की है, यह स्पष्ट नहीं हो पा रहा है? आपने वर्ष 2024 में कौन-कौन सी सामग्रियों की खरीदी की है व कौन-कोन से कार्य किए हैं?

श्री लखन लाल देवांगन :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इस संबंध में बहुत सारे उत्तर दिए गए हैं। यह उत्तर 169 पेज का है। यदि आप समय देंगे तो मैं एक-एक चीज पढ़कर बता दूंगा।

अध्यक्ष महोदय :- वह सिर्फ वर्ष 2024 की जानकारी पूछ रहे हैं। आप वर्ष 2022, वर्ष 2023 को छोड़ दीजिये। यदि आपके पास स्पेशिफिक वर्ष 2024 के प्रश्न का जवाब है तो आप दे दीजिये और यदि इसका जवाब लंबा है तो आप उनको बाद में उपलब्ध करा दें। आपके पास दोनों विकल्प हैं।

श्री लखन लाल देवांगन :- अध्यक्ष महोदय, उनको उपलबध करा देंगे।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, अगला प्रश्न करिये।

श्री बघेल लखेश्वर :- अध्यक्ष महोदय, मैं लास्ट पृष्ठ में देख रहा हूँ, हमारे यहां छात्रावास, आश्रम, स्कूल भवन जर्जर स्थिति में है, लेकिन वर्ष 2024 में मंत्री जी द्वारा स्कूलों के लिये व्यायाम सामग्री के बारे में जानकारी दी गई है, जब स्कूल का ही ठिकाना नहीं है तो फिर व्यायाम सामग्री के

लिये लाखों-करोड़ रूपये व्यय कर रहे हैं ? सरकार के द्वारा करोड़ों रूपये का जिम खरीद रहे हैं, क्या हमारी प्राथमिकता जिम खरीदने की है ?

अध्यक्ष महोदय :- खाली जिम ही खरीद रहे हो कि कोई दूसरा चीज भी खरीद रहे हो, यह पूछ रहे हैं ?

श्री लखनलाल देवांगन :- माननीय अध्यक्ष महोदय, शासी परिषद का कलेक्टर अध्यक्ष होता है और माननीय खुद सदस्य हैं, स्वयं पास करते हैं कि क्या करना है ? अध्यक्ष महोदय, वह स्वयं बैठक में रहे होंगे, जो निर्णय में प्रस्ताव पारित किये होंगे, उसी सामग्री की खरीदी की गई होगी । यदि उसमें कोई शंका है तो मुझे अवश्य जानकारी दें, हम लोग जॉच करा देंगे ।

श्री बघेल लखेश्वर :- अध्यक्ष महोदय, परिषद का बैठक तो आज तक हुआ नहीं है ...।

श्री अजय चन्द्राकर :- लखेश्वर जी, अभी धरम कौशिक जी ने बताया कि जिस सन् का पूछे हो तो सब तो आप ही ने किया है ? उनको और क्या पूछ रहे हो ?

श्री बघेल लखेश्वर :- अध्यक्ष महोदय, स्वशासी परिषद का बैठक कब-कब हुआ है, यदि इसकी जानकारी है तो बता दीजिएगा ? हम लोगों को बैठक में बुलाया गया है कि नहीं बुलाया गया है, बता दीजिएगा ?

श्री अजय चन्द्राकर :- अध्यक्ष महोदय, उस समय सब चीजों में संभावना थी। बिना संभावना के कोई काम नहीं होता था ।

श्री बघेल लखेश्वर :- उसका भी एस.आई.टी. गठन करके जांच करा दीजिए, आपका जांच ही तो चल रहा है ? हम लोग जो-जो किये हैं, पूरे विभाग का कर लीजिए । कोई काम मत करिये, कोई पैसा खर्च मत करिये, पूरा जांच में लग जाईये, पूरे डिपार्टमेंट को 5 साल तक लगा दीजिए । कब-कब बैठक हुई, हम लोगों को कब बुलाया गया, कब तय हुआ, कृपया माननीय मंत्री जी इसकी जानकारी देंगे ।

श्री लखनलाल देवांगन :- अध्यक्ष महोदय, स्वशासी परिषद का बैठक फरवरी 2024 में हुई है और बीच में भारत सरकार का गाईड लाईन आया । अभी उसमें बैठक नहीं हो पाया है, प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष का गाईड लाईन आ चुका है, अब जल्द से जल्द स्वशासी परिषद का बैठक होगा । आप भी उसमें माननीय सदस्य हैं ।

श्री बघेल लखेश्वर :- अध्यक्ष महोदय, नये गाईड लाईन में क्या-क्या काम करना है, ऐसा कुछ है तो बता दीजिएगा ?

श्री लखनलाल देवांगन :- अध्यक्ष महोदय, भारत सरकार का गाईड लाईन में जो आया है, उसको पूर्ण रूप से उपलब्ध करा दिया जायेगा । जो पहले गाईड लाईन था, वही फिर से आया है ।

अध्यक्ष महोदय :- क्रमांक 5 । श्री अटल श्रीवास्तव जी ।

श्री बघेल लखेश्वर :- खत्म नहीं हुआ है सर ।

अध्यक्ष महोदय :- अच्छा पूछ लीजिए । पूछिये, सॉरी ।

श्री बघेल लखेश्वर :-अध्यक्ष महोदय, हम जो देख रहे हैं, सीएसआर मद का हो, चाहे डी.एम.एफ. मद हो, सिर्फ दो विधान सभा में खर्च हुआ है...।

श्री अजय चन्द्राकर :- बिल्कुल बराबरी का टक्कर है, माननीय अध्यक्ष महोदय । (हंसी)

अध्यक्ष महोदय :- चलने दो । जैसा पिच है, जैसे बॉल टर्न हो रहा है, वैसे ही बैटिंग हो रही है । आप उसमें काहे को बीच में आते हो ? (हंसी)

श्री बघेल लखेश्वर :- अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी यह जानकारी देंगे कि सीएसआर मद और डीएमएफ मद में कोई दायरा है कि कितने किलोमीटर के अंदर करना है ? एक ही विधान सभा में करना है कि दो विधान सभा में करना है, सीएसआर हो या डीएमएफ मद हो, सिर्फ जगदलपुर विधान सभा और चित्रकूट विधान सभा में खर्च हो रहा है, इसके अलावा किसी अन्य विधान सभा में खर्च करने का प्रावधान है कि नहीं है ?

श्री लखनलाल देवांगन :- अध्यक्ष महोदय, पुराने गाईड लाईन में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से गांवों में करने का है । माननीय सदस्य के द्वारा मेरे से जो प्रश्न पूछा जा रहा है, उस स्वशासी परिषद की बैठक में आप लोग स्वयं बैठकर निर्णय लिये हैं, इसमें माननीय विधायक सदस्य होते हैं, आप ही लोग निर्णय लिये हैं, जैसा आप लोग निर्णय लिये होंगे, वैसे ही कार्यों का स्वीकृति हुआ है और आने वाले समय में भी बैठक होंगे । आप बतायेंगे तो निश्चित तौर पर आपके कामों को जोड़ा जायेगा। उसमें सभी के सलाह-मशविरा से जोड़ा जाता है । सी.एस.आर. मद की राशि जो चित्रकूट और जगदलपुर में खर्च अधिक क्यों किया जा रहा है तो मैं बता रहा हूँ कि सीएसआर मद की राशि उन क्षेत्रों में भी व्यय की गई है, जहां पर पाईप लाईन एनएमडीसी ग्राम प्रभावित हैं । इन ग्रामों में अधिकतर चित्रकूट और जगदलपुर विधान सभा आते हैं, इस कारण से सीएसआर का काम...।

अध्यक्ष महोदय :- ठीक है, पर्याप्त हो गया । अटल श्रीवास्तव जी ।

श्री बघेल लखेश्वर :- अध्यक्ष महोदय, नगरनार स्टील प्लॉण्ट मेरे विधान सभा से 3 किलोमीटर की दूरी पर है । उससे लगा हुआ है, उस गांव में एक रूपये खर्च नहीं किया गया । 8-8, 10-10 किलोमीटर में खर्च कर रहे हैं, लेकिन 3 किलोमीटर में खर्च नहीं कर रहे हैं । यह ठीक बात नहीं है ना ?

अध्यक्ष महोदय :- ठीक बात नहीं है, आगे ध्यान रखा जाये । विधायक जी के प्रस्ताव को भी मंजूरी दें । श्री अटल जी ।

पाटिल रेल इंफ्रास्ट्रक्चर, करगी रोड में पंजीकृत एवं कार्यरत श्रमिक

[श्रम]

5. (*क्र. 1992) श्री अटल श्रीवास्तव : क्या वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि:- (क) पाटिल रेल इंफ्रास्ट्रक्चर, करगीरोड कोटा में दिनांक 15.02.2021 की स्थिति में श्रमिकों की पंजीकृत संख्या कितनी है और कितने श्रमिक कार्यरत हैं? (ख) प्रश्नांश (क) अंतर्गत कितने कार्यरत श्रमिकों को शासन द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी का भुगतान किया जा रहा है और कितने श्रमिकों को भुगतान नहीं किया जा रहा है ? जानकारी दें ? (ग) प्रश्नांश (क) अंतर्गत क्या श्रमिकों का ईपीएफ काटा जा रहा है? यदि हॉ, तो कितने श्रमिकों का एवं ईपीएफ की राशि कितनी हैं ? (घ) क्या श्रम विभाग द्वारा पाटिल रेल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रा.लि.का वर्ष 2023-24 व 2024-25 में निरीक्षण किया गया है ? अगर किया गया है तो दिनांक और निरीक्षण में प्राप्त तथ्यों की जानकारी क्या है ?

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री (श्री लखन लाल देवांगन) : (क) पाटिल रेल इंफ्रास्ट्रक्चर, करगीरोड कोटा में दिनांक 15.02.2021 की स्थिति में कारखाना अधिनियम 1948 अंतर्गत अधिकतम 500 श्रमिकों के नियोजन हेतु अनुज्ञप्ति जारी की गई है। वर्तमान में पाटिल रेल इंफ्रास्ट्रक्चर, करगीरोड कोटा में सीधे नियोजित 72 श्रमिक एवं ठेकेदारों के माध्यम से 235 श्रमिक इस प्रकार कुल 307 श्रमिक कार्यरत है। (ख) न्यूनतम वेतन अधिनियम अंतर्गत संस्थान में कार्यरत् श्रमिकों को शासन द्वारा निर्धारित अनुसार न्यूनतम मजदूरी भुगतान किये जाने संबंधी जानकारी विभाग अंतर्गत संधारित किये जाने का प्रावधान नहीं है। पाटिल रेल इंफ्रास्ट्रक्चर, करगीरोड कोटा के प्रबंधन से प्राप्त जानकारी अनुसार श्रमिकों को उनके बैंक खातों के माध्यम से शासन द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी का भुगतान किया जा रहा है।पाटिल रेल इंफ्रास्ट्रक्चर, करगीरोड कोटा में कार्यरत श्रमिकों को शासन द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी से कम भुगतान करने के संबंध में विभाग को कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। (ग) कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम का प्रवर्तन केन्द्रीय शासन के कर्मचारी भविष्य निधि संगठन श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा किया जाता है। आयुक्त कर्मचारी क्षेत्रीय भविष्य निधि संगठन क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार से प्राप्त जानकारी अनुसार श्रमिकों का ईपीएफ काटा जा रहा है। श्रमिकों के ईपीएफ कटौती संबंधी जानकारी भविष्य निधि संगठन श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा संधारित किये जाने का प्रावधान है। (घ) श्रम विभाग द्वारा पाटिल रेल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रायवेट लिमिटेड का वर्ष 2023-24 व 2024-25 में निरीक्षण नहीं किया गया है।

श्री अटल श्रीवास्तव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, करगी रोड, कोटा में पाटिल रेल इंफ्रास्ट्रक्चर स्थापित है, जहां पर रेल्वे स्लीपर्स बनाए जाते हैं । मैंने माननीय मंत्री जी से पूछा था कि वहां कितने श्रमिक काम करते हैं ? मंत्री जी का जवाब आया है कि उनका जो नियोजन है, वह 500 श्रमिक का है ।

अभी 72 श्रमिक कम्पनी के हैं और 235 श्रमिक ठेके की पद्धति से कार्यरत् हैं । जो ठेके पद्धति से श्रमिक काम रहे हैं, उनका न ईपीएफ कट रहा है, न उनको छत्तीसगढ़ का Minimum wages 436 रूपए मिल रहे हैं । इस बारे में उद्योग विभाग ने उन पर कोई कार्रवाई की क्या ?

श्री लखन लाल देवांगन :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जो नियोजन कर्मचारी हैं और जो ठेका कर्मचारी हैं, उन सभी का नियमित भुगतान हो रहा है । सभी का ईपीएफ कट रहा है । विभाग को किसी भी तरह से कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

श्री अटल श्रीवास्तव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, अगर कोई श्रमिक शिकायत करने जाता है तो उसको काम से निकाल दिया जाता है कि आपको काम पर नहीं रखा जाएगा । यह बातें लगातार हो रही हैं । इसके साथ-साथ इंडस्ट्रियल सेफ्टी की बात है । अभी कुछ दिन पहले वहां पर एक श्रमिक का एक्सीडेंट हुआ, उसको कुछ पैसे देकर भगा दिया गया, जबकि वहां पर श्रम विभाग को उस श्रमिक को उचित मुआवजा दिलाना चाहिए था, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ । मंत्री जी का ही जवाब आ रहा है कि 2023-24 से आजतक कोई कार्रवाई, वहां पर कोई जांच नहीं की गई है । मेरा आपसे निवेदन है, वह कम्पनी हमारे कोटा विधानसभा क्षेत्र के श्रमिकों का दोहन कर रहा है । न तो उनको मिनिमम वेजेस मिल रहा है, न उनके इंडस्ट्रियल सेफ्टी की बात हो रही है । इस पर उद्योग विभाग ने क्या कार्रवाई की है ?

श्री लखन लाल देवांगन :- माननीय अध्यक्ष महोदय, कारखाना अधिनियम के अंतर्गत में अति जोखिम कारखाना को रेण्डम के माध्यम से चेकिंग की जाती है । यह कारखाना अति खतरनाक कारखाना में नहीं आता, इस कारण वे वहां रेण्डम चेकिंग लागू नहीं होता, इस कारण से उसकी जांच नहीं की गई है । विभाग को किसी भी प्रकार की कोई शिकायत नहीं मिली है । अगर आप पर्टिक्यूलर बता रहे हैं कि किसी का एक्सीडेंट हुआ है तो निश्चित तौर पर उसकी जांच करा दी जाएगी ।

श्री अटल श्रीवास्तव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, वह कम्पनी लगातार कोटा के पहाड़ों को खोदकर गिट्टी निकाल रही है । वहां पर छत्तीसगढ़ शासन को नुकसान हो रहा है, उसने अभी तक रेत की रायल्टी नहीं दी । उसको पूरा फ्री हैण्ड दिया गया है। उस उद्योग के कारण पूरे के पूरे मोहल्ले वाले वहां पर केवल धूल खाते हैं । न तो उस कम्पनी ने वहां पर सीएसआर का पैसा सड़क निर्माण पर लगाया, न वह उद्योग शासन को गिट्टी की रायल्टी दे रही है, न रेत की रायल्टी दे रही है । उसको भण्डारण करने की पूरी छूट मिली हुई है तो क्या ऐसा उद्योग भी संचालित हो रहा है, जिसके ऊपर कोई कार्रवाई आजतक नहीं हुई है । आपका सीधा-साधी जवाब आ रहा है कि 2023 के बाद से उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई, कोई जांच नहीं की गई ? क्या उनके खिलाफ जांच करेंगे ? श्रमिकों के लिए जांच हो जाये कि उनको न्यूनतम वेतन मिल रहा है या नहीं ? वहां पर पहाड़ खोदकर गिट्टी निकाली जा रही है, स्लीपर में केवल 3 चीजें लगती हैं - सीमेंट, गिट्टी और रेती । न तो उस कम्पनी से छत्तीसगढ़

शासन को कोई रायल्टी प्राप्त हो रही है । रेत का भण्डारण जिस तरीके से वह कम्पनी कर रही है, न उसके सीएसआर का कोई फंड वहां के सड़क निर्माण में या प्रदूषण रोकने के लिए हो रहा है । पूरे चीजों को मिलाकर आप कोई कार्रवाई करेंगे क्या ?

श्री लखन लाल देवांगन :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य जो रेत, गिट्टी की बात कर रहे हैं, वे उसको लिखित में दे देंगे तो हम संबंधित कलेक्टर को भेजेंगे और उसकी जांच कराएंगे ।

अटल नवीनीकरण एवं शहरी परिवर्तन मिशन अंतर्गत स्वीकृत कार्य

[नगरीय प्रशासन एवं विकास]

6. (*क्र. 1165) श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल : क्या उप मुख्यमंत्री (लोक निर्माण) महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) वर्ष 2022 से 10.2.2025 अटल नवीनीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन के अंतर्गत ठोस/तरल अपशिष्ट प्रबंधन, जलापूर्ति, सीवरेज नेटवर्क, सेप्टेज प्रबंधन, जल निकासी, शहरी परिवहन और हरित स्थानों की व्यवस्था संबंधी क्या-क्या कार्य किये गये हैं? कार्यवार, प्राप्त राशिवार, कार्य की अद्यतन स्थिति, भुगतानवार, विकासखंडवार, जिलेवार देवें। (ख) क्या शहरी विकास प्राधिकरण/मंत्रालय से परिवहन और अन्य विकास कार्यों के लिए विदेशों से भी राशि प्राप्त हो रही हैं? यदि हां, तो उक्त अवधि में कितनी-कितनी राशि प्राप्त हुई हैं तथा प्राप्त राशि से कौन-कौन से कार्य कहां-कहां कराये गये हैं? वर्षवार प्राप्त राशि, कार्यवार, विकासखंडवार, जिलेवार जानकारी देवें।

उप मुख्यमंत्री (लोक निर्माण) (श्री अरूण साव) : (क) वर्ष 2022 से 10.2.2025 अटल नवीनीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन के अंतर्गत कुल 33 जल प्रदाय योजना एवं 05 सीवेज परियोजना स्वीकृत की गयी है। कार्यवार विस्तृत जानकारी संलग्न प्रपत्र[2] अनुसार है। (ख) जी नहीं।

श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा जो प्रश्न था, उसमें माननीय मंत्री जी के द्वारा कुछ जवाब दिया गया है । मैंने प्रश्न पूछा था कि अटल नवीनीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन के अंतर्गत ठोस/तरल अपशिष्ट प्रबंधन, जलापूर्ति, सीवरेज नेटवर्क, सेप्टेज प्रबंधन, जल निकासी, शहरी परिवहन और हरित स्थानों की व्यवस्था संबंधी क्या-क्या कार्य किए गए हैं ? मंत्री जी का जवाब आया है कि अटल नवीनीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन अंतर्गत कुल 33 जल प्रदाय योजना एवं 05 सीवरेज परियोजना की जानकारी दी गई है, जिसमें नगर निगम, राजनांदगांव हेतु 147 करोड़, 58 लाख रूपए मैनेजमेंट सीवरेज मास्टर प्लान हेतु स्वीकृति बनाई गई है । मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहती हूं कि उक्त राशि की कब स्वीकृति की गई एवं आज दिनांक तक निविदा नहीं होने का क्या कारण है?

---

[2] परिशिष्ट "दो"

श्री अरुण साव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, अमृत मिशन योजना को दो चरणों में संचालित किया जा रहा है। पहले चरण में हमारे प्रदेश के 9 नगर निगमों रायपुर, भिलाई, दुर्ग, बिलासपुर, कोरबा, राजनांदगांव, अंबिकापुर, जगदलपुर और रायगढ़ के लिए 1804 करोड़ रुपए की जल प्रदाय योजनाएं, 399 करोड़ रुपए की सीवरेज योजनाएं और 33 करोड़ रुपए के उद्यान निर्माण के कार्य स्वीकृत किए गए। राजनांदगांव में जल प्रदाय योजना के लिए 199.23 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई जिसमें सीवरेज के काम के लिए 12.49 करोड़ रुपए की स्वीकृति का प्रावधान किया गया।

श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने सिर्फ यह जानना चाहा है कि उक्त राशि की निविदा आजपर्यन्त क्यों नहीं हुई है? आप राशि बता रहे हैं लेकिन अभी तक निविदा की शुरुआत नहीं हुई है।

श्री अरुण साव :- अध्यक्ष महोदय, इस काम की प्रशासकीय स्वीकृति दिनांक 10.10.2024 को प्राप्त हुई है। निविदा की प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है और जो निविदाएं आई हैं, उनके मूल्यांकन का काम किया जा रहा है और मूल्यांकन के बाद आगे की कार्यवाही की जाएगी।

श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल :- अध्यक्ष महोदय, स्वीकृत राशि से किन-किन कार्यों के लिए निविदा आमंत्रित की गई है? कृपया मुझे उन कार्यों की जानकारी देवें? मैंने इसमें आपसे एक और प्रश्न किया था कि शहरी विकास प्राधिकरण/मंत्रालय से परिवहन और अन्य विकास कार्यों के लिए विदेशों से भी राशि प्राप्त हो रही है? यदि हॉ, तो उक्त अवधि में कितनी-कितनी राशि प्राप्त हुई है?

श्री अरुण साव :- अध्यक्ष महोदय, विदेशों से कोई राशि प्राप्त नहीं हो रही है, मैंने इसका स्पष्ट उत्तर माननीय सदस्या को दिया है।

श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल :- अध्यक्ष महोदय, आपके जवाब में नहीं था। मैं ये भी जानना चाहूंगी कि आपने जो कहा है कि अटल नवीनीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन, जो कि आपके अमृत मिशन का दो महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिससे आप शहरी व्यवस्था को बनाने के लिए राशि स्वीकृत कर रहे हैं, तो जो नए जिले बन रहे हैं, नए नगर पंचायत बने हैं, उनकी व्यवस्था को बनाने के लिए आपने कोई राशि अलग से स्वीकृत की है?

श्री अरुण साव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा मैं बता रहा था कि अमृत मिशन-01 में 9 निकाय शामिल थे। अब अमृत मिशन - 02 जो कि वर्ष 2021 से प्रारंभ हुई है, उससे अभी 53 निकायों में 76 परियोजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है और इसके लिए 3308.19 करोड़ रुपए की स्वीकृति हुई है। इसके अंतर्गत कुल 37 निकायों में 22089.99 करोड़ की 33 जल प्रदाय योजनाओं की प्रशासकीय स्वीकृति जारी हो चुकी है। इसी तरह से 864.37 करोड़ रुपए की सीवरेज परियोजनाएं हैं। ये सीवरेज परियोजनाएं 5 निकायों में होनी हैं। इसी तरह से अमृत मिशन - 02 में 17 Water body rejuvenation और 09 उद्यान के काम स्वीकृत हुए हैं, जिनका डी.पी.आर. तैयार किया जा रहा है।

अमृत मिशन अंतर्गत परियोजनाओं का चुनाव सतही जल की उपलब्धता, प्रति नल कनेक्शन की लागत आदि सब बातों को ध्यान में रखकर किया जाता है। अमृत मिशन-2 में आपके डोंगरगढ़ निकाय के लिए भी स्वीकृति मिली है। सिंघोरा तालाब के body rejuvenation के लिए 3.10 करोड़ और वार्ड क्रमांक-01 में उद्यान के लिए 2.81 करोड़ रुपए की स्वीकृति मिली है।

श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से जानना चाहूंगी कि ठोस/तरल तथा अपशिष्ट प्रबंधन और शहरी परिवहन हेतु क्या-क्या कार्य योजना बनाई गयी है ? जो नये नगर पंचायत बने हैं, आपने वहां के परिवहन के लिये और वहां की आपूर्तियों के लिये क्या-क्या व्यवस्था की है ?

श्री अरूण साव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्या ने बहुत ही वृहद प्रश्न पूछा है। वह किस निकाय के बारे में जानना चाहती है, वह मुझे बता देंगी तो मैं उनको उत्तर दे दूंगा।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, आप उनको बता देंगी तो हो जायेगा।

श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल :- अध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहती हूं कि अभी जो नये नगर पंचायत बने हैं, जहां पर अभी-भी बस स्टॉप की समस्याएं हैं। कहीं पर जल आपूर्ति की समस्याएं है। वैसे ही मेरे डोंगरगढ़ विधान सभा क्षेत्र में घुमका नगर पंचायत बना है, वहां पर बस स्टॉप की समस्या बहुत अधिक है। मैं आपसे वही जानना चाहती हूं कि क्या आप इस सदन के माध्यम से उसके लिये घोषणा करना चाहेंगे ?

श्री अरूण साव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार बनने के बाद हमने कुछ नए नगरीय निकाय बनाये हैं। हमारी सरकार उन शहरों के सुव्यवस्थित विकास के लिये काम कर रही है। आने वाले समय में वहां पर आवश्यतानुरूप विकास के कार्य स्वीकृत किये जायेंगे।

श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल :- माननीय मंत्री जी, आप घोषणा कर देते तो उसकी व्यवस्था बन जाती।

अध्यक्ष महोदय :- हो गया। आपके बहुत प्रश्न आ गये। डॉ. चरणदास महंत साहब।

प्रदेश में जल जीवन मिशन अंतर्गत कार्यो हेतु प्राप्त एवं व्यय राशि

[लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी]

7. (*क्र. 2105) डॉ. चरण दास महंत : क्या उप मुख्यमंत्री (लोक निर्माण) महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) वित्तीय वर्ष 2024-25 में मुख्य बजट, प्रथम अनुपूरक द्वितीय, अनुपूरक सम्मिलित कर जल जीवन मिशन हेतु कितनी राशि का प्रावधान किया गया था? फरवरी, 2025 तक कितनी राशि केन्द्रांश के रूप में प्राप्त हुई? कितनी राज्यांश की राशि थी? कितनी व्यय हुई? कितनी शेष

है? कार्य कितने प्रतिशत पूर्ण हुए? राशि कितने प्रतिशत व्यय हुई? जानकारी देखें? (ख) प्रदेश के किस-किस जिले में जल जीवन मिशन के कार्य चल रहे हैं? इसमें से कितने कार्य पूर्ण कर लिए गए? कितने अपूर्ण हैं? विवरण देवें? (ग) किन-किन जिलों में कितनी जगह पानी टंकी के निर्माण का प्रावधान था? कितनी पानी टंकी का निर्माण कार्य पूर्ण कर पेयजल सप्लाई कार्य प्रारंभ कर दिया गया है? और कितनी जगह कार्य अपूर्ण है? क्यों है? (घ) केन्द्र प्रवर्तित इस योजना में कितना केन्द्रांश एवं कितना राज्यांश था? योजना आरंभ से अब-तक कितनी राशि केन्द्र से प्राप्त हुई? कितनी राशि राज्य सरकार द्वारा दी गई? पूर्ण विवरण देवें?

उप मुख्यमंत्री (लोक निर्माण) (श्री अरूण साव) : (क) वित्तीय वर्ष 2024-25 में मुख्य बजट में जल जीवन मिशन हेतु राशि रू. 4500.00 करोड़ का प्रावधान किया गया था। प्रथम अनुपूरक एवं द्वितीय अनुपूरक में राशि प्रावधानित नहीं की गयी है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में फरवरी 2025 तक केन्द्रांश राशि रू. 191.59 करोड़ प्राप्त हुई एवं समतुल्य राज्यांश राशि रू. 187.12 करोड़ प्राप्त हुई। इसके अतिरिक्त राज्यांश राशि रू. 1250.00 करोड़ अग्रिम के रूप में राज्य शासन से प्राप्त हुई। कुल प्राप्त राशि रू. 1628.71 करोड़ का व्यय किया गया है. व्यय हेतु राशि शेष नहीं है। घरेलू नल कनेक्शन 80.3 प्रतिशत पूर्ण हुआ। राशि 51.67 प्रतिशत व्यय हुई। (ख) प्रदेश के समस्त 33 जिलों में जल जीवन मिशन के तहत कार्य चल रहे हैं। इसमें से 11,009 कार्य पूर्ण कर लिए गए हैं। 18,117 कार्य अपूर्ण हैं। जिलेवार विवरण संलग्न प्रपत्र[3] अनुसार है। (ग) प्रदेश के समस्त 33 जिलों में 41,283 जगह पानी टंकी के निर्माण का प्रावधान है। 19,599 पानी टंकी का निर्माण कार्य पूर्ण कर पेयजल सप्लाई कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। 15776 जगह कार्य अपूर्ण हैं। कार्य अपूर्णता का कारण - कार्य प्रगतिरत होना, स्त्रोत की समस्या, स्थल विवाद, एजेंसी द्वारा धीमी गति से कार्य करना, एजेंसी द्वारा अनुबंध की शर्तों के अनुरूप कार्य न करने के कारण निविदा निरस्त कर पुनः निविदा, टंकी निर्माण हेतु कुशल मानव संसाधन की कमी एवं सोलर पंप स्थापना। (घ) केंद्र प्रवर्तित इस योजना में रू. 12424.57 करोड़ केन्द्रांश एवं रू. 14041.17 करोड़ राज्यांश है। योजना आरंभ से अब तक रू. 6185.26 करोड़ राशि केंद्र से प्राप्त हुई है। रू. 7299.18 करोड़ राशि राज्य सरकार द्वारा दी गई।

डॉ. चरणदास महंत :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न जल जीवन मिशन से संबंधित है। मैं मंत्री जी के दिये हुए उत्तर तक ही सीमित हूं। मैं ज्यादा दूर नहीं जाऊंगा। मंत्री जी, आपने वर्ष 2024-25 के बजट में 4,500 करोड़ रूपये का प्रावधान किया था, जो फरवरी 2025 तक खत्म ही हो गया। इसमें केंद्रांश की मात्र 191.59 करोड़ रूपये की राशि प्राप्त हुई है जबकि केंद्रांश और राज्यांश की राशि बराबर-बराबर खर्च होती है और आपको केंद्रांश की 2,250 करोड़ रूपये की राशि आनी थी। मगर जो आपने कहा है उसके अनुसार आज तक मोदी जी की ओर से, मोदी जी की डबल इंजन की सरकार की

[3] परिशिष्ट "तीन"

ओर से 2151.41 करोड़ रूपए नहीं दिया गया है। आप यह बता दीजिये कि क्या यह सही है या गलत है ? फिर मैं आगू बढ़ूं।

श्री अरूण साव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जल जीवन मिशन के काम को वर्ष 2024 तक पूरा किया जाना चाहिए था और इसलिए भारत सरकार ने अभी बजट में इसकी अवधि की वृद्धि की है। बजट में घोषणा हुई है कि यह योजना वर्ष 2028 तक बढ़ाई जाती है। इस दौरान भारत सरकार उन योजनाओं की जानकारी की समीक्षा कर रही थी और इसलिए आने वाले नये बजट में भारत सरकार ने 67,000 करोड़ रूपये का प्रावधान किया है तो हम निश्चित रूप से उम्मीद करते हैं कि भारत सरकार से आने वाले समय में राशि आयेगी और जल जीवन मिशन के काम को पूरा किया जायेगा।

डॉ. चरणदास महंत :- अध्यक्ष महोदय, इसका मतलब यह है कि आपको अब तक केंद्र सरकार की ओर से 2,158 करोड़ रूपये की राशि प्राप्त नहीं हुई है। यह सही है न ? मैंने यह पूछा था कि यह सही है या गलत, आप सिर्फ इतना ही बता दें ? अध्यक्ष महोदय, मैं दूसरे प्रश्न की ओर आता हूं। मेरे प्रश्न के भाग "क" में मैंने पूछा था कि कार्य कितने प्रतिशत पूर्ण हुए ? उसके उत्तर में आपने यह स्वीकार किया है। आपने उसके उत्तर में बताया है कि केवल घरेलू नल कनेक्शन में 80.3 प्रतिशत कार्य पूर्ण हुए हैं और 51 प्रतिशत राशि व्यय की गयी है। इसका मतलब आपने राशि का भुगतान नहीं किया है। आपने 50 प्रतिशत राशि में ही 80 प्रतिशत काम कैसे करा लिया ? आप मुझे यह जानकारी दे दीजिये ।

श्री अरूण साव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारा जल जीवन मिशन लगभग 26,000 करोड़ रूपये का है और इस कार्य में 51 प्रतिशत राशि व्यय हुई है, जिसमें मैंने केवल नल कनेक्शन का 80 प्रतिशत कार्य कहा है। इसमें अन्य कंपोनेंट भी हैं। यदि उन सारे कंपोनेंट्स को मिलायेंगे और यदि काम का टोटल करेंगे तो एक तो उसका मूल्यांकन जरा कठिन है कि कुल मिलाकर कितने प्रतिशत काम हुए हैं। प्रति घर में जो नल कनेक्शन का कार्य हुआ है, वह कार्य 80 प्रतिशत पूर्ण हुआ है। यदि पूरे काम को देखेंगे तो जल जीवन मिशन के 50-60 प्रतिशत के आस-पास ही काम पूरे हुए हैं और यह जो राशि है, वह उसी हिसाब से आयी है।

डॉ. चरणदास महंत :- माननीय मंत्री जी, आपने टंकी का कार्य बताया है कि 41,283 जगह पर पानी टंकी के निर्माण का प्रावधान है। मैं जहां तक समझता हूं कि प्रदेश में 2,255 के आस पास राजस्व ग्राम हैं। आप एक गांव में दो टंकी बना रहे हैं या तीन टंकी बना रहे हैं ? क्या आप इसकी जानकारी दे पायेंगे ?

श्री अरूण साव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जल जीवन मिशन योजना के अंतर्गत अलग-अलग पारे, टोले और मोहल्ले के लिए अलग-अलग व्यवस्थाएं बनी हैं। इसलिए कुल मिलाकर हमारी जो जल जीवन मिशन की योजना है, उनमें स्वीकृत योजनाओं की संख्या 29 हजार 126 हैं। इसलिए यह आंकड़े

आ रहे हैं। प्रदेश में टंकियों की संख्या 41 हजार है। इन 41 हजार में मैंने जैसे बताया कि जो टैंक पूर्ण हो गये हैं और जिसमें पेयजल प्रारंभ हो गया है उसकी संख्या 19 हजार 599 हैं। यानी जो लक्ष्य है उसका 47.5 प्रतिशत है। जिसमें निर्माण काम 15 हजार 776 के अधूरे हैं और जहां टंकी का निर्माण हो गया है, पर पेयजल प्रारंभ नहीं हुआ है ऐसी टंकियों की संख्या 5 हजार 908 है। आने वाले समय में इस योजना पर लगातार जल स्त्रोत के लिए काम किया जा रहा है।

डॉ. चरणदास महंत :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने यह बताया है कि केन्द्रांश और राज्यांश मिलाकर, इस योजना की कुल राशि 26 हजार 465 करोड़ और 74 लाख रूपये है। इसमें से अब तक कुल 13 करोड़ रूपये ही भुगतान हो पाये हैं, व्यय हो पाये हैं। तो बाकी आपके काम हो गये हैं और आप गांव में काम करने वालों को भुगतान नहीं कर रहे हैं, ऐसा प्रतीत होता है। आप मुझे यह स्पष्ट करें कि क्या यह सही है कि इसमें काम तो हो गये हैं, लेकिन उन लोगों को भुगतान नहीं मिल रहा है।

श्री अरूण साव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह सही है कि हमें कुल मिलाकर 13 हजार 484.44 करोड़ रूपये के भुगतान की राशि उपलब्ध हुई थी, उसमें 13 हजार 376.94 करोड़ रूपये का भुगतान हुआ है। जहां तक ठेकेदारों की बात है तो भुगतान एक सतत प्रक्रिया है । इसमें राशि की उपलब्धता के आधार पर भुगतान लगातार किया गया है और आने वाले समय में भी राशि की उपलब्धता के आधार पर भुगतान करेंगे।

डॉ. चरणदास महंत :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें राशि का भुगतान नहीं करने के कारण ठेकेदार काम नहीं कर रहे हैं। यहां काम नहीं होने से प्रगति लगभग शून्य तो नहीं कहूंगा। आपके विभाग में जैसी प्रगति चलनी चाहिए, वैसी चल रही है। आपके कार्य की यही प्रगति देखकर, केन्द्र सरकार पैसे नहीं दे रही है। इस कारण पूरा छत्तीसगढ़ इस प्रगति को लेकर चिंतित है। मैं आप पर आरोप नहीं लगा रहा हूँ, आप चिन्तित मत होईएगा। आपके विभाग की प्रगति और आपके विभाग का जो भुगतान करने का नियम, कानून है, यह जैसा भी है, आपने यह नियम बनाया होगा या पहले से बना होगा। उसके कारण ...।

श्री राजेश मूणत :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय नेता जी यह तो पुराने कार्यकाल का ही है।

डॉ. चरणदास महंत :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं तो यह कह रहा हूँ कि इसमें हमें क्या दिक्कत है?

श्री राजेश मूणत :- माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी डबल इंजन की सरकार है। यह जितना भी कर्म है वह पुराने कार्यकाल के हैं इसलिए छत्तीसगढ़ की जनता भुगत रही है। उस समय तो हम कोई एक चीज का फैसला नहीं कर पाये।

अध्यक्ष महोदय :- आप कर्म नहीं, कार्य कहिए।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय राजेश जी, एक मिनट। माननीय नेता जी, वह बाजू वाले की करनी का फल सामने वाला भुगत रहा है।

डॉ. चरणदास महंत :- देखिए। इसमें आप लोग टाल-मटोल मत करिये।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय नेता जी, आप सुन लीजिए।

डॉ. चरणदास महंत :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें अभी काम चल रहा है। अभी इसमें पैसे भुगतान करना है। अभी प्रदेश में आपकी सरकार है।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जहां-जहां संभावना थी...।

डॉ. चरणदास महंत :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह लोग कब तक 5 सालों की बात करते रहेंगे ?

अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जहां-जहां संभावना थी, आप उन संभावनाओं से पूरी तरह वंचित रहे। इसलिए आप मुखर रहें।

डॉ. चरणदास महंत :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा वंचित होने का सवाल नहीं है। आज भी हम कह रहे हैं। आप मान लीजिए कि यह पुराने सरकार की योजना थी तो आप उसे ठीक करिये। आप कब तक बचना चाहेंगे कि यह आपके समय का है, यह आपकी सरकार का है। यह चलता रहेगा। यह ऐसा होगा। हम तो आपसे कह रहे हैं कि आप जांच करवा लीजिए, अभी जांच करवा लीजिए। अभी आपको मौका मिला है, आप इसमें जांच करवाईये। हम तो यहां तन के खड़े हैं।

श्री राजेश मूणत :- माननीय नेता जी, आप पहले वहीं बैठते थे। आप वहां बैठकर दिशानिर्देश दे सकते थे कि यह प्रदेश के हित का मामला है, माननीय मंत्री महोदय जी इसको ठीक करिये। जैसे कभी-कभी हमारे अध्यक्ष जी हमें निर्देश देते हैं। उस समय आप इतनी उदारता दिखा देते।

डॉ. चरणदास महंत :- माननीय अध्यक्ष महोदय, बुधवार 12 तारीख का प्रश्न था तो आपने माननीय अध्यक्ष जी के निर्देशों, ईशारों को नहीं समझा। आपने उसमें जांच नहीं करायी। हम कह रहे हैं कि अभी आप इसमें जांच करवा लीजिए तो अभी आप तैयार नहीं हैं।

श्री उमेश पटेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इन्हीं को अधिकृत कर दीजिए।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, दो दिन हो गया। बुधवार का दिन और आज, माननीय नेता जी पूरी गंभीरता से जांच की मांग कर रहे हैं। सरकार को माननीय नेता जी के आग्रह को मानना चाहिए। मैं भी आग्रह करता हूँ कि वह जितनी जांच की मांग इतनी सहृदयता के साथ कर रहे हैं, वह पूरी होनी चाहिए। नेता जी की मांग को पूरा करने से सदन की हाईट बढ़ती है और आप सदन की हाईट बढ़ा रहे हैं।

श्री रामकुमार यादव :- भैया, पहले तुहरय मांग ला पूरा कर लेव।

श्री धर्मजीत सिंह :- आप जांच की घोषणा करेंगे और यह जुलूस निकालेंगे, ई.डी. क्यों गई, सी.बी.आई. क्यों गई? आप क्यों ऐसी मांग करते हैं जिसमें आपको जुलूस निकालना पड़े।

श्री उमेश पटेल :- भैया, दूसरे माननीय सदस्य का भी प्रश्न है, कृपया उनका भी प्रश्न आने दीजिए।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, श्री अनुज शर्मा जी, प्रश्न क्रमांक-08

कोल्हान नाले पर ग्राम अकोली एवं पंडरभट्टा के बीच निर्माणाधीन पुल

[लोक निर्माण]

8. (*क्र. 1939) श्री अनुज शर्मा : क्या उप मुख्यमंत्री (लोक निर्माण) महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि:- **(क)** विधानसभा क्षेत्र धरसींवा अंतर्गत कोल्हान नाले पर ग्राम अकोली एवं पंडरभट्टा के बीच निर्माणाधीन पुल के कार्य हेतु किस निर्माण ऐजेंसी/ठेकेदार को कितनी राशि में कब और कितनी समय सीमा में पूर्ण करने हेतु अनुबंधित किया गया था? **(ख)** प्रश्नांक 'क' अनुसार क्या निर्माण ऐजेंसी/ठेकेदार द्वारा निर्धारित समय में तय कार्य पूर्ण कर लिया गया है? यदि हां, तो कितना और यदि नहीं, तो दिनांक 10.02.2025 तक निर्माण ऐजेंसी/ठेकेदार को कितने प्रतिशत कार्य के एवज में विभाग द्वारा कितनी राशि का भुगतान किया जा चुका है तथा क्यों? **(ग)** प्रश्नांक 'क' अनुसार तय समय सीमा में कार्य पूर्ण नहीं किये जाने एवं कार्य पूर्णता के निर्धारित समय बढ़ने से होने वाले नुकसान की भरपाई हेतु विभाग द्वारा क्या निर्माण एजेंसी/ठेकेदार को किसी प्रकार का नोटिस जारी किया गया है? यदि हां, तो क्या? यदि नहीं, तो क्यों? क्या विभाग द्वारा वर्तमान समय तक पूर्ण कार्य की गुणवत्ता की जांच की गई है? यदि हां, तो कब और किस अधिकारी द्वारा की गयी?

उप मुख्यमंत्री (लोक निर्माण) (श्री अरूण साव) : (क) एवं **(ख)** जानकारी **संलग्न प्रपत्र-'अ'**[4] अनुसार है। **(ग)** जी हां। कार्य की प्रगति समानुपातिक न होने के कारण ठेकेदार को नोटिस जारी किया गया है। जानकारी **संलग्न प्रपत्र-'ब'** अनुसार है।

श्री अनुज शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने माननीय मंत्री जी से कोल्हान नाले पर ग्राम अकोली एवं पंडरभट्टा के बीच निर्माणाधीन पुल के संबंध में जानकारी चाही थी। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि अभी तक इस पुल के निर्माण में कितना भुगतान किया गया है और कब किया गया है ?

श्री अरूण साव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, कोल्हान नाले पर ग्राम अकोली एवं पंडरभट्टा के बीच में पुल निर्माण की स्वीकृति छत्तीसगढ़ शासन निर्माण निर्माण विभाग द्वारा दिनांक 02.03.2023

[4] परिशिष्ट "चार"

को 5.62 करोड़ रुपये की दी गई। ठेकेदार मेसर्स निर्भय कंस्ट्रक्शन शिवपारा चौक दुर्ग को 4 करोड़ 67 लाख रुपये में अनुबंधित करके कार्यादेश 10.03.2024 को जारी किया गया था। अनुबंधानुसार कार्य की पूर्णता अवधि 10.04.2025 है। वर्तमान में तीन पीयर तथा दोनों अपार्टमेंट के कार्य प्रगति पर हैं, लगभग 25 प्रतिशत का कार्य ही पूर्ण हुआ है। डाऊन स्ट्रीम नाले की ओर है। स्टापडेम में जलभराव होने के कारण कार्य में बाधा हुई थी। दिनांक 06.02.2025 को निचली सतह तक जल स्तर कम होने के पश्चात कार्य प्रगति पर है और जून 2025 तक कार्य को पूर्ण करने की योजना है।

श्री अनुज शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने प्वाईन्टेड प्रश्न पूछा है। उनको कितना भुगतान हुआ और कब-कब हुआ है ?

श्री अरूण साव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, ठेकेदार को 86 लाख 85 हजार रुपये का भुगतान हुआ है।

श्री अनुज शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि भुगतान कब हुआ है ? चलिये, कोई बात नहीं, ये जवाब नहीं आया। मैं माननीय मंत्री जी से एक चीज जानना चाह रहा हूं कि ऐसे कार्यों का समय-समय पर निरीक्षण होता है तो जो अधिकारी निरीक्षण करने जाते हैं तो वह क्या किसी प्रकार की टिप्पणी, कोई जानकारी विभाग को उपलब्ध कराते हैं ?

श्री अरूण साव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने भुगतान की तिथिवार जानकारी चाही है। दिनांक 31.07.2024 को 42 लाख 69 हजार रुपये, 4.10.2024 को 9 लाख 46 हजार रुपये, 27.12.2024 को 20 लाख 70 हजार रुपये, 13.03.2025 को 23 लाख 79 हजार रुपये का भुगतान हुआ। इस कार्य का निरीक्षण अधीक्षण अभियंता, कार्यपालन अभियंता, अनुविभागीय अधिकारी, उप प्रबंधक नाबार्ड द्वारा किया गया है। कार्यपालन अभियंता द्वारा निरीक्षण दिनांक 02.07.2024, 29.08.2024, 23.11.2024 को किया गया है।

श्री अनुज शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जानकारी मेरे पास है। इस जानकारी में महत्वपूर्ण विषय यह है यह जानकारी तो आई है लेकिन इसकी टीप में निरंक है। कार्य की क्या स्थिति थी, इसकी कोई भी जानकारी इस जवाब में नहीं दी गई है। अगर अधिकारियों ने उस स्थान का, उस कार्य का निरीक्षण किया है, उन लोगों ने क्या निरीक्षण किया, उसका कोई ब्यौरा जवाब में उपलब्ध नहीं है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या इसमें यह जानकारी नहीं दी गई है या जानकारी दी गई है तो उन्होंने क्या टिप्पणी लिखी है ?

श्री अरूण साव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, निर्माण के दौरान कांक्रीट क्यूब टेस्ट का परिणाम मानक स्तर का पाया गया है और निरीक्षण की एक नियमित प्रक्रिया है जो नियमित रूप से निरीक्षण होता है और वह रिकॉर्ड में उपलब्ध भी रहता है।

श्री अनुज शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, कहीं न कहीं कुछ भी टिप्पणी न मिलने के कारण

समय से अधिक इस कार्य में विलंब हो रहा है, इसमें क्षेत्रवासियों को परेशानी हो रही है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि यह काम कब तक पूरा हो जायेगा ?

श्री अरूण साव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसे मैंने बताया कि नाले में पानी का भराव होने के कारण कार्य नहीं हो पा रहा था। फरवरी से कार्य में तेजी आई है। निश्चित तिथि तो बताना संभव नहीं है लेकिन जून में पूरा करने के लिए लगातार विभाग प्रयास कर रहा है।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, प्रश्न क्रमांक-9 उमेश पटेल जी।

श्री अनुज शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, एक और प्रश्न करना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय :- माननीय मंत्री जी ने तारीख भी बता दिया, महीना भी बता दिया, आपको और क्या चाहिए।

श्री अनुज शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद।

जिला रायगढ़ एवं सारंगढ़ में उद्योगों को प्रदत्त अनुदान

[वाणिज्य एवं उद्योग]

9. (*क्र. 1571) श्री उमेश पटेल : क्या वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-रायगढ़ एवं सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिला अंतर्गत वर्ष 2023 से 10/2/2025 तक किन-किन उद्योगों को कितना लागत पूंजी अनुदान स्वीकृत किया गया है? इनमें से कितने उद्योगों को कुल कितनी राशि का लागत पूंजी अनुदान वितरित किया जाना शेष है ? शेष अनुदान की राशि कब तक वितरित की जावेगी, उद्योगवार जानकारी देवें।

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री (श्री लखन लाल देवांगन) : रायगढ़ एवं सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिला अंतर्गत वर्ष 2023 से 10/2/2025 तक कुल 153 उद्योगों को कुल राशि रु. 77,27,81,098.00 (सतहत्तर करोड़ सत्ताईस लाख इक्यासी हज़ार अनठानबे) लागत पूंजी अनुदान स्वीकृत किया गया है। इनमें से कुल 109 उद्योगों को राशि रु. 52,64,32,291.00 (बावन करोड़ चौसठ लाख बत्तीस हज़ार दो सौ इन्क्यानबे) लागत पूंजी अनुदान वितरित किया जाना शेष है। शासन से बज़ट आबंटन उपरांत शेष अनुदान की राशि वितरित की जावेगी। उद्योगवार विस्तृत विवरण जानकारी संलग्न प्रपत्र[5] पर दर्शित है ।

श्री उमेश पटेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय उद्योग मंत्री जी ने कहा है कि 77 करोड़ रूपये का अनुदान स्वीकृत हुआ है और अभी इसमें 52 करोड़ रूपये देना शेष बचा है तो मैं माननीय मंत्री

[5] परिशिष्ट "पाँच"

जी से यह जानना चाहूंगा कि इनके इतने सारे जो 109 यूनिट हैं उसमें अभी तक अनुदान शेष क्यों है ? जबकि स्वीकृति को तो लगभग 2 साल हो गये हैं ।

श्री लखन लाल देवांगन :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय उमेश पटेल भाई ने बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा है कि इस अनुदान का कैसे भुगतान नहीं हो पाया? पिछली सरकार के बकाया भुगतान को अभी हम लोग खाली उनके भिलाईगढ़ और...।

श्री उमेश पटेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय ।

श्री लखन लाल देवांगन :- एक मिनट । भाईसाहब, मुझे पूरा बोलने दीजिये ।

श्री उमेश पटेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं समझ गया कि आप क्या उत्तर देने वाले हैं, मैं उसको समझ गया । मैं आपको तारीख के साथ बता देता हूं ।

अध्यक्ष महोदय :- पहले जवाब तो आ जाये न । बाद में...।

श्री उमेश पटेल :- नहीं । माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं तारीख के साथ बता देता हूं न तो आप उत्तर देंगे । चूंकि अब समय कम है । यह मैसर्स अग्रवाल एग्रोग्रेट ग्राम पटेलपाली रायगढ़ जिला दिनांक 06.03.2024 को स्वीकृत है । इसी तरह से आपका जो पिछला कार्यकाल है उसमें केवल 19 पेंण्डिंग है और आपके कार्यकाल का 35 पेंण्डिंग है ।

श्री लखन लाल देवांगन :- मैं आपको उसी का तो विस्तृत रूप से बताने जा रहा हूं । माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी को और माननीय वित्तमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने रायगढ़ और भिलाईगढ़ का पूछा है और माननीय वित्तमंत्री जी एवं माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरे उद्योग की जितनी भी बकाया अनुदान राशि है, 423 करोड़ रूपये की स्वीकृति प्रदान की है । (मेजों की थपथपाहट) हम केवल रायगढ़ और भिलाईगढ़ का नहीं पूरे प्रदेश के उद्योगपतियों को अभी मार्च महीने के अंत तक भुगतान करने वाले हैं ।

अध्यक्ष महोदय :- बढ़िया ।

श्री उमेश पटेल :- अस्वीकृत है । क्या आपने इसका बजट आवंटन करवा दिया ?

श्री लखन लाल देवांगन :- माननीय अध्यक्ष महोदय, अनुपूरक बजट में आप भी थे ।

श्री उमेश पटेल :- अनुपूरक नहीं, अभी तो अनुपूरक आयेगा ।

श्री लखन लाल देवांगन :- नहीं, अभी जो अनुपूरक आया था उसमें...।

श्री उमेश पटेल :- आ गया है, वह बजट में आ गया है ।

श्री लखन लाल देवांगन :- बजट में आ गया है, वित्त विभाग में स्वीकृति के लिये चल गया है और जल्दी से जल्दी मार्च तक प्लान करेंगे ।

श्री उमेश पटेल :- माननीय मंत्री जी, मैं अब आपसे यह जानना चाहता हूं कि आपकी जो नयी औद्योगिक नीति वर्ष 2024-30 बनी है । क्या उसमें धरमजयगढ़ और लैलूंगा की श्रेणी को बदला गया है ?

श्री लखन लाल देवांगन :- आपने क्या बोला ?

श्री उमेश पटेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, क्या नयी उद्योग नीति में धरमजयगढ़ और लैलूंगा की श्रेणी को बदला गया है ?

श्री लखन लाल देवांगन :- माननीय अध्यक्ष महोदय, पुराने वर्ष 2019-24 की उद्योग नीति में 1 करोड़ रूपये तक की अनुदान सब्सिडी का प्रावधान किया गया था।

श्री उमेश पटेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह बोल रहा हूं कि जो नयी उद्योग नीति वर्ष 2024-30 बनी है । क्या उसमें आपने धरमजयगढ़ और लैलूंगा की श्रेणी को बदला है ?

श्री लखन लाल देवांगन :- माननीय अध्यक्ष महोदय, उस संबंधित को नहीं पूछा गया है, मैं अलग से जानकारी दे दूंगा ।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, ठीक है ।

श्री उमेश पटेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं औद्योगिक का ही पूछ रहा हूं। यह औद्योगिक नीति के अंतर्गत आयेगा । अनुदान इसी के अंतर्गत आयेगा इसीलिये मैं आपसे यह पूछ रहा हूं कि क्या धरमजयगढ़ और लैलूंगा की श्रेणी को "स" से "ब" किया गया है ? और यदि किया गया है तो क्यों किया गया है ? आपने कोई आधार रखा होगा न ?

श्री लखन लाल देवांगन :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपको नयी उद्योग नीति की अलग से जानकारी दे दूंगा ।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये ।

श्री उमेश पटेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे यह जो दोनों ब्लॉक अतिपिछड़ा हैं और यदि धरमजयगढ़ और लैलूंगा अतिपिछड़ा हैं और आपने उसकी श्रेणी को "स" से "ब" कर दिया तो उसमें क्या बढ़ावा मिलेगा ? आप अपनी पुरानी लिस्ट में भी देखिये, उसमें भी वहां पर कोई उद्योग तो आये नहीं हैं ? तो वैसे उनकी श्रेणी बदलने की आवश्यकता नहीं थी । क्या आप उन्हें दिखवाकर फिर से वापस "स" श्रेणी में लायेंगे ?

श्री लखन लाल देवांगन :- माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी हम लोगों ने वर्ष 2024-30 नवीन उद्योग नीति लागू की है और उसमें औद्योगिक विकास के आधार पर वर्गीकरण किया गया है और इस बार हम लोगों ने सब्सिडी के प्रावधान को भी 1 करोड़ से साढ़े 5 करोड़ रूपये कर दिया है ।

श्री उमेश पटेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, अनुदान का नहीं, धरमजयगढ़ और लैलूंगा दो ब्लॉक हैं । वह "स" श्रेणी से "ब" श्रेणी हो गया है, क्या उसको "स" श्रेणी करेंगे ?

श्री लखन लाल देवांगन :- माननीय अध्यक्ष महोदय, अब उसको दिखवाकर बात करेंगे ।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्नकाल समाप्त ।

(प्रश्नकाल समाप्त)

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

समय :
12.00 बजे

जन्मदिन की बधाई

श्री इंद्र साव, सदस्य

अध्यक्ष महोदय :- आज श्री इंद्र साव, सदस्य का जन्मदिन है। सदन की ओर से इंद्र साव जी को जन्मदिन की बधाई और शुभकामनाएं। (मेजों की थपथपाहट)

श्री इंद्र साव (भाटापारा) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आप सभी को हृदय से आभार एवं धन्यवाद।

सदन को सूचना

अध्यक्ष महोदय :- आज भोजन की व्यवस्था माननीय रामविचार नेताम, कृषि मंत्री की ओर से माननीय सदस्यों के लिए लॉबी स्थित कक्ष में एवं पत्रकारों के लिए प्रथम तल पर की गई है। कृपया सुविधानुसार भोजन ग्रहण करें।

स्वास्थ्य परीक्षण शिविर का आयोजन

अध्यक्ष महोदय :- माननीय सदस्यों हेतु विधान सभा भवन स्थित एलोपैथिक चिकित्सालय में प्रति वर्ष की भांति इस वर्ष भी 18 मार्च से 20 मार्च, 2025 तक स्वास्थ्य परीक्षण शिविर आयोजित है। कृपया माननीय सदस्य 11 बजे से लेकर 5 बजे तक शिविर का लाभ उठायें।

समय :
12.01 बजे

पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) छत्तीसगढ़ राज्य मानव अधिकार आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन 2021-2022 एवं 2022-2023

मुख्यमंत्री (श्री विष्णु देव साय) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 (क्रमांक 10 सन् 1994) की धारा 28 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ राज्य मानव अधिकार आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन 2021-2022 एवं 2022-2023 पटल पर रखता हूं।

(2) अधिसूचना क्रमांक एफ 1-136/2024/18, दिनांक 13 फरवरी, 2025

उप मुख्यमंत्री (नगरीय प्रशासन एवं विकास) (श्री अरूण साव) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं, छत्तीसगढ़ नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 (क्रमांक 23 सन् 1956) की धारा 433 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार अधिसूचना क्रमांक एफ 1-136/2024/18, दिनांक 13 फरवरी, 2025 पटल पर रखता हूं।

(3) छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमिटेड का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2021-22

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री (श्री दयालदास बघेल) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं, कंपनी अधिनियम, 2013 (क्रमांक 18 सन् 2013) की धारा 395 की उपधारा (1) के पद (बी) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमिटेड का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2021-22 पटल पर रखता हूं।

पृच्छा

नेता प्रतिपक्ष (डॉ. चरणदास महंत) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, 2 दिन पहले 12 तारीख को भारतमाला परियोजना से संबंधित जो प्रश्न था, उस पर यहां विस्तृत चर्चा हुई और हम सब लोगों की मांग के बावजूद भी माननीय राजस्व मंत्री जी इस बात पर अड़े रहे कि इसकी जांच कमिश्नर के द्वारा करायी जाएगी। मगर शाम को हम लोगों ने अपने-अपने घर में देखा कि इस बीच कैबिनेट की बैठक हो गई है और उस मांग को ई.ओ.डब्ल्यू से जांच कराने का उन्होंने निर्णय लिया है। मैं तो सबसे पहले यह जानना चाहता हूं कि जिस प्रश्न पर यहां चर्चा चल रही थी, क्या उस प्रश्न को ई.ओ.डब्ल्यू. से जांच कराएंगे या उसके बाद के आने वाले विषयों को ई.ओ.डब्ल्यू. से जांच कराएंगे? सर, मैं ऐसा मानता हूं कि विधान सभा की अपेक्षा रहती है कि जिस प्रश्न पर चर्चा चल रही हो या जिस विषय पर यहां बात हो रही हो, अगर उसका कोई निर्णय अलग से लिया जाता है तो विधान सभा के अंदर उस निर्णय को लेना चाहिए। एक सामान्य प्रक्रिया है और सामान्यत: मंत्रियों से अपेक्षा रहती है और यह सदन को गौरवान्वित करने वाली बात है कि हम इस तरह सदन के जो नियम, कानून और परंपरा हैं, उसका पालन कर रहे हैं। मेरा यह सोचना है कि कैबिनेट के ई.ओ.डब्ल्यू. से जांच कराने के निर्णय में कितने नए काम को जांच कराने की बात हुई है या पुराने काम को जांच कराने की हुई है? क्या आप इस पर माननीय मंत्री जी को निर्देश देना चाहेंगे कि वे वक्तव्य देकर बता दें, क्योंकि 12 तारीख के बाद पहली

बार विधान सभा लग रही है। अब ये तो उनके ऊपर है कि वे वक्तव्य देते हैं या नहीं? सर, फिर मैं इसके बाद बात करूंगा।

अध्यक्ष महोदय :- सामान्यत: यह परंपरा है और सदन की अपेक्षा भी है कि यदि सदन चल रहा है और इस अवधि में यदि कोई जांच संबंधी घोषणा की जाती है तो सदन के संज्ञान में यह विषय लाया जाए और चूंकि माननीय नेता प्रतिपक्ष का इस विषय में प्रश्न था या उस पर चर्चा हुई थी, इसलिए शासन जो सदन में बताना चाहता है, माननीय मंत्री जी से से आग्रह है कि क्या इस विषय में कुछ कहना चाहेंगे या आप कुछ बोलना चाहेंगे?

राजस्व मंत्री (श्री टंकराम वर्मा) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, उस दिन भारतमाला परियोजना के संबंध में सदन में विस्तार से चर्चा हुई । उस पर इस सदन में घोषणा की गई थी कि इस पर संभागायुक्त के माध्यम से जांच कराएंगे । फिर बाद में केबिनेट ..।

अध्यक्ष महोदय :- यदि आपको वक्तव्य देना है तो सदन की आज की कार्यवाही चलते कुछ समय बाद भी दे सकते हैं, आपको तत्काल प्रतिक्रिया देने की जरूरत नहीं है । आप इसकी रिपोर्ट मंगाकर अपना वक्तव्य दे सकते हैं ।

श्री टंकराम वर्मा :- अध्यक्ष महोदय, मैं अपना वक्तव्य दे दूंगा ।

अध्यक्ष महोदय :- माननीय नेताजी ने जो कहा है उसका समाधान इसमें हो गया है ।

डॉ. चरणदास महंत :- सर, सर । मैं कह रहा हूं ।

अध्यक्ष महोदय :- अब आगे बढ़िए ।

डॉ. चरणदास महंत :- आगे बढ़ा रहा हूं ना । वे वक्तव्य दें, यह अच्छी बात है ।

अध्यक्ष महोदय :- मैंने मंत्री जी को निर्देशित कर दिया है आज सदन उठने के पहले उनका वक्तव्य विधान सभा के पटल पर आ जाएगा ।

डॉ. चरणदास महंत :- मुझे खुशी है ।

अध्यक्ष महोदय :- आपने जो कहा, उसका जवाब आ गया । अब मंत्री जी इस बात को रखेंगे, अब आप आगे बढ़िए ।

डॉ. चरण्दास महंत :- मैं इसी में संशोधन कर रहा हूं । जब वे वक्तव्य देंगे तो यह बात भी शामिल हो जाए कि राजनांदगांव में जो गड़बड़ियां हुई हैं, कोरबा में हुई हैं, जशपुर में हुई हैं, इस तरह के जितने भी प्रकरण भारत माला के सामने आए हैं, उन सभी को ई.ओ.डब्ल्यू. में जांच करने के निर्देश कर दें, मैं यही कह रहा हूं ।

अध्यक्ष महोदय :- पहले जवाब सुन लें ।

श्री उमेश पटेल (खरसिया) :- अध्यक्ष महोदय, विधान सभा का सत्र चल रहा है । इस दौरान नेता जी का प्रश्न आया ।

अध्यक्ष महोदय :- यह विषय हो चुका है, आप कोई दूसरा विषय लीजिए । इसका समाधान हो चुका है ।

श्री उमेश पटेल :- आपकी व्यवस्था पर कुछ नहीं कह रहा हूं ।

अध्यक्ष महोदय :- माननीय बैठ चुके हैं, आप जीरो आवर में दूसरा विषय उठाइए । आप सीनियर मेम्बर हैं, आप तीसरी बार जीतकर आए हैं, आप सब जानते हैं इसलिए आपसे आग्रह करूंगा कि नेता प्रतिपक्ष जी ने जो प्रश्न उठाया उसका समाधान, मंत्री जी से आ गया । अब सदन उठने के पहले वे अपना वक्तव्य देंगे । इसलिए आप दूसरा विषय लीजिए ना ।

श्री उमेश पटेल :- मैं इसी पर बोल रहा हूं आप एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए ।

अध्यक्ष महोदय :- चलिए बोलिए ।

श्री उमेश पटेल :- अध्यक्ष महोदय, माननीय राजस्व मंत्री जी ने कहा कि हम संभागायुक्त से जांच कराएंगे और बाद में पेपरों के माध्यम से पता चलता है कि ई.ओ.डब्ल्यू. को दे दिया गया । यह तो विशेषाधिकार हनन का विषय है । इस पर आपको कड़ी करने की आवश्यकता है ।

अध्यक्ष महोदय :- उनको निर्देश दे दिया गया है, वे जवाब देंगे ।

श्री उमेश पटेल :- वे जवाब देंगे लेकिन इस सदन की गरिमा को भी बचाने की आवश्यकता है ।

अध्यक्ष महोदय :- ठीक है, आपने ध्यानाकर्षित किया ।

श्री अजय चन्द्राकर (कुरूद) :- अध्यक्ष महोदय, मैं आपको बधाई देने के लिए खड़ा हुआ हूं । आपने विधान सभा चलते, सरकार की ओर से जो दो बातें आईं, उनमें व्यवस्था दी, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं । लेकिन मैं आपसे एक बात और कहना चाहता हूं कि आपने जो व्यवस्था दी, उसमें आपने केवल जांच संबंधी कहा । उसमें नीति विषयक कोई चीज हो, यदि सदन चल रहा है तो विधान सभा के अंदर वह बात होती है तो विधान सभा की गरिमा बढ़ती है । जांच के अतिरिक्त कोई भी नीतिगत विषय हो, यदि विधान सभा चल रही है तो ।

अध्यक्ष महोदय :- कभी भी हो, मैंने निर्देशित कर दिया, आपने भी ध्यानाकर्षित किया ।

समय
12.08 बजे

ध्यानाकर्षण सूचना

(1) प्रदेश में एन.जी.ओ. द्वारा विदेशों से प्राप्त आर्थिक सहायता का मतांतरण के लिये उपयोग किया जाना.

श्री अजय चन्द्राकर (कुरूद) :- अध्यक्ष महोदय, मेरी ध्यानाकर्षण सूचना का विषय इस प्रकार है:- प्रदेश में चंगाई सभा की आड़ में प्रदेश के भोले-भाले असहाय, गरीब लोगों को तरह-तरह के प्रलोभन देकर दिग्भ्रमित कर मतांतरण कराया जा रहा है। स्वास्थ्य, शिक्षा और सामाजिक कार्यों जैसे उद्देश्य के लिए

गठित की गई एन.जी.ओ. विदेशों से धन प्राप्त कर मतांतरण कार्यों में राशि का उपयोग कर रहे हैं। प्रदेश में कई ऐसे एन.जी.ओ. हैं, जो धार्मिक आधार पर पंजीकृत हैं और उन्हें विदेश से फंड भी मिल रहा है। बस्तर जिले में कुल 19 पंजीकृत में से 09 तथा जशपुर जिले में 18 में से 15 संस्थाएं ईसाई मिशनरियों की ओर से संचालित की जा रही हैं। इन संस्थाओं पर लगाम न कसने से भी मतांतरण को बढ़ावा मिल रहा है। सबसे ज्यादा संस्थाएं जशपुर में संचालित हैं वहीं मतांतरण के सबसे ज्यादा केस भी इसी जिले से है। दिनांक 06/02/2025 को जिला बिलासपुर के संकरी थाना क्षेत्र अंतर्गत दो व्यक्तियों को ईसाई धर्म प्रचारकों द्वारा जबरन धर्म परिवर्तन के लिए दबाव डाला जा रहा था। दिनांक 17/02/2025 को राजधानी रायपुर के अमलेश्वर थाना क्षेत्र अंतर्गत अयोध्या नगर अमलेश्वर निवासी महिला के निवास में प्रार्थना सभा का आयोजन कर तीन लोगों द्वारा धर्म परिवर्तन कराया जा रहा था। दिनांक 25/01/2025 को राजधानी रायपुर के पंडरी थाना क्षेत्र अंतर्गत मोवा में स्थित मितान विहार कॉलोनी के एक मकान में लंबे समय से प्रार्थना सभा के माध्यम से धर्म परिवर्तन कराया जा रहा था। विदेशी फंडिंग का मतांतरण में इस्तेमाल से इंकार भी नहीं किया जा सकता। शासन-प्रशासन फंड पर प्रतिबंध लगाने का दावा तो करती है, लेकिन संस्थाओं द्वारा ऑडिट रिपोर्ट उपलब्ध न करा के अपना रास्ता निकाल लेती हैं। वहीं प्रदेश के शासन द्वारा मिशनरियों से जुड़ी शैक्षणिक संस्थाओं को करोड़ों का अनुदान दिया जाता है। इसका कोई ऑडिट नहीं होता। प्रदेश में हर व्यक्ति को अपने हिसाब से धर्म और इससे संबंधित कर्मकांड करने की आजादी है, लेकिन जब लालच, प्रलोभन और बहकाकर मतांतरण किया जाए तो उसे अनैतिकता और असंवैधानिक माना जाता है। इस प्रकार से संचालित एन.जी.ओ. पर स्थानीय प्रशासन का नियंत्रण न होने से मतांतरण जैसी घटनाएं दिन-प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं। जिससे प्रदेश की जनता में प्रशासन के प्रति काफी रोष-आक्रोश व्याप्त है।

अध्यक्ष महोदय :- माननीय मंत्री जी।

उप मुख्यमंत्री (गृह) श्री विजय शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, पिछली बार आपके निर्देशानुसार छोटा वक्तव्य बनाकर लाया है।

यह कहना सही नहीं है कि प्रदेश में संचालित एन.जी.ओ. पर स्थानीय प्रशासन का नियंत्रण न होने से मतांतरण जैसी घटनाएं दिन प्रतिदिन बढती जा रही है। प्रदेश में चंगाई सभा की आड़ में प्रलोभन देकर मतांतरण कराने की शिकायत प्राप्त होने पर पुलिस द्वारा समुचित जांच कर त्वरित वैधानिक कार्यवाही की जा रही है। मतांतरण के संबंध में वर्ष 2019 में निरंक, वर्ष 2020 में 01, वर्ष 2021 में 07, वर्ष 2022 में 03, वर्ष 2023 में निरंक, वर्ष 2024 में 12, वर्ष 2025 में 04 अपराधिक प्रकरण दर्ज कर वैधानिक कार्यवाही की गई है।

दिनांक 04.02.2025 को प्रार्थी उत्तरा कुमार साहू पिता लोमस साहू निवासी ग्राम संबलपुरी, जिला बिलासपुर की लिखित शिकायत पर थाना सकरी, जिला बिलासपुर में अपराध क्रमांक 59/2025 धारा 4

छ.ग. धर्म स्वातंत्रय अधिनियम 1968 के तहत् अपराध पंजीबद्ध कर 02 आरोपियों को दिनांक 06.02.2025 को गिरफ्तार किया गया। प्रकरण की विवेचना जारी है।

दिनांक 16.02.2025 को प्रार्थिया मीनाक्षी शर्मा पति एन. के. शर्मा निवासी अयोध्या नगर, अमलेश्वर, जिला दुर्ग की लिखित शिकायत पर थाना अमलेश्वर, जिला दुर्ग में अपराध क. 16/2025 धारा 299, 3 (5) बीएनएस. एवं छ.ग. धर्म स्वातंत्रय अधिनियम 1968 की धारा 4 के तहत् अपराध पंजीबद्ध कर 03 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। प्रकरण की विवेचना जारी है।

दिनांक 26.01.2025 को प्रार्थिया श्रीमती माया अग्रवाल, पति सुभाष अग्रवाल निवासी मितान बिहार, पंडरी जिला रायपुर की लिखित शिकायत पर थाना पंडरी जिला रायपुर में अपराध कं. 28/2025 धारा 299, 3 (5) बीएनएस. एवं धारा 4 धर्म स्वातंत्रय अधिनियम 1968 के तहत् अपराध पंजीबद्ध कर 03 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। प्रकरण की विवेचना जारी है।

मतांतरण संबंधी शिकायत प्राप्त होने पर पुलिस प्रशासन द्वारा त्वरित वैधानिक कार्यवाही की जा रही है। इस संबंध में विवेचना में किसी भी व्यक्ति अथवा संस्था के विरूद्ध साक्ष्य प्राप्त होने पर समुचित वैधानिक कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

आम जनता में प्रशासन के प्रति किसी प्रकार का रोष व आक्रोश व्याप्त नहीं है तथा आम जनता में पुलिस प्रशासन की त्वरित कार्यवाही के प्रति संतोष एवं विश्वास कायम है।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रश्न एक मिनट में करता हूं। दिनांक 22.02.2025 को एक महीने पहले माननीय मुख्यमंत्री जी का पेपरों में बयान है कि विदेशी फंड से मतांतरण हो रहा है। ये माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी का बयान है, मैं आपको पेपर कटिंग दे सकता हूं। मैंने ध्यानाकर्षण में तीन चार घटनाओं का उल्लेख किया। मैं पटल में रख सकता हूं कि अभी हाल फिलहाल में इस बीच में कितनी ज्यादा संख्या में धर्मांतरण की घटनाएं हुई है। मैं आपको तीसरी बात बता दूं, हमने विभिन्न समय में प्रश्नोत्तरी में जो प्रश्न किया है और आपने जो संख्या बताई है, उसमें अंतर है, चाहें तो मैं आपको प्रश्नोत्तरी की दिनांक भी बता सकता हूं। ये सब घटनाएं बताने के पीछे, उल्लेख करने के पीछे, माननीय मुख्यमंत्री जी के बयान को बताने के पीछे कारण ये है कि स्थिति में कितनी गंभीरता है, ये घटनाएं रूकने के बजाए बढ़ रही है। सुदूर जंगल क्षेत्र से लेकर अमलेश्वर यहां से तीन किलोमीटर है, पंडरी थाना यहीं से लगा है, रायपुर शहर जहां पढ़े-लिखे लोग रहते हैं, वहां इस तरह की चीज हो रही है। आपने जो उत्तर दिया है, उसमें मेरे धर्मांतरण के विषय के जो कारण हैं, आपने उसका उत्तर नहीं दिया, आपने धर्मांतरण की घटनाओं में कार्रवाई की ये बताया है। मैंने आपसे शैक्षणिक संस्थाओं के अनुदान, एन.जी.ओ. के अनुदान, एन.जी.ओ. की संख्या के बारे में पूछा हूं, उसके बारे में आपका उत्तर मौन है। मैं तो वहीं से शुरू करूंगा, आपके पास इस बारे में कोई शिकायत है या नहीं कि किसी एन.जी.ओ. को विदेश से सहायता मिली है और यदि सहायता मिली है तो किन कार्यों के

लिए मिली थी और किन कार्यों में उपयोग की गई, इसमें आपके जांच करने के कोई सिस्टम है या नहीं है ? ये मैंने अपने ध्यानाकर्षण के प्रश्न में पूछा है, आपने इसको उत्तर में नहीं बताया है।

श्री विजय शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी के बयान के संदर्भ में माननीय सदस्य का जो कहना है कि जो संस्थाएं विदेशों से सहयोग प्राप्त करती हैं, ऐड प्राप्त करती हैं, वह FCRA के अंतर्गत पंतीकृत होती हैं। वर्तमान में छत्तीसगढ़ में ऐसी 153 संस्थाएं कार्यरत हैं। इन 153 संस्थाओं की पूरी जानकारी है। विशेष रूप से इनके ऑडिट अथवा इनपर कार्रवाइयों की पूर्ण जिम्मेदारी अथवा यह कहें कि इनपर अधिकार केन्द्र की सरकार को होता है, यदि उनको विदेशी फण्ड मिल रहा है। यदि इनमें किसी प्रकार की शिकायत मिलती है तो उसपर जरूर कार्रवाई की जा सकती है।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने अपने प्रश्न में भी एक लाइन पूछा था। आपने 153 संस्थाओं की जानकारी दे दी कि इसको केन्द्र सरकार करेगी। पहला, इन घटनाओं के घटने के बाद क्या आपका कोई सिस्टम है जो इसको देखता व जांचता हो ? दूसरा, यदि आपके संज्ञान में यह विषय आया है कि इनका उपयोग हुआ है या यदि आपके सिस्टम से आपको पता लगा है तो क्या आपने कभी केन्द्र सरकार से इस बात का आग्रह किया है कि इन NGO की फंडिंग रोकी जाये या इसकी जांच कराई जाये। गृह मंत्रालय तो बड़ा सेंसीटिव मंत्रालय है। यदि आपने कभी ऐसा कदम उठाया हो तो आप यह बताइये ?

श्री विजय शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, सन् 2020 में FCRA में संशोधन हुआ था और उसके बाद केन्द्र की सरकार ने स्वत: ही इसपर संज्ञान लेकर बड़ी कार्रवाइयां की थीं। छत्तीसगढ़ में कुल-मिलाकर 364 ऐसी संस्थाएं थीं, जिनको विदेशी फंडिंग प्राप्त होती थी। उनमें से 84 संस्थाओं को बंद किया गया है और 127 संस्थाएं स्वत: ही expire हो गई हैं और शेष 153 संस्थाएं बचती हैं। 153 संस्थाएं चिन्हांकित हैं और वह लिस्टेड हैं और उनको ही राशि मिल रही है। उनको किस-किस वर्ष में कितनी-कितनी राशि मिल रही है, उसकी सारी जानकारियां हैं। यदि कोई विशेष बात है कि इस विषय में यह जानकारी या शिकायत है तो वह बतायी जायें। हम उस पर जरूर कार्रवाई करें।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये।

अजय चंद्राकर :- नहीं। माननीय मंत्री जी, मैंने आपसे यह प्रश्न पूछा है कि यह विषय आपके संज्ञान में आने के बाद क्या आपने केन्द्र सरकार से जांच का आग्रह किया है ? मैंने आपसे यह प्रश्न पूछा था और आपने उसका उत्तर नहीं बताया है। मैं आपसे प्रश्न पूछ लेता हूं, फिर आप मुझे बतायेंगे कि आपने आग्रह किया है तो किया है और यदि नहीं किया है तो नहीं किया है। दूसरा, क्या आपने राज्य से किसी शैक्षणिक संस्था या NGO को फंडिंग की है ? आपने उसको फंडिंग की है तो यदि वह इस तरह की गतिविधियों में लिप्त पायी गयी तो क्या आपने उसकी जांच कराई है?

श्री विजय शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, पहला विषय यह है कि माननीय मुख्यमंत्री जी की विगत महीने चिंता के उपरांत हम सब मिलकर इसपर काम कर रहे हैं। उसके बाद ही यह सब जानकारियां एकत्रित हुई हैं। उसके बाद विशेष रूप से जिनको विदेशी फंडिंग मिल रही है, ऐसी 153 कंपनियां हैं और जो कि FCRA में भी लिस्टेड हैं तो उनकी भी चिंता की जा रही है। हम लोग उनकी एक्टेविटी पर जरूर ध्यान देकर आगे इसका निर्णय करेंगे कि इसपर क्या करना है। दूसरा विषय यह है कि माननीय सदस्य ने कहा कि राज्य स्तर पर विभिन्न शैक्षणिक संस्थाओं को भी जो अनुदान दिये जाते हैं तो राज्य स्तर पर शिक्षा विभाग के द्वारा, ST welfare department के द्वारा, समाज कल्याण विभाग के द्वारा, महिला एवं बाल विकास विभाग के द्वारा विभिन्न संस्थाओं को अनुदान दिया जाता है। यह अनुदान साल में कुल-मिलाकर 200-300 करोड़ रूपये के आसपास दिया जाता है। इन संस्थाओं के संदर्भ में माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार यह निर्णय हुआ है कि विगत पिछले 3 वर्षों में जितनी भी संस्थाओं को जितनी भी राशि का अनुदान दिया गया है, इसको एक बार पूरा चिन्हांकित करके उसका ऑडिट करके उन पर अंतिम निर्णय लिया जायेगा।

अध्यक्ष महोदय :- ठीक है। मंत्री जी ने पर्याप्त जानकारी दे दी है। आपको और कोई शंका है ?

श्री अजय चंद्राकर :- नहीं, अध्यक्ष महोदय, यह शंका का विषय नहीं है।

अध्यक्ष महोदय :- मंत्री जी ने तो पर्याप्त जानकारी दी है। आप प्रश्न पूछिये।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी तो जानकारी के लिये विगत 2 महीने शब्द का उल्लेख हुआ है। मैं उस बात को सुन रहा हूं और एक बात का भी उल्लेख हुआ है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के बयान के बाद कहा गया है। यदि मैं उससे पहले की टिप्पणी करूंगा तो अच्छा नहीं होगा।

अध्यक्ष महोदय :- नहीं। आप प्रश्न करिये, टिप्पणी नहीं।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने सुना है कि 2 महीने में मुख्यमंत्री जी के बयान के बाद हुआ है।

अध्यक्ष महोदय :- बिल्कुल-बिल्कुल।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा कहना यह है कि जहां-जहां पर डेमोग्राफी बदलती है या दुनिया में कहीं पर भी डेमोग्राफी बदली है तो समस्या उत्पन्न हुई है। आप पूरी दुनिया का इतिहास पढ़ लीजिए। आप भारत के भी नार्थ-ईस्ट का इतिहास पढ़ लीजिये। अभी बंगाल व असम की डेमोग्राफी में भी क्या समस्याएं हो रही हैं, चाहे तो आप उसको भी देख लीजिए। आप बहुत पढ़े-लिखे हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि इन घटनाओं को रोकने के लिये, छत्तीसगढ़ में विदेशी मिशनरी आकर इन कामों को कर रही हैं, जो संस्थाएं राज्य के अनुदान का दुरूपयोग कर रही हैं और ऐसी घटनाएं न

घटें, इसके लिए सरकार कोई कानूनी कार्रवाई करने के लिए या नये कानून बनाने के लिए कोई प्रावधान करना चाहती हैं या प्रावधान में है? आप आगे इस बारे में सोच रहे हैं, कर रहे हैं क्या ?

श्री विजय शर्मा :- नि:संदेह, माननीय अध्यक्ष महोदय। वर्तमान में छत्तीसगढ़ धर्म स्वातंत्र्य अधिनियम 1968 लागू है। उसके अतिरिक्त यह बिलकुल सबके ध्यान में है। इस विषय पर सरकार भी प्रारंभ से ही, माननीय विष्णु देव साय जी के मुख्यमंत्री बनने के साथ ही इस बात की चिंता है कि नये कानूनी प्रावधान इन विषयों पर आने चाहिए। सरकार इस बात पर चिंतनशील है और मैं सोचता हूं कि शीघ्र नये प्रावधानों के साथ सरकार सामने आयेगी।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आप सोच रहे हैं और करने जा रहे हैं, आपको इसके लिए बधाई। परन्तु एक छोटा सा प्रश्न है। यदि आप सोच रहे हैं तो समयावधि बतायेंगे क्या ?

श्री विजय शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें मेरा निवेदन है कि समयावधि न कहा जाये। कारण यह है कि बहुत सारी बातें होती हैं। पूरे एक्ट को आने के लिए विभिन्न चरणों से गुजरना होता है और उसमें समय लग जाता है। परन्तु यह जरूर है कि उचित समय में यह जरूर आ जायेगा।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपको एक चीज बताता हूं कि कैसे चलती है। हम छत्तीसगढ़ विधान सभा की परम्पराओं का उदाहरण देते हैं। माननीय विजय जी, आपको बताना चाहता हूं कि सरकार कैसे चलती थी ? आप बहुत सारी चीजों को दूर कीजिये। शुक्रवार के दिन हम एक प्रायवेट बिल लाये थे। शुक्रवार के दिन हमारा अधिकार होता है कि हम कोई बिल ला सकते हैं। इस सदन में पहली बार उसको बहुमत से निरस्त किया गया। जोगी सरकार में सत्तारूढ़ दल के द्वारा निरस्त किया गया कि आप इस प्रायवेट बिल को नहीं ला सकते, यह बहुमत से नकारा गया। वह सरकार इन विषयों में इतनी तेज थी और हम कह रहे हैं कि साहब बहुत सारी परिस्थितियां होती हैं। उन्होंने हमारे अधिकार को बहुमत के साथ पहली बार, 25 साल में पहली बार, उस निजी विधेयक को छोड़कर कभी नहीं हुआ है। आप रिकार्ड निकालवाकर देख लीजिये। कार्यवाही उस तरह से होनी चाहिए, वह कमिटमेंट आना चाहिए, लोग जो समझे वह समझे, उन्होंने कोई चिंता नहीं की। बहुमत का दुरूपयोग करके, [xx] दुरूपयोग करके हमको हमारे अधिकार से निजी विधेयक रखने से वंचित किया। मैं आपसे अपेक्षा करता हूं कि आप नवजवान मंत्री हैं, यह सही समय में आयेगा और सही ढंग से आयेगा, ऐसा आप बोलिये।

श्री विजय शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी चिंतनशील हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी शांत हैं, परन्तु यह कभी न सोचा जाए कि किसी एक विषय पर यह सरकार चिंतनशील नहीं है अथवा यह सरकार उस उग्रता के साथ, उस तीव्रता के साथ काम नहीं कर सकती है। जनता ने सरकार के कामों पर मुहर स्पष्ट रूप से लगाया है। आप आने वाले प्रावधान को देखियेगा, देश का

सर्वश्रेष्ठ प्रावधान हमारे सदन से पारित होकर जायेगा।

अध्यक्ष महोदय:- चलिये, बहुत अच्छा।

श्री सुशांत शुक्ला (बेलतरा) :- माननीय अध्यक्ष जी, मैं गृह मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि जिन मिशनरीज को विदेशी फंडिग के आधार पर छत्तीसगढ़ में विभिन्न क्षेत्रों में काम करने का अवसर मिला है उसमें क्या जोशुआ प्रोजेक्ट भी शामिल है ?

श्री विजय शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इस प्रोजेक्ट के बारे में, उसके शामिल होने या नहीं होने की बात वर्तमान में मेरी जानकारी में नहीं है।

श्री सुशांत शुक्ला :- अध्यक्ष जी, मैं इस विषय पर आपत्ति दर्ज करता हूं। क्योंकि बिलासपुर में एक व्यवसायिक संस्थान में पुलिस को शिकायत करने के बावजूद विदेशी फंडिग के आधार पर वह मिशनरी चंगाई सभाएं करती रहीं। थाने के बगल में परिसर है। उसके बाद जब उसे खाली खराया गया तो मेरे विधान सभा क्षेत्र के रमतला ग्राम में टैंट लगाकर जबरिया धर्मान्तरण की व्यवस्था बनाई जाती रही है और पुलिस प्रशासन मौन रहा। जब वहां अन्य संगठनों ने आपत्ति दर्ज कराई तब उसे बंद कराया गया। लेकिन वहां आज भी टैंट के रूप में चर्च संचालित हो रहा है। जोशुआ प्रोजेक्ट के वेबसाइट में बिलासपुर में 16 ऐसे संस्थान, जहां पर वह चर्च चला रहे हैं, स्पष्ट तौर पर वेबसाइट में दिखा रहे हैं। जोशुआ प्रोजेक्ट स्पष्ट तौर पर विदेशी फंडिग पर आधारित है। तो मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि यह प्रशासन, माननीय मंत्री जी को जवाब नहीं दे रहा है, यह कितनी बड़ी विसंगति है, इसे आप समझने का प्रयास करें।

श्री विजय शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस भी प्रकरण के सन्दर्भ में माननीय सदस्य कह रहे हैं, वह जरूर उपलब्ध करा दें, पूरी कठोरता के साथ दृढ़ता के साथ कार्रवाई की जायेगी। बिलासपुर में पिछले साल भी एक प्रकरण दर्ज हुआ था और इस साल भी एक प्रकरण दर्ज हुआ है। 153 संस्थाएं हैं, उन्हीं संस्थाओं को अब F.C.R.A. के माध्यम से रेग्युलेटरी इतना तेज हो गया है कि अलग से किसी को विदेशी फंडिग अचानक किसी के खाते में किसी जिले में नहीं आ सकती है। नई दिल्ली में एस.बी.आई. के मेन ब्रांच में जो सदन के मार्ग पर हैं, सभी को वहीं पर खाता खुलवाना होता है और उन सभी पर एम.एच.ए. का पूर्ण नियंत्रण, पूर्ण दृष्टि होती है। इसलिए जो राशि आ रही है, वह कहीं भी नहीं आ सकती है। वह राशि वहीं ही जाएगी।

श्री सुशांत शुक्ला :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह गंभीर विषय है। यदि वह दिल्ली से संचालित या नियंत्रित है और उसकी जानकारी स्थानीय प्रशासन को नहीं है तो यह बड़ी विसंगति का विषय है। उसका खुलेतौर पर वेबसाईट में संचालन हो रहा है, चर्च चल रहे हैं और उसकी जानकारी स्थानीय प्रशासन को नहीं है तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद तक सूचना तंत्र फेल है।

श्री विजय शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य का यह कहना कि सरकार को या प्रशासन को जानकारी नहीं है, यह आश्चर्यजनक है। मैं बार-बार कह रहा हूं कि जो 153 संस्थाएं F.C.R.A. में रजिस्टर्ड हैं, उनको ही विदेशी सहायता मिल रही है। यह पूरी जानकारी है। इसमें जानकारी नहीं होने का विषय नहीं है।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, आप एक प्रश्न करके समाप्त करिये।

श्री नीलकंठ टेकाम (केशकाल) :- आदरणीय अध्यक्ष महोदय, खासकर बस्तर के संदर्भ में इसका जो साइड इफेक्ट हो रहा है, उसके बारे में मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को अवगत कराना चाहूंगा कि यह जो धर्मांतरण का खेल चल रहा है, उससे सबसे ज्यादा हमारा आदिवासी समाज प्रभावित हुआ है। आज प्रत्येक रविवार को बस्तर में एक बार घूमकर देख लिया जाये तो लगभग 70 प्रतिशत से अधिक गांवों में लोग प्रार्थना सभा के नाम से बाहर निकल रहे हैं। गांव-गांव में जो मतभेद पैदा हुआ है, गांव की जो पुरानी व्यवस्था है, वहां पेशा कानून लागू होने के बावजूद भी अनर्गल तरीके से लोगों के बीच में भेदभाव बढ़ रहा है। यह सारा कुछ अचानक नहीं हो रहा है, इसके लिए जो फारेन फंडिंग हो रहा है, उसका बाकायदा उपयोग हो रहा है। हर गांव में अलग-अलग प्रकार के लोग मौजूद रहते हैं। दिन में, रात में लोगों के मन में मन-मस्तिष्क में धर्म बदलने के प्रति, धर्मांतरण करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। अभी यह धर्मांतरण के बारे में कानून है, लेकिन उसका कोई भी स्थानीय लेवल पर पालन नहीं हो पा रहा है। यह बहुत ही दुर्भाग्य का विषय है कि जब उस मत को मानने वाले किसी व्यक्ति का Death हो जाता है तो गांव में उसका अंतिम संस्कार करने की भी अनुमति नहीं दी जाती है, जिस बात को लेकर माननीय सुप्रीम कोर्ट का एक सपष्ट टिप्पणी आया हुआ था, जो बस्तर से संबंधित था।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, हो गया। आपने सुझाव दे दिया।

श्री नीलकंठ टेकाम :- अध्यक्ष महोद, मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि पूर्व वर्षों में भी इसको प्रशासनिक तौर पर सामने लाया गया है। हमको इस पर चिंतन करना पड़ेगा। हम 32 प्रतिशत आदिवासियों की बात कर रहे हैं। अगर हमारी संस्कृति पर हमारा अपना कोई नियंत्रण नहीं रहेगा तो हमारे आदिवासी नहीं रह पायेंगे। अगर हमारी जीवन-शैली को कोई प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करेगा तो आने वाले दिनों में हमारा छत्तीसगढ़ राज्य आदिवासी राज्य के नाम से नहीं जाना जाएगा। (मेजों की थपथपाहट) इसलिए मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि जिस प्रकार से नक्सलवाद को खत्म करने के लिए इस देश के प्रधानमंत्री और माननीय गृह मंत्री के दिशा-निर्देश पर हमारी सरकार ने मार्च, 2026 तक एक गाईडलाईन फिक्स किया है, उसी प्रकार से धर्मांतरण के खिलाफ एक कड़ी कानून लाने के लिए यहां पर समय निर्धारित करना चाहिए ताकि हम आदिवासियों को बचा सकें, हम उनकी संस्कृति को बचा सकें।

अध्यक्ष महोदय :- ठीक है। उन्होंने सुझाव दिया है, नोट कर लीजिये।

श्री विजय शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य की चिंता के संदर्भ में एक विषय जरूर ध्यान में लाना चाहता हूं कि बस्तर में कुल 18 ऐसी संस्थाएं हैं, जो समूचे बस्तर में क्रियाशील हैं और उनको विदेशी फंडिंग आता है। इसके ऑडिट के संदर्भ में जिन पुरानी संस्थाओं को कैंसिल किया गया, उसमें भी बस्तर से काम करने वाली संस्थाएं थीं। इनको प्राप्त होने वाले फंड के संदर्भ में भी ये फंड को सब्लेट न कर सकें और दूसरे संस्थाओं को न दे सकें, इसके लिए भी Regulations बने हुए हैं। इसके बावजूद मैं उनकी इस चिंता से बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूं और यह जरूर कहता हूं कि हम सबको मिलकर, हम सबको संजीदा होकर, हम सबको मुखर होकर इस तरह की जो भी गतिविधियां सामने दिखती है, उसको प्रशासन के सामने लाकर ठीक कराना चाहिए।

श्री राजेश मूणत :- सम्माननीय अध्यक्ष जी, मेरा माननीय उप मुख्यमंत्री जी से आग्रह है कि क्या ऐसा कोई सेल बना हुआ है, जहां पर धर्मांतरण के बारे में थाने में शिकायत किया जाता है और उसकी जॉच होती है ? राजधानी के आमापारा थाना के अंदर, तेलीबांधा के अंदर, अभी 20 दिन पहले दो घटना घट गई और उन्होंने पहले से सूचना दी है । प्रार्थना सभा के नाम पर कोई कहीं भी आयोजना करता है तो इसकी परिमिशन लेते हैं ? जैसे हिन्दू समाज कोई कार्यक्रम करता है तो उसको थाने के अंदर लिखित में आवेदन देना पड़ता है । इस प्रकार के कार्यक्रम करने के पहले थाने में कोई सूचना या किसी प्रकार की व्यवस्था है क्या ? माननीय मंत्री जी, स्पष्ट रूप से जानकारी दे दें ।

श्री विजय शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, छत्तीसगढ़ धर्म स्वातंत्र अधिनियम 1968, जो वर्तमान में प्रदेश के भीतर लागू है और उसके प्रावधानों के अंतर्गत ही पुलिस विभाग कार्य कर सकता है । अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य जो चिन्ता कर रहे हैं, वह बिल्कुल वाजिब चिन्ता है । ऐसी स्थितियों के लिये भी नये प्रावधानों की आवश्यकता है । यह विषय सरकार के संज्ञान में है ।

अध्यक्ष महोदय :- श्री रामकुमार यादव जी ।

श्री राजेश मूणत :- अध्यक्ष जी, एक मिनट । मेरा इसमें इतना ही निवेदन है कि आपने अधिनियम के तहत कहा है, अगर सार्वजनिक स्थान पर कोई भी समाज, कोई भी वर्ग, कोई भी जाति के द्वारा आयोजन होता है तो उसको शासन को सूचित करना अनिवार्य है कि नहीं है ? अध्यक्ष महोदय, जिन लोगों ने शासन से अनुमति नहीं ली है तो क्या उनके खिलाफ में कार्यवाही जैसे कि हम दीगर समाज के अंतर्गत करते हैं, इनके ऊपर क्या नहीं होना चाहिये ? मेरा इतना ही आग्रह है, कृपया आप इसे सुनिश्चित करें ।

श्री विजय शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय विष्णु देव जी की सरकार में कानून का राज है, (मेजों की थपथपाहट) कोई विषय ही नहीं है, किसी भी समाज या कोई भी संस्था, सार्वजनिक कार्य करे और बिना अनुमति के कर ले ? अगर ऐसा है और शिकायत होगी तो कठोरता से कार्यवाही की जायेगी ।

श्री राजेश मूणत :- अध्यक्ष महोदय, राजधानी के अंदर समाचार-पत्रों की सुर्खियां बनी है । हम उससे ज्यादा और क्या लेंगे ? हम उसके बाद कह रहे हैं तो कहीं न कहीं सुनिश्चित करना चाहिये कि कोई भी समाज का वर्ग या जाति हो, अगर इस प्रकार आयोजन करता है तो थाने में सूचित करना पड़ेगा या उसको परमिशन लेना पड़ेगा ।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, आप बता दीजिए ?

श्री विजय शर्मा :- अध्यक्ष महोदय, यह बात माननीय सदस्य मुझसे कहें और मैं हॉ कहूँ, इसकी कतई आवश्यकता नहीं है । भई, यह तो प्रावधान में है ही, अगर सार्वजनिक कार्यक्रम होगा तो उसकी अनुमति लेनी है ? अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से कोई भी थाने में जाकर आवेदन देकर पावती ले आये, इस पर थाना कार्यवाही करेगा ।

अध्यक्ष महोदय :- अब प्रश्न-उत्तर का समय नहीं है ।

श्रीमती रायमुनी भगत :- माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे जशपुर की बात अभी कई बार आई है । अध्यक्ष महोदय, आज तीन महीने होने जा रहे हैं, ग्राम कुरकूटूली में जो आकाशीय बिजली गिरने की घटना से एक युवक की मौत हुई थी, एक बूढ़ी मॉ ने अपने बच्चे का अंतिम संस्कार हिन्दू रीति-रिवाजों से करने की मांग की है । अध्यक्ष महोदय, वहां 29 परिवार हिन्दू थे, आज घटकर मात्र 7 परिवार रह गये हैं, वहां ईसाई परिवार ज्यादा होने के नाते जबरिया ईसाई धर्म का पालन करते हुये अंतिम संस्कार किया गया है । अध्यक्ष महोदय, आज तीन महीने से 80 साल की बूढ़ी मॉ आस लगाकर बैठी हुई है कि मेरे बच्चे का अंतिम संस्कार हिन्दू रीति-रिवाज से कब होगी ? वहां शव की मांग की जा रही है और बूढ़ी मॉ को शव सौंपा नहीं जा रहा है, उसका अंतिम संस्कार नहीं हुआ है । मैं माननीय मंत्री महोदय जी से जानना चाहती हूँ कि अंतिम संस्कार कब तक होगा ?

श्री विजय शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य की चिंता से सहमत हूँ और एक बार पूरे विषय से अवगत होते हुये जो भी समुचित प्रावधान होगा..।

अध्यक्ष महोदय :- जानकारी ले लें । श्री रामकुमार यादव जी ।

(2) चन्द्रपुर विधान सभा क्षेत्र के ग्रामीण किसानों को सिंचाई हेतु पानी नहीं दिया जाना ।

श्री रामकुमार यादव (चन्द्रपुर) :- अध्यक्ष महोदय, मेरी ध्यानाकर्षण सूचना का विषय इस प्रकार है :-

विधान सभा क्षेत्र चन्द्रपुर महानदी के किनारे स्थित वृहत क्षेत्र है, जहां कलमा एवं साराडीह बैराज का निर्माण भी हुआ है । चन्द्रपुर विधान सभा में कई पॉवर प्लांट भी हैं, बैराजों का पानी पूर्ण रूप से पॉवर प्लांटों को दिया जा रहा है, परन्तु ग्रामीण किसानों को सिंचाई हेतु पानी नहीं दिया जाता है । साथ

ही विधान सभा क्षेत्र मांड परियोजना एवं हसदेव बांगों परियोजना के अंतिम छोर में बसा क्षेत्र है, उन परियाजनाओं से भी किसानों को सिंचाई हेतु पानी पर्याप्त मात्रा में नहीं पहुंच पाता है । क्षेत्र के विभिन्न ग्रामों में उक्त परियोजनाओं के अंतर्गत निर्मित नहरों का कार्य आधा-अधूरा कराया गया है । कई नहर तो लेवल में नहीं हैं एवं अति जर्जर स्थिति में हैं । साथ ही बैराजों के पानी का उपयोग करने वाले पावर प्लांटों के द्वारा किसानों को किसी भी प्रकार की सुविधा नहीं दी जाती है, जबकि लिफ्ट सिस्टम से किसानों को पानी प्रदाय की जा सकती है । किसानों को फसलों के सिंचाई हेतु समुचित रूप से पानी नहीं मिलने से पावर प्लॉटों के विरूद्ध एवं जल संसाधन विभाग के उक्त परियोजनाओं के द्वारा नहरों के सुदृढ़ीकरण नहीं करने के कारण क्षेत्र के किसानों एवं जनप्रतिनिधियों में आक्रोश व्याप्त है ।

जल संसाधन मंत्री (श्री केदार कश्यप) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, विधान सभा चन्द्रपुर में महानदी के किनारे कलमा बैरॉज का पानी पूर्ण रूप से पॉवर प्लांटों को दिया जा रहा है, कथन सत्य नहीं है । वर्तमान में कलमा बैरॉज से 04 संस्थानों को औद्योगिक उपयोग हेतु 93.66 मि.घ.मी. वार्षिक जल प्रदाय किया जा रहा है । आगामी वित्तीय वर्ष 2025-26 में कलमा बैरॉज से अनुमानित लागत राशि रूपये 250.00 करोड़ की उद्वहन सिंचाई परियोजना को बजट में प्रावधानित किया गया है, जिससे चन्द्रपुर विधान सभा सहित सारंगढ़ विधान सभा एवं रायगढ़ विधान सभा के ग्रामीण किसानों को सिंचाई का लाभ प्राप्त हो सकेगा । कलमा बैरॉज से ही जिला सक्ती के तहसील डबरा के 10 ग्रामों में 239.00 हेक्टेयर तथा सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिले के सारंगढ़ तहसील के 07 ग्रामों के 72.00 हेक्टेयर इस प्रकार कुल 17 ग्रामों के 311.00 हेक्टेयर में कृषकों द्वारा स्वयं के साधन से सिंचाई सुविधा का लाभ लिया जा रहा है ।

चन्द्रपुर विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत माण्ड परियोजना से खरीफ सिंचाई हेतु कुल 6315 हेक्टेयर रूपांकित क्षमता के विरूद्ध वर्ष 2024-25 में 4978 हेक्टेयर खरीफ सिंचाई की गई है । साथ ही आगामी वित्तीय वर्ष 2025-26 में माण्ड व्यपवर्तन योजना के शीर्ष कार्य एवं नहरों का आधुनिकीकरण, उन्नयन, जीर्णोद्धार, रिमॉडलिंग एवं लाईनिंग कार्य के लिए राशि रूपये 50.00 करोड़ प्रावधानित किया गया है, जिसका निर्माण कार्य शीघ्र कराया जाना प्रस्तावित है । इससे उक्त परियोजनाओं के नहरों का सुदृढ़ीकरण किया जाकर विधान सभा क्षेत्र चन्द्रपुर के अंतिम छोर के क्षेत्रों के साथ रायगढ़ एवं खरसिया विधान सभा के किसानों को सिंचाई हेतु पर्याप्त मात्रा में पानी सुगमता पूर्वक उपलब्ध हो सकेगा ।

कलमा तथा साराडीह बैरॉज का निर्माण मुख्य रूप से विद्युत उत्पादन संयंत्रों को जल आपूर्ति प्रयोजनार्थ उनके द्वारा प्रदत्त एडवांश टैक्स लेकर किया गया है । वर्तमान में साराडीह बैरॉज से 05 संस्थानों को औद्योगिक उपयोग हेतु 224.83 मि.घ.मी. वार्षिक जल प्रदाय किया जाना प्रस्तावित है ।

अध्यक्ष महोदय :- यह मिली घन मीटर है या मिलियन घन मीटर है ?

श्री केदार कश्यप :- मिलियन घन मीटर । वर्तमान में 05 उद्योगों में से 03 उद्योगों द्वारा

अनुबंध के तहत् 68.20 मि.घ.मी. जल का आहरण किया जा रहा है । इसके अलावा साराडीह बैरॉज से पेयजल हेतु डभरा नगर पंचायत को 1.00 मि.घ.मी. वार्षिक जल, सारंगढ़ नगर पालिका को 2.19 मि.घ.मी. वार्षिक जल, घोटला छोटे हरदी समूह जल प्रदाय योजना (जिला-सारंगढ़-बिलाईगढ़) को 2.664 मि.घ.मी. वार्षिक जल तथा साराडीह बैरॉज समूह जल प्रदाय योजना (जिला-सक्ती) को 0.725 मि.घ.मी. वार्षिक जल आवंटित है । साराडीह बैरॉज से ही जिला-सक्ती के तहसील डभरा के 06 ग्रामों में 155.00 हेक्टेयर तथा सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिले के सारंगढ़ तहसील के 09 ग्रामों के 178.00 हेक्टेयर इस प्रकार कुल 15 ग्रामों के 333.00 हेक्टेयर में कृषकों द्वारा स्वयं के साधन से सिंचाई सुविधा का लाभ लिया जा रहा है। अत: उपरोक्त कथनानुसार यह कहना कि साराडीह बैराज से केवल उद्योगों को जल प्रदाय किया जा रहा है, सही नही है।

अध्यक्ष महोदय, मिनीमाता (हसदेव) बांगो परियोजना के अंतर्गत वर्ष 2024-25 में चंद्रपुर विधान सभा क्षेत्र के मालखरौदा तथा डभरा विकासखंड में कुल 36545 हेक्टेयर में सिंचाई हेतु पानी उपलब्ध कराया गया है। इस परियोजना के क्षतिग्रस्त नहरों का रिनोवेशन कार्य निविदा पश्चात् प्रगति□रत है। जीर्णोद्धार पश्चात् अंति□म छोर के ग्रामों के किसानों को सिंचाई हेतु पर्याप्त मात्रा में पानी उपलब्ध हो पाएगा।

अत: यह कहना सही नहीं है कि क्षेत्र के किसानों एवं जनप्रति□निधियों में बहुत ही ज्यादा आक्रोश व्याप्त है।

श्री रामकुमार यादव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, ये ध्यानाकर्षण लाए के मोर मुख्य उद्देश्य ये हे कि कबीर साहेब के एक दोहा हे कि "जल में रहके मीन प्यासी, अऊ मोला सुन-सुन आवे हांसी"। अगर महानदी में अतके बड़े डेम बने हे अऊ उहां के पानी अगर 100 किलोमीटर दूर जाके उद्योग ल चला सकथे, तो नदी किनारे के जो खेत हे,वो प्यासा हे और हसदेव नदी इहां से जाथे नहर से और मोर अंति□म छोर में पड़थे, तो पानी के समय मोला पानी नई मिलय अऊ जे समय पानी के जरुरत नई रहय, वो समय पानी ल छोड़ देथे, त उल्टा मोर क्षेत्र में नुकसान होथे। मोर आपके माध्यम से मंत्री जी ला यही कहना हे कि का नदी के किनारे लिफ्ट के माध्यम से भी वो क्षेत्र के किसानमन ला पानी दे के योजना हे? ये मैं आपके माध्यम से मंत्री जी ला कहना चाहत हौं।

श्री केदार कश्यप :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जो बैराज वहां पर निर्मित हुए हैं, वे आपके संज्ञान में भी हैं क्योंकि आप जब हमारे प्रदेश के मुख्य मंत्री के दायित्व का निर्वहन कर रहे थे, तभी आपने उन बैराजों का निर्माण कराया था। अध्यक्ष महोदय, मैं पिछले 5 वर्षों का रिकार्ड देख रहा था कि पिछले पांच वर्षों में आप लोगों ने उसमें मात्र 13 योजनाएं स्वीकृत की हैं और मात्र 25 से 30 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं। अभी हमारी सरकार में इन सवा सालों के भीतर हम लोगों ने माड़ में 50 करोड़ रुपए की और लिफ्ट एरीगेशन के लिए 250 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा हुआ है। आप सोचिए कि पिछली

सरकार इस पूरे विभाग को बंद करना चाहती थी, खत्म करना चाहती थी, क्योंकि आप वेतन के लिए भी तरसा रहे थे। यह माननीय विष्णु देव साय जी की सरकार है, जो लगातार इस दिशा में काम कर रही है और आज इस तरीके से वहां पर सिंचाई की सुविधा की दृष्टि से योजना बनाकर काम कर रही है। अध्यक्ष महोदय, मैं आंकड़े भी देख रहा था कि वर्ष 2022-23 तक वहां पर किसान 16 लाख 70 हजार क्विंटल धान बेचा करते थे, किन्तु अभी वर्ष 2023 से वहां पर लगभग 23 लाख क्विंटल धान बेचा जा रहा है। तो आप कहां की बात कर रहे है, क्योंकि वहां पर तो किसानों की आय में वृद्धि हुई है? आपके समय में वहां पर किसान 17 लाख क्विंटल धान बेचा करते थे और हमारी सरकार बनने के बाद वहां पर 23 लाख क्विंटल धान बेचा जा रहा है।

श्री रामकुमार यादव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मोर पाइंटेड प्रश्न हे। मैं दू टप्पी वाला हों, सीधा। मैं आपला पूछतहौं कि कलमा अउ साराडीह के पानी उद्योगपति मन रायगढ़ जिला तक लेजात हे, त चूंकि अंतिम छोर हे, ओमा लिफ्ट में पानी चघा के, ओमा लिफ्ट के माध्यम से करहू का, बस ऐला दू टप्पी बता दो मोला? येला लंबा नहीं, दू-टप्पी बतावव।

श्री केदार कश्यप :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य के पिछले कार्यकाल की प्रश्नोत्तरी को भी देख रहा था। पिछले पांच साल आप केवल वहां के मुआवजा की ही चर्चा करते थे, आप तो कभी चर्चा नहीं किए, कोशिश नहीं किए कि वहां सिंचाई की सुविधा बढ़े। अभी हमारी सरकार वहां पर 250 करोड़ के लिफ्ट एरीगेशन का प्रावधान कर रही है। इसे आप सोचिए कि आपके समय में 25-30 करोड़ मिलता था और अभी तो 300 करोड़ रुपए का केवल इस पर ही प्रावधान किया गया है और उसके तहत वहां पर सिंचाई की क्षमता में किस तरह से वृद्धि होगी, ये भी आप सोचकर रखिए।

श्री रामकुमार यादव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी ल यही कहहूं कि जब अध्यक्ष महोदय आप मुख्य मंत्री रहेव, ओ समय मोला याद हे, आप प्रदेश के हित में बढ़िया सोच के बैराज बनाए हवव। मंत्री महोदय आज हमला दुख होथे, ठीक हे, तोला जब भी पूंछथंव, तो 05 साल-10 साल पहिली के बताथव। हम मांगथन समोसा, तू परोसथव हमला भजिया परोसत हव। हम आप मन ला ये पूछत हन कि आप छत्तीसगढ़ में किसान के चिंता करत हव तो लिफ्ट के माध्यम से पानी दे देवव। दूसरा, जो खरसिया ले मांढ नहर आये हे ओ मांढ नहर ले हमन ला पानी नइ मिलय। में हर आपके माध्यम से ओकर लाइनिंग के कार्य बर चाहत हव कि ओकर लेबल हर उबड़ खाबड़ हे, ओ हर लेबल में हो जाये तो किसान मन ला पानी मिल जाही। एकरो बर में हर एक छोटे से प्रश्न पूछ लेथन कि का मांढ नहर ला अभी प्रशासनिक स्वीकृति मिलही ? में हर आपके माध्यम से एकर बर जानना चाहतव हव ?

श्री केदार कश्यप :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य कह रहे हैं कि वे समोसा मांगते हैं तो हम भजिया देते हैं। हमारी सरकार तो आपको पूरा लड्डू दे रही है। आपको दोसा रही है। आपके

समय में तो चटनी भी नहीं मिलती थी। आपको मालूम होगा कि वहां पर कोई तिवारी थे, उनका मुआवजा में किस प्रकार से प्रेशर रहता था और जो मैडम थी, उनका भी ज्यादा प्रेशर था। कहीं न कहीं सरकार की मंशा है कि वहां पर लिफ्ट इरीगेशन के माध्यम से सिंचाई की सुविधा बढ़े और इसके लिये हम प्रावधान कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, आपके ही दिशा निर्देश पर वहां पर जो बैराज बने, उसके माध्यम से जो महानदी है, उसके जल का पहली बार उपयोग भी किया गया है। अन्यथा महानदी के जल का उपयोग भी नहीं हो रहा था।

श्री रामकुमार यादव :- अध्यक्ष महोदय, सिर्फ एक-दो सवाल है।

अध्यक्ष महोदय :- उन्होंने सारी बातें बता तो दी है।

श्री रामकुमार यादव :- अध्यक्ष महोदय, बस एक मिनट और दे दीजिये। पॉवर प्लांट ला चलाये बर दो प्रमुख चीजों की जरूरत पड़त हे। एक कोयला अउ दूसरा पानी। उद्योगपति मन हर पानी ले जात हे। जब बाढ़ आत हे तो हमन हर तकलीफ ला देखे हन कि कतका तकलीफ पात हन। जब बाढ़ आत हे तो महानदी के किनारे में रहने वाले व्यक्ति अउ गरीब आदमी के घर बुड़ जात हे ओ मन के दाल चावल पानी में बुड़ जात हे। सांप घलोक पेर देत हे। ओकर तकलीफ ला हमन भोगत हन। अउ पॉवर प्लांट मन वाले ला चलात हे। मैं आपके माध्यम से कहना चाहत हव कि जो पॉवर प्लांट के सी.एस.आर. मद होत हे,ऐसे गांव ला या ओ मन के जमीन जो बुड़े हे, ओ मन ला प्राथमिकता के रूप में नौकरी देबे के प्रावधान करे हन। चूंकि आप मन ला पानी के जल के लाभ देवत हन। आपके माध्यम से कंपनी ला लेटर लिखे हव कि ओ मन ला सी.एस.आर. मद से काम करे। तीसरा, पोता से जमगहन के स्वीकृत कार्य। कलमी से सारादोह के स्वीकृत कार्य।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये। यह प्रश्न नहीं है। आप यह सुझाव दे रहे हैं। मंत्री जी, आप सुझाव नोट कर लीजिये।

श्री रामकुमार यादव :- ये ला स्वीकृत कार्य हो गे हे। एकर टेंडर भी हो गे हे। आप एखर ला नहर ले खनवा देबे। चूंकि स्वीकृत हो गे हे, टेंडर होत के बावजूद भी आज वह नहर हर नहीं खना पात हे। मैं हर आपके माध्यम से कहना चाहत हव कि यह मोर निवेदन हे कि मैं हर अभी जो-जो मांग करे हन ओला पूरा करवा देबे ताकि क्षेत्र के किसान मन ला पानी मिल जाये। ओ मन ला लिफ्ट के माध्यम से पानी मिल जाये। मैं हर आपके माध्यम से मंत्री जी बर निवेदन करना चाहत हव।

अध्यक्ष महोदय :- ठीक है। आपने सुझाव दे दिया है।

श्री आशाराम नेताम :- रामकुमार जी, यह अभी एक ही साल की समस्या है कि आगे की समस्या है ?

श्री रामकुमार यादव :- यह सब तोहरे ही समस्या है।

समय:

12.48 बजे

नियम 267 "क" के अंतर्गत विषय

अध्यक्ष महोदय :- निम्नलिखित सदस्यों की शून्यकाल की सूचनाएं सदन में पढ़ी हुई मानी जायेंगी तथा इसे उत्तर के लिये संबंधित विभागों को भेजा जायेगा :-

1. श्रीमती चातुरी नंद
2. श्रीमती उद्धेश्वरी पैकरा
3. श्रीमती रायमुनी भगत
4. श्री पुन्नूलाल मोहले
5. श्री कुंवर सिंह निषाद

समय:

12.48 बजे

माननीय राष्ट्रपति के द्वारा सभा को संबोधन हेतु सभा भवन के उपयोग की अनुमति का प्रस्ताव

संसदीय कार्य मंत्री (श्री केदार कश्यप) :- अध्यक्ष महोदय, मैं, प्रस्ताव करता हूं कि सोमवार, दिनांक 24 मार्च, 2025 को माननीय राष्ट्रपति महोदया द्वारा छत्तीसगढ़ विधान सभा के सदस्यों को सभा भवन में संबोधित किया जायेगा। अतः "छत्तीसगढ़ विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 271-ख को शिथिल कर सभा भवन के उपयोग की अनुमति दी जायें।"

अध्यक्ष महोदय :- प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि सोमवार, दिनांक 24 मार्च, 2025 को माननीय राष्ट्रपति महोदया द्वारा छत्तीसगढ़ विधान सभा के सदस्यों को सभा भवन में संबोधित किया जायेगा। अतः "छत्तीसगढ़ विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 271-ख को शिथिल कर सभा भवन के उपयोग की अनुमति दी जायें।"

प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।

सदन द्वारा अनुमति प्रदान की गई।

(मेजों की थपथपाहट)

समय:

12.49 बजे

शासकीय विधि विषयक कार्य

(1) छत्तीसगढ़ लोक परिसर (बेदखली) (संशोधन) विधेयक, 2025 (क्रमांक 6 सन् 2025)

उप मुख्यमंत्री (गृह) (श्री विजय शर्मा) :- अध्यक्ष महोदय, मैं, छत्तीसगढ़ लोक परिसर (बेदखली) (संशोधन) विधेयक, 2025 (क्रमांक 6 सन् 2025) के पुर: स्थापन की अनुमति चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय :- छत्तीसगढ़ लोक परिसर (बेदखली) (संशोधन) विधेयक, 2025 (क्रमांक 6 सन् 2025) के पुर: स्थापन की अनुमति दी जाये।

अनुमति प्रदान की गई।

श्री विजय शर्मा :- अध्यक्ष महोदय, मैं, छत्तीसगढ़ लोक परिसर (बेदखली) (संशोधन) विधेयक, 2025 (क्रमांक 6 सन् 2025) का पुर: स्थापन करता हूं।

(2) छत्तीसगढ़ विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन (संशोधन) विधेयक, 2025 (क्रमांक 7 सन् 2025)

संसदीय कार्य मंत्री (श्री केदार कश्यप) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं, छत्तीसगढ़ विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन (संशोधन) विधेयक, 2025 (क्रमांक 7 सन् 2025) के पुर:स्थापन की अनुमति चाहता हूँ।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि - छत्तीसगढ़ विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन (संशोधन) विधेयक, 2025 (क्रमांक 7 सन् 2025) के पुर:स्थापन की अनुमति दी जाये।

अनुमति प्रदान की गई।

श्री केदार कश्यप :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं, छत्तीसगढ़ विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन (संशोधन) विधेयक, 2025 (क्रमांक 7 सन् 2025) का पुर:स्थापन करता हूँ।

(3) भारतीय स्टाम्प (छत्तीसगढ़ संशोधन) विधेयक, 2025 (क्रमांक 8 सन् 2025)

वाणिज्यिक कर मंत्री (श्री ओ.पी. चौधरी) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं, भारतीय स्टाम्प (छत्तीसगढ़ संशोधन) विधेयक, 2025 (क्रमांक 8 सन् 2025) के पुर:स्थापन की अनुमति चाहता हूँ।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि - भारतीय स्टाम्प (छत्तीसगढ़ संशोधन) विधेयक, 2025 (क्रमांक 8 सन् 2025) के पुर:स्थापन की अनुमति दी जाये।

अनुमति प्रदान की गई।

श्री ओ. पी. चौधरी :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं, भारतीय स्टाम्प (छत्तीसगढ़ संशोधन) विधेयक, 2025 (क्रमांक 8 सन् 2025) का पुर:स्थापन करता हूँ।

समय
12.52 बजे

वित्तीय वर्ष 2025-2026 की अनुदान मांगों पर चर्चा (क्रमश:)

(1) मांग संख्या 15 अनुसूचित जाति उपयोजनान्तर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता
मांग संख्या 33 आदिम जाति कल्याण
मांग संख्या 41 अनुसूचित जनजाति उपयोजना
मांग संख्या 42 अनुसूचित जनजाति उपयोजना से संबंधित लोक निर्माण कार्य-सड़कें और पुल
मांग संख्या 49 अनुसूचित जाति कल्याण
मांग संख्या 53 अनुसूचित जाति उपयोजनान्तर्गत नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता
मांग संख्या 64 अनुसूचित जाति उपयोजना
मांग संख्या 66 पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण
मांग संख्या 68 अनुसूचित जनजाति उपयोजना से संबंधित लोक निर्माण कार्य-भवन
मांग संख्या 82 अनुसूचित जनजाति उपयोजना के अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता
मांग संख्या 83 अनुसूचित जनजाति उपयोजना के अंतर्गत नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता
मांग संख्या 13 कृषि
मांग संख्या 54 कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा से संबंधित

अध्यक्ष महोदय :- आज विभागों की अनुदान मांगों पर माननीय कृषि मंत्री तथा उप मुख्यमंत्री, गृह के विभागों से संबंधित मांगों पर चर्चा पूर्ण होना है। दिनांक 12 मार्च, 2025 को कृषि मंत्री की मांगों

पर दोनों पक्षों की ओर से प्रथम वक्ताओं द्वारा पर्याप्त विचार रखे जा चुके हैं। अत: माननीय वक्ताओं से अपेक्षा है कि वह 10-10 मिनट में अपने क्षेत्र के संबंध में मांगें रखें। अब माननीय कृषि मंत्री के विभागों की अनुदानों मांगों पर चर्चा प्रारंभ होगी। श्री दलेश्वर साहू जी, सदस्य चर्चा प्रारंभ करें।

श्री दलेश्वर साहू (डोंगरगांव) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, वित्तीय वर्ष 2025-2026 की अनुदान मांगों पर चर्चा शेष है जिसमें मांग संख्या 15, 33, 41, 42, 49, 53, 64, 66, 68, 82, 83, 13 एवं 54 पर अपनी बात रखना चाहता हूँ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारा यह प्रदेश अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग एवं अन्य लोगों की जाति समीकरण के आधार पर रहन-सहन, खान-पान, धर्म के प्रति आस्था, अलग-अलग मान्यताओं से ओत-प्रोत है। हमारे आदिवासी भाईयों के जीवकोपार्जन को अच्छे स्तर पर ले जाने का दायित्व, शासन के द्वारा हमारे रामविचार नेताम जी को दिया गया है, पर जब हम लोग इस प्रशासकीय प्रतिवेदन का अवलोकन करते हैं तो इसमें पिछले वर्ष 2023-2024 में दिसंबर माह तक ही जानकारी का समावेश होता है। अगर हम वर्ष 2024-2025 का प्रशासकीय प्रतिवेदन पढ़े तो हम चर्चा किस आधार पर करेंगे? यह केवल प्रतिपूर्ति है। आज हम वर्ष 2025 पर चर्चा करने जा रहे हैं तो कम से कम उसके लक्ष्य की जानकारी होनी चाहिए कि कितना लक्ष्य था और उसकी कितनी प्रतिपूर्ति किये और कितना शेष है? यह जानकारी आपके प्रतिवेदन में बिल्कुल नहीं है। आज मुझे बोलना है करके प्रतिवेदन पढ़ना चाहा तो मुझे 2023 की पुस्तक निकालनी पड़ी। अगर मैं घर नहीं जाता तो मैं खाली इस प्रतिवेदन में प्रतिपूर्ति ही प्रतिपूर्ति में हम लोग क्या चर्चा कर पायेंगे? मेरा आपसे अनुरोध है कि जब भी प्रशासकीय प्रतिवेदन तैयार करें साफ-सुथरा एवं स्पष्ट हो ताकि एक विधायक को चर्चा करने में कठिनाई न हो। आज हम 2025-26 के विभाग के प्रशासकीय प्रतिवेदन में चर्चा कर रहे हैं, हमें पता नहीं नही है। आपने प्रतिवेदन में प्रतिपूर्ति लिखा है लेकिन उसमें कितने लक्ष्य की पूर्ति हुई और कितना शेष है, इसकी जानकारी नहीं है तो हम कैसे चर्चा करेंगे? मैं पुन: इस सदन माध्यम से अनुरोध करूंगा कि यह प्रतिवेदन में दिसंबर की जानकारी को सुधार किया जाये। ऐसी मैं माननीय मंत्री जी से अपेक्षा करता हूं। आप इसको पढ़ लेना।

श्री धर्मजीत सिंह :- आप ऐसा बोलिये न कि सरल किया जाये, सुधार लीजिए। वह तो सुधार कर ही प्रतिवेदन जमा किये हैं, आप यह बोलिये कि उसको सरल कर दिया जाये।

श्री दलेश्वर साहू :- माननीय अध्यक्ष महोदय, सरल करने की जरूरत नहीं है। खाली आप अपना लक्ष्य बता दीजिए और वर्ष 2023 में आपने कितने लक्ष्य की पूर्ति किये और शेष इतना है, हम इसका कॉलम चाह रहे हैं। यदि वह नहीं रहेगा तो हम चर्चा कैसे करेंगे।

श्री धर्मजीत सिंह :- आप पूछ ही रहे हैं तो एक बात और बोल दीजिए। वह 7, 3, 5, 9 लाख है या करोड़ है, शब्द में लिखवाईये।

श्री दलेश्वर साहू :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें भी बड़ा confusion होता है। हम लोगों को बोलने में थोड़ी कठिनाई होती है। आदिम जाति, अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक विकास विभाग, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आयोग, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक आयोग, राज्य उर्दू अकादमी, राज्य पिछड़ा वर्ग कल्याण, तेलघानी विकास बोर्ड, छ.ग. लौह शिल्पकार विकास बोर्ड, छ.ग. रजककार विकास बोर्ड, वक्फ विकास बोर्ड है। अगर हम आदिवासी उपयोजना के बजट का थोड़ा सा अवलोकन करें तो आपने वर्ष 2023 में 437 करोड़ रुपये खर्च नहीं कर पाये हैं। वर्ष 2023-2024 में 137 करोड़ रुपये खर्च नहीं कर पाये हैं। हम बजट प्रावधानित करके बड़ी-बड़ी बात करते हैं। इस फिगर को लाने के लिए मुझे वर्ष 2023 के प्रतिवेदन को पढ़ना पढ़ा तब जाकर मैं इस विभाग में बोल पा रहा हूं। आप बजट रख रहे हैं और खर्च नहीं कर पा रहे हैं। मैं यह जो बोल रहा हूं, आप निश्चित रूप से समीक्षा कर लेना। कुल 3547 करोड़ रुपये व्यय भर किये हैं, वही गड़बड़ हो रही है, 5075 करोड़ रुपये में से आपका 22 करोड़ रुपये शेष बचा हुआ है। क्या हम अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग का कल्याण कर पायेंगे ? यह तो मैं आदिवासी उपयोजना की बात बताया हूं। अनुसूचित जाति उपयोजना में भी आपकी यही कंडीशन है। वर्ष 2023 में 167 करोड़ रुपये शेष बच गया है, वर्ष 2023-24 में 190 करोड़ शेष बचा, वर्ष 2023-24 में 369 करोड़ रुपये शेष बच गया । आप क्या करना चाह रहे हैं ? आप प्रावधान करते हैं और धरातल पर आपके पैसे का उपयोग नहीं हो पा रहा है। पूरा मिलाकर आपका 1337 करोड़ रुपये का बजट है लेकिन 729 करोड़ रुपये को खर्च नहीं कर पा रहे हैं। यह आपके प्रतिवेदन के आंकड़े हैं, यह मैं नहीं बोल रहा हूं। बशर्ते मुझे बहुत कठिनाई हुई कि मुझे वर्ष 2023 के प्रतिवेदन को पढ़ना पढ़ा। अध्यक्ष महोदय, विशेष केन्द्रीय सहायता योजना है। अनाबद्ध राशि कितनी महत्वपूर्ण है, इसमें छोटे-छोटे पुल-पुलिया, सड़क, बिजली का निर्माण करने लिए इस राशि का उपयोग होता है। आप लगातार दो साल से इस पैसे का उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, जीरो है। 2000 लाख रुपये फिगर है, आपने इस राशि को न 2023 में खर्च कर पाये आप 2 साल क्या कर रहे हैं ? आप लोग केवल महतारी वंदन में सिमट गये हैं, महतारी वंदन के अलावा न तो कोई दूसरा....।

समय :

1.00 बजे **(सभापति महोदय (श्री प्रबोध मिंज) पीठासीन हुए)**

श्री दलेश्वर साहू :- हां, वह भी पूरा नहीं दे रहे हैं । मैं देखता हूं तो केवल महतारी वंदन के चक्कर में पूरा विभाग फेल है ।

कृषि मंत्री (श्री रामविचार नेताम) :- दलेश्वर जी, आप बहुत अच्छी जानकारी के साथ में बोल रहे हैं । देखिये आप महतारी वंदन-महतारी वंदन बोल रहे हैं । आप अपने घरवालों से पूछ लीजिये । क्या आपने अपने घरवालों से पूछा है ? उनके नाम से भी जाता होगा ।

श्री दलेश्वर साहू :- आप उसको खर्च क्यों नहीं कर पा रहे हैं ?

श्री उमेश पटेल :- सुनिये न, क्या आपके में आ रहा है ? आ रहा है ? काकी से पूछा है न ?

श्री दलेश्वर साहू :- माननीय सभापति महोदय, आप 2 साल से अनुसूचित जाति एक विशेष केंद्रीय सहायता आदिवासी उपयोजना के पैसे का एक भी उपयोग नहीं कर पाये हैं, जीरो-जीरो है । पैसा आया है और वह रखा हुआ है तो आपकी केंद्र सरकार, आपके मोदी जी क्या बोलेंगे ? माननीय मंत्री जी यदि आप उसका यूटिलाईजेशन नहीं करेंगे तो आपको तीसरी किश्त नहीं मिलने वाली है । एक बार दे दिया, वर्ष 2025 में दे दिया और अब आपको चौथी बार नहीं मिलने वाला है । आप जब तक यूटिलाईजेशन सर्टिफिकेट नहीं भेजेंगे तब तक शायद संभव ही नहीं है । आप आदिवासी हैं, आप खर्चा करिये । आपके पास पैसा है और यदि नहीं है तो आप हमारी विधानसभा में दे दीजिये, हमारे यहां भी अनुसूचित जनजाति के लोग हैं । आप नहीं कर पा रहे हैं तो आप अपने क्षेत्र में खर्चा कर लीजिये या माननीय मुख्यमंत्री जी के क्षेत्र में खर्चा कर लीजिये । माननीय सभापति महोदय, जीरो-जीरो है।

श्री रामविचार नेताम :- माननीय सभापति महोदय, माननीय वरिष्ठ सदस्य हैं। वे जो जानकारी दे रहे हैं, मैं आपके एक-एक प्रश्नों का जवाब अपने भाषण में दूंगा, अभी टोका-टोकी करना थोड़ा उचित नहीं होगा इसीलिये आसंदी का सम्मान करते हुए मैं यह कहना चाहता हूं कि आपको जो भी लगता है कि यह आपत्तिजनक है या इसमें कम हुआ है तो मैं उसके बारे में अपने विभाग की जानकारी लेकर आपको आज ही अपने भाषण के दौरान अवगत कराउंगा ।

श्री दलेश्वर साहू :- माननीय सभापति महोदय, आपने प्रश्न के उत्तर में भी दिया है कि कोई खर्च नहीं किया है । आप अपने भाषण में बताईयेगा, हम सुनेंगे । हम तो प्रतिवेदन के हिसाब से बोल रहे हैं, हमारा कोई पर्सनली लिखा-पढ़ी नहीं है ।

श्री उमेश पटेल :- माननीय मंत्री जी, यह तो प्रतिवेदन में लिखा हुआ है । वे उसी को पढ़ रहे हैं ।

श्री दलेश्वर साहू :- माननीय सभापति महोदय, वह प्रतिवेदन में लिखा हुआ है। आप वर्ष 2023-24 का प्रतिवेदन देख लीजियेगा, उसको पढ़ लीजियेगा । माननीय मंत्री जी, क्या हम इतना गलत बोलेंगे ?

सभापति महोदय :- दलेश्वर जी, मंत्री जी अंत में तो सभी का उत्तर देंगे । आप अनुदान मांगों पर अपनी बात रखिये ।

श्री दलेश्वर साहू :- माननीय सभापति महोदय, आपने विशेष केंद्रीय सहायता आदिवासी उपयोजना का पैसा बिल्कुल खर्च नहीं किया है, वह 2 साल से पेण्डिंग पड़ा हुआ है । आपको ऊपर लेवल से तीसरी बार पैसा नहीं मिलेगा, यह नियम-कानून है कि जब तक आप उपयोगिता प्रमाण-पत्र नहीं भेजेंगे तब तक भविष्य में अच्छी स्थिति नहीं रहेगी । माननीय सभापति महोदय, तीसरा है विशेष केंद्रीय सहायता

अनुसूचित जाति । आपने आदिवासियों के प्रति बेवफाई करने का प्रयास किया, आपने हमारे जो हरिजन लोग हैं, अनुसूचित जाति के लोग हैं उनके ऊपर भी आपने बेवफाई की । आप उस पैसे को भी बिल्कुल खर्च नहीं कर पाये हैं, 200 करोड़ रूपये, जीरो-जीरो-जीरो । क्षेत्रीय विकास अनुबद्ध राशि 5700 करोड़ जीरो-जीरो-जीरो । आप अपने वर्गों के लिये भला नहीं कर पाये और न ही आप अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों के लिये भला कर पा रहे हैं । मैं तो सोचता हूं कि ऐसे में आपको यह कार्यभार दूसरों को दे देना चाहिए । दूसरा है, भारत सरकार ने विशेष रूप से कमजोर जनजाति विकास के लिये एक बढ़िया सा पांडो, मुरिया, विशेष पिछड़ी जाति के लिये एक बढ़िया सी योजना बनायी गयी है । अबूझमाड़, बैगा, बिहोर, कामगार, पहाड़ी, कोरवा यह केंद्र सरकार का भी पैसा है । जिसमें सड़क, पेयजल के लिये बजट का प्रावधान था । स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग दवा सहित मोबाईल मेडिकल यूनिट के लिये पैसा था । लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी पाईप लाईन, सामुदायिक जल पूर्ति । आप इसकी क्यों समीक्षा नहीं करते हैं ? हमें बहुत अखरता है । आप अपनी जगह खर्च कर लेते, अपने ईलाका में खर्च कर लेते । आप अपनी पार्टी के विधायक के यहां खर्च कर लेते लेकिन जब हम उस फीगर को देखते हैं कि खर्च नहीं हुआ है तो हम लोग थोड़ा सा दुखी महसूस करते हैं ।

सभापति महोदय:- दलेश्वर जी, 15 मिनट हो गये।

श्री दलेश्वर साहू :- अभी तो मैंने शुरूआत की है। अभी तो कृषि पर जाउंगा।

सभापति महोदय :- बहुत सारे सदस्यों को बोलना है।

श्री दलेश्वर साहू :- जब मैं सत्य बात बोल रहा हूं तो आप मुझे बोलने का मौका नहीं देंगे।

सभापति महोदय :- नहीं-नहीं, आप बोलिए। लेकिन संक्षेप करिए, बहुत सारे वक्ता हैं।

श्री दलेश्वर साहू :- क्या संक्षेप? मैं बोल रहा था कि मैं फालतू बात नहीं करता।

सभापति महोदय :- समय की मर्यादा है। समय में सभी लोगों को अपनी बात रखनी है।

श्री दलेश्वर साहू :- आप स्वास्थ्य परिवार कल्याण का पैसा 482 लाख रूपये खर्च नहीं कर पाये। आप मोबाइल यूनिट तथा दवा तक नहीं खरीद पाये। आप लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी में पाइप, जल पूर्ति, नल कनेक्शन का भी पैसा खर्चा नहीं कर पाए। हर जनजातियों के अधिकृत घरों में परंपरागत स्रोत के माध्यम से विद्युतीकरण का विषय है, आपने 339 घरों का ही विद्युतीकरण किया, आपका पैसा बचा हुआ है। सभापति महोदय, अब इतना बोलने का मौका नहीं देंगे तो कैसे बनेगा? आदिवासी संस्कृति का संवर्धन के लिए आपके पास 800 करोड़ रूपये है। आप सिर्फ 756 ही खर्च कर पाए, 473 लाख रूपये बचा हुआ है। वर्ष 2024-25 में तो आदिवासी संस्कृति के संवर्धन में तो जीरो, जीरो, जीरो एक भी पैसा खर्च नहीं कर पा रहे हो। आदिवासी विशेष पिछड़ा समूह में आप 12,925 में वर्ष 2023-24 में बिल्कुल खर्चा नहीं कर पा रहे हो। आप क्यों मंत्री बने हो? आप पैसों को खर्च नहीं कर पा रहे हो। आपने 6925, वह भी वर्ष 2024-25 में जीरो, जीरो है। आप क्या उद्धार कर लेंगे? आपको बनाया गया है। आपको

किस विश्वास के साथ मंत्री बनाया गया? आप इतने सीनियर मंत्री हैं। आप पैसे का उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। आदिवासी के ऊपर आपका ध्यान नहीं हैं? अनुसूचित जाति के ऊपर आपका ध्यान नहीं हैं। अब आगे चलते हैं। अल्पसंख्यक प्रीमैट्रिक छात्रावास में 11 करोड़ रूपये का प्रावधान है। आप भारत सरकार द्वारा पोर्टल प्रारंभ नहीं कर पाए हो, आपके पास कितना महीना बचा है? ये आपके प्रतिवेदन में है, मेरा नहीं है। आप ही के द्वारा दिये हुए सूचना तंत्र के प्रतिवेदन में है। अल्पसंख्यक पोस्ट मैट्रिक छात्र-छात्राओं हेतु भारत सरकार द्वारा पोर्टल प्रारंभ, जिसमें 10 करोड़ रूपये का बजट प्रावधान है। आप पोर्टल ही नहीं खोल पा रहे हैं, खर्चा क्या करोगे? अल्पसंख्यक छात्रों के लिए मेरिट कम मीन्स छात्रवृत्ति, उसमें भी भारत सरकार द्वारा पोर्टल प्रारंभ नहीं किया हो। कितना दुर्भाग्यजनक है? मुझे बोलने में बड़ा कष्ट हो रहा है। आप 800 करोड़ का तीन महीने में क्या करोगे? सभापति महादेय, शहीद वीरनारायण सिंह पुरस्कार, इतने महान आदमी, इतने उत्कृष्ट व्यक्ति हैं, के अंतर्गत आपने वर्ष 2023 में किसी का सम्मान नहीं किया। आपका ये हाल है। 5 लाख रूपये से किसी अच्छे व्यक्ति को पुरस्कृत करना था, उस पैसे का भी आपने उपयोग नहीं किया। ले-देकर वर्ष 2024-25 में किए हो और जो किए हो, उसको मैं बता रहा हूं, पर वर्ष 2023-24 में उस पैसे के उपयोग नहीं कर पाए। वनाधिकार पट्टा, व्यक्तिगत अधिकार 5479 प्रकरण प्रक्रियाधीन है। गरीब लोगों का भला कर दो। आप वह भी नहीं कर पा रहे हैं। सामुदायिक वन अधिकार 51 प्रकरण प्रक्रियाधीन है। क्या है? क्या आपके घर का जाता है? सरकारी प्रक्रिया है, नियम प्रक्रिया है। आप समीक्षा कर जाते है तो शायद आपका डिपार्टमेंट करता। आदिम जाति कल्याण भवन एवं आश्रम छात्रावासों में घटित घटनाएं। सभापति महोदय, सरगुजा में आपके आश्रम में एक लड़की खत्म हो जाती है। सुश्री खुशम मनी। महासमुंद में आपके हॉस्टल में एक चांदनी कोसरिया खत्म हो जाती है। जगदलपुर में आपके हॉस्टल में कुमारी अंजना कश्यप खत्म हो जाती है। कोंडागांव में आपके हॉस्टल में गौकरण कुमार खत्म हो जाते हैं। फिर कोंडागांव के एक आश्रम में मोहन भाई खत्म हो जाते हैं। आपकी क्या सुविधा है? शासन द्वारा पूरे बाल बच्चों को, वहां पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए उनके मां बाप द्वारा कितने विश्वास के साथ उस आश्रम में भेजा जाता है। पढ़ाई-लिखाई करने के लिए उसको भर्ती कराया जाता है। वहां मरने की संख्या देखिए। सुकमा में सोडी जांगा, बच्चे की डेथ हो गयी। मुख्यमंत्री के इलाके सरगुजा में भी एक मुकेश तुर्की की डेथ हो गयी। नारायणपुर में सरजूराम कोमेटी, बच्चे की डेथ हो गयी। बीजापुर के तीन आश्रमों में अनिता करसम, कुमारी मंजू पोयम, कुमारी शिवानी तेलम की मृत्यु हुई । यह हाल है, आपके विभाग का । मैं आपसे अपेक्षा करता हूं कि कम से कम पैसे का तो उपयोग करो । आप बहुत सीनियर आदमी हैं, अनुभवी आदमी हैं, आपको बहुत उम्मीदों के साथ मंत्री बनाया गया है ।

सभापति महोदय :- अब कृषि में आ जाइए ।

श्री दलेश्वर साहू :- मैं कृषि में आ जाता हूं । सभापति महोदय, कृषि विभाग का भी यही हाल है । कृषि विकास, किसान कल्याण, जैव प्रौद्योगिकी विभाग, संचालनालय कृषि, उद्यानिकी, छत्तीसगढ़ राज्य जल ग्रहण क्षेत्र, छत्तीसगढ़ राज्य बीज निगम विपणन, छत्तीसगढ़ राज्य बीज कृषि विकास निगम, छत्तीसगढ़ राज्य बीज प्रमाणिक संस्था, छत्तीसगढ़ राज्य कृषक कल्याण परिषद्, राज्य कृषि विस्तार प्रबंधन एवं प्रशिक्षण संस्थान, इंदिरा गांधी कृषि एवं महात्मा गांधी वानिकी महाविद्यलय, ये एक संरचना है, एक घटक है । जिसके साथ हम अपने किसानों के हित में, कृषि पर आधारित जीवन यापन करने वाले लोग हैं, उनके जीविकोपार्जन के लिए हम कुछ करें । शासन प्रतिबद्ध है । किंतु प्रतिवेदन में जो जानकारी आई है, मैं उसके बारे में बताना चाहूंगा । कवर्धा राज्य गन्ना विकास योजना से ओतप्रोत है । 2023-24 में बीज क्रय अनुदान 1740 में से 332 शेष है । हम इसकी क्या समीक्षा करेंगे ? 2024-25 में लक्ष्य के विरूद्ध प्रतिपूर्ति में 2 लाख, 29 हजार 800 लक्ष्य था, 1 लाख, 815 पूतिप्रर्ति हुई, इसकी क्या समीक्षा करेंगे ? यह प्रतिवेदन है, कम से कम 2 प्रतिशत, 3 प्रतिशत, 4 प्रतिशत बता देते तो हम लोग कुछ बोलने लायक स्थिति में रहते । टिशु कल्चर अनुदान 3 लाख, 50 हजार में से 22980 का टारगेट पूरा नहीं किया, 64660 टिशु कल्चर में शेष है । बीज उपचार अनुदान 540 नहीं दे पाए हो । 2024-25 का तो माई-बाप नहीं है, केवल लक्ष्य के विरूद्ध प्रतिपूर्ति लिख दिया गया, इसकी क्या समीक्षा करेंगे ? आगे बढ़ते हैं, लघुत्तम सिंचाई परियोजना, 2023-24 में लघुत्तम सिंचाई योजना का लक्ष्य 110 था आप केवल 43 ही पूर्ति कर पाए, 67 शेष है । 2024-25 में लक्ष्य 100 था, आपने केवल 25 की ही पूर्ति की, 75 कहां गया ? सभापति महोदय, समीक्षा करिये । सभापति जी, आदमी एक-एक योजना के लिए तड़पता है । 2023 में किसान समृद्धि नलकूप योजना का विशेष लक्ष्य है 1415 में से 280 शेष है । 2024-25 में लक्ष्य था 3200, आपने लक्ष्य बहुत अच्छा रखा लेकिन क्या आप प्रतिपूर्ति कर पा रहे हो ? 2864 शेष हैं । 2023-24 में 280 शेष है । आप किसानों का क्या उद्धार करोगे ? सभापति महोदय, बड़ी-बड़ी बात करने से कुछ नहीं होगा । किसान समृद्धि नलकूप जैसी योजना का टारगेट आप पूरा नहीं कर पा रहे हो । शाकंभरी योजना, यह आपके ही विभाग की है । किसनों के खेतों में 180 पम्प लगाना था, आप केवल 77 की प्रतिपूर्ति कर पाए । 15558 पम्प देना था, आप सिर्फ 11616 को ही दे पाए । इस तरह आपकी सारी योजनाएं फेल हैं, आप समीक्षा नहीं कर पा रहे हो । अधिकारी ऊपर चढ़ा हुआ है, आपको केवल आदिवासी होने के नाते, गोलमोल जवाब दे रहे हैं, वह तो मैंने प्रतिवेदन पढ़ लिया, घर नहीं जाता तो यह भी नहीं पढ़ पाता ।

घटक, पेडी ट्रांसप्लांटर मशीन धान से रोपाई का अनुदान । 409 हेक्टेयर का है, आप 374 हक्टेयर ही कर पाए और 2024-25 में तो जीरो-जीरो । आपका यह साल तो गया, पता नहीं तीन महीने में क्या कर लोगे ।

सभापति महोदय :- दलेश्वर जी, आपको 22 मिनट से ज्यादा समय हो गए और भी वक्ता हैं, जल्दी समाप्त करिए।

श्री दलेश्वर साहू :- सभापति महोदय, मैंने बहुत मेहनत की है। मंत्री जी ध्यान से सुन रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, कम से कम असर तो पड़ेगा। मैं फटाफट पढ़ रहा हूं। आपने प्रदेश में बिगड़े मौसम, ओलावृष्ट, बेमौसम बारिश फसल बीमा का मुआवजा नहीं दिया है। आपने किसानों को फसल बीमा योजना हेतु 44 करोड़ 84 लाख 92 हजार 164 रूपए की स्वीकृति की है, उसमें से 21 करोड़ 45 लाख 62 हजार 36 रूपए मुआवजे की राशि शेष है, इसको कब दोगे ? यह कितना दुर्भाग्य है, आपने जो स्वीकृति कर दी है, उसका तो पैसा दे दीजिए।

सभापति महोदय, प्रधानमंत्री सिंचाई योजना। स्प्रिंकलर ड्रीप कितना महत्वपूर्ण है। आपने वर्ष 2023 में बजट ही नहीं रखा, 0, 0 कर दिया, आपने इसके लिए बजट क्यों नहीं रखा बजट रखना चाहिए था ? स्प्रिंकलर की जरूरत किसको नहीं है, ड्रीप सेट की जरूरत किसको नहीं है ? आपने वर्ष 2024-25 में 16351 का लक्ष्य रखा, इसमें आपकी प्रतिपूर्ति में 9285 शेष है, ये हाल है।

सभापति महोदय, स्वायल हेल्थ कार्ड योजना है। ये पूरा [xx] है। इसमें इतना [xx] काम हुआ है, इसमें स्वायल हेल्थ कार्ड योजना केमिकल खरीदी के भंडारण, क्रय नियम के उल्लंघन के प्रारंभिक जांच में दोषी पाए गए। आपने कार्रवाई की पर जांच प्रक्रियाधीन है। इसमें एक व्यक्ति की मृत्यु भी हो गई, इसमें से 7 अधिकारियों के उपर आरोप लगा था, एक अधिकारी की मृत्यु भी हो गई, शेष अधिकारियों के विरूद्ध कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। मैं आपको ये भी बता देता हूं कि ये [xx] डाटा है तभी तो अधिकारियों के उपर कार्रवाई हुई है।

सभापति महोदय, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना है। रागी फसल प्रदर्शन में आपका लक्ष्य 5417 था जिसमें वर्ष 2023 में 1233 की प्रतिपूर्ति कर पाए, 4184 का फसल प्रदर्शन नहीं कर पाए। मैं वर्ष 2024-25 की बात कर रहा हूं, आपका लक्ष्य 5211 है, इसमें 3885 शेष है, 1316 ही कर पाए।

सभापति महोदय, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन टारगेटिंग राईस फैलो एरिया। दलहन स्वीकृत ही नहीं हुआ। वर्ष 2023 में स्वीकृति ही नहीं हुआ। आपने वर्ष 2024-25 में स्वीकृत भी किया तो आप इस साल के टार्गेट को पूरा नहीं कर पा रहे हो, आप वर्ष 2021, 2022, 2023 का पैसा दे रहे हो। इस समय का क्या होगा ? आपने प्राप्त आवंटन 811 लाख को वर्ष 2021, 2022, 2023, 2024 में खर्च किया है, अगर आप वर्ष 2023-24 में बजट दिए रहते तो शायद ये समस्या नहीं आती। आपने वर्ष 2023-24 में आवंटन ही नहीं की, अभी इस साल के पैसे को वर्ष 2021, 2022, 2023, 2024 में दे रहे हो। तिलहन में भी समीक्षा कर लीजिएगा।

सभापति महोदय, उद्यानिकी विभाग का माई बाप नहीं है। राज्य पोषित सूक्ष्म सिंचाई योजना। सूक्ष्म सिंचाई योजना का घटक ड्रीप है, इसमें 400 का लक्ष्य था, आपने इसमें थोड़ी सी प्रोग्रेस की है, इसमें सिर्फ 11 शेष है। वर्ष 2024-25 में लक्ष्य 547 था जिसमें आपने 392 की है 155 शेष है।

सभापति महोदय, सामुदायिक फेंसिंग योजना। आपकी ऐसी-ऐसी योजना है जिसमें शेष है, आप लक्ष्य की पूर्ति नहीं कर पा रहे हो। इसमें 31 शेष है, वर्ष 2025-26 में 801 शेष है, आप तार फेंसिंग किसानों को दे देते अच्छा होगा। आपने रोपण अधोसंरचना का पैसा नहीं दिया। आपने रोपण पौधा उत्पादन बीज के लिए बजट ही नहीं रख पाया है। मैं विस्तार मं जाऊंगा तो बहुत समय लगेगा। वार्षिक प्रतिवेदन 2024-25 रोपण अधोसंरचना विकास का लक्ष्य और प्रतिपूर्ति में अंतर क्यों है, ये बड़ी विडंबना है। आपका प्रतिवेदन वर्ष 2023 में कुछ अलग है, आपने उसी आंकडे को वर्ष 2023-24 के प्रतिवेदन में दिया है, वह आंकड़ा अलग है। मंत्री जी, इसमें आपको बहुत गंभारतापूर्वक मनन करना पड़ेगा। वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2024-25 में रोपण अधोसंरचना विकास के लक्ष्य और प्रतिपूर्ति में अंतर क्यों है ? यह बड़ी विडम्बना है। वर्ष 2023 में आपका प्रतिवेदन कुछ बोलता है। वर्ष 2023 के फिगर को वर्ष 2023-2024 के प्रतिवेदन में लिया गया है। वह फिगर अलग है। मैं तो चाहता हूं कि आपको इसपर बहुत गंभीरतापूर्वक मनन करना पड़ेगा। वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष-2024 में रोपण अधोसंरचना विकास के लक्ष्य और प्रतिपूर्ति में अंतर क्यों हैं ? सब्जी विस्तार में आपने लक्ष्य से अधिक खर्च कर लिया है। अब यह कहां से इतना बड़ा लक्ष्य आ गया? आपका लक्ष्य 7 हजार, 764 हेक्टेयर है और आपकी प्रतिपूर्ति 11 हजार, 745 हेक्टेयर दिखा रहा है। यह आपने कमाल कर दिया। आपका इतना लक्ष्य नहीं है तो आपने कैसे छलांग लगा दिया ? यह विडम्बना है। इस प्रतिवेदन में कितनी त्रुटियां हैं। अब इसमें हम क्या समीक्षा करेंगे ? आपका लक्ष्य अलग है और आप प्रतिपूर्ति में ज्यादा दिखा रहे हैं। फसल क्षेत्र विस्तार को आप थोड़ा नोट कर लीजिएगा। मशरूम, 0-0-0। मशरूम का टारगेट तो आपने इस साल का भी नहीं दिया है और न अगले साल का दिया है। प्रशासकीय प्रतिवेदन वर्ष-2023-2024 में मशरूम उत्पादन में लक्ष्य 12-12 था। अब यदि आप इसी को वर्ष 2025 के प्रतिवेदन में पढ़ेंगे तो यह 0-0 है। यदि आप वर्ष 2023 के प्रतिवेदन में पढ़ेंगे तो वह 12 दिखा रहा है। इसमें इतना विरोधाभास है। आपका प्रतिवेदन टोटल फर्जी है। आंख मूंदकर बिना सोचे-समझे यह केवल विधायकों के लिए बना दिया गया है।

सभापति महोदय :- दलेश्वर जी, आप एक मिनट में समाप्त करिये।

श्री दलेश्वर साहू :- माननीय सभापति महोदय, यह आखिरी है। पुष्प क्षेत्र विस्तार में आपने 1 हजार, 323 में 1 हजार, 273 के लक्ष्य को वर्ष 2023-2024 में भी पूरा नहीं किया। वर्ष 2023-2024 में पुष्प क्षेत्र विस्तार में 1 हजार, 76 शेष है। घटक मसाला। सभापति महोदय, इस पर क्या बालेंगे ? यह प्रतिवेदन इतना रॉन्ग है कि अब मुझे इसको पढ़ने की इच्छा भी नहीं हो रही है।

सभापति महोदय :- अब आप मत पढ़िये। (हंसी) बाकी आगे है। भावना बोहरा जी।

श्री दलेश्वर साहू :- सभापति महोदय, मैं आगे पढ़ता हूं। यह प्रतिवेदन इतना रॉन्ग है और इसमें इतना अंतर है। मेरा आपसे एक निवेदन है। आप मेरा कष्ट सुन लीजिए।

सभापति महोदय :- दलेश्वर जी, आप समाप्त करिये।

श्री दलेश्वर साहू :- बस, यह आखिरी है।

सभापति महोदय :- नहीं, आपको बहुत समय हो गया।

श्री दलेश्वर साहू :- सभापति महोदय, मेरे आलीवारा गांव में किसान सुविधा केन्द्र स्थापित है और उसके लिए बिल्डिंग बन चुकी है। ई.आर.ई.एस. ने बिल्डिंग बना ली है। चूंकि हमारे साथ जुड़े हुए सारे लोग आधुनिक टेक्नोलॉजी में खेती करते हैं। इजरायली पद्धति में खेती करते हैं तो हमको प्लांट एनालिसिस का लैब चाहिए। हमारा भवन बना दिया गया है। आपने नहीं दिया है, बल्कि हमारी सरकार ने दिया है, परंतु वहां पर।

सभापति महोदय :- दलेश्वर जी, आप सुनिये।

श्री दलेश्वर साहू :- सभापति महोदय, मेरी आखिरी मांग है। मैंने इतना बोला है।

सभापति महोदय :- एक मिनट।

श्री दलेश्वर साहू :- सभापति महोदय, प्लीज, मैं आपके हाथ जोड़ता हूं। मुझे मंत्री जी से एक निवेदन करना है। मेरी एक आखिरी मांग है।

सभापति महोदय :- दलेश्वर जी, आप सुनिये तो। मैं आपको मना नहीं कर रहा हूं। मैं आपको यह कह रहा हूं कि आपने इतने देर तक मंत्री जी से कहा कि आप कोई काम के नहीं हैं, आपने कुछ नहीं किया है, फिर आप उनसे उम्मीद कर रहे हैं। (हंसी)

श्री दलेश्वर साहू :- सभापति महोदय, भय बिन होय न प्रीत। कहीं न कहीं तो है।

सभापति महोदय :- आप यही बात पहले बोलते। (हंसी)

श्री दलेश्वर साहू :- सभापति महोदय, मेरे यहां किसान सुविधा केन्द्र की बिल्डिंग बन चुकी है। उसकी पोताई हो गई है और फीता नहीं कटा है। हमारे कलेक्टर साहब भी डी.एम.एफ. फण्ड के पैसे देना चाहते हैं, मैं भी कुछ पैसे देना चाहता हूं, परंतु आप थोड़ा सा उसके लिए रास्ता निकाल दीजिएगा। उसके लिए पत्राचार चल रहा है। मैंने इसपर प्रश्न लगाया है तो क्या आपको मालूम है कि आलीवारा में किसान सुविधा केन्द्र संचालित है और उसकी बिल्डिंग बन गई है ? इनका क्या-क्या पत्राचार हुआ है ? डी.डी.ए. ने क्या पत्र भेजा है ? तो उसमें लिखा है कि हम प्रश्नों के उत्तर बाद में देंगे। अभी हम एकत्रीकरण कर रहे हैं। यह हाल है। मैंने केवल पत्राचार की जानकारी पूछी है और मैंने पैसे भी नहीं मांगे हैं, परंतु आपने उसमें क्या प्रोसेस किया है? हम उसमें पैसे देना चाह रहे हैं और हमारे कलेक्टर साहब भी पैसे देना चाह रहे हैं, परंतु प्लांट एनालिसिस का जो लैब है, उसके लिए आप कम से कम खरीददारी का रास्ता निकाल दीजिए। यह तो शासन का है। यदि आप ही instrument खरीदकर दे देंगे तो हमारे किसानों का भला हो

जायेगा। मैं आपसे यह मांग करना चाहता हूं। दूसरा, हमारे लोक मड़ई में विगत कई वर्षों से कृषि मेला हो रहा है। जब छत्तीसगढ़ नहीं बना था, तब मध्य प्रदेश से वह संचालित हो रहा था। आज भी हम ले-देकर कैसे भी उसको संचालित करते हैं। पिछले समय मण्डी बोर्ड के थोड़े-बहुत पैसे लगातार मिलते रहे, लेकिन आपने उसको नहीं दिया। विभाग को प्रस्ताव भी भेजा है। आज भी हमारे कुछ लोगों का टेण्ट हाऊस का यह सब देना बाकी है। मैंने आपसे निवेदन भी किया कि आप आ जाइये। आप अतिथि हैं। आपकी ही फोटो लगेगी और आपके ही विभाग का प्रदर्शन लगेगा, परंतु आप नहीं आये और न ही आपने पैसे दिये।

सभापति महोदय :- मंत्री जी, आप मेला शुरू करवा दीजिएगा और जाइयेगा। चलिये, आप समाप्त करिये। भावना जी।

श्री दलेश्वर साहू :- सभापति महोदय, मैं आपसे दो चीजों की अपेक्षा करता हूं। माननीय मंत्री जी, मेरे यहां जो किसान सुविधा केन्द्र का भवन बना है, उसका आप instrument लगा दीजिए, प्लांट एनालिसिस के लिए मशीन दे दीजिए और मृदा प्रशिक्षण के लिए मशीन adopt कर दीजिये। चाहे वह विदेश से आये या कहीं से भी आये। वह यहां पर मिलने वाली नहीं है। अगर हमारे अपने शरीर में थोड़ा सी भी तकलीफ होती है तो पूरे शरीर की जांच करवाते हैं। अगर हम लोग इतनी अधिक लागत में खेती करते हैं तो कम से कम प्लांट एनालेसिस लैब स्थापित हो जाये, उसकी बिल्डिंग बनकर तैयार है। इस साल 2025 का कृषि मेला हमारे राजनांदगांव में आपके मार्गदर्शन में, आपके आशीर्वाद में होना चाहिए। सभापति महोदय, इन्हीं भावनाओं के साथ कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, उसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्रीमती भावना बोहरा (पंडरिया) :- माननीय सभापति महोदय, धन्यवाद। मैं वर्ष 2025-26 के कृषि एवं कृषि विभाग से संबंधित अनुदान मांगों पर, उसके पक्ष में अपनी बातें रखने के लिए यहां पर खड़ी हुई हूं। लेकिन उसके पहले एक बात जरूर बोलना चाहूंगी। अभी हमारे माननीय सदस्य ने बहुत सारे विषयों पर प्रकाश डाला, उन्होंने उन विषयों का बहुत गहन अध्ययन किया होगा । लेकिन मुझे यहां पर एक चीज जरूर सीखने को मिला है, वह यह है कि अनुभव कहां पर किस जगह काम आती है। जिस तरीके से हमारे आदरणीय कृषि मंत्री जी ने उनकी सारी बातों को बहुत गंभीरता के साथ सुना और लगातार यह विषय आया कि आपने कुछ नहीं किया, आपने कुछ नहीं किया। मुझे लगता है कि 10 से 12 पन्ने थे, माननीय सदस्य ने उसको पढ़ा है और आदरणीय मंत्री जी ने उस विषय रखा तभी उन्हें उसको समय पढ़ने का मौका मिला। तो मुझे लगता है कि जितने हेड में जो भी राशि का प्रावधान रखा गया है, उसके बाद भी कुछ नहीं किया, सुनने के बाद भी मंत्री जी जितने शांत मुद्रा में बातों को लिखा, निश्चित ही हमें, खासकर मुझे आज यहां सदन में काफी कुछ सीखने को मिला है।

माननीय सभापति महोदय, मैं अपनी बात शुरू करने से पहले एक बात जरूर बोलना चाहूंगी, जब भी बजट की बात आती है, विभिन्न विभागों के अनुदान मांगों पर चर्चा होती है तो विपक्ष के द्वारा एक विषय को जरूर कहा जाता है आपने महतारी वंदन योजना में इतने पैसे दिये। अभी हमारे माननीय सदस्य महोदय ने कहा कि महतारी वंदन योजना में इतना पैसा क्यों दिया ? मैं एक महिला होने के नाते भी, जनप्रतिनिधि होने के नाते भी इस विषय पर बिलकुल भी बोलना चाहूंगी कि अगर इसमें सरकार के माध्यम से बजट में महिलाओं को आगे बढ़ने के लिए, उन्हें सशक्त होने के लिए मौका मिल रहा है, उनके लिए बहुत बड़ी राशि का प्रावधान किया गया है तो इससे मुझे नहीं लगता है कि ..।

श्री दलेश्वर साहू :- मैडम, आप मुझे विरोधी बना रहे हो। दो मिनट, मैं उलझकर रह गया हूं, बोला हूं। मैं उसका विरोधी नहीं हूं। आप अपने भाषण में ऐसा कह रहे हो कि मैं महिला विरोधी हूं। मैं महिला समर्थक हूं, मैं विरोधी नहीं हूं।

श्रीमती भावना बोहरा :- मैंने कहा कि बहुत ही सम्मानित सदस्य, मैंने आपको यह नहीं कहा कि आप महिला विरोधी हैं। माननीय सभापति महोदय जी, मेरा भाषण दिखवा लिया जाये।

श्री दलेश्वर साहू :- आप उसमें उलझ गये हो, बस इतनी बात किया हूं।

श्रीमती भावना बोहरा :- माननीय सभापति महोदय जी, मेरा भाषण दिखवा लिया जाये, मैंने बिलकुल यह नहीं कहा कि आप महिला विरोधी हैं। मैंने यह कहा कि महतारी वंदन योजना पर बात करो उसके बजाय बजट को लेकर प्रश्नचिन्ह क्यों लगाया जाता है, मैंने सिर्फ स्पष्ट किया। मैंने किसी को महिला विरोधी नहीं कहा है। वह आपके भाषण से जनता स्वयं समझ जाती है कि कौन महिलाओं के पक्ष में खड़ा है और विपक्ष में खड़ा है, मुझे सदन में बोलने की बिलकुल भी जरूरत नहीं है।

माननीय सभापति महोदय, मैं सबसे पहले माननीय कृषि मंत्री को बहुत-बहुत बधाई देना चाहूंगी कि जिस तरीके से महतारी वंदन योजना के लिए बड़ी राशि का प्रावधान किया गया है, छत्तीसगढ़ में महिलाओं की संख्या और अपने सशक्तिकरण के लिए बढ़ी हैं, आगे आई हैं, उसी तरीके से किसान भी कहीं न कहीं छत्तीसगढ़ का अभिन्न हिस्सा रहा है। हम छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहते हैं, मुझे लगता है कि इस अनुदान मांग में पूरी पारदर्शिता के साथ किसान भाईयों के साथ न्याय करने का पूरा प्रयास किया गया है। अन्नदाता सुखी भव: का संकल्प लेकर अनुदान मांग प्रस्तुत किया गया है, बहुत ही सराहनीय अनुदान मांग है। यह अनुदान मांग विशेष रूप से किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए बहुत सारे विषय है, जिनके बारे में इस सदन में बातें जरूर रखनी चाहिए। 16 हजार करोड़ रूपये का अनुदान मांग है, उसमें सबसे बड़ा भाग कृषि उन्नति योजना को लेकर है, लगभग 10 हजार करोड़ रूपये का भारी-भरकम राशि इसमें दिया गया है। हम सभी अच्छी तरह से वाकिफ हैं कि हमारा छत्तीसगढ़ धान का कटोरा है। यहां पर जिस तरीके से धान का उत्पादन बढ़ रहा है, जिस तरीके से धान का रकबा बढ़ रहा है, उसी तरीके से इस अनुदान मांग में राशि भी बहुत अच्छा दिया गया है। अगर हम धान

खरीदी की बात देखें तो मुझे नहीं लगता है कि किसान भाईयों को कभी किसी प्रकार की परेशानी रही हो। यदि पिछले वर्ष के धान खरीदी की बात करें या चाहे हम इस वर्ष के धान खरीदी की बात करें तो मुझे लगता है कि काफी स्मूदली काम हुआ है। निश्चित ही बहुत बड़ी राशि किसानों की जेब में, उनके खातों में माननीय कृषि मंत्री जी के माध्यम से, हमारी सरकार के माध्यम से दिया गया है।

मानीय सभापति महोदय, सिंचाई एवं मुफ्त बिजली की बात करूं तो सिंचाई के लिए लगभग 7 सौ करोड़ का प्रावधान रखा गया है। वहीं मुफ्त बिजली के लिए 35 सौ करोड़ रूपये का प्रावधान रखा गया है। हम सब जानते हैं कि लगातार जल का स्तर गिरता जा रहा है। निश्चित ही अब सिर्फ पारंपरिक वर्षा पर निर्भर न रहकर बहुत सारे जल स्त्रोतों के माध्यम को भी ढूंढना पड़ेगा। मुझे लगता है कि जल स्त्रोत लगातार कम हो रहे हैं तो निश्चित रूप से इससे कृषि प्रभावित होगी। तो इन विषयों पर भी थोड़ा सा संज्ञान लें कि कम पानी से अधिक फसल पैदा हो, चाहे ज्वार की बात करूं, दाल की बात करूं, मुझे लगता है उस पर भी थोड़ा सा फोकस होना चाहिए। क्योंकि सिर्फ धान का रकबा बढ़ रहा है तो बाकी फसलें नेगेलीजेंसी में जा रही है, उसमें थोड़ा और प्रोत्साहन होना चाहिए था। उसके अलावा अगर मैं डिजिटल कृषि की बात करूं तो ड्रोन तकनीक और डिजिटल फसल की निगरानी के लिए एक हजार करोड़ रूपये का निवेश किया गया है। चूंकि हम 21वीं सदी में हैं और हम 21वीं सदी में खेती कर रहे हैं तो निश्चित रूप से ड्रोन तकनीक के माध्यम से हमको आगे काफी मदद मिलेगी। मुझे लगता है कि इसका सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा महिला ड्रोन दीदी का कांसेप्ट है। वह कहीं न कहीं कृषि क्षेत्र में भी महिलाओं को सम्मान देने के लिए जो महिला ड्रोन दीदी का तकनीक निकाली गई है, वह बहुत ही प्रोत्साहनीय है। यदि हम विशेष रूप से समय की बचत की बात करें तो ड्रोन तकनीक से समय की बचत भी होती है और साथ ही अगर कोई महिला खेत में दिन भर में 200 रूपये कमा रही है तो वहीं ड्रोन तकनीक के माध्यम से महिलाओं को 450 से 500 रूपये तक भी कमाई होती है। मुझे लगता है कि यह उनके लिए काफी अच्छा माध्यम रहा है। इसके अलावा दीन दयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषक कल्याण योजना के लिए 600 करोड़ रूपये का बजट दिया गया है। आज भी जब हम फिल्ड में जाते हैं तब यह बात आती है कि मेरे पास खेत नहीं है, मेरे पास जमीन नहीं है, मैं कैसे खेती करूं या मुझे कैसे खेती का लाभ मिल सकें? निश्चित ही इसमें सालाना दस हजार रूपये देने की योजना बनाई गई है, वह बहुत ही सराहनीय पहल है। उसके अलावा फसलों का विविधीकरण का एक विषय है, जिसमें मुझे लगता है कि उस पर ध्यान दिया जाना चाहिए। अभी मैंने चर्चा की कि जिस तरीके से लगातार जल स्तर गिर रहा है। धान की अन्य फसलों में पानी की ज्यादा आवश्यकता होती है, उसके अलावा अन्य फसलों जैसे दाल, तिलहन की खेती को बढ़ावा देने के लिए कोई ठोस कदम जरूर उठाना चाहिए। वॉरेन बफेट महोदय जी, जो फाइनेंशियल इनवेस्टर हैं, मुझे इस समय उनकी एक लाईन याद आ रही है। उन्होंने यह कहा था कि एक अंडे या एक ही प्रकार के फलों को अगर एक टोकरी में रखेंगे तो निश्चित ही एक फल के साथ-साथ

सारे फल खराब होंगे। उसी तरीके से यदि एक ही फसल का बोझ हमारे किसानों या हमारी खेती पर पड़ेगा तो मुझे लगता है कि कहीं न कहीं चाहे हम बजट की बात करें या चाहे किसानों की आमदनी की बात करें, उस पर भी उसका असर दिखेगा। इसलिए मैं निवेदन करूंगी कि हमारे पास जो विभिन्न कृषि महाविद्यालय हैं, उनके माध्यम से नई तकनीकों एवं नई फसलों को प्रोत्साहन मिलना चाहिए। चूंकि मैं पंडरिया विधान सभा क्षेत्र से आती हूं। इससे संबंधित मेरी कुछ मांगें हैं, जिस पर विशेष रूप से पंडरिया में कृषि कॉलेज स्थापना के लिए मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी। चूंकि पंडरिया में जल स्तर लगातार जल संकट बना हुआ है। वहां स्थिति यह है कि गांवों में पीने के लिए पानी नहीं है तो खेती की समस्या और विकराल होती जा रही है। इसीलिए मैं आदरणीय मंत्री महोदय जी से निवेदन करूंगी कि हमारे पंडरिया विधान सभा क्षेत्र के ठाठापुर में कृषि कॉलेज की आवश्यकता है। मैं पहला निवेदन करना चाहूंगी कि वहां ऐसा कृषि कॉलेज हो, जिसमें कम पानी वाले फसलों को बढ़ावा देने के लिए शोध हो सके। उसके अलावा गन्ना किसानों को प्रोत्साहन देने के लिए इसमें 600 करोड़ रूपये का प्रावधान रखा गया है। मैं जिस पंडिया विधान सभा क्षेत्र से आती हूं, वहां शक्कर कारखाना है, जिसकी जिसकी रैंकिंग सिर्फ छत्तीसगढ़ में ही नहीं बल्कि भारत में नंबर 1 व नंबर 2 पर है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगी कि पंडरिया में गन्ना शोध केन्द्र की स्थापना करायी जाये, जिसमें गन्ने के नई किस्मों और रोग प्रबंधन के लिए जो नई तकनीक आती है, उसमें उसका समावेश किया जा सकें। उसके अलावा एक विषय है जो मुझे लगता है कि निश्चित ही उसके बारे में चर्चा होनी चाहिए, वह अनाज बाजार में उचित प्रतीक्षा एवं शौचालयों की व्यवस्था के संबंध में है। मैंने पहले भी कहा है। हम चाहे सहकारी सोसाइटियों के बारे में बात करें या चाहे विभिन्न धान खरीदी केन्द्रों की बात करें, वहां पर हमारे अन्नदाता किसान लगातार तपती धूप में घंटों लाईन में खड़े रहते हैं। वहां उनके लिए पीने के पानी तक की व्यवस्था नहीं हो पाती है। मैं उनके लिए एक जरूर मांग करना चाहूंगी कि वहां पर उनके लिए एक उचित प्रतीक्षालय, शौचालय एवं पीने के पानी की व्यवस्था कराई जाये। मैंने विशेष रूप से इस बात पर पहले भी ध्यानाकर्षित कराया है। मैं आज फिर इस विषय पर बोलना चाहूंगी। अध्यक्ष महोदय, ग्रामीण सड़क योजना के तहत पी.एम. ग्राम सड़क योजना में 845 करोड़ रूपये का प्रावधान और पी.एम. जनमन योजना में लगभग 500 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है। मुझे लगता है कि किसी भी गांव का पहुंच मार्ग उसकी बहुत मूलभूत सुविधाओं में से एक है क्योंकि अगर उस रास्ते से बच्चों को स्कूल जाना हो या किसी मरीज को हॉस्पिटल तक पहुंचना हो तो जब तक सड़क सुदृढ़ नहीं होगा तब तक वहां आगे व्यवसाय का कोई प्रावधान नहीं बन सकता है और वहां उचित मूलभूत सुविधाओं की भी कमी रहती है। मुझे लगता है कि इसमें काफी अच्छा बजट रखा गया है। यह सारी चीजें जो बजट में शामिल है, जिस उद्देश्य से बजट बनाया गया है , उस उद्येश्य की पूर्ति कर पाये । सभापति महोदय, कुछ और बातें हैं, खासकर फसल बीमा योजना की तरफ मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगी कि

इस योजना में बजट जरूर होता है, चाहे वह पटवारी हो, अधिकारी हों, फसल खराब होने पर स्थल निरीक्षण किया जाता है, उस समय बहुत सारी गड़बड़ियॉ देखने को मिलती है । सभापति महोदय, बजट में प्रावधान तो होता है, लेकिन वह सही व्यक्ति तक पहुँच पा रहा है, जिसका वास्तव में फसल नुकसान हुआ है, क्या उसे बीमे की राशि मिल पा रही है ? सभापति महोदय, अगर मैं चना की बात करूँ तो किसानों को बीमे के लिये बहुत लंबी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, इसका सरलीकरण होना चाहिये । उसी तरह से भंडारण और कोल्ड स्टोरेल को लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में निवेश बढ़ाने की जरूरत है, मैं इस ओर भी माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगी । सभापति महोदय, मैं विशेष रूप से कहना चाहूँगी कि महिला किसान खेत में सिर्फ बुआई और जोताई के काम में लगी रहती है, महिलाओं को कृषि में आगे लाने के लिये कोई ठोस कदम उठाना चाहिये । माननीय सभापति महोदय, मैं बजट का समर्थन करते हुये आदरणीय मंत्री जी को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी कि समस्याओं का निराकरण शीघ्र होगा । आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, धन्यवाद ।

सभापति महोदय :- श्री रामकुमार यादव जी ।

श्री रामकुमार यादव (चन्द्रपुर) :- सभापति महोदय जी, धन्यवाद । सभापति महोदय, हमारे बहुत ही सम्मानित एवं वरिष्ठ मंत्री जी ह अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के साथ किसान बर अनुदान मांग करे हे, मैं वोखर चर्चा बर खड़े हंव । सभापति महोदय, जब किसान के बात करे जाथे, अऊ छत्तीसगढ़ में जब एखर चर्चा होथे, त पूरा प्रदेश में छत्तीसगढ़ ला धान के कटोरा के नाम से जाने जाथे। आज इही विषय म इंहा चर्चा होवथे, त मोला सुरता आथे, वो किसान जौन हा ए धरती के सीना ला चीरके अन्न उपजाथे, जब पानी गिरथे त किसान ए नई देखय कि अंधियार म जाहूँ त मोला सांप-बिच्छी चाब दिही । किसान ह दौड़त-दौड़त जाके खेत के पानी के मुंही ला बांधे के प्रयास करथे ।

श्री अजय चन्द्राकर :- तै बोलथस तेन कते प्रतिवेदन में लिखाय हे ?

श्री रामकुमार यादव :- वोहा तुंहरे प्रतिवेदन में लिखाय हे ।

श्री अजय चन्द्राकर :- ये प्रतिवेदन में नरवा, गरवा, घुरवा, बारी भी हे । तैं ओमा बोल ।

श्री रामकुमार यादव :- मैं सब जानथंव ऑकड़ा वाला नेता अव ।

सभापति महोदय :- रामकुमार जी, विषय पर आईये । आप इधर ध्यान करिये ना, उधर ध्यान मत करिये ।

श्री रामकुमार यादव :- एमन सिर्फ आंकड़ा वाला काम करइया ए । एमन ला काम कुछ नइ करना हे, खाली आंकड़ा पेश करना हे, लेकिन मैं जो गांव म देखथंव, जो महसूस करथंव, वोला बोलथंव । ए महाज्ञानी ...।

श्री धरमलाल कौशिक :- रामकुमार, तैं त बोलथस मोर खेती खार नई ए । किसान के बारे म तैं काय जानबे ? अऊ किसान के काय हित करे हावय ? तैं हा काय जानबे ? तेखर सती तैं समर्थन कर,

अऊ तैं समर्थन करके कुछू काहीं मांग ले। कुछ नई मांगस त कम से कम बिहाव कराय ल त बोल दे कि कब तक कुंवारा रइहंव ? मंत्री जी हा व्यवस्था करही ।

सभापति महोदय :- माननीय सदस्यों से आग्रह है कि उनको अपनी बात रखने दें । 10 मिनट का समय है ।

श्री रामकुमार यादव :- सभापति महोदय, आज एमन ला कोन बताय कि किसान के प्रकार के होथे ? किसान तीन प्रकार के होथे । सुनौ, गौटिया हो । एक किसान होथे जेन सिर्फ किताब म हिसाब लेथे, कतका धान कहां ले आईस, कतका ला कहां पे छूटना हे, सिर्फ ए.सी. रूम में काम करथे । सभापति महोदय, दूसरा परकार के किसान जेन हा खेत म नागर जोतत रथे, त किसान जाके कथे अऊ नागर के मुठिया ला धरथे, अऊ 10-20 मिनट नांगर जोतथे, वहू किसान ए । सभापति महोदय, तीसरा परकार के किसान वो हरै जौन अपन स्वयं खून पसीना से खेती करथे, जो खुद अपन खेती करथे । ए जतका हमर बइठे हे ना, कौशिक जी हे, चन्द्राकर जी हे, एमन किसान नो हे, तीसरा प्रकार के किसान हे । ये जतका बइठे हे न, हमर कौशिक जी हे, चन्द्राकर जी हे, ये मन किसान नो हय, ए मन कम्प्यूटर मा बइठके हिसाब करने वाला किसान हे, ए मन पहला किसान हे । ए मन खेत ला नहीं जानय ।

श्री आशाराम नेताम :- तै ह कौन सा वाले किसान आस ।

श्री रामकुमार यादव :- मैं हर गरीब । तुंहर रापा ला लेकर खेत ला खॉचने वाला किसान आंव, मैं अधिया-धधिया बोने वाला किसान आंव ।

श्री आशाराम नेताम :- तै ह गमला में गोभी उगाने वाला किसान आस का ।

श्री अजय चन्द्राकर :- रामकुमार जी, तीनों प्रकार में भूपेश बघेल जी कौन सा किसान ए, तेला बता ।

श्री रामकुमार यादव :- ओ ह नांगर जोते वाला किसान ए, पसीना बहाने वाला किसान ए । तुंहर कस नो हय, कम्प्यूटर मा हिसाब करथौ कि कितना आया, कितना गया । ये वाला किसान तुमन आव । एक समय रिहीसे, जब हमर देश 1947 में आजाद होईस और जब किसानी करे के काम शुरू करने त ओ समय किसान के सम्मान अतका रहाय कि हर किसान ह अपन बेटा ला किसान बनाना चाहै । कहीं पर नौकरी लग जतिस तो कहाय कि मोर बेटा ला मैं नौकरी नहीं करन दव, मैं अपन बेटा ला किसानी कराहौं । अइसने कहाय, लेकिन जईसे आज उम्मीद करत रेहेन कि हमर गरीब के बेटा, हमर आदिवासी समाज के मसीहा के रूप में हमन नेताम जी ला मानबो, कहात रेहेंन । जब ओला किसानी के कलम मिलिस, पॉवर मिलिस तो हमन कहात रेहेंन कि बढ़िया से बजट बनाही, लेकिन आज बजट ला देखे से मोला निराशा होवथे । आज आप अईसे बजट बनातेव त किसान कहितिस, आप किसान के बेटा आव। मोर बेटा ला मैं नौकरी नहीं करन दंव, मैं किसानी कराहवं । अईसने अच्छा बजट बने हे, कहितिस त मैं तुंहर बजट ला ताली बजाके पास करवा देतेंव, लेकिन अइसन नहीं होए हे।

सभापति महोदय, आज मैं पशुपालन के बारे में कहना चौहथौं । जब हमन लईका रेहेन त देखन कि गांव-गांव में गरीब आदमी जईसे कि बड़े आदमी अउ गरीब आदमी में कईसे अंतर होथे, मंत्री जी ए बात ला सुनिहौ । बड़े-बड़े उद्योगपति हे, ओकर बेटा मन के जनमदिन में ओमन ला दो-तीन करोड़ के मसर्डीज कार मिलथे तो मसर्डीज कार ला देखके जतका अकन ओकन खुश होथे, ओतके अकन गांव के गरीब, जंगल ला रहने वाला आदिवासी समाज के बेटा दो ठी छेरी अउ बोकरा पाथे त खुश होथे । ए बात लाया रखिहौ । गरीब के छोटे भावना रहिथे । हम गरीब आदमी अन, हम देखे हन, हमर ददा, दाई मन गाड़ा के लिए लोन पावय, छेरी-पर्रू के लोन पावय त हमन खुश हो जान कि हमन ला लोन मिले हे, दो ठन छेरी हे कहिके । मैं आज आपसे कहना चाहथौं, आप बड़े-बड़े के तो योजना बनाथौ, लेकिन गांव में रहने वाला ह 20 ठी छेरी पोसथे, ओला लोन में दे देहव तो तुंहर ताली बजाके स्वागत कर दिही। अईसे मन के लिए आप जरूर ए बजट में ज्यादा से ज्यादा पईसा रखना चाहिए । ए मन कहिथे कि जईसे हाथी के मुंह में दो दाना अनाज ला छीच देहव, उसी प्रकार के आज ए मन करे हें । थोड़-थोड़ दे दे हे । मैं आपला कहना चाहथौं कि डबल इंजन के सरकार ह बने हवय अउ डबल इंजन मा पईसा नहीं ला सकथौं त तुंहर एक ठन इंजन ला काटव अउ डबल इंजन में इंजन जोड़त जात हवव, अभी चार इंजन होगे अउ चार इंजन में कुछू नहीं । सभापति महोदय, मोर आपके माध्यम से प्रार्थना हे कि गरीब मन के लिए छेरी-पर्रू, ओ मन ला गाड़ा भैंसा जईसे बर लोन के लिए भी प्रावधान करौ अउ एमा ज्यादा पईसा अउ बढ़ा लेवव । अईसे आपके माध्यम से मोला कहना हे।

सभापति महोदय, अब होगे अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग । ए प्रदेश में 32 प्रतिशत आदिवासी समाज होथे अउ अगर देखा जाए त 32 प्रतिशत में मैं तो कहथौं कि 15 प्रतिशत ले ऊपर के जाति प्रमाण-पत्र के त्रुटि हे अउ कहिहौ त मैं अभी नाव गन देथव । सौंरा, पॉव, पोबिया, खड़िहा, मॉझी, ओरांव, धनवार, कोड़, कोड़ाकू, कोन । 22 ठी जाति के जाति प्रमाण-पत्र नहीं । सही में आदिवासी समाज हे, ओकर जाति प्रमाण-पत्र नहीं हे अउ जेन फर्जी प्रमाण-पत्र बनवा के बड़े-बड़े नौकरी करथे । वाह रे मेरे कानून वाला मंत्री मिनिस्टर हो । जेकर जाति प्रमाण-पत्र नहीं बनना चाही, तेह नौकरी करथे । मैं कई ठी बताएंव पबिया समाज बर, ओमन के बोलचाल मा त्रुटि होगे, पबिया ला कोनो पाव कहि दिस, कोना अध्धी कहि दिस, ओ बेचारा मन के जाति प्रमाण पत्र नहीं बनथे, ओ मन आदिवासी होके किंजरथे । मुख्यमंत्री ला चिट्ठी लिखे हे, ओकर मन के लेटर ला मैं धरे हवव (पत्र की कॉपी दिखाते हुए) जल्दी जाति प्रमाण-पत्र बनावव । आज हमर जाति प्रमाण-पत्र ह बनत नहीं हे, ओमन ह पढ़ई ला छोड़ देथें अउ आज हमन आदिवासी समाज के विकास के बात कहिथन । ए बात ला सदन अउ जतका अधिकारी मन सुनथे । जब हम जाति प्रमाण-पत्र दे नहीं सकथन त रोड़ पानी बिजली ला का ओमन चाटहीं । मंत्री जी, मोर आपसे प्रार्थना हे, आप भी आदिवासी समाज के बेटा आव, आदिवासी समाज के मुख्यमंत्री हे, आदिवासी समाज के जाति प्रमाण-पत्र बनना चाहिए । खोज-खोज के कि काकर नइ बनत हे, ओला

पहिली कर, ये सीसी रोड, ये पुल-पुलिया मनला बाद में बनइहा, पहिली जाति प्रमाण पत्र बनाव अऊ ऐला सुनिश्चित करव, ये मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहथव।

सभापति महोदय, अब आ जावव, पिछड़ा वर्ग के यादव समाज के लिए। ये मेर बहुत सारा पिछड़ा वर्ग हेन। हमर चन्द्राकर जी, महाज्ञानी, जे सिर्फ आंकड़ा के बात करथे, जब देखो सिर्फ आंकड़ा। पिछड़ा वर्ग के मंत्री जी भी बइठे हवय, ये प्रदेश में 32 परशेंट आदिवासी समाज, अथेंटिक रूप से 12.3 परशेंट अनुसूचित जाति और ओखर बाद आथे पिछड़ा वर्ग जेमन 49 परशेंट से ज्यादा हे। अऊ 49 परशेंट ला अभी आरक्षण कतका मिलत हे, तो नहीं के बरोबर। लेकिन मैं पूर्ववर्ती सरकार ओमन 27 परशेंट आरक्षण के दस्तखत करे हे, मैं हमर वर्मा जी मंत्री ला बोलना चाहत हों, ये मेर बहुत सारा पिछड़ा वर्ग के बइठे हे, साहू समाज के बइठे हे, पिछड़ा वर्ग के हमर कौशिक जी बइठे हे, पिछड़ा वर्ग के ताली बजाके ओखर वोट लेथे, ओखर पूरा वोट ल इही पाथे, लेकिन जब पिछड़ा वर्ग के आरक्षण के बात आथे, त तरी मुंह करके बइठ जात हे। येला ये प्रदेश देखत हे।

श्री धरमलाल कौशिक :- सभापति महोदय, रामकुमार जी, पिछड़ा वर्ग के नाम लेकर के मगरमच्छ के आंसू मत बहाओ। मैं उस दिन बजट का अवलोकन कराया था। आपकी सरकार में पिछड़ा वर्ग के लिए 10 परशेंट खर्च किया गया था। मतलब जो बजट दिया गया था, उस राशि को भी खर्च नहीं किया गया। इसलिए पिछड़ा वर्ग की बात तो आप लोग करो मत और पिछड़े वर्ग को जैसा धोखा देने का काम किए ना और उसके बाद में आपका क्या हश्र हुआ है, इसलिए ज्यादा पिछड़ा वर्ग आदि की बात मत किया करो।

श्री रामकुमार यादव:- सभापति महोदय, मैं सदन के माध्यम से भइया ल कहना चाहत हौं कि किसी को योग्य बनाइए, जब उसके घर में नौकरी लगेगा, 27 परशेंट आरक्षण मिलेगा, तो उसके घर में स्वयं बोर खनाएगा, उसका बेटा आगे बढ़ेगा। आरक्षण जरुरी है। ये 10 परशेंट पइसा के प्रलोभन कौन ल देवत हो, आरक्षण जरुरी हे। हमर जायसवाल भइया आवत हे, उहू पिछड़ा वर्ग में आथे, मैं आपले निवेदन करिहं कि अगर सही में पिछड़ा वर्ग के भला चाहत हव तो जो 27 परशेंट आरक्षण आज माननीय राज्यपाल महोदय के आफिस में दबे हवय, ओला दस्तखत करावव। सभापति महोदय, यादव समाज आपके भी क्षेत्र में हावय।

सभापति महोदय :- रामकुमार जी, बजट पर चर्चा हो रही है।

श्री रामकुमार यादव:- सभापति महोदय, यही तो बजट है। अगर मान लो जाति□ प्रमाण पत्र नहीं बनेगा, तो बजट को हम लोग क्या करेंगे? ये अनुसूचित जाति विकास मंत्री हैं, इसलिए मैं इनसे कह रहा हूं। यह अन्य पिछड़ा वर्ग विकास मंत्री हैं, इसलिए यह विषय इसमें आता है। यादव समाज, राउत जेखकर आज जाति प्रमाण पत्र नइ बनत हे, रावत ह सेंटर में सामान्य आथे अऊ इहां पिछड़ा वर्ग

हे। जब सेंन्ट्रल के नौकरी करे बर होथे, त ओ ह सामान्य में आवत हे, ये भी जाति प्रमाण पत्र सुधारे के काम माननीय मंत्री जी के माध्यम से मैं कराना चाहत हों।

सभापति महोदय, मैं आपके इशारा ला समझत हौं, अंत में मैं कहना चाहत हौं कि चूंकि मैं हमेशा ये बात ला बोलथंव कि मैं आंकड़ा वाला विधायक नइहंव। मैं गांव में जो देखथंव, महसूस करथंव, तेला बोलथंव। आज मोर गांव में स्वयं जमगहन में मंत्री जी मैं आपले निवेदन भी करे रहेंव, अनूसूचित जाति के बहुसंख्यक लोग रथे, गरीब हे, हॉस्टल नई होये के कारण लइकामन ला बहुत परेशानी होथे, जमगहन में एकठन अनुसूचित जाति के हॉस्टल खोल देतेव। इसी प्रकार मोर क्षेत्र में एक ठन मड़वा हवय, उहां अनुसूचित जनजाति के हॉस्टल खोल देतेव, ये मोर आपके माध्यम से निवेदन हे। दूसरा, मंडी के जो पइसा आप उपयोग करथ, ओला सिर्फ भाजपा झन देखव महोदय, ये मोर आपसे निवेदन हे। चूंकि छत्तीसगढ़ में अब सरकार तुम्हर हे, ये परदेश तुम्हर हे, तीन करोड़ जनता तुम्हर हे, येमा तोर-मोर नइ होना चाहिए, ये उद्देश्य से आपला करना हे। मैं फिर एक बार आपसे निवेदन करत हौं, कि जाति प्रमाण पत्र में त्रुटि है,ओला सुधारव, तुम्हार नाम लिही कि ओई मंत्री दस्तखत करिस त आज हमर जाति प्रमाण पत्र बनत हे, अइसे कहिही। आप मोला बोले के मौका देय, मैं पुन: एक बार, ये जतका जाति प्रमाण पत्र बन जाहि, जब 27 परशेंट आरक्षण मिल जाहि, तब मैं तुम्हर स्वागत करिहंव और जब तक नइ बनिही, तब तक मैं तुम्हर घोर-घोर विरोध करके बइठथंव।

श्री दिलीप लहरिया :- माननीय सभापति महोदय, इसी में एक सेकंड बोलना चाहत हंव। मैं बोल चुका हूं सर।

सभापति महोदय :- मैं इसीलिए बोला कि आप बोल चुके हैं, आप उस दिन बहुत लंबा बोले हैं।

श्री दिलीप लहरिया :- सभापति महोदय, मैं पहले बोल चुका हूं लेकिन मेरा एक निवेदन है कि आजकल अंतरजातीय विवाह चलन में है, जो बढ़िया भाईचारा और सद्भावना को बढ़ावा दे रहा है। उसके लिये ढाई लाख रूपये प्रोत्साहन राशि हैं। इसे बढ़ाकर राजस्थान में 10 लाख रूपये दिया जाता है। उसी तरह से यहां भी उसकी प्रोत्साहन राशि बढ़ायी जाये ताकि लोगों में भाईचारा और प्रेम भाव बना रहे। क्षेत्र के लोग और प्रदेशवासी भी अंतरजातीय विवाह से बिल्कुल सहमत है।

श्री धर्मजीत सिंह :- सभापति महोदय, यदि रामकुमार यादव जी अंतरजातीय विवाह करेंगे तो विशेष निधि से 25 लाख रूपये दिया जायेगा।

श्री दिलीप लहरिया :- सभापति महोदय, मैं इसका समर्थन कर रहा हूं और मैं कोशिश करूंगा कि अगले सत्र तक रामकुमार यादव जी की शादी हो जाये। अभी फिलहाल 10 लाख रूपये प्रोत्साहन राशि कर दीजिये, बाकी बाद में देख लेंगे।

श्री धरमलाल कौशिक :- लहरिया जी, रामकुमार यादव बर तोर मोहल्ला में एक आत लड़की खोज देबे। 20-25 लाख मिल जाही।

श्री दिलीप लहरिया :- सभापति महोदय, मैंने उनके लिये रिश्ता खोज भी लिया है। लेकिन अगले सत्र तक उनकी शादी करायेंगे।

श्री पुन्नूलाल मोहले :- सभापति महोदय, अंतरजातीय विवाह के लिये रामकुमार यादव जी सहमत है या नहीं है ?

श्री दिलीप लहरिया :- अभी 10 लाख रूपये के प्रोत्साहन राशि की घोषणा कर दीजिये। रामकुमार यादव जी के लिये बाद में देखेंगे।

कृषि विकास एवं किसान कल्याण मंत्री (श्री राम विचार नेताम) :- आपको मालूम है कि रामकुमार जी का अगुवा कौन है? पुन्नूलाल मोहले जी है। (हंसी) अब वह कहां-कहां बातचीत कर रहे हैं और वह जिस चीज का सुझाव देते हैं कि ये चीज कर देत हे तो ओ मन करत नइ हे। रामकुमार जी, मान लेवव अउ तोर बात हर पूरा हो जाही।

श्री नीलकंठ टेकाम (केशकाल) :- माननीय सभापति महोदय, मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूंगा कि मुझे एक ऐसे विषय पर बोलने का अवसर मिल रहा है, जिसमें माननीय विष्णु देव साय जी का सुशासन है और माननीय रामविचार नेताम जी का विभाग, जो इस छत्तीसगढ़ राज्य की लगभग 3 करोड़ जनता का प्रतिनिधित्व करने वाला विभाग है। इसमें एस.टी., एस.सी., ओ.बी.सी. और किसान और यदि किसान भी नहीं तो कम से कम हर व्यक्ति अनाज खाता है, इसलिए इस विभाग से हर व्यक्ति जुड़ा हुआ है। इस विभाग से हर परिवार जुड़ा हुआ है। इसमें मांग संख्या के माध्यम से जो अलग-अलग बजट प्रावधान चाहा गया है, मैं उसका समर्थन करने के लिये अपना वक्तव्य देना चाहता हूं। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में हमारे वित्त मंत्री जी ने छत्तीसगढ़ को कैसे एक विकसित छत्तीसगढ़ बनाया जा सकता है, उसके अलग-अलग पहलुओं पर विचार करके युवा लक्ष्य को निर्धारित किया गया और उसको पाने के लिये "GATI" नामक अलग-अलग प्रकार के उपाय निर्धारित किये गये हैं। उसी में से एक घटक एग्रीकल्चर और ट्राईबल डिपार्टमेंट से संबंधित है। मैं मुख्य रूप से कृषि के क्षेत्र में अपनी बात कहना चाहूंगा, जिसमें छत्तीसगढ़ में लगातार विकास हो रहा है। मैं सुझाव के रूप में यह कहना चाहूंगा कि मैंने पिछले साल अपने एक वक्तव्य में कहा था कि मैं कोण्डागांव जिले के केशकाल विधान सभा से आता हूं। वहां किसानों ने एक साल में 2,600 ट्रेक्टर खरीदे हैं। (मेजों की थपथपाहट) यह अपने आप में एक रिकॉर्ड है। मैं अभी कुछ दिन पहले एक गांव के किसान के घर जाकर बैठा था,। उसने 94 लाख रूपये का करीब 400 क्विंटल धान बेचा है। (मेजों की थपथपाहट) उसके परिवार के दो सदस्यों को महतारी वंदन का पैसा मिलता है और उसको प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से पक्का मकान बनाने की स्वीकृति मिली हुई है। सभापति महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि जब छत्तीसगढ़ राज्य की कल्पना की गयी थी, उस समय जो विचार था कि योजना का लाभ लोगों के हाथ तक कैसे पहुंच सकता है। मैं यह जो उदाहरण आपको बता

रहा हूं यह मेरे विधान सभा के एक ऐसे गांव का, एक ऐसे परिवार का उदाहरण है, जो अब से कुछ समय पहले तक घोर नक्सलाइट क्षेत्र में गिना जाता था। हम देखते हैं कि खेती एक ऐसा काम है, जिसमें अभी पूरा लेबर ओरियेन्टेड काम चल रहा है। हमारे पास हर काम एक साथ आता है। जब धान बोने का काम आता है तो हम देखेंगे कि पूरे राज्य में हर व्यक्ति धान बोने का काम करता है। मजदूरों को ट्रेक्टर से दूसरे गांवों से लेकर आना पड़ता है तब जाकर खेती का काम हो पाता है। ऐसी स्थिति में हमारी सरकार एवं हमारे वित्त मंत्री जी ने Agriculture के मामले में कैसे प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जा सकता है, उस पर बजट में प्रावधान किया हुआ है। कृषि कार्य के लिए जितने भी उपयोगी यंत्र हो सकते हैं, उन सारे यंत्रों की खरीदी में 40 प्रतिशत से लेकर 50 प्रतिशत तक अनुदान की व्यवस्था की गई है। इसकी वजह से आने वाले दिनों में हमारा Agriculture आगे बढ़ेगा।

माननीय सभापति महोदय, केवल धान की खेती के संबंध में जैसे अभी हमारे एक साथी कह रहे थे कि लगातार प्रदेश का जल स्तर कम होता जा रहा है। इसलिए आने वाले दिनों में ऐसी फसलों के मामले में सोचना पड़ेगा, जिसमें कम से कम हमारा मानव श्रम लगे और कम से कम पानी का इस्तेमाल होता हो। इस मांग के अनुरूप उस क्षेत्र में भी किसान लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए अनुदान की व्यवस्था की गई है। जो हमारे प्रदेश के कृषक दलहन, तिलहन की खेती करना चाहते हैं, उनके लिए इसमें व्यवस्था की गई है। हमारे प्रदेश की खेती 3 महत्तवपूर्ण चीजों पर निर्भर कर रही है। यहां पर पानी, लाईट और मार्केटिंग की क्या व्यवस्था है। खासकर बस्तर को ध्यान में रखते हुए, यह बताना चाहूंगा कि हमारे बस्तर की पूरी Economy मण्डी के साथ-साथ सप्ताहिक बाजारों से संचालित होता है। वहां उस सप्ताहिक बाजार हमारा किसान बाजार करने आता है तो वह कुछ न कुछ सामग्री बेचने के लिए लाता है या तो वह मुर्गा, बकरा, धान, ईमली या कोई वनोपज बेचेगा। उसके बाद जब उसको पैसा मिलता है तो उन पैसों से वह अपने घर को चलाता है। मैं माननीय मंत्री जी से यह आग्रह करना चाहूंगा । खासकर जो आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र जैसे सरगुजा और बस्तर है और जिन क्षेत्रों में अभी सप्ताहिक बाजार बहुत बड़ा आर्थिक उपार्जन का एक केन्द्र है। वहां पर हमें सुविधाएं बढ़ाने की आवश्यकता होगी। इसके लिए मण्डी के साथ मिलकर, मण्डी की जो राशि है उससे हमें आदर्श सप्ताहिक बाजारों का निर्माण करना पड़ेगा। वहां पर बाजार में आने वाले लोगों के लिए पेयजल, शौचालय की व्यवस्था हो। यह हमारे साथी मित्र लोग महसूस करते होंगे कि हमारे प्रदेश के किसानों के पास उत्पादन की क्षमता तो है, उन्हें उत्पादन का अधिकार तो है, लेकिन हमारे किसानों के पास उसका मूल्य निर्धारित करने का अधिकार नहीं है। हम बाजारों में जाकर देखते हैं कि उनके द्वारा लाये गये सामान को अंदाज से खरीदा जाता है। जब बाजार में कोई व्यक्ति मुर्गा लेकर जाता है तो वह मुर्गा कितने किलो का भी हो। यदि हम उसे खरीदेंगे तब हमें मुर्गा किलो में लेना पड़ता है, लेकिन जब सप्ताहिक बाजारों हमारा गांव का आदमी आता है तो उसे अंदाज से बेच देता है। जब वह धान, कोदो और कुटकी लेकर जाता है

तो वहां पर हर चीज को अनुमान से खरीदा जाता है। "लाख" हमारे जनजाति क्षेत्रों में एक बहुत बड़ा पहेली हुआ करता था कि वहां नमक के बदले लाख लिया जाता था और नमक के बदले चार और चिरौंजी ले ली जाती थी। मैं माननीय मंत्री महोदय जी से यह आग्रह करना चाहता हूँ कि हर विधान सभा क्षेत्र में कम से कम दो सप्ताहिक बाजारों को एक आदर्श बाजार के रूप में विकसित किया जाये। वहां पर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम से वेट मशीन लगायी जाये, वहां जो किसान आते हैं उनको सुविधा मिल सके। वहां पर निष्पक्ष रूप से और पारदर्शी तरीके से उनके सामानों की खरीदी-बिक्री हो सके। निश्चित तौर पर हम किसानों के जिस फायदे की कल्पना करते हैं कि हमारे प्रदेश के किसानों को फायदा होगा तो इससे वह दिखने लगेगा। इसके अलावा मैं और ज्यादा समय न लेते हुए, खासकर यह कहना चाहूंगा कि अब धान की खेती में लेबर की निर्भरता को कम करने के लिए हमारे कृषि विज्ञान केन्द्र हैं या फिर हमारे जिला स्तर पर जो कृषि अभियांत्रिकी का ऑफिस है, वहां पर Equipment का संधारण करना पड़ेगा। अब हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश में धीरे-धीरे पलारी की समस्या देखने को मिल रही है। अभी तक तो दिल्ली के आस-पास के लोग ही पलारी से परेशान हो रहे हैं, लेकिन आने वाले दिनों में छत्तीसगढ़ में पलारी एक बहुत बड़ी समस्या बनती जा रही है और हम इसका क्या कर सकते हैं? क्या इसको हम चारे के रूप में गठान बनाकर रख सकते हैं? इसके लिए अभियांत्रिकी विभाग से कोई यंत्र की व्यवस्था दे सकते हैं जहां पर लोगों को किराये में यह मशीन मिल जाये और वह पराली को सुसज्जित तरीके से रख सकें। मेरा माननीय मंत्री जी से निवेदन है कि इस बारे में जरूर पहल करने का कष्ट करेंगे।

समय
2.00 बजे

सभापति महोदय :- नीलकंठ जी, आपको 10 मिनट से ज्यादा हो गये हैं, समाप्त करिये।

श्री नीलकंठ टेकाम :- माननीय सभापति महोदय, मैं अभी तो चालू ही नहीं किया हूं। मैं दूसरी बात यह कहना चाह रहा हूं किसानों की समस्या इस समय सोसायटियों में है। जब वह धान बेचने जा रहे है तो सोसायटियों में उनको दिक्कतें हो रही हैं। उनको पैसा निकालने में बैंक की समस्या आ रही है। इसके तरफ भी हमें सहकारिता विभाग के साथ सामंजस्य स्थापित करके कुछ उपाय करना पड़ेगा। अब मैं दो मिनट अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और ओ.बी.सी. समाज के लिए इस विभाग के माध्यम से जो कार्य हो रहे हैं, उसके बारे में कहना चाहूंगा कि जब तक हमारा शिक्षा, कौशल का विकास नहीं हो जाता है, तब तक यह कहना संभव नहीं हो पायेगा कि हम पूरी तरीके से आत्मनिर्भर हो पा रहे हैं। इसलिए खास करके आश्रमों, हॉस्टलों के लिए मेरा आग्रह है कि इन स्थानों में ज्यादा से ज्यादा हमारे बच्चे जो 9th कक्षा में आ जाते हैं, वह जीवन में कैसे आत्मनिर्भर हो सकते हैं, उसका उपाय करने की व्यवस्था जरूर की जाये। छत्तीसगढ़ राज्य में कुछ समय पहले शिक्षा विभाग, अनुसूचित जनजाति

विभाग में कुछ चीजों को मर्ज किया गया है। मुझे ऐसा लगता है कि इस प्रेक्टिश की वजह से जनजातीय संस्कृति और पहचान में थोड़ा सा प्रभाव पड़ा है। हमने अभी पिछली मंत्रणा समिति की बैठक में भी इस बात को रखा था। खास करके आदिवासियों की जो सांस्कृतिक धरोहर, विरासत, मेला स्थल, धार्मिक स्थल, देवगुडी, आस्था के केन्द्र को फोकस करना पड़ेगा। जैसे मैं घोटूल के बारे में बताना चाहता हूं, उस घोटूल में गांव का एक बहुत बड़ा सहकारिता, वहां पर एक सहकार रहता है, वहां पर लोगों को ज्ञान प्राप्त होता है। उसको सक्षम बनाना बहुत जरूरी है। हमारे सांस्कृतिक दलों को उनके सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन के लिए, पोशाक इत्यादि के लिए व्यवस्था तो की गई है, वह योजना में शामिल है, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि उसको शत-प्रतिशत लोगों के हाथों तक पहुंचाना चाहिए। उसके लिए हमारे पास जो भी शासकीय तंत्र है, उनके माध्यम से उनकी मॉनीटरिंग करना बहुत जरूरी है। मैं हमारी छत्तीसगढ़ सरकार को इस बात के लिए भी धन्यवाद दूंगा कि बस्तर ओलंपिक के बाद बस्तर पंडूम के बारे में एक कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है जो निश्चित तौर पर हमारे छत्तीसगढ़ राज्य की सांस्कृतिक विरासत और यहां की जनजीवन शैली को मजबूत करेगा। शिक्षा, यू.पी.एस.सी., सिविल सर्विसेस, नीट के लिए जो व्यवस्थायें की गई हैं, वह बड़ी ही सराहनीय व्यवस्था है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ माननीय मंत्री जी के द्वारा जो अनुदान मांग रखी गई हैं, उसका समर्थन करते हुए बहुत-बहुत धन्यवाद देते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं।

श्रीमती उद्धेश्वरी पैकरा (सामरी) :- माननीय सभापति महोदय, मैं एक मिनट अपनी बात कहना चाहती हूं। माननीय मंत्री का शिक्षा से संबंधित विषय है। मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहूंगी, मैं प्रदेश की बात कर रही हूं पूर्व से ही सभी हायर सेकेण्डरी स्कूलों में कृषि संकाय संचालित है और हमारा प्रदेश कृषि प्रधान प्रदेश है। मैं कृषि मंत्री जी से कहना चाहूंगी कि पूरे प्रदेश में हमारा बस्तर और सरगुजा आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है, ब्लाक मुख्यालय में तो हायर सेकेण्डरी स्कूल में कृषि संकाय है लेकिन ब्लॉक मुख्यालय से अंदर जो हॉयर सेकेण्डरी स्कूल हैं । ऐसे स्कूलों में भी कृषि संकाय खोला जाये इसके लिये मैं माननीय कृषि मंत्री जी से निवेदन करना चाहती हूं, कृपया इस पर विचार करें । माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने हेतु समय प्रदान किया इसके लिये आपको बहुत-बहुत धन्यवाद ।

श्री कुंवर सिंह निषाद (गुण्डरदेही) :- माननीय सभापति महोदय, मैं मांग संख्या- 15, 33, 41, 42, 49, 53, 64, 66, 68, 82, 83, 13 और 54 के विरोध में बोलने के लिये खड़ा हुआ हूं ।

माननीय सभापति महोदय, यदि हम राज्य में कहें तो कृषि का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है और खासकर छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ राज्य कृषि आधारित अर्थव्यवस्था पर निर्भर है और हम बहुत ही सुंदर शब्दों में कहते हैं कि छत्तीसगढ़ धान का कटोरा है क्योंकि यहां की जलवायु और मिट्टी धान की खेती के अनुकूल है और राज्य की आर्थिक गतिविधियों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा चूंकि यहां के अधिकांश लोग कृषि से जुड़े हुए हैं । माननीय सभापति महोदय, छत्तीसगढ़ में कृषि न केवल रोजगार का

स्त्रोत है बल्कि यह राज्य की समृद्धि और विकास के लिए एक महत्वपूर्ण आधार भी है । हमारी कोशिश यह होनी चाहिए कि हम किसानों को कितना आत्मनिर्भर एवं सक्षम बना सकें ताकि हम छत्तीसगढ़ को आर्थिक रूप से समृद्ध और आर्थिक रूप से मज़बूत बना सकें परंतु विगत वर्षों से हम देख रहे हैं कि किसानों के प्रति जो नीतियां बन रही हैं, किसानों के लिए जो कार्ययोजना बन रही हैं उसमें कहीं न कहीं विसंगति है तभी हम यहां उन चीजों से सफर कर रहे हैं या तो हम सही समय पर उन चीजों का इंप्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं या किसानों को वह सुविधाएं नहीं दे पा रहे हैं जिससे वह अपने आपको ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं ।

माननीय सभापति महोदय, हमें योजनाएं केवल कागज पर दिखती हैं, धरातल पर कहीं पर नहीं दिख रही है । अभी आपने किसानों के लिए बहुत सी योजनाएं अपनी पुस्तिका में, प्रशासकीय प्रतिवेदन में, बजट में लेकिन यदि हम धरातल पर देखें । अभी इस साल जब धान की बोवाई हुई तो उनको सही समय पर बीज नहीं मिल पाया और बीज मिला भी तो किसानों को दोबारा गुणवत्ताविहीन बीज बोना पड़ा। किसानों को खाद की किल्लत भी भुगतनी पड़ी । उन्हें सही समय पर न तो यूरिया मिला और न ही डीएपी मिला लेकिन व्यापारियों के पास पर्याप्त मात्रा में खाद का भण्डारण था । माननीय सभापति महोदय, हमें इस पर भी सोचना होगा और चर्चा करनी होगी । आलम यह है कि किसानों को अधिकतर जो फसल बीमा करते हैं, उनको सही से लाभ नहीं मिल पा रहा है । किसान आज आत्महत्या करने पर मजबूर है ।

माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय कृषि मंत्री जी के जेहन में एक बात लाना चाहता हूं । मैंने शून्यकाल भी लगाया था । माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहूंगा कि महासमुंद के झलप से लगे ग्राम सिंघनपुर में एक किसान पूरन निषाद बिजली की कटौती से परेशान होकर आत्महत्या कर लेता है । उसने लगभग 3 एकड़ के रकबा में धान लगाया हुआ था, उसने डेढ़ से 2 लाख रूपये कर्ज भी लिया था लेकिन लगातार बिजली कटौती से परेशान होकर जब उससे नहीं रहा जाता है और जब वह अपने खेत को देखता है, जो पानी के अभाव में चूंकि उसने रोपा तो लगा दिया लेकिन वह सूख रहा है, वहां पानी नहीं पहुंच पा रहा है और आज वह पूरनलाल किसान आत्महत्या कर लेता है लेकिन सरकार उसकी कोई सुध नहीं लेती है, यह भी एक सोचने की बात है । मैं माननीय कृषि मंत्री जी से निवेदन करता हूं कि पूरन लाल निषाद जिस किसान ने अभी आत्महत्या की है, वह महासमुंद के झलप से लगे गांव सिंघनपुर के हैं । जो रोज 8-10 घंटे बिजली आपूर्ति ठप्प हो रही है उससे पीड़ित होकर वह किसान आत्महत्या कर लेता है क्योंकि उसके खेत की फसल पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी थी । उसने कर्जा लिया था लेकिन कर्जा पटाने के लिये उसके पास जब सामर्थ्य, ताकत, शक्ति नहीं और जब धान की फसल ही नहीं होगी तो वह कहां से बिजली का बिल पटा पायेगा या अपने कर्ज को पटा पाएगा? हमको चिंता करनी पड़ेगी। यह केवल सिंघनपुर की बात नहीं, मैं आपको बता देना

चाहूंगा कि एक किसान सुहेला का है, जो केवल अपनी खेती की जमीन के लिए तहसील के लगातार चक्कर लगा रहा है, जब उसके खिलाफ बात आयी तो वह तहसील कार्यालय के सामने ही जहर पीकर आत्महत्या करने की कोशिश करता है और बाकी जहर को अपने बेटे के भी मुंह में डाल देता है कि तुम भी मर जाओ। किसान आज आत्महत्या करने पर मजबूर हैं, व्यथित हैं तो कहीं न कहीं सरकार की निष्क्रियता के कारण या सरकार की कार्यप्रणाली के कारण है। हम लोग बड़ी-बड़ी बात करते हैं, योजनाओं के क्रियान्वयन की बात करते हैं, फसल चक्र परिवर्तन की भी बात करते हैं। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि हमने उद्यानिकी कृषि कॉलेज का उन्नयन किया, बड़े-बड़े कॉलेज बना दिए, इंफ्रास्ट्रक्चर हैं। सुविधा और संसाधन दिए हैं, लेकिन वहां पर यदि हम देखते हैं तो फसल चक्र परिवर्तन के बारे में एक बात आती है कि हम लोग कब तक धान तक सीमित रहे। हमको अन्य फसलों पर भी ध्यान देना होगा और मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा, माननीय कृषि मंत्री जी से एक आग्रह और एक निवेदन करना चाहूंगा। यदि मैं अपने जिला की बात करूं और अपनी विधान सभा की बात करूं तो उद्यानिकी महाविद्यालय पूर्व की सरकार के माध्यम से स्वीकृत हुई और आज बढ़िया संचालित हो रहा है। वहां पर पर्याप्त जमीन है। पिछले 3 साल से लगातार हमारा यह प्रयास है कि वहां पर अनुसंधान केंद्र खुल जाएं। आसपास के किसानों को उसका समुचित लाभ मिले। फसल चक्र परिवर्तन की दिशा की तरफ बढ़े और एक बढ़िया सा माहौल बने। माननीय कृषि मंत्री जी, आपसे आग्रह कर रहा हूं दो बार बार्क की टीम कृषि अनुसंधान केन्द्र का बढिया उन्नयन करने के लिए और यहां रिसर्च सेंटर खोलने के लिए यहां आ चुकी है। मेरी विधान सभा के लिए सौभाग्य की बात है कि जिस जगह पर खुला है, वे बच्चे, वे वैज्ञानिक वहीं के हैं और वे चाह रहे हैं कि इस जगह में रिसर्च सेंटर खुले? क्योंकि बार्क की टीम को लाना सामान्य बात नहीं, लेकिन दो बार अपने से यहां पर आ चुके हैं और वह छत्तीसगढ़ के लिए और हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि वे यहां कुछ करना चाहते हैं। तो हम उनकी योग्यता का, उनके अनुभव का लाभ लें और अनुसंधान केंद्र खोलकर उद्यानिकी के क्षेत्र में बढ़ावा दें। हम देखते हैं कि सीताफल के आइसक्रीम, जिसे हम खाते हैं, वह बाहर से आता है, लेकिन अपने छत्तीसगढ़ की बात करें, चाहे उधर मुंगेली तरफ की बात करें, मैं अपनी विधान सभा की बात करता हूं कि सीताफल का बहुत आवक है। यदि हम उसको व्यापारियों के माध्यम से कोल्ड स्टोरेज बनवा कर वहां पर छोटे-छोटे उद्योग धंधे लगाकर व्यवस्थित करना चाहें तो आसपास के किसानों को बढ़िया सा रोजगार के अवसर दे सकते हैं और इस ओर बात होनी चाहिए। वैसे वैज्ञानिकों के जो विचार हैं, जो एक अनुसंधान केंद्र खोलना चाहते हैं, उनका भी हमें क लाभ मिले, ऐसी हमारी एक सोच होना चाहिए। माननीय सभापति महोदय, आदरणीय जी के पास मंडी बोर्ड भी है। मैं आपसे आग्रह करना चाहूंगा कि जब हम धान खरीदी के लिए केंद्रों में जाते हैं, आज भी बहुत से ऐसे केंद्र हैं, जहां पर समुचित व्यवस्था नहीं है। वहां पर बराबर शेड का निर्माण कर दें, जहां पर धान के रेक रखते हैं, जहां पर धान पर्याप्त मात्रा में भंडारण होता है, वहां

पर नीचे बढ़िया समतलीकरण कर दें। कई ऐसी जगह हैं, गांव से थोड़ा सा दूर एक से दो किलोमीटर दूर धान खरीदी केंद्र है तो वहां कभी-कभी व्यवस्था होती है, वह सड़क या उनके मार्ग हैं, जब ट्रकें चलती हैं तो कहीं पर दुर्घटना की संभावना रहती है तो अगर वहां पर अच्छा रोड बना दें, थोड़ा सा पुल-पुलिया का संधारण कर दें, ये हमारी व्यवस्था होनी चाहिए। मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि अभी कृषि विभाग में विज्ञापन निकला था, उसमें दृष्टिबाधित है या अन्य प्रकार के जो हैं, उस संबंध में विज्ञापन निकाला गया था, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि एक दृष्टिबाधित है जिसकी रैंक 1051 है, उसे यह कहकर नौकरी नहीं दी जा रही है कि आपके पास परमानेंट प्रमाण पत्र नहीं है, जबकि पांच साल के लिए वेलिड होता है, पांच साल के बाद फिर रिन्युवल होता है । मैं आपके माध्यम से मंत्री जी के संज्ञान में लाना चाहता हूं कि उसकी जगह 4163, 3188, 2691, 2234 रैंक वालों का चयन किया जा रहा है लेकिन 1051 वाले का पात्रता से हटा दिया जा रहा है ।

सभापति महोदय :- आप मंत्री जी से व्यक्तिगत् रूप से दे दीजिएगा । एक व्यक्ति का विषय है ।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- बरोजगारों के साथ यह जो दोहरा मापदंड अपनाया जा रहा है यह भी नहीं होना चाहिए । जो निर्धारित अर्हता रखते हैं उनका चयन होना चाहिए ।

सभापति महोदय :- निषाद जी, 10 मिनट से ज्यादा हो गए हैं, समाप्त कीजिए।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- अभी साढ़े पांच मिनट हुआ है सभापति महोदय ।

सभापति महोदय :- मेरे पास नोट है ।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- अभी तो मैंने चालू किया है ।

सभापति महोदय :- जल्दी समाप्त करिएगा ।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- अभी तो शुरूआत हुई है, अभी तो मैंने अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग के संबंध में बात नहीं की है । सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से यह कहना चाहता हूं कि बहुत से स्कूल या संस्थान संचालित हैं। एकलव्य आवासीय विद्यालय हो या प्रयास, लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि जिस हिसाब से हम प्रयास आवासीय विद्यालय का उन्नयन कर बच्चों को अच्छी शिक्षा देने की बात कर रहे हैं । लेकिन मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि इस बार और विगत दो सालों के परिणाम को देखें तो चयन परीक्षा की स्थिति बहुत ही निराशाजनक है । बच्चों में बौद्धिक, तार्किक क्षमता तो है ही नहीं, वे अभाव के कारण सही ढंग से पढ़ भी नहीं पा रहे हैं । यदि हम दुर्ग संभग की बात करें वहां जो 500 सीटर आवासीय छात्रावास बना है, उसमें 1000 बच्चों को रखा जा रहा है । पाटन के, दुर्ग के और बालोद के बच्चों को संयुक्त रूप से रखा जा रहा है । मंत्री जी, मैंने आपसे आग्रह भी किया था लेकिन अभी तक वहां व्यवस्था नहीं बन पाई और 500 सीटर छात्रावास में 1000 छात्र रह रहे हैं । सोचिए, वे कैसे रह रहे होंगे और हम गुणवत्ता की बात करें, बौद्धिक विकास की बात

करें, तार्किक क्षमता की बात करें तो कैसे होगी ? यदि हम पिछले साल का परिणाम देखें तो आईआईटी में शामिल 44 छात्रों में ज़ीरो का चयन हुआ है । 44 छात्र सम्मिलित हुए लेकिन चयन ज़ीरो । मेडिकल में 64 छात्र सम्मिलित हुए तो 2 छात्रों का चयन हुआ, केवल तीन प्रतिशत। यह कहां की गुणवत्ता है और हम लोग बड़ी-बड़ी बात करते हैं, गुणवत्ता पर ध्यान देना बहुत जरूरी है ।

श्री अटल श्रीवास्तव :- अध्यक्ष महोदय, इसमें दो मिनट बोलना चाहता हूं । प्रयास संस्था की बहुत सराहना करता हूं । लेकिन यह पूरी की पूरी योजना फैल्युवर हो रही है । नक्सल क्षेत्रों के बच्चों को रायपुर, बिलासपुर, जगदलपुर में लाकर पढ़ा रहे थे, उनको ट्रेनिंग दे रहे थे । अभी हमारे भाई ने बताया कि किस तरह के रिजल्ट आ रहे हैं । जो ट्रेनिंग देने वाली संस्थाएं हैं, वे मैनुपुलेशन कर रही हैं । हमारे बच्चों को जेईई की जिस तरह की ट्रेनिंग मिलनी चाहिए थी वह ट्रेनिंग नहीं मिल पा रही है। अब तो आपने उसमें अच्छा सुधार किया है कि ओबीसी के बच्चों को भी उसमें एडमिशन दिया जाएगा । उसमें जो संस्थाएं ट्रेनिंग देने आ रही हैं, उनकी क्वालिटी पर ध्यान देंगे तो मुझे लगता है कि ज्यादा बच्चे आई.आई.टी. में चुनकर जाएंगे । उस ओर ध्यान दीजिए कि कुछ लोग लगे हुए हैं जो एक ही टीचर को तीन-तीन संस्थाओं में घुमा घुमाकर पढ़ा रहे हैं, रिजल्ट कुछ आ नहीं पा रहा है । मेरा आपसे निवेदन है कि यह एक अच्छा प्रयास है और यह प्रयास सफल होना चाहिए और बच्चों को सही ट्रेनिंग मिलनी चाहिए ।

सभापति महोदय :- निषाद जी समाप्त कीजिए ।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- अभी तो इसी में आया हूं ।

सभापति महोदय :- आया हूं इसका मतलब नहीं है ।

श्री दिलीप लहरिया :- प्रयास कर रहे हैं सभापति महोदय ।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- अभी प्रयास किया है । एकलव्य तक नहीं पहुंचा हूं ।

सभापति महोदय :- आप प्रयास कर रहे हैं लेकिन अभी 10 वक्ता और हैं ।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से यह बताना चाह रहा हूं कि आवासीय विद्यालय लाटापेंड्रा के एक छात्र जो वहां रह रहा था, उस बच्चे की आकस्मिक मृत्यु हो जाती है । उसके परिजनों को यह जानकारी नहीं दी जाती कि बच्चा बीमार है । जब बचचे को लेने आते हैं तो पता चलता है कि उनका बच्चा चल फिर सकने में असमर्थ है । बीच में जगदलपुर की घटना भी आपके जेहन में आई थी । छात्रावासों में लगातार ऐसी घटनाएं घट रही हैं । इस संबंध में हमें समुचित ध्यान देना आवश्यक है । मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी के समक्ष कुछ मांगें रखना चाहूंगा । उसके पहले एक बात कहना चाहूंगा ।

सभापति महोदय :- मांग रख लीजिए ।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- सभापति महोदय, अनुसूचित जनजाति के संबंध में केंवट, धीवर, कहार, कहरा, मल्लाह की मांगें सरकार से लगातार चल रही हैं । इनको अनुसूचित जनजाति में शामिल किया जाए । मेरे पास पूरा एविडेंस है, मैं इसको पटल पर रख सकता हूं। हम लोग 1949 तक थे, हमको 1950 के बाद कैसे बाहर किया गया, हमारे अधिकारों से वंचित किया गया, हम लोग इसके लिए भी लगातार मांग कर रहे हैं, मैंने अभी अशासकीय संकल्प भी लगाया है। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से आग्रह भी करना चाहूंगा, उस विभाग से माननीय मंत्री जी भी हैं, वे उसका सर्वेक्षण भी करा लें, उसकी रिपोर्ट भी ले आएं, मैं पूरा डाक्यूमेंट उपलब्ध करा दूंगा, हम लोग थे या नहीं थे, क्या हैं, कैसे हैं, इसमें एक चर्चा होनी चाहिए। एक वर्ग पूरे देश में है, अगर हम असम में देखें तो एस.सी. में हैं, अगर महाराष्ट्र में देखें तो एस.टी. में हैं, हम अलग-अलग राज्य में हैं। लेकिन हमें छत्तीसगढ़ में कैसे अधिकारों से वंचित किया जा रहा है। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से आग्रह करना चाह रहा हूं कि निषाद, केंवट, कहार, धीवर का जो आरक्षण का मुद्दा है, उस पर अनुसूचित जाति विभाग से सर्वेक्षण के आधार पर एक रिपोर्ट जाना चाहिए, जो बातें तथ्य हैं, वह सामने आए ताकि हमारा समाज जो आज तक आरक्षण से वंचित हैं, उन्हें उनका अधिकार मिले, यह मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा।

सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करूंगा, मैंने पूर्व में अपनी विधान सभा से संबंधित कुछ मांगें की थी और आज भी मेरी कुछ मांगें हैं। अर्जुंदा में पोस्टमैट्रिक कन्या छात्रावास संचालित है, अभी उद्यानिकी महाविद्यालय खुलने से वहां संख्या बढ़ गई है, यदि उस 50 सीटर छात्रावास को 100 सीटर कर दें तो जो बेटियां बाहर से आकर पढ़ती हैं, जो पी.जी. में रहती हैं, उनके लिए एक अच्छी सुविधा हो जाएगी, उस छात्रावास का उन्नयन करके 50 सीट से 100 सीट कर दें, ये मैं आपसे मांग करता हूं। अर्जुंदा में अनुसूचित जाति प्री मैट्रिक छात्रावास है लेकिन आदिवासी समाज के बच्चे जो गरीब तपके के हैं लेकिन कॉलेज पढ़ना चाहते हैं, उसके लिए सुविधा नहीं है, उसे उन्नयन करके पोस्ट मैट्रिक छात्रावास कर दें अच्छा होगा। मैं उसके लिए भी मांग करता हूं। अर्जुंदा में एक अन्य पिछड़ा वर्ग छात्रावास की भी मांग करता हूं, क्योंकि कॉलेज होने के कारण वहां बच्चों की संख्या लगातार बढ़ रही है, एक ओ.बी.सी.छात्रावास की भी आपसे मांग करता हूं। मेरे विधान सभा क्षेत्र पिनकापार में प्रयास आवासीय विद्यालय संचालित हैं, जो आज दुर्ग में संचालित हो रहा है, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि वह अतिशीघ्र बालोद में संचालित हो ताकि हम बच्चों को सुविधा और संसाधन दे सकें। ये मेरी मांग है। माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया, उसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

सभापति महोदय :- श्रीमती गोमती साय जी।

श्रीमती गोमती साय (पत्थलगांव) :- सभापति महोदय, धन्यवाद। आज मैं कृषि विभाग और आदिवासी जनजाति विभाग की जो अनुदान मांगें हैं, मैं उसका समर्थन करने के लिए खड़ी हुई हूं। आज मैं हमारे मुख्यमंत्री जी और मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहती हूं, उनकी किसानों के प्रति जो सोच है, उनकी जो योजना है, इसमें सभी चीजें आती हैं, इस अनुदान मांग में किसानों के हित में बहुत सारी योजनाएं हैं। सभापति महोदय, पूर्वज लोग कहते थे उत्तम कृषि, मध्यम व्यापारी और निम्न नौकरी ये साबित करता है, ये कृषि प्रधान देश भी है और कृषि प्रधान राज्य भी है जो कृषि के माध्यम से हमारे छत्तीसगढ़ के जो किसान हैं, वे लगातार उन्नति की मार्ग की ओर जा रहे हैं। सरकार के सहयोग से, अपने कर्म और मेहनत से भी लगातार कृषि के क्षेत्र में उन्नति देखा जा रहा है। मैं मंत्री जी को पुन: धन्यवाद देते हुए अपने वक्तव्य की शुरूआत करती हूं।

सभापति महोदय, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना और कृषि उन्नति योजना, ये हमारे कृषक लोगों के लिए बहुत बड़ी योजना है। जब किसान आषाढ़ के महीने में कृषि की शुरूआत करते हैं तो एक-एक पैसे के लिए मोहताज होते हैं। एक रूपये कर्ज मांगने से नहीं मिलता है लेकिन इस योजना से हमारा कृषक बड़ा सशक्त महसूस करता है। हमारी डबल इंजन सरकार की ये योजना है। इस योजना के तहत् हमारे किसान लगातार इसका लाभ भी ले रहे हैं और सक्षम भी कर रहे हैं। मिलेट्स, ये एक ऐसी अन्न है जो श्री अन्न योजना के तहत् हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने पूरे देश में लागू की है। एक समय था जब इस अनाज को लोग खाने के लिए छोड़ दिए थे, ये गरीबों की भोजन है करके छोड़ दिए थे, आज हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में मिलेट्स योजना लागू की है जिसमें कोदो, कुटकी, रागी शामिल हैं। जिनको मोटा अनाज बोला जाता है। यह योजना बड़ी कारगर साबित हो रही है। इससे हम लोगों को विटामिन मिलता है। जितने भी पेशेन्ट होते हैं, चाहे शुगर के पेशेन्ट हों, इस मिलेट्स के द्वारा हम बड़ी उन्नति कर रहे हैं। यह मिलेट्स हमारे MSP मे भी लागू है, जिससे किसानों को इसका अच्छा दाम मिले और वह सशक्त हो। इस योजना में इसको भी लागू किया गया है। इसलिए मैं हमारे मंत्री जी को बहुत-बहुत धन्यवाद देती हूं। माननीय सभापति महोदय, सिंचाई योजना यांत्रिकीकरण। सिंचाई योजना में शाकम्बरी योजना के तहत किसानों को 5 एच.पी. तक की सिंचाई का लाभ मिल रहा है। इस योजना के तहत आज हमारा पूरा छत्तीसगढ़ हरा-भरा है। कल ही मैं हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ जशपुर से रायपुर आ रही थी तो मैं ऊपर से देख रही थी कि हमारा आधा भू-भाग हरा-भरा दिख रहा था। आज यदि आधा छत्तीसगढ़ गर्मी के महीने में भी हरा-भरा दिख रहा है तो शाकम्बरी योजना के तहत दिख रहा है। मैं एक कृषक हूं, इसलिए मैं जानती हूं कि जब आप हाथ से रोपा को लगाएंगे तो एक एकड़ के खेत में आप 3 दिन में रोपा लगा पाएंगे, लेकिन यदि मशीन के द्वारा रोपा लगाएंगे तो घंटों में रोपा लगा लेंगे। यांत्रिकी के द्वारा आज पूरे देश में इसका लाभ मिल रहा है, जिसमें छत्तीसगढ़ को भी लाभ मिल रहा है। मैं मंत्री जी को उसके लिए भी धन्यवाद देती हूं। मैं एक बात और

कहना चाहती हूं। चूंकि मैं एक किसान हूं, इसलिए मैं इस बात को बहुत अच्छे ढंग से जानती हूं। आज जो चालानी खेती में हाईब्रिड बीज आ रहे हैं, उससे किसानों को अच्छे दाम मिले और वृहद रूप से उसकी उपज हो, इसलिए हम लोग उसको उगा तो लेते हैं, लेकिन बहुत सारे किसान उसको खाने में उपयोग नहीं करते हैं। आज हम लोगों को देशी बीज मिले। चाहे एग्रीकल्चर विभाग हो, चाहे हार्टीकल्चर विभाग हो, उसमें हम लोगों को पुराने बीजों को फिर से लाना पड़ेगा। हमारे जो पुराने व देशी बीज हैं, उसकी कैसे उन्नति हो और किस तरह से हमारा दोगुना उत्पादन हो, इस विषय में हम लोगों को सोचने की आवश्यकता है। मैं मंत्री जी से उसके लिए भी निवेदन करती हूं कि हमको इस विषय में भी सोचने की आवश्यकता है। माननीय सभापति महोदय जी, मैं समय-सीमा को ध्यान में रखते हुए बहुत ज्यादा नहीं बोलूंगी। मैं केवल सार-सार बातों को ही रखना चाहती हूं।

श्री धर्मजीत सिंह :- सभापति महोदय, इनके यहां एक छोटे दाने का चना आता है। आता है न ?

श्रीमती गोमती साय :- चावल आता है।

श्री धर्मजीत सिंह :- चने का छोटा वाला दाना आता है। चने की साइज से और छोटी साइज का चना आता है। वह बहुत टेस्टी रहता है। यहां पर देना पड़ेगा करके आप उसके बारे में नहीं बता रही हैं। (हंसी)

श्रीमती गोमती साय :- माननीय सभापति महोदय जी, हमारे माननीय सदस्य भाई साहब कह रहे हैं। दरअसल मैं एक कृषक हूं, इसलिए मैं बड़े अच्छे ढंग से जानती हूं। मैं खोज-खोजकर बीज लाती हूं। चाहे सुंगधित बीज हो, पतला अनाज हो, ऐसे बीजों को मैं खोज-खोजकर लाती हूं। मैं कृषक हूं, इसलिए मुझे बड़ा अच्छा लगता है। मुझे खिलाने में भी बड़ा अच्छा लगता है और खाने में भी अच्छा लगता है। चाहे सेंटेड चावल हो, पतला चावल हो, कई वैरायटी के चावल हैं। मुझे खेती का इतना अनुभव है कि मैं आपको ऐसे 100-200 अनाज के नाम बता दूंगी। इसलिए यह मेरी च्वाइस का विषय है। वर्ष 2025-2026 में शासकीय भूमि लघुत्तम सिंचाई तालाब योजना में भी हमारे जो छोटे व मध्यम वर्गीय किसान हैं, वह बीच में तालाब खोदकर आसपास के अपने खेत में सिंचाई करे। यह योजना इसमें भी लागू है। यह भी हमारे वर्ष 2025-2026 के बजट में शामिल है और आपने इसको भी बजट में लिया है, उसके लिए भी मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देती हूं। सभापति महोदय, फसल बीमा में कई बार ऐसा होता है कि जलवायु परिवर्तन हो या अल्प वर्षा हो या अधिक वर्षा हो या ओलावृष्टि हो, बादल या बिजली फटना हो, ये सब घटनाएं जब होती हैं तो यह बताकर नहीं आती हैं। ये अचानक घटती हैं। जब हमारी फसल तैयार होने की कगार में पहुंचती है, तब ऐसी घटनाएं होती हैं। यह घटना किसान को सीधे-सीधे माइनस में ले जाती है और जीरो माइनस में ले जाती है। उसके बाद किसान उबर नहीं पाता है। लेकिन इस फसल बीमा योजना के तहत यिद हमारा किसान बीमा करवाये रहता है तो उसका कम से कम मेहनताना तो निकलता है। इसलिए मैं हमारे मंत्री जी और हमारे सब अधिकारी वर्ग बैठे हुए

हैं। इसलिए मैं माननीय मंत्री से निवेदन करना चाहती हूं कि इसका व्यापक रूप से प्रचार-प्रसार होना चाहिए ताकि हमारा हर किसान बीमा करवाये। इसके लिए व्यापक रूप से प्रचार-प्रसार होना चाहिए।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- सभापति महोदय, फसलों का बीमा होता है, लेकिन उनको पर्याप्त मुआवजा नहीं मिलता है और किसान भटकते रहते हैं। आप उसमें माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित कर देंगे।

श्रीमती गोमती साय :- बिलकुल। आप लोग भी बोल दीजियेगा, मैं तो बोल ही रही हूं। माननीय सभापति महोदय जी, किसान अपने खेत में फसल लेने के लिए पूंजी जरूर लगाता है, अगर अच्छा उत्पादन होता है तो किसान को दोगुना लाभ मिलता है, ज्यादा लाभ नहीं होता है, दोगुना लाभ मिलता है। लेकिन आजकल हम लोग आधुनिक पद्धत्ति अपना लिए हैं तो हम लोग तमाम योजनाओं के माध्यम से चार गुना फायदा प्राप्त करने की ओर जा रहे हैं। लेकिन अगर किसान को एक बार फसल में नुकसान होता है तो सीधा नुकसान में जाता है, किसान को भारी नुकसान होता है, इसलिए किसान पनप नहीं पाता है। इसलिए हम किसानों की कैसे रक्षा करें, इस पर हम लोगों को आने वाले समय विचार करना चाहिए।

माननीय सभापति महोदय, एक विषय और है। जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए भी इस अनुदान मांग में राशि का प्रावधान किया गया है। आजकल हम लोग जिस प्रकार से खाद का उपयोग कर रहे हैं, उस खाद से जमीन बंजर होते जा रहा है। एक साल, दो साल पैदावार जरूर होता है, लेकिन उसी बीज को वही राखड़ खाद देंगे तो उतना फसल नहीं हो पाता है। इसलिए जैविक खेती की ओर फोकस करने का विचार है तो सरकार यह बहुत अच्छा विचार है। आज चाहे भूमि को सरंक्षण देने की बात हो, चाहे अनाज उत्पादन की बात हो, इसमें भी सरंक्षण हो। इसके लिए भी इस अनुदान मांग में राशि का प्रावधान है। यह भी बहुत अच्छा है, किसानों के हित में है। माननीय सभापति महोदय, मृदा स्वास्थ कार्ड योजना, यह खेत की मिट्टी परीक्षण की योजना है। यह बहुत अच्छा है, यह अनुदान मांग भी शामिल है। मैं इसके लिए माननीय मंत्री महोदय को बहुत-बहुत धन्यवाद देती हूं जिससे किसान खेत की मिट्टी का परीक्षण कराकर खेती करता है परीक्षण से पता चलता है कि खेती की मिट्टी कैसी है, इसमें कौन सा फसल ले सकते हैं। इस प्रकार से मिट्टी के स्वास्थ्य का परीक्षण किया जाता है। इसके लिए भी इस अनुदान मांग में राशि का प्रावधान है। मैं इसके लिए भी मंत्री महोदय जी को बहुत-बहुत धन्यवाद देती हूं।

माननीय सभापति महोदय, कृषि उन्नत योजना है, जिसे आप सभी लोग जानते हैं। सदन में जितने लोग बैठे हैं, वे सब किसान परिवार से आते हैं। यहां डबल इंजन की सरकार माननीय विष्णु देव साय जी की अगुवाई और नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में धान को जो उचित दाम मिलना चाहिए, वह आज प्रदेश में बहुत अच्छा मूल्य मिल रहा है। इसका नतीजा यह है कि पूरे प्रदेश में हर किसान, एक

छोटे से छोटा किसान भी 10 लाख रूपये का धान बेच रहा है, यह हमारे लिए एक बड़ी बात है। किसान अपने धान को देखकर अपना सालाना बजट बनाता है। आज कृषि उन्नत योजना के तहत किसान भाईयों को 3100 रूपया क्विंटल धान का दाम मिल रहा है, यह हमारे लिए बहुत बड़ी बात है।

माननीय सभापति महोदय, मैं जनजातीय विभाग की अनुदान मांगों की ओर जा रही हूं। क्योंकि जनजातीय विषय मेरा पसंदीदा विषय है। जनजातीय मंत्रालय भी अपने आप में साम्राज्य है, जिसमें सभी विभाग अटेच हो जाते है। चाहे शिक्षा का विषय हो, चाहे स्वास्थ्य का विषय हो, चाहे अधोसरंचना का विषय हो, चाहे खाद-बीज का विषय हो, हर विभाग इस मंत्रालय से अटेच है। मैं मंत्री जी से निवेदन करना चाहती हूं कि हमारा प्रदेश आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है। चाहे बस्तर हो या चाहे जशपुर हो, इसमें आपने अखरा निर्माण योजना लाया है, मैं उसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देती हूं। इस हेतु अनुदान मांग में 2.50 करोड़ रूपये का प्रावधान रखा है, मैं उसके लिए भी धन्यवाद देती हूं।

मानीय सभापति महोदय, पूरे देश में प्रति वर्ष 15 नवम्बर को जनजातीय गौरव दिवस भगवान बिरसा मुंडा के जन्म दिवस के दिन मनाया जाता है। उसके लिए भी 2.50 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है। मैं उसके लिए मंत्री जी को बहुत-बहुत धन्यवाद देती हूं। जनजातीय समुदायों के द्वारा करमा महोत्सव मनाया जाता है। इसे सरगुजा संभाग में बहुतायत रूप में मनाया जाता है। उसके लिए भी 2.50 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है इसके लिए भी मैं माननीय मंत्री जी को बहुत-बहुत धन्यवाद देती हूं। 500-500 सीटर नवीन आवासीय विद्यालय का स्थापना किया गया है, उसके लिए भी मैं माननीय मंत्री जी को बहुत-बहुत बधाई एवं धन्यवाद देती हूं। आज जिस तरह से आदिवासी क्षेत्र में पेयजल की समस्या है, सड़क की समस्या है, साथ ही वहां बहुत सारी समस्याएं रहती हैं, उसके लिए इस बजट में 221 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है, उसके लिए भी मैं माननीय मंत्री जी को बहुत-बहुत धन्यवाद देती हूं। जनजाति, पिछड़ा वर्ग के लिए भी इसमें प्रावधान किया गया है, उसके लिए भी मैं मंत्री जी को धन्यवाद देती हूं।

सभापति महोदय :- चलिये, समाप्त करिये।

श्रीमती गोमती साय :- माननीय सभापति महोदय, मंत्री जी आ गये हैं तो मैं साथ में कह रही हूं। चूंकि समय की एक मर्यादा है। माननीय मंत्री जी, मेरे विधान सभा क्षेत्र में 10 आश्रम व छात्रावास बाउंड्रीवाल विहीन हैं। वहां अभी तक बाउंड्रीवाल नहीं बना है। यदि आपकी कृपा होगी तो आप उसको दिखवा लीजियेगा। साथ ही 14 जगहों में बांउड्रीवाल जर्जर स्थिति में है। यह हमारे विधान सभा क्षेत्र में निहायत ही जरूरी है। यदि मैं बिल्डिंग की बात करूं तो अति जर्जर 22 बिल्डिंग हैं, कृपा करके आप इसको भी सर्वे करवा लीजिएगा। 18 जर्जर भवन हैं। यह हमारी सरकार की संपत्ति है, इसको बच्चों के लिए बनाया गया है, इसकी रक्षा करना भी सरकार का कर्त्तव्य है। माननीय सभापति महोदय, मैं ज्यादा नहीं बालूंगी, क्योंकि यहां बहुत सारे विषय हैं। आज जनजाति मंत्रालय अपने आप में वृहद रूप से एक

साम्राज्य है, जिसको मंत्री जी भी बड़े करीब से जानते हैं और मैं भी जानती हूं। जनतांति मंत्रालय हर मंत्रालय से अटैचमेंट है। हमारे माननीय सदस्य कह रहे थे कि ओ.बी.सी. वर्ग के लिए कुछ नहीं किया गया है। मैं सदन के माध्यम से कहना चाहूंगी हमारी सरकार में जितने भी सदस्यों ने मंत्री पद का दायित्व संभाला है, उसमें ओ.बी.सी. वर्ग के अधिक सदस्य मंत्री हैं, जो आज विभिन्न अहम विभागों को संभालकर बेठे हैं और उन्होंने अच्छे ढंग से संभाले हुए हैं। यह लोग विरोध करने के उद्देश्य से विरोध करते हैं। इनको एक बार अनुमान लगाना चाहिए कि आज केन्द्रीय मंत्री भी हमारे छत्तीसगढ़ के ओ.बी.सी. वर्ग से आते हैं। आज भारतीय जनता पार्टी एवं नरेन्द्र मोदी जी की सरकार है, वह ओ.बी.सी. वर्ग को भी लेकर बड़ी संवेदनशील रहती है और हमेशा मान व सम्मान देने का काम करती हैं। चाहे वह ट्रायबल लोगों को हो या ओ.बी.सी. वर्ग के लोगों को हो, सभी वर्ग के लोगों को ध्यान में रखते हुए उनको दायित्व दिया जाता है। लेकिन आज एक विरोध करने का विषय हो तो विरोध करें, ऐसी बात नहीं है। मन में एक बार जरूर आता होगा कि यह लोग अच्छा कर रहे हैं, लेकिन एक विरोध करना है, मालिका को दिखाना है कि मैंने विरोध किया है। यदि ऐसे ही अनुमान करके विरोध करना होता तो कोई बात नहीं है। सभापति महोदय, आज आपने इतने अहम विषय में मुझे चर्चा करने के लिए समय दिया है, उसके लिए आपको, माननीय मंत्री जी एवं आदरणीय मुख्यमंत्री जी को बहुत-बहुत धन्यवाद धन्यवाद देती हूं। माननीय मंत्री जी, हमने जो-जो मांगें रखी है, उसको भी आप देने की कृपा करें। साथ में मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी कि आपने मेरे विधान सभा क्षेत्र पत्थलगांव के कोतबा में उद्यानिकी कॉलेज दिया है। जितने भी धान खरीदी केन्द्र हैं, उन सब जगहों में आपने शेड बनाने के लिए पैसा दिया है, उसके लिए भी मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देती हूं। (मेजों की थपथपाहट) सभापति महोदय, मैं इतना कहकर अपनी वाणी को विराम देती हूं। धन्यवाद्। जय हिन्द।

सभापति महोदय :- अनुदान मांगों पर ज्यादा से ज्यादा सदस्य अपनी बात को रख पाये इसलिए समय निर्धारण करते हैं। अमूमन यह देखने में मिलता है कि समय के बाहर हम लोग बहुत सारी बातें कर देते हैं। मैं आग्रह करूंगा कि आप सभी समय-सीमा का ध्यान रखेंगे ताकि सदन संचालन करने में आप सबका सहयोग मिले। श्री लखेश्वर बघेल जी।

श्री बघेल लखेश्वर (बस्तर) :-माननीय सभापति महोदय, माननीय कृषि एवं आदिम जाति कल्याण मंत्री के विभागों की अनुदान मांग संख्या 15, 33, 41, 42, 49, 53, 64, 66, 68, 82, 83, 13, 54 के विरोध में खड़ा हुआ हूँ । सभापति महोदय, आदरणीय मंत्री जी के पास इतने बड़े-बड़े विभाग हैं, लेकिन इस बजट में जो प्रावधान किया जाना चाहिये था, वह इसमें नहीं है । हमारे कृषि विभाग या आदिम जाति कल्याण विभाग को खाली डिब्बा पकड़ा दिये हैं, आप हमारे आदिवासी मुख्यमंत्री हैं, आदिवासी मंत्री हैं, हम चाहते थे कि प्रदेश के भीतर बहुत से अच्छे काम होंगे । हमारे छात्रावास और आश्रमों का मरम्मत होगा, छात्रावास और आश्रम भवन बनेंगे, छत्तीसगढ़ में पूरे 200 छात्रावास और

भवन बनना है, लेकिन कई वर्षों से भवन बनाने के लिये, चाहे वह छात्रावास हो या आश्रम शाला, उसमें पर्याप्त राशि का प्रावधान नहीं हो पा रहा है । सभापति महोदय, यही स्थिति कृषि विभाग में भी है, मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहूँगा कि इस पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है । हमारे संभाग स्तर पर, जिला स्तर पर योजनाओं के कई फण्ड होते हैं, उसके माध्यम से भी हमारे छात्रावास और भवनों का मरम्मत हो, ऐसा मेरा निवेदन है । सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि कई सरकार आई और गई...। (हंसी)

श्री रामविचार नेताम :- सभापति महोदय, अब एक माननीय वहां से बाण चला रहे हैं, फायर पे फायर कर रहे हैं, फायर करने वाले एक इधर घेरे हुये हैं, अब बताईये हम क्या करें ? (हंसी) यदि हम बात नहीं करे तो आप कहेंगे कि बात नहीं कर रहे हैं ?

श्री बघेल लखेश्वर :- मेरी भावना को समझिये, मैं आंखों देखी बात बता रहा हूँ । (हंसी)

श्री रामविचार नेताम :- भावना का तो मैं सम्मान करता हूँ और इतना सम्मान करता हूँ बघेल साहब कि आप ही समझ सकते हैं । (हंसी)

श्री बघेल लखेश्वर :- सवाल ही नहीं है, उससे मैं ज्यादा करता हूँ ।(हंसी)

श्री रामविचार नेताम :- धन्यवाद ।

श्री केदार कश्यप :-सभापति महोदय, असल में वास्तविकता यह है कि वहां पर रहकर वह चिल्लाते हैं और यहां पर आकर अपनी मांग थमाते हैं । (हंसी)

श्री बघेल लखेश्वर :- सभापति महोदय, आदिम जाति कल्याण विभाग के द्वारा 70 के दशक के पहले अपने ब्लॉक मुख्यालयों में शिक्षक क्वार्टर बना हुआ है, लेकिन शिक्षक क्वार्टर का विभाग के द्वारा न मरम्मत किया जा रहा है, न देखरेख हो रहा है, न उसका पट्टा बना रहे हैं, भवनों के संबंध में न ट्राईवल डिपार्टमेंट के पास उसका पंजी है, इसमें विशेष ध्यान देने की जरूरत है । सभापति महोदय, हम लोग बचपन से देखते आ रहे हैं और उसमें निजी लोग पट्टा बनाकर रह रहे हैं, उसे उखाड़कर दूसरा बना रहे हैं । सभापति महोदय, इसी प्रकार से हमारे यहां कृषि विभाग में खेती साहब बोला करते थे, वहां खेती साहब का क्वार्टर हुआ करता था, आज वह क्वार्टर जमीन सहित गायब हो गया । सरकारी विभाग के द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया गया । कई जगहों पर अभी भी छोटा-मोटा है, लेकिन निजी लोग उसमें रहते हैं, मेरा इसमें मंत्री जी से निवेदन है कि इसमें विभागीय पहल होना चाहिये । सभापति महोदय, मेरा एक और निवेदन है कि आदिम जाति कल्याण विभाग में दोनों आदिवासी हैं, विभागीय मंत्री आदिवासी और मुख्यमंत्री भी आदिवासी हैं, हमारे पास शैक्षणिक संस्थायें हुआ करती थी , उसको शिक्षा विभाग में स्थानांतरित किया गया है । मेरा निवेदन है कि उस पर भी पुन: विचार करके आदिमजाति कल्याण विभाग में लौटाया जाये । उसी तरह आप हमारे योजनाओं नरवा, गरूआ, घुरूआ, बारी की खिल्ली उड़ाते रहते हैं । किस उद्देश्य को लेकर हमारे द्वारा यह योजनाएं बनाई गई थीं, उस योजना के

लिए आप लोगों ने कोई बजट का प्रावधान नहीं किया है, न उसे आगे बढ़ा रहे हैं तो मेरा निवेदन है कि उस पर भी विचार करें । आप नरवा का मतलब समझ रहे हैं, गरूआ का मतलब समझ रहे हैं, घुरूआ का मतलब समझ रहे हैं, बाड़ी का मतलब समझ रहे हैं, उसके बावजूद भी उसमें कोई बजट प्रावधान न रखना चिंता का विषय है । मेरा निवेदन है कि इस योजना के लिए भी बजट प्रावधान हो ।

सभापति जी, मैं साथ ही गौठान के संबंध में कहना चाहता हूं । आपने गौठान की बहुत खिल्ली उड़ाई है । गौठान हमारे प्रदेश की संस्कृति, परम्परा का एक हिस्सा है । गौठान में क्या घोटाला हुआ है, आप उसकी जांच कराईए न, लेकिन गौठान नहीं रहने से आजकल आम जनता द्वारा पशु पालन करने में कमी आ रही है, गांव में किसी के पास गाय नहीं है, बैल नहीं है । जब गौठान प्रथा शुरू हुई थी तो लोग गाय, बैल रखना शुरू कर दिए थे तो उसमें भी विचार हो । उस योजना से कितनी महिलाएं जुड़ी हुई थीं, कितने लोग खाद बना रहे थे, कितने लोग उस बगीचा में फसल उगा रहे थे, बागवानी कर रहे थे। उसमें कितने लोग आश्रित थे, चाहे बकरी पालन हो, पशु पालन हो, उसमें कई प्रकार की चीजें होती थीं । उस ओर भी विचार हो, चिंतन-मनन करें । एक-एक गौठान में लाखों-करोड़ों रूपए खर्च हुए हैं । बिल्डिंग भी बनी हैं । अभी वह बिल्डिंग अभी तहस-नहस हो रही है । उसमें भी हमारे कृषि मंत्री विचार करेंगे तो अच्छा रहेगा, यह मेरा निवेदन है कि इस पर विचार हो ।

सभापति महोदय, महतारी वंदन योजना के संबंध में बोलने से आप लोग उल्टा-पुल्टा बोलते रहते हो, लेकिन आदिम जाति कल्याण विभाग से भवन की मरम्मत कराना छोड़कर, छात्रावास आश्रम देना छोड़कर आपने आदिम जाति कल्याण विभाग से लाखों करोड़ों रूपए महतारी वंदन योजना में दिया है । हमारे आदिवासियों के भवन नहीं बन पा रहे हैं, भवनों के मरम्मत नहीं हो पा रहे हैं और आप आदिवासियों का पैसा महतारी वंदन योजना में दे रहे हैं । 4164 आदिवासी क्षेत्रों में पूंजीगत विकास के लिए पिछले बजट की प्रावधानित राशि में से आपने लगभग 3000 करोड़ रूपए माह फरवरी, 2024 में राशि आहरित कर महतारी वंदन हितग्राहियों को दिया है । आदिवासी लोग कहां-कहां रह रहे हैं, उनके पीने के लिए पानी नहीं है, बिजली नहीं है, रहने के लिए भवन नहीं है, लेकिन आपने 3000 करोड़ रूपए महतारी वंदन योजना को दिया है । इस तरह की गलती न हो, आदिवासी विभाग का पैसा है तो आदिवासियों को उससे उपेक्षित रखते हैं, उसके बावजूद भी इस प्रकार का काम कर रहे हैं तो यह उचित नहीं है । आदिम जाति विभाग के मंत्री और मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि इस प्रकार का काम न हो ।

सभापति महोदय, हमने किस उद्देश्य से प्राधिकरण का गठन किया था । हमारी सरकार के समय में हमारे विधायक साथी प्राधिकरण के अध्यक्ष हुआ करते थे और हम लोगों के छोटे-छोटे काम करते थे । हम लोग करोड़ों रूपए एक विधायक को देते थे, लेकिन सवा साल के अंदर आप लोगों ने हम लोगों को 30-30 लाख रूपए दिए हैं । 7300 करोड़ रूपए का बजट था और आपने 30 लाख रूपए दिया

है । 30 लाख रूपए में से भी मेरे विधान सभा क्षेत्र के लिए केवल 10 लाख रूपए हिस्से में आया है। ऐसा भेदभाव न हो, यह मेरा निवेदन है ।

संसदीय कार्यमंत्री (श्री केदार कश्यप) :- आप प्राधिकरण के अध्यक्ष थे । आपने प्राधिकरण में 5 साल में ऐसा कोई अच्छा काम किया है, जो सदन में बता सकें ।

श्री बघेल लखेश्वर :- आप लिस्ट देख लीजिए, हजारों काम थे ।

श्री केदार कश्यप :- लिस्ट देखना अलग बात है । आप कोई ऐसा उदाहरण प्रस्तुत करें कि आपने किसानों के लिए, आदिवासियों के लिए कुछ अच्छा काम किया हो ।

श्री बघेल लखेश्वर :- मंत्री जी, आप कान खोलकर रखिए । मैं आपको बताऊंगा। आप 15 साल तक मंत्री थे, आप आदिवासियों के हितैषी बनते थे । जितने भी महान नेता हैं, हमने सबकी मूर्ति बनवाई है । आप समझ गए न ।

श्री केदार कश्यप :- जो झीरम में शहीद हुए, उन शहीदों का जो बनाया है, उसी से बनाया है?

श्री बघेल लखेश्वर:- हमने झीरम में एक रुपए खर्च नहीं किए। हम लोगों ने प्राधिकरण से एक रुपए भी खर्च नहीं किया। प्राधिकरण में हमने क्या-क्या काम किया है कि आप जिन्दगीभर नहीं कर पायेंगे और न 75 सालों में कोई सरकार काम कर पाई थी, ऐसे काम हम लोगों ने किया है। (व्यवधान)

श्री केदार कश्यप :- नहीं, उसमें 6-7 करोड़ रुपए का बनाये हैं। आप तो एक बार सबको आमंत्रित कर दीजिए, एक बार आप दिखवा दीजिए कि आपने क्या काम किया है।(व्यवधान)

श्री बघेल लखेश्वर:- सभापति महोदय, हम लोगों ने जितने भी आदिवासी हैं, सबको लिपिबद्ध किया। हम लोगों ने बादल बनाया। इतनी मूर्तियां बनाई, जिस मूर्ति की आप कल्पना भी नहीं किए थे। हमने सभी महान नेताओं की मूर्तियॉ बनाई। आपने गुंडाधुर कालेज खोला, लेकिन क्या आपने गुंडाधुर की मूर्ति बनाई थी (व्यवधान) सभापति महोदय, उधर से आवाज आ रही है, इसलिए सुनाना तो पड़ेगा। हम लोगों ने और क्या-क्या किया है, उसकी लिस्ट ले लीजिए। हजारों की संख्या में जहां-जहां, जो-जो काम नहीं हुए थे, चाहे पर्यटन के क्षेत्र में हो, संस्कृति के क्षेत्र में जितने भी गुड़ी हैं, हजारों गुड़ी हमने बनाई। आप अपने क्षेत्र में भी देख लीजिएगा। आपने तो सिर्फ सालभर में 10 लाख रुपए...।

श्री धरम लाल कौशिक :- सभापति महोदय, आपने इतना बढ़िया काम किया, अच्छा काम किया, हजारों करोड़ों रुपए का काम किया, लेकिन जनता क्यों नकार दी? क्या इसे बतायेंगे? (व्यवधान)

श्री बघेल लखेश्वर:- नकार दी, ये अलग चीज है। काम करने से आपको वोट नहीं मिलता। (व्यवधान)

श्री धरम लाल कौशिक :- आपने बहुत अच्छा काम किया तो जनता क्यों नकार दी, इसे यहां पर बतायेंगे क्या? (व्यवधान)

श्री बघेल लखेश्वर :- आप कितना भी काम करिए, उससे वोट नहीं मिलता। समझ गए ना। जिस प्रकार आज काम हो रहा है ना, आज चुनाव में जाइए, तुरंत इधर आ जायेंगे। आज आप बड़ा-बड़ा सोच रहे हो। आप लोगों का धरातल में कुछ नहीं है। (व्यवधान) आप आशा और विश्वास के साथ आज चुनाव करा लीजिए इधर आ जाओगे। 15 की संख्या है, ज्यादा भी नहीं है, 15 की संख्या में इधर आ जाओगे। (व्यवधान)

श्रीमती संगीता सिन्हा :- आपको चुनाव से डर था, इसीलिए आप चुनाव(जिला/जनपद पंचायत अध्यक्ष के चुनाव की तारीख की ओर इशारा) की डेट को आगे बढ़ाए हैं। आपको पता है कि सच्चाई क्या है। (व्यवधान)

श्री केदार कश्यप :- अभी जो नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव हुए थे, उसमें क्या हुआ? आप अभी उधर ही हो। (व्यवधान)

श्रीमती संगीता सिन्हा :- आपने डेट इसीलिए बढ़ाया क्योंकि आपको डर था कि अगर उस वक्त आपका चुनाव होता तो आप पूरी तरह हार जाते। (व्यवधान)

श्री बघेल लखेश्वर:- पूरा काम हम लोगों ने किया। हमने क्या नहीं किया? जो कर्ज माफी आप नहीं कर सकते थे, भूपेश बघेल की सरकार में वह कर्ज माफी हमने किया है। आप चिल्लाते रहिए, बोलते रहिए, लेकिन जिस सोच के साथ हमारी सरकार ने काम किया है। मेरे बोलने से सारा मंत्रिमंडल इधर देख रहा है, सारे सदस्य इधर देख रहे हैं, लेकिन ऐसी चीजों को सुनना नहीं चाहते। (व्यवधान)

सभापति महोदय :- लखेश्वर जी, मैं आग्रह करुंगा, आप सब वरिष्ठ सदस्य हैं, आप लोग आपस में चर्चा न करें। सदन की गरिमा को बनाए रखें। लखेश्वर जी, इधर देखकर बात करिए।

श्री बघेल लखेश्वर:- इन लोगों से चिकनी-चुपड़ी बात करो, तब अच्छा सुनेंगे, लेकिन सच्चाई बताने से इनको [xx] लगती है तुम लोगों को। है ना।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- तारीफ करेंगे, तो सुनेंगे।

श्री राजेश मूणत :- लखेश्वर भाई।

सभापति महोदय :- लखेश्वर जी, अनुदान मांगों पर बोलिए।

श्री बघेल लखेश्वर :- आदरणीय मंत्री जी, आपके विभाग में चाहे कृषि विभाग हो या ट्राईबल विभाग हो, बहुत से पद रिक्त हैं। उसकी भर्ती की प्रक्रिया शुरु करते, तो अच्छा रहता। ट्राईबल विभाग में वर्षों से पदोन्नति नहीं हो पा रही है। अधिकारी, कर्मचारियों की पदोन्नति कर देते, तो अच्छा रहता क्योंकि कई विसंगतियां हैं। आप जागरूक व्यक्ति हैं। हमसे भी विभाग के लोग संपर्क में रहते हैं, इसलिए इस पर भी ध्यान देते तो अच्छा रहता। कृषि विभाग में भी हजारों पद रिक्त हैं। इसे भी यदि भर देते, तो अच्छा काम होता। ये सब बातें हैं। मैं ज्यादा बोलना उचित नहीं समझता क्योंकि विपक्ष से

बहुत सी आवाज आती है। मेरा निवेदन है कि दो-चार बातें जो मैं बोला हूं, उस पर विशेष ध्यान दिया जाए। यही कहते हुए, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, आपको धन्यवाद।

श्री राजेश मूणत :- लखेश्वर भाई, वो नीले कलर की डायरी में क्या है भइया?

श्रीमती रायमुनी भगत (जशपुर) :- माननीय सभापति महोदय, मैं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और कृषि विभाग की मांगों के समर्थन पर बोलने के लिये खड़ी हुई हूं। सभापति महोदय, मैं कृषि विभाग की बात करूं तो किसान सम्मान निधि और कृषि उन्नति योजना किसानों की रीढ़ की हड्डी कही जाये तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है। आज किसान सम्मान निधि और कृषि उन्नति योजना के तहत किसान बहुत ही मजबूत हो गये हैं। जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ प्रदेश में हमारी पूर्ववर्ती डॉ. रमन सिंह जी की सरकार में कृषकों को सहायता मिली है, उसी परंपरा को आज भी हमारे कृषि मंत्री और यशस्वी मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय जी भी निभाते आ रहे हैं, जिनके परिणामस्वरूप आज कृषि के क्षेत्र में किसान दिनोंदिन मजबूत होते जा रहे हैं। आज कृषि के क्षेत्र में उन्नत बीज और उन्नत खाद के कारण युवाओं का नौकरी से ज्यादा कृषि में रूझान बढ़ते जा रहा है। सभापति महोदय, चूंकि मैं जशपुर विधान सभा क्षेत्र से आती हूं और वह काफी पठारी क्षेत्र है। पहले के दिनों में पहाड़ क्षेत्र में घास तक नहीं उगती थी, यह आपको भी मालूम है। आज कृषि के क्षेत्र में किसानों ने इतनी प्रगति की है और आज सबसे ज्यादा कहूं तो युवा किसान।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन कर रही हूं कि आपने जो फसल उन्नति योजना की बात की, उसमें बोनस की राशि को भी बढ़ाया जाये।

श्रीमती रायमुनी भगत :- बहन, मैं बात कर रही हूं।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- आप बात करिये। आप लोग की बात मानेंगे।

सभापति महोदय :- संगीता जी, आपका भी नाम है। आप अपने भाषण के दौरान बोल लीजियेगा।

श्रीमती रायमुनी भगत :- सभापति महोदय, आज कृषि के साथ-साथ उद्यानिकी के क्षेत्र में भी हमारे युवा बहुत आगे निकल चुके हैं। यदि मैं आज से 20 साल पहले की बात करूं। मैं पहले भी कहती थी कि कांग्रेस का एक नारा था "कांग्रेस का हाथ गरीबों के साथ"। लेकिन मैंने जब से होश संभाला है तब से वहीं खेत है, वहीं जमीन है। किसान कभी-भी उन्नति नहीं कर पाये। हजारों किसान गरीबी और भूखमरी के गर्त में चले गये थे।

श्री उमेश पटेल :- सभापति महोदय, एक सेकंड। पहले जो भाजपा की सरकार थी, उसमें कितने किसानों ने आत्महत्या की, आप उसका आंकड़ा निकाल लीजिये और पिछले पांच साल में कितनी आत्महत्याएं हुईं, आप उसको भी निकाल लीजिये।

श्रीमती रायमुनी भगत :- मैं वह भी बता रही हूं। सभापति महोदय, चूंकि आप बहुत वरिष्ठ एवं अनुभवी विधायक है। मैं कहना चाहूंगी कि छत्तीसगढ़ में जब डॉ. रमन सिंह जी की सरकार नहीं थी, तब आपकी सरकार में लोगों की गौ मांस खाकर मृत्यु हुई है। (शेम-शेम की आवाज) लोग कनकी खाते थे और कनकी में बराबर कीड़ा रहता था। यह था कांग्रेस का राज। गांव में माताएं एवं बहनें सुबह उठकर अन्न की जगह गूलर चुनने और बिनने जाती थी, जिसे पकरी का पका कहते हैं। उनको भालू का डर भी नहीं रहता था, वे टोकरी लेकर निकल पड़ती थी और बच्चे भोजन का इंतजार करते थे। लेकिन भोजन नहीं मिलता था।

समय:
2.58 बजे

(सभापति महोदय (श्री धर्मजीत सिंह) पीठासीन हुए)

श्री उमेश पटेल :- इसी बहाने फुड सिक्योरिटी बिल का धन्यवाद कर दीजिये।

श्रीमती रायमुनी भगत :- भाई साहब, यह आपको लाना चाहिए था लेकिन आपने नहीं लाया।

श्री उमेश पटेल :- हां, मैं वही तो कह रहा हूं कि आप फुड सिक्योरिटी बिल का धन्यवाद कर दीजिये।

श्रीमती रायमुनी भगत :- सभापति महोदय, मैं आपको बताना चाहती हूं कि 8-8 दिनों तक अन्न का दाना देखने को नसीब नहीं होता था। लेकिन छत्तीसगढ़ में किसानों की जो उन्नति और प्रगति हुई, जिसके कारण खाद्य सुरक्षा अधिनियम लागू हुआ और छत्तीसगढ़ में पहली बार डॉ. रमन सिंह जी मुख्यमंत्री बने तो हम लोगों को 3 रूपये किलो चावल मिला, (मेजों की थपथपाहट) जब दूसरी बार मुख्यमंत्री बने तो हम लोगों को 2 रूपये किलो चावल मिला और जब तीसरी मुख्यमंत्री बने तो हम लोगों को 1 रूपये किलो चावल मिला। आप लोग वनोपज की बात करते हैं। वनोपज में जनजातियों का जितना शोषण हुआ, वह दर्द आज भी हृदय में बसा हुआ है। हमारे पिता जी हम सबको घर पर छोड़कर, चार चिरौंजी, महुंआ, हर्रा और बेहरा तोड़ने जाते थे, उस समय चिरौंजी का दाम 1100 रूपये किलो था। उस महंगे वनोपज चिरौंजी के बदले नमक दिया करते थे और वह भी अशुद्ध नमक होता था। आज भी हमारे हृदय में यह पीड़ा है। आज मैं बहुत ज्यादा नहीं कहूंगी। चाहे कृषि के क्षेत्र में हो या उद्यानिकी के क्षेत्र में हो, हमारे प्रदेश के किसान अधिक उपज लेने के चक्कर में रासायनिक खादों का अत्यधिक उपयोग कर रहे हैं, जिससे हमारी खेती की जमीन बंजर होती जा रही है। मैं सम्माननीय मंत्री जी से यह कहना चाहूंगी कि हमारे प्रदेश में जैविक खेती को प्राथिमकता दी जाये, जिससे भारत या छत्तीसगढ़ में रहने वाले सभी लोगों का स्वास्थ्य अच्छा हो। आज कीटनाशक और अत्यधिक रासायनिक खाद के उपयोग से जमीन बंजर होती जा रही है, उसका ऊपजाऊजन भी कम होता जा रहा है। जिस प्रकार से आज यहां के युवा किसान नई-नई तकनीकी से खेती कर रहे हैं, उसको बढ़ावा दिया जाये।

समय
3.00 बजे

सभापति महोदय :- अब आप समाप्त करें।

श्रीमती रायमुनी भगत :- माननीय सभापति महोदय, इस बजट में अनुसूचित जनजाति के विकास के लिए भी बहुत ही अच्छा प्रावधान रखा गया है। पहले हम लोगों ने ग्रामीण क्षेत्रों में काली सड़कें नहीं देखी थीं। जब कहीं दूर किसी गांव में जाते थे तो हम उस सड़क को सूंघते थे कि डामर की खुशबू कैसी होती है? लेकिन हमारे यशस्वी प्रधान मंत्री जी की सोच के कारण पी.एम.जनमन योजना धरातल पर दिख रही है। आज हमारे गांव के पहाड़ी कोरवा के बच्चे कितने खुश हैं, वहां पर वह साईकिल चला रहे हैं और वहां पी.एम.जनमन योजना के माध्यम से बहुत तेज गति से कार्य हो रहे हैं। (मेजों की थपथपाहट) अब धरातल पर यह योजना बहुत ही साकार होगी। हमारे प्रदेश में पहले जो गांव पहुंचविहीन थे, अब वह सारे गांव पहुंच मार्ग में कन्वर्ट हो चुके हैं। मैं इस सदन के माध्यम से यशस्वी प्रधान मंत्री जी, वित्त मंत्री जी एवं विभागीय मंत्री जी को भी धन्यवाद् देती हूँ । चाहे बस्तर का क्षेत्र हो, सरगुजा का क्षेत्र हो। आज पढ़ने-लिखने में हमारे ट्राईबल बच्चें अनुसूचित जाति और जनजाति समाज के बच्चे पीछे नहीं हैं। आज दिल्ली जैसी जगह में बहुत ही सुविधायुक्त छात्रावास बना है जिसमें हमारे प्रदेश के बच्चे आई.ए.एस. की कोचिंग के लिए जा रहे हैं, उसके लिए भी बजट है। हमारे छत्तीसगढ़ के कई बच्चे पी.एस.सी. की परीक्षा पास करके आई.ए.एस. बनकर आ रहे हैं। यह हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है और सबसे बड़ी बात यह है कि बजट पर बहुत कुछ कहने के लिए है, लेकिन यहां पर मैं उन चीजों का व्याख्यान नहीं कर रही हूँ। हमारे प्रदेश में सरगुजा विकास प्राधिकरण और बस्तर विकास प्राधिकरण बनाकर, आप सब ने अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के मान को बढ़ाया है। इसलिए मैं, आपको बहुत-बहुत धन्यवाद् देती हूँ।

सभापति महोदय :- अपने क्षेत्र की मांगों को रख लीजिए।

श्रीमती रायमुनी भगत :- माननीय सभापति महोदय, यहां पर मैं अपने क्षेत्र की कुछ मांगों को रखना चाहती हूँ। सम्माननीय मंत्री महोदय, आज हमारे जशपुर में कोल्ड स्टोर की कमी है। वहां पर मिर्च और टमाटर का भरमार उत्पादन होता है। इसलिए मेरे विधान सभा क्षेत्र के बगीचा और सन्ना में कोल्ड स्टोर देने की कृपा करेंगे।

श्री दलेश्वर साहू :- माननीय सभापति महोदय, हमारे प्रदेश में कोल्ड स्टोरेज का लक्ष्य पूरा नहीं हुआ है। आप कम से कम अपने क्षेत्र के लिए उसी को मांग लीजिए।

श्रीमती रायमुनी भगत :- माननीय सभापति महोदय, दूसरी बड़ी चीज है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में मण्डी की आवश्यकता है। वहां के कृषक सब्जी बेचने के लिए जशपुर से पण्डरापाट, धनबाद जाते हैं। वह सब्जी बेचने के लिए भुवनेश्वर, दिल्ली और बंगलौर तक जाते हैं। मेरे विधान सभा क्षेत्र में टमाटर,

मिर्च, खीरा और सब्जी की खेती बहुत ज्यादा मात्रा में होती है। पूर्व में मेरे क्षेत्र को पिछड़ा क्षेत्र जरूर कहते थे, अब वहां पर ई-व्यापार शुरू हो गया है। सम्माननीय मंत्री जी, वहां मण्डी की जरूरत है। अगर आप वहां पर सन्ना और बगीजा में दो सब्जी मण्डी देंगे तो हमारा क्षेत्र विकास की दृष्टि से आगे बढ़ेगा। मेरी दूसरी बड़ी मांग है पाट क्षेत्र में अनुसूचित जाति की बेटियां दूर-दूर से पढ़ने आती हैं, उनको दिक्कत हो रही है, वहां पर कन्या छात्रावास देने की कृपा करेंगे और जो छात्रावास हैं, उनमें सीट की वृद्धि करेंगे। इस बजट में आपने करोड़ो, अरबों रुपये का जो प्रावधान किया है, मैं अलग से नहीं बता रही हूं। इसलिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देते हुए अपनी बात को समाप्त करती हूं। सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्रीमती संगीता सिन्हा (संजारी बालोद) :- माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत अनुदान मांग संख्या 15, 33, 41, 42, 49, 53, 64, 66, 68, 82, 83, 13, 54 पर चर्चा करने के लिए खड़ी हुई हूं। माननीय मंत्री महोदय जी का बहुत सारा एरिया है, बहुत सारे विभाग हैं।

सभापति महोदय :- संगीता सिन्हा जी, बहुत से लोग बाकी हैं, आप अपनी बात 5 मिनट में कर लीजियेगा। आप बहुत ज्यादा लंबा मत करियेगा, समय नहीं है। अभी इसके बाद दूसरे विभाग की चर्चा होने वाली है।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- माननीय सभापति महोदय, ठीक है, मैं कोशिश करूंगी कि जल्दी हो जाये। यह सरकार "बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ" का नारा लगाती है। डबल इंजन, ट्रिपल इंजन और चार इंजन की सरकार की बात करते हैं। सभापति महोदय, मैं सबसे पहले यह बात रखने के लिए खड़ी हुई हूं कि महिलायें, बच्चियां सुरक्षित हैं या नहीं। क्योंकि कृषि विभाग में, सभी विभाग में चर्चा हुई है। मैं एक महिला हूं तो छात्रावास की महिला बच्चियों की बात करना चाहूंगी। मैं बीच में बहुत सारे छात्रावासों के दौरे पर गई थी। बीजापुर में गंगालूर, नारायणपुर के छोटेडोंगर, कांकेर जिला में छोटेबिठिया के छात्रावास में गई थी। हम जितने भी छात्रावास गये हैं, मैंने वहां की स्थिति देखी है। मैं एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय में भी गई हूं। मैंने वहां देखा कि छात्रावास की स्थिति बहुत ही दयनीय है। अगर छात्राओं की दृष्टि से देखा जाये तो वहां बच्चियां सुरक्षित नहीं हैं। मैं जितने भी केस में दौरे में गई हूं वह सिर्फ बच्चियों की pregnancy केस में गई हूं। मैं जो भी बच्चियों की pregnancy के केस में गई हूं, मैंने वहां जाकर देखा कि वहां पर इतनी अस्त व्यस्त स्थिति है कि वहां के छात्रावास में बाउण्ड्रीवाल नहीं है, न हीं गार्ड की व्यवस्था है। अगर आप नियम को देखेंगे तो आश्रम छात्रावास की अधीक्षिका को छात्रावास में ही रहने के लिए नियम है, वह आश्रम छात्रावास अधीक्षिका अपने घर में निवास करती है। छात्रावास में रहने वाली लडकियां भगवान भरोसे रहती हैं, गेट की कहीं पर भी व्यवस्था नहीं है। वहां मेन गेट होता है तो कम से कम ताला लगा रहना चाहिए। हमारे इतने सारे गार्ड हैं, पुलिस व्यवस्था कहीं कम नहीं है। लेकिन अगर एक छात्रावास की बात करूं तो उन छात्रावास में एक भी गार्ड नहीं रहते। शौचालय की बात

करूं तो उन छात्रावासों की हमारी बेटियां, छात्राएं शौचालय बाहर जाने के लिए मजबूर हैं। क्योंकि मैं छोटेडोंगर छात्रावास में गई थी तो मैंने उन लोगों से पूछा कि बेटी आप लोग वाशरूम के लिए कहां जाते हो तो उन लोगों ने टॉयलेट को दिखाया, वहां पर कोई व्यवस्था नहीं है। बेटियां खुले स्थान पर स्नान कर रही हैं, वहां सी.सी.टी.व्ही. लगा हुआ है, यह मामला बीच में आया था। मैं खुद उस जांच में गई थी, सी.सी.टी.व्ही. लगा हुआ था और वहां की बेटियों के लिए एक बाथरूम तक की व्यवस्था नहीं है। इतने सारे बजट आते हैं, इतने सारे बजट सिर्फ पेपर के बजट हैं।

श्रीमती शकुंतला सिंह पोर्ते :- संगीता दीदी, आपकी ही 05 साल सरकार थी। क्या उस समय कहीं देखने नहीं गई थीं ?

श्रीमती संगीता सिन्हा :- सभापति महोदय, मेरे को पता था। जब मैंने अपने भाषण की शुरूआत की तो मुझे पता था कि ये मामला आयेगा। मैं आपकी सरकार को सचेत कर रही हूं, मांग रही हूं। 05 साल जो हुआ, हुआ, अब तो आपकी सरकार है। आपको संज्ञान में लेना चाहिए या पूर्ववर्ती सरकार के पीछे आप भागोगे। पूर्ववर्ती सरकार के व्यवस्था नहीं कि इसका मतलब कि... ।

सभापति महोदय :- आप अपना भाषण दीजिए न।

श्रीमती शकुंतला सिंह पोर्ते :- मैं वही तो बोल रही हूं कि कुछ आप लोग भी किये होते।

सभापति महोदय :- बैठिए-बैठिए ।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- माननीय सभापति महोदय, मैं मानती हूं कि पूर्ववर्ती ने नहीं किया लेकिन आप लोगों की सरकार को 15 साल हो गये हैं, आपको व्यवस्था करनी चाहिए ।

सभापति महोदय :- आप अपना भाषण दीजिये ।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- माननीय सभापति महोदय, क्या बच्चियां उसी स्थिति में रहेंगी ? बच्चियों के लिये कोई भी व्यवस्था नहीं है । वहां गार्ड की व्यवस्था नहीं है, बाउण्ड्रीवॉल नहीं है । वहां बेटियां खुले में स्नान कर रही हैं, वहां पर एक शौचालय तक नहीं है यहां तक कि वहां के बेटे लोग शौचालय में सोने के लिये मजबूर हैं । यह बहुत लज्जा की बात है चूंकि वह एकलव्य आदर्श विद्यालय है । वह मोदी जी का विद्यालय है । इतना सारा आवंटन आता है, इतना पैसा आता है लेकिन पैसा जाता कहां है ? चूंकि पैसा बहुत आ रहा है, अगर केंद्र से पैसा आ रहा है तो वह पैसा कहां जा रहा है इसकी जांच होनी चाहिए । पर्याप्त मात्रा में राशि होने के बावजूद वहां पर कोई भी व्यवस्था नहीं है । आज बेटे लोग शौचालय में रहकर अपनी पढ़ाई कर रहे हैं । इसके साथ ही मैंने एक चीज और देखी कि जब मैं वहां जांच के लिये गयी तो मैंने देखा कि वहां पर सभी जगह बेडशीट बिछी हुई थीं, मैंने बच्चों से पूछा कि आज नयी-नयी बेडशीट है, क्या आज कुछ खास है ? तो उन्होंने कहा कि नहीं मेडम आज पहली बार बिछा है तो यह स्थिति है ।

माननीय सभापति महोदय, यदि हम नाश्ते का मेनू देखते हैं तो उसमें सब आईटम है, ब्रेकफास्ट में डोनट है, अंडा है, सब-कुछ है लेकिन केवल पेपर में है । वहां गेहूं है, रोटी गायब है । हमने बच्चों के पास जाकर पूछा कि बेटा आपको रोटी कब मिलती है तो वह बोले कि केवल त्यौहार में पूड़ी मिलती है । बाकी समय दाल-चावल परोसा जा रहा है तो वह जाता कहां है ? इतना सब आवंटन आता है, राशन आता है, अभी मैं पढ़कर आपको आंकड़ा बताउंगी, लेकिन वह पैसा धरातल पर नहीं है । बच्चियों को ढंग से खाने के लिये नहीं मिलता है । हमने बच्चियों से पूछा कि आपने क्या खाया तो उन्होंने फ्राईड राईज खाया था । क्या मेनू में फ्राईड राईज है ? मैं माननीय मंत्री जी का ध्यानाकर्षण करना चाहूंगी कि कृपा करके छात्रावासों में हमारे जो बेटा-बेटियां रहते हैं उनके खाने की व्यवस्था सही ढंग से हो । मैं यह नहीं कहती हूं कि व्यवस्था नहीं है, चूंकि पैसा है, सब है । वहां पर कम से कम उच्च अधिकारियों के द्वारा जांच होनी चाहिए ।

माननीय सभापति महोदय, मैंने रजिस्टर चेक किया । वहां पर केवल एक दिन का रजिस्टर तैयार था मतलब आपने एक दिन बैठकर रजिस्टर में उतार दिया । कितने बच्चे कब आये हैं, कितने बच्चे कहां जा रहे हैं ? वहां पर कोई व्यवस्था नहीं है । वहां हर महीने डॉक्टर आना चाहिए लेकिन डॉक्टर का कहीं पर सिग्नेचर नहीं है। जब उन्हें पता चला कि हम वहां पर जांच के लिये जाने वाले हैं तो तुरंत डॉक्टर का सिगनेचर हो जाता है, एक दिन में एक साल का रजिस्टर तैयार होता है । आपको इस बात पर ध्यान देना पड़ेगा कि यदि वहां छात्राएं पढ़ रही हैं तो कम से कम छात्राएं सुरक्षित रहें क्योंकि परिजन लोग वहां पर अपने बच्चों को सुरक्षित रहने के लिये भेजते हैं । हम भी एक मां हैं, हम भी एक पिता हैं तो हमारी भी यह इच्छा रहती है कि बच्चे सुरक्षित रहें ।

संसदीय कार्यमंत्री (श्री केदार कश्यप) :- माननीय सभापति महोदय, जब वहां पर माननीय सदस्या ने देखा तो उन्होंने किससे शिकायत की ? क्या किसी से शिकायत की ? जब यहां पर आपकी सरकार थी तब जगरगुण्डा में आपकी ही पार्टी के लोग क्विंटल-क्विंटल राशन खा गये उसके लिये हम लोगों को जगदलपुर में धरना देना पड़ गया था तब भी आपकी सरकार नहीं जागी थी । अगर ऐसा कुछ है तो आप बताईये, हमारे माननीय मंत्री जी सक्षम हैं वह कार्रवाई करेंगे ।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- माननीय सभापति महोदय, यदि माननीय मंत्री जी के संज्ञान में है तो मैं तो यह कह रही हूं कि आप जांच करवा लीजिये । आप 5 साल पहले की पूरी जांच करवाईये कि वह राशन कहां गया ? हम स्वयं चाह रहे हैं कि आप जांच करवाईये लेकिन वर्तमान में...।

सभापति महोदय :- संगीता जी, आप भाषण दीजिये न ।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- माननीय सभापति महोदय, लेकिन हमें वर्तमान स्थिति को समझना पड़ेगा । अगर आपकी सरकार है तो आपको बने रहने के लिये मैं यह सलाह दे रही हूं कि यह हमारी बच्चियों का सवाल है, अगर हमारी बच्चियां सुरक्षित हैं तो हम भी सुरक्षित हैं । मैंने एकलव्य विद्यालय

और छात्रावास की बात इसलिये की क्योंकि वहां पर हर छात्रावास में वॉशरूम बनाना बहुत जरूरी है । मैंने हर छात्रावास में देखा है कि वॉशरूम की व्यवस्था कहीं पर नहीं है इसलिये मैं माननीय मंत्री जी से यह निवेदन करती हूं कि इस ओर विशेष ध्यान दें, खानपान पर भी विशेष ध्यान दें और आप तो सरकार में हैं तो मैं निवेदन कर सकती हूं कि आप बहुत अच्छे से ध्यान दें । माननीय सभापति महोदय, चूंकि समय कम है तो मैं धान खरीदी पर आना चाहूंगी कि जो धान खरीदी हुई । मैं बोरा की बात नहीं करूंगी । मैं बात करूंगी कि 40 क्विंटल धान खरीदी की बात हुई थी। हमारे संजारी बालोद विधान सभा में 40 नहीं, 43, 45 क्विंटल लिया जा रहा था। जब हमने वहां पर छापा मारा तो तुरंत वहां से 40 किलो कर देते थे, उसके बाद फिर 45 किलो तो ये इनकी सरकार में भ्रष्टाचार हुआ है। वर्ष 2024-25 में 7,56,560 मीट्रिक टन धान खरीदी हुई थी, जो वर्ष 2023-24 से 7845 मीट्रिक टन अधिक है। जब उस दिन मैंने क्वेश्चन लगाया कि रकबा से कम खरीदी हुई है और आज कैसे और कहां से धान आ गया कि आपका 7845 मीट्रिक टन अधिक धान खरीदी गयी है तो इसमें बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार है। मैं मंत्री महोदय जी का ध्यान आकर्षित भी करना चाहूंगी। खाद के बारे में कहना चाहूंगी। खाद की इतनी किल्लत है कि हमारे किसान भाई को डी.ए.पी. खाद चाहिए था, वहां पर एन.पी.के. खाद को परोसा गया। वहीं की सोसाइटी के बाजू में दुकान है। सोसाइटी यह कह रही है कि मेरे पास खाद नहीं है और बाजू के दुकान में वह बहुत अधिक रेट में बिका जा रहा है।

सभापति महोदय :- अब आप समाप्त कीजिए।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- जी-जी, एक नियम होता है कानून होता है सब एक रेट पर हो। भारत सरकार राज्यों को खाद का आवंटन करती है। आपकी डबल इंजन की सरकार है, आप मोदी जी से मांग कीजिए कि यहां छत्तीसगढ़ में खाद को अच्छे से भेजें। आप ही से कह रही हूं।

सभापति महोदय :- आप 11 मिनट बोल चुकी हैं। अब समाप्त करें।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- सभापति महोदय जी, खाद के लिए भी विशेष ध्यानाकर्षण करना चाहती हूं कि आप तो बड़े मंत्री हैं, आप दिल्ली जाते रहते हैं, मोदी जी से बोलिए कि छत्तीसगढ़ में कम से कम खाद की कमी न हो, क्योंकि ये घना क्षेत्र हैं। हमारी 70 प्रतिशत आबादी के लोग यहां पर खेती और उत्पादन करते हैं।

श्री रामविचार नेताम :- आप चिंता न करिए। जब तक हम लोग इधर हैं और रहेंगे, तब तक न तो किसानों को समस्या होने वाली है, न तो माताओं-बहनों को समस्या होने वाली है। पूरे प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए, चहुंमुखी विकास के लिए और हमारे छत्तीसगढ़ को विकसित छत्तीसगढ़ बनाने के लिए हम लोग यहां पर बैठे हैं। (मेजों की थपथपाहट)

सभापति महोदय :- चलिए, अब समाप्त करें।

श्री उमेश पटेल :- क्यों मंत्री जी, किसानों को तो कोई समस्या होगी नहीं, लेकिन आपके जनपद के एक सदस्य को क्या परेशानी हो गई?

श्रीमती संगीता सिन्हा :- बोनस का रेट भी बढ़ा दीजिए। मंत्री जी, एक घोषणा कर दीजिए।

सभापति महोदय :- सुनिए न, अब आप 1 मिनट में समाप्त कीजिए।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- आदरणीय सभापति महोदय जी, अब ज्यादा नहीं, मैं अपने क्षेत्र की मांग पर आती हूं। मेरे जिला मुख्यालय में कृषि महाविद्यालय अनुसंधान केंद्र की स्वीकृति प्रदान करेंगे, महोदय जी, इतना बोली हूं तो इतना बनता है। मोहारा में हाइटेक नर्सरी की स्वीकृति प्रदान करने की मांग रखी हूं और साथ में आदिवासी प्रीमैट्रिक कन्या छात्रावास बड़हूम में मैट्रिक कन्या छात्रावास में उन्नयन की मांग रखी हूँ। साथ में बालक आश्रम बड़हूम में जिला बालोद में आदिवासी प्री मैट्रिक बालक छात्रावास के उन्नयन की मांग रखी हूं। सभापति महोदय जी, आपने मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद । जय हिंद।

सभापति महोदय :- श्री पुन्नूलाल मोहले।

श्री पुन्नूलाल मोहले (मुंगेली) :- माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय कृषि, अनुसूचित जाति और जनजाति तथा पिछड़े वर्ग मंत्री की अनुदान मांगों समर्थन करता हूं और धन्यवाद देता हूं। पहले तो मैं माननीय मंत्री जी को धन्यवाद दूंगा कि आपने मुंगेली जिले में कृषि महाविद्यालय के लिए घोषणा की है और राशि की स्वीकृति की है। दूसरा बाबा गुरू घासीदास जी के जन्मस्थल गिरौदपुरी को तीर्थस्थल बनाने का जो बजट में प्रावधान है, उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं। बाबा गुरू घासीदास के नया रायपुर में संग्रहालय..।

श्री अजय चन्द्राकर :- बिजली हा लिपलिपात कइसे हे तोरे असन। (हंसी)

श्री पुन्नूलाल मोहले :- तोला देखके लिपलिपात हे। (हंसी) संग्रहालय और शक्तिपीठ की स्थापना के लिए भी घोषित किया है। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं धन्यवाद देता हूं और बधाई भी देता हूं। अगर मैं कृषि विभाग के बजट के बारे में बात करूं तो मैं मिट्टी परीक्षण से शुरू करता हूं। जब तक खेती का मिट्टी परीक्षण नहीं होगा तब तक किसानों को कौन से पोषक तत्व की आवश्यकता है और उससे उत्पादन कैसे बढ़ेगा इसके ऊपर ध्यान देने की आवश्यकता है। इस परीक्षण के बाद उसे कार्ड की भी आवश्यकता है। किस खेत में किस चीज की कमी है, उस कमी को कैसे दूर किया जा सकता है इस ओर ध्यान देना आवश्यक है। जैविक खेती की बात हो, रसायनिक खाद को छोड़कर कम्पोस्ट खेती की ओर आप ध्यान देंगे, मैं ऐसी आशा करता हूं ।

श्री दलेश्वर साहू :- मोहले जी, आप कविता स्टाइल में बोलते हो, उसी स्टाइल में बोलो, हम लोग वही सुनना चाहते हैं ।

श्री पुन्नूलाल मोहले :- कविता से क्या मतलब ।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- सरकार में आके, एती बइठ गे हो तो कविता बंद हो गे आपके ।

श्री पुन्नूलाल मोहले :- अब आपने बोल दिया है तो हो सकता है आ जाए । सभापति महोदय, कम्पोस्ट खेती की तरफ ध्यान देंगे । मैंने पिछले समय भी प्रमाणिक बीज की ओर आपका ध्यान आकर्षित किया था । किसान बीज प्रमाणित करा लेता है और उसकी फसल अंकुरित नहीं होती और उस किसान को घाटा होता है। ऐसा बीज देने वाले अधिकारी पर कार्रवाई होनी चाहिए या फिर उसी बीज को आपके विभाग में भी अंकुरित करके देखा जाए, मैं आपसे ऐसी आशा करता हूं । फसल बीमा योजना में जो राशि दी जाती है उस राशि को..।

श्री धरमलाल कौशिक :- सभापति महोदय, बीज में अगर गड़बड़ी है तो कहते हैं कि अधिकारी पर कार्रवाई करो, मोहले जी अगर तुम्हारा बीज ठीक नहीं है तो अधिकारी क्या कार्रवाई करेगा ?

श्री पुन्नूलाल मोहले :- मेरा बीज नहीं, मैंने मंत्री जी का बीज कहा (हंसी) । खेत उपजाऊ होना चाहिए, इसीलिए मैंने पोषक तत्व की बात कहा ना ।

सभापति महोदय :- मोहले जी, आप बोलिए ।

श्री पुन्नूलाल मोहले :- सभापति महोदय, ये लोग छेड़ते हैं तो बोलना पड़ेगा ना। सभापति महोदय, अगर मैं फसल बीमा योजना की बात करूं तो समय पर फसल बीमा योजना की राशि नहीं मिल पाती । सर्वे हो जाता है, समय लगता है । दो प्रकार का फसल बीमा होता है, जहां तक खेत में कड़पा है तो भी लगता है, खरही में आग लगे तो भी होता है, बीज उत्पादित नहीं होता तो भी होता है, फसल खराब होने पर भी होता है, कीड़ा लगता है तो भी होता है । अनेक प्रकार का बीमा एक ही साथ होता है तो आपके विभाग को जब इस तरह की सूचना मिलती है तो राशि दी जाए, मैं ऐसी आशा करता हूं । सभापति महोदय, अनुसूचित जाति अत्याचार अधिनियम बना हुआ है । अनुसूचित जाति पर जब अत्याचार होता है तो प्रकरण बनता है तो जब पुलिस एफ.आई.आर. दर्ज करती है तो 25 परसेंट राशि दी जाती है, समय पर नहीं दी जाती । इससे पीड़ितों को राहत नहीं मिल पाती तो उन्हें कठिनाई होती है । दूसरी बात यह है कि चालान पुटअप होने पर फिर 50 प्रतिशत राशि मिलती है । चालान पुटअप होने में 3 महीना, 6 महीना और उससे भी ज्यादा समय लगता है । इसके लिए समय सीमा निर्धारित हो, दो महीना हो, एक महीना हो । अनुसूचित जातियों पर अत्याचार हो, भेदभाव हो, बलात्कार पीड़िता हो, मारपीट हो, हत्या हो सारी बातें कहूं तो काफी समय लगेगा । इस पर माननीय मंत्री जी को ध्यान देने की आवश्यकता है । अत्याचार अधिनियम में जो राशि आखिरी में मिलती है, न्यायालय में प्रकरण प्रस्तुत होता है उसके बाद बहस हो या न हो, प्रकरण प्रस्तुत होगा तो उन्हें मुआवजा राशि मिलनी चाहिए, मैं ऐसी आशा करता हूं ।

सभापति महोदय, नकली जाति प्रमाण पत्र के आधार पर नौकरी में चले जाते हैं । जब जाति प्रमाण पत्र बनता है तो वह एफीडेविट देता है तो प्रमाण पत्र बन जाता है, सरपंच के द्वारा देने पर

प्रमाण पत्र बनता है । नकली प्रमाण पत्र लेकर अन्य वर्ग के लोग नौकरी में चले जाते हैं और 5 साल, 7 साल तक जांच होती रहती है । छानबीन समिति के माध्यम से यदि जिला स्तर की समिति है तो रिपोर्ट कितने दिनों में आनी चाहिए । मैंने पिछले समय बोला था कि रिपोर्ट आने में तीन साल लग गए । एक प्रकरण में तो 12 साल लग गए । सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग की बात करूं तो कोई आदमी 15 साल, 20 साल नौकरी कर लेता है तो उसे नौकरी से निकाला नहीं जाएगा । वह नकली प्रमाण पत्र प्राप्त करके नौकरी पा जाएगा, ऐसी स्थिति में जांच की समय सीमा 3 महीना हो, 6 महीना हो । ऐसी मैं आपसे आशा करता हूं जिससे लोगों का कल्याण हो । अनुसूचित जाति का उत्थान कब होगा, सामाजिक उत्थान, शैक्षणिक उत्थान और नौकरी में उसे प्राथमिकता किस तरह होगी? इन बातों पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है ।

(नेता प्रतिपक्ष (डॉ. चरणदास महंत) द्वारा बैठे-बैठे इशारा करने पर)

श्री पुन्नूलाल मोहले :- सभापति महोदय, बहुत समय है, आप तो प्रतिपक्ष के नेता हो, आपको सुनना जरूरी है। नेता मना नहीं करते, नेता सुनते हैं, यह आपके लायक बात है। मैं गिरौदपुरी की बात करना चाहता हूं। हमारे पूर्व राष्ट्रपति जी आए थे, उन्होंने भवन बनाने के लिए 2 करोड़ 40 लाख रूपये की स्वीकृति दी थी, वह भवन अभी तक नहीं बना है। बाबा गुरू घासीदास की जन्म स्थली को ऐतिहासिक रूप से बनाने के लिए 65 लाख रूपए पास हुआ था, वह भी अपूर्ण है, इसके लिए माननीय मंत्री जी ध्यान दें। अगर मैं प्राधिकरण की बात करूं तो 4 प्राधिकरण बने हैं। पहला, बस्तर क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण, दूसरा सरगुजा क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण, तीसरा मध्य क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण और चौथा अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण है। इन प्राधिकरणों में विसंगति है, इन विसंगतियों को दूर करिए। बस्तर क्षेत्र आदिवासी प्राधिकरण में आपने 73 करोड़ रूपए दिया है और अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण के लिए 50 करोड़ है, आप इस विसंगति को दूर करेंगे, ऐसी अपेक्षा है।

श्री बघेल लखेश्वर :- उसमें 50-50 करोड़ रूपए हो गया है।

श्री पुन्नूलाल मोहले :- आपकी जानकारी में नहीं है, मेरे पास प्रतिवेदन है, मैं आपको बता रहा हूं। मैं 73 करोड़ और 50-50 करोड़ रूपए बोल रहा हूं, आपको समझ नहीं आ रहा है। ये सब अलग-अलग है। मैं कुछ बातें और कहना चाहूंगा। जनजाति सलाहकार परिषद बना हुआ है, जनजाति सलाहकार परिषद में अधिकतम 20 सदस्यों की भर्ती होना था, उसमें सदस्यों की भर्ती नहीं हुई है, वह प्रक्रियाधीन है। इसमें भर्ती जरूर करायेंगे, मैं ऐसी आशा करता हूं। अनुसूचित जाति सलाहकार परिषद, वह भी प्रक्रियाधीन है। इसमें आप कृपा करके ध्यान देंगे, मैं ऐसी आशा करता हूं। हमारी सरकार बने हुए लगभग 15 महीने होने जा रहा है। अन्य पिछड़ा वर्ग सलाहकार परिषद भी है, उस परिषद में पुनर्गठन की आवश्यकता है और प्रक्रियाधीन है, उसमें भी आप भर्ती करिए। राज्य स्तरीय सतर्कता एवं मॉनिटरिंग

समिति भी है। एक जिले स्तर पर होता है, एक राज्य स्तर पर होता हे, अगर जिले स्तर की समिति ने कर दिया तो उसका फैसला कितने दिन में होगा, कमेटी का निर्णय क्या है ? प्रतिवेदन में दिया है कि समिति की 69 बैठकें हो चुकी हैं, 69 बैठकों में कितनी बैठकों का परिणाम सही आया, इस बात से सतर्क होनी की आवश्यकता है, मैं लंबी बात न करते हुए सामान्य बात में समझने की बात रहा हूं। छत्तीसगढ़ अनुसूचित जाति आयोग है, उस अनुसूचित जाति आयोग में एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष समेत 4 सदस्य का पद है, वह पद भी रिक्त है, इसको भी भर्ती करेंगे, ऐसी आशा करता हूं। छ.ग. राज्य अनुसूचित जाति आयोग है, छ.ग. राज्य अनुसूचित जाति आयोग में भी वैसी ही एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और चार सदस्य हैं, इसमें राशि 234.20 लाख रूपये है, अनुसूचित जनजाति आयोग में उससे डबल राशि है, इस विसंगति को दूर करेंगे, सिर्फ प्रतिशत के आधार पर है तो 12 प्रतिशत के आधार पर राशि देंगे, मैं ऐसी आशा करता हूं। छत्तीसगढ़ राज्य अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग है, उस आयोग का कार्यकाल समाप्त हो चुका है, उसके लिए 196.85 लाख रूपए का प्रस्ताव है, इनमें भी सदस्य की भर्ती नहीं हुई है। राज्य अल्पसंख्यक आयोग है, राज्य अल्पसंख्यक आयोग में भी अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्यों की भर्ती नहीं हुई है, उसमें भी कृपा करके ध्यान देंगे। छ.ग. राज्य हज कमेटी है, नेता प्रतिपक्ष जी, इसीलिए मैंने कहा कि आप सुन लीजिए, आज कभी भी हज जाना चाहें तो जा सकते हैं। हज कमेटी को सेंट्रल कमेटी से भी पैसा मिलता है। वहां भी सदस्यों की भर्ती नहीं हुई है। छ.ग. राज्य वक्फ बोर्ड है। मैं बहुत सार्ट में अपनी बात कह रहा हूं। छ.ग. उर्दू अकादमी है। उनमें भी राशि दी जाती है। उसमें 220.00 लाख रूपए का प्रावधान है। आप इसको भी ध्यान देंगे, ऐसी आशा करता हूं। वक्फ न्यायाधीकरण है, इसमें भी भर्ती नहीं हुई है।

नेता प्रतिपक्ष (डॉ. चरणदास महंत) :- सभापति महोदय, माननीय मोहले जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आप हज कमेटी की सिफारिश कर रहे हैं, उर्दू अकादमी की सिफारिश कर रहे हैं, आपने उधर पूछा है ? उधर पूछ लीजिए न। हज कमेटी की सिफारिश करने से पहले उधर पूछ लीजिए।

श्री पुन्नूलाल मोहले :- ये प्रतिवेदन में है, इसलिए मैंने सिफारिश की है। आपको इस बात को जानने की आवश्यकता है। मैं आपको बता रहा हूं न। अब इसमें सर्वेक्षण आयुक्त का भी पद संरक्षित होता है। इन पदों पर भी पदस्थ किया गया है। मैं आपको कुछ जरूरी बातें बता रहा हूं। मैं नयी बात बोल रहा हूं। मैं पुरानी बात तो नहीं बोल रहा हूं।

सभापति महोदय :- जी।

श्री पुन्नूलाल मोहले :- सभापति महोदय, छत्तीसगढ़ तेलघानी बोर्ड में भी सदस्यों की नियुक्ति नहीं हुई है, छत्तीसगढ़ लौह शिल्पकार बोर्ड में भी सदस्यों की नियुक्ति नहीं हुई है, छत्तीसगढ़ चर्म शिल्पकार विकास बोर्ड में भी सदस्यों की नियुक्ति नहीं हुई है, छत्तीसगढ़ रजककार विकास बोर्ड में भी सदस्यों की नियुक्ति नहीं हुई है, छत्तीसगढ़ पिछड़ा वर्ग आयोग में भी सदस्यों की नियुक्ति नहीं हुई है।

कृषि विकास एवं किसान कल्याण मंत्री (श्री रामविचार नेताम) :- वह तो ठीक है। आप यह बताइये कि आप किस बोर्ड में रहना चाहते हैं ? (हंसी)

श्री पुन्नूलाल मोहले :- आप जिस बोर्ड में भी मुझे रखना चाहे।

श्री रामविचार नेताम :- पक्का।

श्री पुन्नूलाल मोहले :- हां, पक्का।

श्री रामविचार नेताम :- ठीक है।

श्री पुन्नूलाल मोहले :- ठीक है। छत्तीसगढ़ राज्य आदिम जाति कल्याण तथा आवासीय आश्रम शैक्षणिक संस्था की कमेटियां हैं, उसमें भी आप ध्यान देंगे। मैं आपसे ऐसी आशा करता हूं। अब मैं ज्यादा न कहते हुए अपने क्षेत्र की मांग के बारे में कहूंगा, क्योंकि इधर इंडीकेट हो चुका है।

श्री अजय चंद्राकर :- आप हवाई अड्डा के लिए बोल दीजिए।

श्री पुन्नूलाल मोहले :- आप फिक्र मत कीजिए। हवाई अड्डा तो मैं आपके घर में ही बनवाऊंगा। (हंसी) यह मेरे से जलते हैं। यह जब कहते हैं तो मुंगेली के लिए कहते हैं। आपको मुंगेली के लिए क्या जलन है? मुंगेली से ही सब काम हो रहे हैं। मुंगेली का काम हो रहा है बरपेली, आप क्यों आ गये मेरे पास साल भर पहिली। (हंसी)

श्री अजय चंद्राकर :- वहां पर हवाई अड्डा बनवाना है।

श्री पुन्नूलाल मोहले :- माननीय सभापति महोदय, मुंगेली जिले में मैट्रिक, प्री-मैट्रिक छात्रावास जर्जर हो गये हैं तो मैं माननीय मंत्री जी से कहूंगा कि वहां पर जो भवन जर्जर हो गये हैं, उसे आप स्वीकृति देंगे। वहां पर कोल्ड स्टोरेज भी नहीं है। वह जिला है तो वहां पर आप कोल्ड स्टोरेज भी स्वीकृत करेंगे। मैं आपसे ऐसी आशा करता हूं। वहां पर छात्रावास भवन तो है, परंतु 3 जगहों में छात्रावास नहीं है। एक सेतगंगा तहसील है, एक जरहागांव तहसील है और एक पथरिया तहसील है। तीनों तहसीलों में छात्रावास नहीं है। यदि मैं अपने जिले की बात करूं तो वहां पर अनुसूचित जनजाति छात्रावास भी नहीं है, OBC का छात्रावास भी नहीं है तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप वहां पर छात्रावास को जरूर स्वीकृत करेंगे। मैं आपसे ऐसी आशा करता हूं। बीज विकास निगम का जो कार्यालय बंद है, उसको आप पुन: खोलवाने का कष्ट करेंगे। जिससे हमारे पड़ोसी लोगों को कुछ मिले। जय हिन्द, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।

सभापति महोदय :- श्री प्रबोध मिंज, आप भी 2 मिनट बोल लीजिए। फिर वह सिक्वेंस ठीक हो जायेगा।

श्री प्रबोध मिंज (लुण्ड्रा) :- माननीय सभापति महोदय, मैं कृषि मंत्री जी के विभागों से संबंधित मांग संख्या-33, 15, 41, 42, 49, 53, 64, 66, 68, 82, 83, 13, 54 के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं।

श्री पुन्नूलाल मोहले :- माननीय सभापति महोदय, एक मिनट।

सभापति महोदय :- मिंज जी, एक मिनट। आप बोल लीजिए।

श्री पुन्नूलाल मोहले :- माननीय सभापति महोदय, मण्डी बोर्ड से जो राशि मिलती है, वह आपको भी नहीं मिली और मुझको भी नहीं मिली।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- आप हम लोगों को भी दिलवा दीजिए।

श्री पुन्नूलाल मोहले :- माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री जी को मण्डी बोर्ड के संबंध में बताना चाहूंगा कि किसान लोग वहां पर धान बेचने के लिए जाते हैं, परंतु किसानों को वहां पर बाहर में रोक दिया जाता है तो वहां पर किसानों के लिए किसान भवन होना आवश्यक है। वहां पर शेड की भी आवश्यकता है। मण्डी बोर्ड में तो पूरे पैसे हैं तो जिस जगह पर रोड नहीं है, वहां पर रोड भी बनाई जाये। मैं आपसे ऐसी आशा करता हूं। शेड की व्यवस्था है, लोक मंगल भवन है तो मंगल भवन भी देंगे। मैं आपसे ऐसी आशा करता हूं।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- आप हम लोगों को भी दिलवा दीजिए करके बोल दीजिए। मोहले जी, हमारे लिए भी थोड़ा सा बोल दीजिए। आप हमरो बर बोल दो।

सभापति महोदय :- ठीक है। मोहले जी, आप बैठिये। आपकी बात आ गई। संगीता जी, आप भी बैठिये। मिंज जी।

श्री पुन्नूलाल मोहले :- जरूर, मेरे लिए मतलब आपको भी देंगे। (व्यवधान)

श्री प्रबोध मिंज :- माननीय सभापति महोदय, सभी वरिष्ठ सदस्यों ने अनुदान मांग के संबंध में अपनी-अपनी बातें रखीं। सरकार के विषय में भी बजट में बहुत सारे प्रावधान हैं। यह बहुत अच्छा बजट बना है। यह उन्नति करने वाला बजट है। ट्राइबल क्षेत्रों का विकास करने वाला बजट है। उसमें तमाम प्रावधान हुए हैं और बजट में सभी क्षेत्रों में, कृषि के क्षेत्र में बढ़ोतरी हुई है और उसको आगे बढ़ाने का प्रयास किया गया है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय कृषि मंत्री जी, माननीय ट्राइबल मंत्री जी, माननीय वित्त मंत्री जी को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। मैं बजट के बारे में तो कम, लेकिन अपनी मांगों के बारे में कहूंगा। सब लोगों ने इसमें कहा है। चूंकि यहां पर माननीय मंत्री जी उपस्थित हैं। हमारे सहकारिता मंत्री जी बैठे हैं, वह कृषि मंत्री भी हैं और वह हमारे सरगुजा संभाग से ही हैं तो बहुत उम्मीद व अपेक्षा के साथ कुछ मांगों के लिए मैं उनसे निवेदन करूंगा। हमारे सभी सदस्यों ने बहुत सारी चीजों के बारे में कहा और अपनी मांगें रखी हैं और कृषि उत्पादन के संबंध में विषय रखे हैं। मेरा विधान सभा क्षेत्र और सरगुजा क्षेत्र सब्जियों के उत्पादन के लिए जाना जाता है और हजारों टन सब्जियों, चाहे टमाटर हो, भाटा हो, मिर्ची की खेती हो, तमाम खेती की ओर बहुत सारे रूझान बढ़े हैं और सब्जियों की ओर बहुत बड़ा क्षेत्र आकर्षित हुआ है। माननीय मंत्री जी से मैंने पिछली बार निवेदन भी किया था कि उन क्षेत्रों के लिए एक मण्डी व उप मण्डी की भी व्यवस्था हो, उन्होंने उसके लिए प्रयास भी किया है। चूंकि

लुण्ड्रा क्षेत्र और हमारा जशपुर का क्षेत्र लगा हुआ है। मैं प्रापर लुण्ड्रा विकासखण्ड की बात कर रहा हूं, उसके साथ-साथ जो जशपुर का क्षेत्र है, जो पंडरापाठ क्षेत्र है, सन्नापाठ क्षेत्र है, जहां मिर्चियों और बाकी फसलों की बहुत बड़ी मात्रा में खेती होती है। उस क्षेत्र में व्यापार और आवागमन को सुगम करने के लिए जशपुर से सन्ना रोड, सन्ना रोड से लेकर डुंगरडीह होकर धौरपुर होकर सड़क को जोड़ने हेतु 50 किलोमीटर के ग्रीन फील्ड में सड़क निर्माण को इस बजट में माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वीकृति दी है। उस सड़क के बनने से हमारा जो जशपुर सड़क है, गुमला-रांची सड़क है, वहां से लेकर शार्टकर्ट रास्ता सीधा धौरपुर होकर निकलकर सीधे प्रतापपुर होकर बनारस चला जायेगा। वहां सब्जियों की बड़ी-बड़ी खेती होती है, बड़े-बड़े लोग हैं। अभी रायमुनी भगत जी भी उस क्षेत्र में मण्डी खोलने के लिए बोल रही थीं। एक पटोरा जगह है, जहां 10 एकड़ की जमीन में एक अच्छी सब्जी मंडी बनाने का प्रस्ताव है। वहां मण्डी की स्थापना होने से तमाम उस क्षेत्र के, चाहे वह झारखण्ड का क्षेत्र हो, चाह वह हमारे उड़ीसा का क्षेत्र हो, चाहे वह बनारस का क्षेत्र हो, चाह वह मध्यप्रदेश का क्षेत्र हो, उन तमाम क्षेत्रों के लोगों के आने-जाने से ट्राइबल क्षेत्र में सब्जियों का बहुत व्यापार बढ़ेगा। उसकी तैयारी भी है। मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि उसकी जल्दी से जल्दी शुरूआत करके उप मण्डी के रूप में प्रारंभ करें। मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करूंगा, मंत्री जी इसको नोट कर रहे हैं, मुझे उम्मीद है कि उसको जरूर स्वीकृत करेंगे।

माननीय सभापति महोदय, खेती के क्षेत्र में एक चीज और कहना चाहूंगा। हमने इस विषय को यहां सदन में कई बार कहा। मैंने सहकारिता मंत्री जी, हमारे कृषि मंत्री जी का भी ध्यान आकर्षित कराया। जब श्री राम विचार नेताम जी ही जब सहकारिता मंत्री थे, तो रघुनाथ क्षेत्र में, केरता में एक बहुत बड़ा शक्कर कारखाना खोला गया था। लेकिन आज शक्कर कारखाने की स्थिति ऐसी है कि वह शक्कर कारखाना भी नुकसान में चल रहा है। चूंकि लुण्ड्रा क्षेत्र में गन्ने की बहुत बड़ी मात्रा में खेती होती है। जब पिछले समय कांग्रेस की सरकार थी तो वहां के गन्ना खरीदी केन्द्र को बंद कर दिया गया था। कारण यह बताया गया कि उससे नुकसान होता है। उसका परिणाम यह रह गया है कि उस क्षेत्र में गन्ना उत्पादन लगभग समाप्त होने की स्थिति में है। वहां से शक्कर कारखाना केरता तक गन्ना ले जाने में किसानों को बहुत दिक्कतें होती हैं। यह माननीय मंत्री जी के संज्ञान में भी है। गन्ना उत्पादन समाप्त होने के चलते लोग धान उत्पादन की ओर बढ़ रहे हैं। किसानों को धान का मूल्य मिल रहा है तो किसान गन्ना का उत्पादन बंद करके धान उत्पादन की ओर जा रहे हैं। इससे गन्ने का उत्पादन भी समाप्त होते जा रहा है और आने वाले समय में केरता का जो शक्कर कारखाना है, वह भी बंद करने की स्थिति में आ जायेगा। इसलिए माननीय मंत्री जी से आग्रह है कि अगर वहां पुन: गन्ना खरीदी केन्द्र को चालू करेंगे, जहां से कई टन गन्ना, शक्कर कारखाना में जाता था, अब वह बंद हो रहा है। इसलिए लुण्ड्रा क्षेत्र के किसान भाई जो कृषि के क्षेत्र गन्ना उत्पादन का कार्य करते थे, उनको भी एक सहारा

मिलेगा और गन्ने की खेती पुनर्जीवित होगी। धान खरीदी करने से सब्सिडी के रूप में बहुत अधिक पैसा किसानों को देते हैं, सरकार उस पैसे से दूसरे क्षेत्र में काम करने का मौका मिलेगा। मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करूंगा, यहां पर सहकारिता मंत्री भी बैठे हैं, हमारे कृषि मंत्री जी भी हैं। यह कृषि कार्य से जुड़ा हुआ मामला है, सहकारिता से जुड़ा हुआ मामला है। यदि गन्ना खरीदी केन्द्र को घाटा में चल रहा है, कहकर बंद कर दिया गया है, जिसमें साल भर में केवल 4-5 करोड़ रूपये ही व्यय होता है। वैसे ही शक्कर कारखाने से लगभग 20-25 करोड़ रूपये नुकसान हर साल होता है। यदि नुकसान के रूप में ही गन्ना खरीदी केन्द्र को बंद कर दिया गया है तो शक्कर कारखाना को भी बंद कर देना चाहिए। हम तो किसानों के हित में बात कर रहे हैं। आप किसानों के हित में सब्सिडी के रूप में 4-5 करोड़ रूपये देकर गन्ना खरीदी केन्द्र को पुनर्जीवित कर सकते हैं। हम गन्ना उत्पादन करने वाले किसानों को भी पुनर्जीवित कर सकते हैं, उनको सुविधा दे सकते हैं। यहां पर दोनों माननीय मंत्री जी हैं। मेरा उनसे आग्रह है कि गन्ना खरीदी केन्द्र को ही स्वीकृति प्रदान करें ताकि किसानों को उसका फायदा मिले। इसको भी बजट में शामिल करके, मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि वह अपने उद्बोधन में इस बारे में हम क्षेत्रवासियों को उपकृत करेंगे, सरगुजा संभाग आप ही का क्षेत्र है। आपके द्वारा दिया हुआ ही शक्कर कारखाना है, उसको जरूर शुरू करेंगे। वैसे ही वह कृषि क्षेत्र है, वहां एक हॉर्टिकल्चर कॉलेज के लिए निवेदन किया गया था। अमूमन आजकल छात्र बी.ए., बी.एससी. या चाहे कोई भी कोर्स कर ले, उसे नौकरी के क्षेत्र में गुंजाइश नहीं रहती है जब तक कि वह कोई प्रतियोगी परीक्षा पास न कर लें। लेकिन यदि वह हॉर्टिकल्चर कॉलेज में कुछ विशेषज्ञता ले लेता है, यदि वह खेती-किसानी के उन्नत नस्ल को सीख लेता है तो अपने स्वयं के जमीन में खेती करके अपना जीविकोपार्जन कर सकता है, किसानी को बढ़ा सकता है और अपने पूरे परिवार को आगे बढ़ा सकता है। मैं उस क्षेत्र के लिए हॉर्टिकल्चर कॉलेज के लिए उम्मीद करूंगा। उस क्षेत्र से जशपुर क्षेत्र भी लगा हुआ है, वह किसानों का क्षेत्र है, सब्जी उत्पादकों का क्षेत्र है, लुण्ड्रा भी सब्जी उत्पादकों का क्षेत्र है, उनके लिए हॉर्टिकल्चर कॉलेज खुलने से उनको बहुत बड़ी राहत मिलेगी, उस क्षेत्र के नवजवान लोगों को नौकरी के बजाय उनको आत्मनिर्भर होने का अवसर मिलेगा। आज के इस बजट में मैं बहुत कुछ न कहते हुए अपनी बात समाप्त करूंगा। चूंकि समय का भी अभाव है। मैं माननीय मंत्री जी से पुन: अनुरोध के साथ कहना चाहूंगा कि हमारी मांगों को माननीय मंत्री जी ध्यान से सुन रहे हैं, उसके बारे में अपने उद्बोधन में कुछ न कुछ जरूर कहेंगे और सरगुजा संभाग को उसका लाभ देंगे। वे संवेदनशील मंत्री हैं। सभापति महोदय, मैं इन अनुदान मांगों का समर्थन करते हुए मंत्री जी को धन्यवाद करता हूं और आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, उसके लिए आपको धन्यवाद देता हूं।

सभापति महोदय :- श्री जनक ध्रुव। आप भी अपने क्षेत्र की समस्या बता दीजिएगा। अभी और तीन-चार सदस्य बाकी हैं।

श्री जनक ध्रुव (बिन्द्रानवागढ़) :- माननीय सभापति महोदय, मैं आज अनुसूचित जनजाति विभाग के अनुदान मांगों पर चर्चा करूंगा। जिस प्रकार से पक्ष और विपक्ष के सभी माननीय सदस्यों ने इस अनुदान मांगों पर चर्चा किया है। मैं ज्यादा विस्तार से बात नहीं कहूंगा। जिस प्रकार से भारत में लगभग 705 प्रकार की जनजातियां हैं, ठीक उसी प्रकार से हमारे छत्तीसगढ़ में 42 प्रकार की जनजातियां पाई जाती है। आज उनके उत्थान के लिए छत्तीसगढ़ शासन में अनुसूचित जनजाति सलाह परिषद (Tribal advisory council) है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि उस Tribal advisory council का मजबूती से पालन हो। Tribal की ढेर सारी समस्याएं हैं, उन पर मैं अपनी बात कहना चाहूंगा। भू-राजस्व संहिता धारा-165 (6) (2) के तहत Non Tribal के लोग Tribal की जमीन को जो लीज में लिये रहते हैं, उस लीज की अवधि 30 वर्ष होती है। उस अवधि को 30 वर्ष न करके उसकी सीमा को समाप्त किया जाये। साथ ही साथ मैं आपके माध्यम से दूसरी बात कहना चाहूंगा कि पेशा कानून एवं वन अधिकार कानून जो भू-राजस्व संहिता धारा-165 (छ) के तहत और धारा-170 (ख) (2) (क) के तहत अधिकारी वर्ग में जो आई.ए.एस. व आई.पी.एस. होते हैं, उसमें आई.ए.एस. का प्रशिक्षण प्रशासनिक अकादमी में होता है और आई.पी.एस. का प्रशिक्षण पुलिस अकादमी में होता है। वहां का प्रशिक्षण इस पेशा कानून से संबंधित, भू-राजस्व संहिता धारा से संबंधित हो, ताकि संबंधित अधिकारी वहां से प्रशिक्षित होकर Tribal क्षेत्र में जाये तो जो छत्तीसगढ़ में 146 Block के अंतर्गत 86 Tribal Block हैं, उस Tribal Block में उसका अक्षरश: पालन हो सकें। दरअसल यह होता है कि वहां के अधिकारी आई.ए.एस. हो या आई.पी.एस. हो, जब वे प्रशिक्षण के पश्चात् Tribal क्षेत्र में जाते हैं तब वहां धारा 170 (ख) और भू-राजस्व संहिता का पालन नहीं होता है, बल्कि वे वहां पंचायती राज से संबंधित धारा का उपयोग करते हैं। माननीय सभापति महोदय, मैं इस बात पर कहना चाहूंगा कि केन्द्र शासन से जो टीएच.पी. राशि आती है, उसका 10 प्रतिशत राशि पंचायत को जाता है। जो उप योजना ट्रायबल सब प्लॉन के तहत जो राशि आती हे, उसमें 10 प्रतिशत राशि ग्राम पंचायत को आवंटन होना चाहिये, ताकि उस पंचायत का विकास हो सके । माननीय सभापति महोदय, मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से मेरी चौथी मांग है कि अनुसूचित क्षेत्रों में किसी भी सिंचाई परियोजना की स्वीकृति तभी किया जाये, जब वहां पर 50 प्रतिशत लोग आदिवासी निवास करते हैं । सभापति महोदय, दरअसल होता यह है कि अनुसूचित क्षेत्र में ही बांध बनते हैं, जैसे उदाहरण के तौर पर मेरे बिन्द्रानवागढ़ क्षेत्र में देखेंगे या धमतरी के सिहावा क्षेत्र में देखेंगे तो ट्राईवल क्षेत्रों में बांध बनाये जाते हैं, लेकिन उसका दोहन मैदानी क्षेत्र में होता है । इस नियम के तहत जो 50 प्रतिशत आदिवासी लोग निवास करते हैं, उसको लाभ हो सके, ऐसे क्षेत्रों में सिंचाई परियोजना लाई जाये । माननीय सभापति महोदय, छत्तीसगढ़ में अभी जो 2 लाख 50 हजार का क्राईटेरिया हमारे...।

सभापति महोदय :- चलिये, अब समाप्त करिये ।

श्री जनक ध्रुव :- सभापति महोदय, मैं एकदम महत्वपूर्ण मुद्दों पर बात कर रहा हूँ कि आदिवासी वर्ग के पढ़ाई के लिये जिस प्रकार से 2 लाख 50 हजार आय की सीमा रखी गई है, उसे समाप्त किया जाये । आज चपरासी को भी 40 हजार रूपया के हिसाब से देखा जाये तो 4 लाख 80 हजार हो जाता है, इसकी वजह से अनुसूचित जनजाति के लोग अपने बच्चे को उच्च शिक्षा के लिये आगे नहीं भेज पा रहे हैं । सभापति महोदय, चाहे पिछड़ा वर्ग की बात हो या सामान्य वर्ग की बात हो, यहां आय सीमा ज्यादा है और अनुसूचित जनजाति की आयसीमा को 2 लाख 50 हजार कर दिया गया है ।

सभापति महोदय :- चलिये, समाप्त करें ।

श्री जनक ध्रुव :- माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से एक और बात कहना चाहूँगा कि पहले शिक्षा विभाग और ट्राईवल विभाग अलग-अलग हुआ करते थे, लेकिन एकीकृत होने से भारत सरकार के द्वारा ट्राईवल विभाग को दिया जाने वाला फण्ड है, उसका उपयोग मैदानी क्षेत्र के शिक्षा विभाग में होता है । सभापति महोदय, मेरा मानना है कि शिक्षा विभाग और ट्राईवल विभाग को अलग कर दिया जाये । माननीय सभापति महोदय, मैं आपका एक और मिनट का समय चाहूँगा कि फर्जी जाति प्रमाण पत्र का मामला लम्बे अरसे से चला आ रहा है । मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि फर्जी जाति प्रमाण पत्र का मामला कोर्ट में काफी समय से लंबित है । उसके लिये सेल बनाया जाये, उस पर एफ.आई.आर. दर्ज हो और अलग से अधिवक्ता नियुक्त किये जायें ।

सभापति महोदय :- चलिये हो गया । समाप्त करिये । मरपच्ची जी, आपको बोलना बहुत जरूरी है क्या ? अभी हमारे नेता प्रतिपक्ष का भाषण है, मंत्री जी का भी होगा । आप एक मिनट में बोल लीजिए ।

श्री जनक ध्रुव :- सभापति महोदय, अनुसूचित जन जाति का जो रोस्टर है..।

सभापति महोदय :- अब आपका हो गया ।

श्री जनक ध्रुव :- माननीय सभापति महोदय, धन्यवाद ।

सभापति महोदय :- आप 1-2 मिनट के अंदर बोल लीजिए ।

श्री प्रणव कुमार मरपच्ची (मरवाही) :- धन्यवाद सभापति महोदय । सभापति महोदय, मैं कृषि, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति विभाग द्वारा लाये गये बजट के समर्थन में बोलने के लिये खड़ा हूँ । माननीय सभापति महोदय ...।

सभापति महोदय :- आप सीधे काम में आ जाओ ।

श्री प्रणव कुमार मरपच्ची :- माननीय सभापति महोदय, जैसा कि अनुसूचित जनजाति विभाग के बजट में बस्तर और सरगुजा का विशेष प्रावधान किया गया है । मैं माननीय मंत्री जी के ध्यान में लाना चाहूँगा कि जिला गौरेला-पेंड्रा-मरवाही भी पूर्ण रूप से अनुसूचित क्षेत्र है और इस प्रतिवेदन में जिला

गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही का नाम दर्ज नहीं है, यह लिपिकीय त्रुटि है या क्या है, मैं नहीं जानता हूँ । यह दर्ज होना चाहिए तो मुझे भी संतुष्टि होगी या फिर किसी शब्दों में छुपा होगा तो उसका मायने मैं नहीं समझ पाता, लेकिन यह दर्ज नहीं है ।

सभापति महोदय, मैं दूसरी बात निवेदन करना चाहूंगा । जिला गौरेला-पेंड्रा-मरवाही जो पूर्ण रूप से अनुसूचित क्षेत्र है । यहां 2011 के अनुसार शिक्षा का दर 54 प्रतिशत है और यहां से भी ज्यादा शिक्षा का दर सरगुजा और बस्तर का है । मैं बजट का पूर्ण रूप से समर्थन करता हूं, अन्यथा न लें, लेकिन मेरी जिम्मेदारी बनती है कि जिला गौरेला-पेंड्रा-मरवाही अगर अनुसूचित क्षेत्र है तो उसी प्रकार का लाभ उस क्षेत्र को भी मिलना चाहिए क्योंकि इस क्षेत्र में न तो डीएमएफ है, न ही सीएसआर है तो इस क्षेत्र का विकास कैसे होगा । गौरेला-पेंड्रा-मरवाही बहुत ही खुबसूरत जिला है । साथ ही साथ एक योजना जो बस्तर और सरगुजा के लिए आई है-मुख्यमंत्री सुगम यातायात योजना, इस योजना से जिला गौरेला-पेंड्रा-मरवाही में भी जोड़ा जाये । तीसरा, अनुसूचित जाति मंत्री जी से एक मांग है कि हमारे जिले के अंदर मरवाही विधान सभा क्षेत्र में जिला सहकारी बैंक की कमी है । वहां आये दिन दिक्कतें होती हैं । वहां एक बैंक का प्रस्ताव भी सरकार को भेजा जाये । सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिए धन्यवाद ।

श्री अजय चन्द्राकर (कुरूद) :- माननीय सभापति महोदय, मैं बहुत संक्षेप में अपनी बात कहूंगा । प्रदेश के वरिष्ठ नेता, कई बार के विधायक रहे जमीन से जुड़े नेता जिन्होंने प्रदेश के कई विभागों को अपना नेतृत्व प्रदान किया और राज्यसभा के भी सदस्य बनकर राष्ट्रीय राजनीति में, संगठन की भी राष्ट्रीय राजनीति में अपनी छाप छोड़ी । मैं अपेक्षा करता हूं कि वे अपनी इस पारी में छत्तीसगढ़ की जनता के अपेक्षाओं पर भी और जो जनोदश मिला है, उस पर भी वे निश्चित रूप से खरे उतरेंगे। मैं उनके विभाग की अनुदान मांगों का समर्थन करता हूं । सभापति महोदय, कुछ छोटी-छोटी बातें हैं । विपक्ष के लोग हमेशा कहते हैं कि आप जांच करवाईए । मैं आपसे एक छोटी सी अपेक्षा कर देता हूं ।

समय :-
3:53 बजे

(सभापति महोदय (श्री लखेश्वर बघेल) पीठासीन हुए)

श्री रामकुमार यादव :- आप आंकड़े वाले बजट में बोलिए न ।

श्री अजय चन्द्राकर :- मैं जांच की बात करता हूं तो दिमाग खराब होता है ।

श्री रामकुमार यादव :- हम लोग बोलेंगे तो बजट में बोलेंगे, जांच वाली बात बजट में कहां से आ गई महाज्ञानी साहेब ।

श्री अजय चन्द्राकर :- मैं विनियोग में बोल दूंगा, बजट की बात सुन लेना । सभापति जी, महात्मा गांधी उद्यानिकी वानिकी विश्वविद्यालय में छोटा सा बीज लगा था, उसकी शुरूआत भ्रष्टाचार से

हुई, गलत भर्ती से हुई । जिस तरह का वातावरण मैन पॉवर को तैयार करके कृषि जगत को बदलना चाहते हैं, उसके लिए छात्रों को तैयार करना चाहते हैं, छत्तीसगढ़ में एक नये तरीके के विश्वविद्यालय की स्थापना हुई तो जो बीजारोपण हुआ, वह भ्रष्टाचार से हुआ, एक फैकल्टी गलत आने से हुआ । आपने कार्रवाई की, लेकिन मैं आपसे अपेक्षा करता हूं कि वह अंजाम तक पहुंचे और जल्दी पहुंचे ।

सभापति जी, दूसरी बात जो मैंने आपसे कही थी । खाद के लिए पर्याप्त चर्चा हो गई है, उसमें बहुत परेशानी होती है, जब हम लोग जमीन में देखते हैं तो खाद में आप अवश्य सिंगल लॉक, डबल लॉक के लिए नीति बनाएंगे, ऐसी अपेक्षा है । मैं कृषि विभाग के प्रतिवेदन को पढ़ रहा था । आपके पास तमाम चीजें हैं, लेकिन आप एक चीज करिएगा, वह यह है कि किसानों का एक्सपोजर विजिट जरूर हो । उसके लिए यदि बजट के प्रावधान करने हों तो करें या और किसी मद से हो सकता है तो हो कि वे हिसार जाना चाहते हैं, पंत नगर जाना चाहते हैं या बनासकांठा जाना चाहते हैं या आणंद जाना चाहते हैं । अलग-अलग चीजें जो दुनिया में घट रही हैं । माननीय सभापति जी की आसंदी पर थे । हिसार से एक भैंसा आया था, जब धर्मजीत जी इधर से बैठते थे तो उस पर मजाक में टिप्पणी की थी, अब वे हरियाणा वाले हिसार से निकलकर मैक्सिको पहुंच गए हैं कि हम उससे भी ज्यादा हाईब्रिड वाली नस्ल तैयार करेंगे। दुनिया में और कहां पर उन्नत पशुधन है, एग्रीकल्चर एजुकेशन में यह बात आएगी। तो आप एक्सपोज़र विजिट को जरुर शामिल करवाइएगा ताकि राष्ट्रीय स्तर पर जो अलग-अलग चीज़ें हो रही हैं, वे भी दिखाई दें। दूसरी बात, जो एजुकेशन और अनुसंधान है, उसमें सारी चीज़ें जुड़ी हैं, प्रशिक्षण भी जुड़ा है, शिक्षण भी जुड़ा है, नया बीज भी जुड़ा है, मिट्टी परीक्षण भी जुड़ा है, खाद भी जुड़ा है तो डेयरी टेक्नालॉजी भी जुड़ा है और खाद्य टेक्नालॉजी भी जुड़ा है। इस प्रकार सारी चीजें जुड़ी हैं। इसमें फैकल्टी की कमी रहना, नए विषयों को खोलना क्योंकि कालेज की संख्या जरूर बढ़ी है, पर विषयों की संख्या और ऐसे विषयों की संख्या जो कि छत्तीसगढ़ में शोध को खेत तक उतार सके, तो आशा है कि आप इसमें देखेंगे।

सभापति महोदय, धमतरी जिले को आपने बागवानी मिशन में शामिल करवाया है, उसके लिए मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं। पिछली बार जब मैं विपक्ष में था, इधर बैठते थे तो मेरी एक आधे घंटे की चर्चा थी, जो कि टी.आर.आई.(Tribal Research Institute) पर थी। आपने एक ही आधे घंटे की चर्चा स्वीकृत की थी। आपके पास बहुत सारी संस्थाएं हैं, प्राधिकरण हैं। मेरे ख्याल से जितनी चीजें आप नियुक्त और संचालित करते हैं, किसी अन्य विभाग में इतनी सारी संस्थाएं और प्राधिकरण नहीं होंगे लेकिन आदिवासियों की दिशा और दशा कैसे सुधरे इसके लिए जो सबसे महत्वपूर्ण संस्था है, टी.आर.आई. इसको आप देखिए कि अनुसूचित जनजाति में व्याप्त समस्याओं का अध्ययन और निराकरण इथोलॉजिकल, एन्थ्रोपोलाजिकल अध्ययन हो। साहब, इसमें अध्ययन कम हो रहा है, प्रकाशन आपने जरूर किया। अध्ययन हो, तो कम से कम जो मात्रात्मक त्रुटि की छोटी सी बात को ले लें, उनकी

परंपरा, संस्कृति का नेतृत्वशास्त्री जो अध्ययन है, वह कैसे बनाए रखा जा सकता है, उनके आम जीवन शैली की जितनी चीजों का भी अध्ययन होगा, उससे आपको नीति बनाने में सुविधा होगी। अब इस संस्था में आपके पद खाली हैं। दूसरी बात, जिला स्तर पर भी शोध और प्रशिक्षण के लिए आपके एक भी जिले में रिसर्च असिस्टेंट नही हैं। आपने दो संग्रहालय बनाए हैं।

श्री रामकुमार यादव :- माननीय सभापति महोदय, अभी हमारे वरिष्ठ और ज्ञानी भइया सही पकड़े हैं।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय सभापति महोदय, जब हम सुशासन और अभिसरण विभाग में बात करेंगे, जो कि माननीय मुख्य मंत्री जी का विभाग है, आपने दो संग्रहालय बनाए हैं, एक का आपने सेटअप स्वीकृत किया है और एक का आपने अभी तक सेटअप ही स्वीकृत नहीं किया है। उसका अभिसरण, जो अभिसरण का विभाग है, विभिन्न विभाग मिलकर, दो तीन विभाग यदि चलाते हैं, तो वह विभाग जो है वह कैसे बने और ये इतनी अच्छी अवधारणा है कि जो विद्रोह है। माननीय नेता प्रतिपक्ष जी, मैं कभी-कभी भाषण देता हूं, माननीय मंत्री जी यह आपको समर्पित है कि रिसर्च से कौन सी बातें सामने आयेंगी, एक छोटा सा उदाहरण बता देता हूं कि जब परलकोट विद्रोह हुआ, गैंदसिंह जी शहीद हुए, राजीव रंजन जी छत्तीसगढ़ के बारे में और खास तौर पर बस्तर के बारे में किताब लिखते हैं ।

समय:

4.00 बजे

माननीय सभापति महोदय, जब उनसे मेरी मुलाकात हुई तो मैंने उनको कहा कि गेंद सिंह जी के साथ एक महिला अमरवतीन बाई शहीद हुई थी। यह सत्य है कि यह मिथक है। आप इसका अध्ययन करिये और यदि यह सत्य है तो स्वतंत्रता आंदोलन में पहली महिला शहीद छत्तीसगढ़ से अमरवतीन बाई मानी जायेगी। आप जो संग्रहालय बना रहे हैं, उसमें रानी चोरिस एक शब्द है। यदि आप संग्रहालय में जायेंगे, उसको पढ़ेंगे और उसको जानेंगे तो वूमेन इम्पॉवरमेंट का अर्थ समझ में आयेगा। मैंने रानी चोरिस के बारे में केदार कश्यप जी से पूछा था, इनको याद होगा। वह वूमेन इम्पॉवरमेंट की सबसे बड़ी उदाहरण थी। आप उसको लोगों को बतायेंगे कि आज जो महिला सशक्तिकरण आंदोलन के तौर पर है, वह महिला सशक्तिकरण सबसे पहले बस्तर क्षेत्र में दिखती थी। आप इस बारे में यदि संग्रहालय बना देते हैं, लेकिन उसका क्यूरेटर नहीं है, उसका गाईड नहीं है और यदि उस गाईड को सही ढंग से कोई चीजें पता नहीं है, यदि उसका लेखन नहीं है और लेखन करने वाली संस्थाएं कमजोर हैं, तो आप जितनी योजनाएं बना रहे हैं, उसके बारे में जो अध्ययन होना है, उस पर आप आदि नारी का प्रकाशन कर दीजिये। उसमें 10 प्रकाशन निकाल दीजिये परंतु मूल बातों में जो अध्ययन होना चाहिए। अब जब आप अध्ययन करेंगे तो क्या छत्तीसगढ़ में नयी आदिवासी परियोजनाएं बनेंगी ? क्या उप परियोजनाएं बनेंगी ? यदि बस्तर में जगह नहीं है तो मैदानी क्षेत्र कितनी जगहों में उप परियोजनाएं बन सकती है ?

हमने नई उप परियोजनाओं और परियोजनाओं के लिये कब से प्रस्ताव नहीं भेजा है ? उसके लिये क्या अभियान चलायेंगे ? क्या टी.आर.आई. ने यह अध्ययन कर लिया कि 20 से ज्यादा आदिवासी गांवों का समूह मुंगेली में, पिथौरा में और दल्ली राजहरा में है या नहीं ? मैदानी क्षेत्र में जो आदिवासी बाहुल्य इलाके हैं, क्या उनका अध्ययन करके हम ऐसी नई चीजें कर सकते हैं ? आपने जो बजट खर्च किया है, आप उसका अनुपात बढ़ाईये। आप इस साल ज्यादा खर्च कीजिये क्योंकि पिछले साल नया-नया था। आपने जो प्राधिकरण बनाये हैं, उसमें आपने जो भी अध्यक्ष, उपाध्यक्ष बनाये थे, उसमें पिछली बार यह हुआ कि यह मध्य क्षेत्र का पैसा है। साहब, मध्य क्षेत्र में जो जिले आते हैं, उसमें सामान्य क्षेत्र में भी आदिवासी गांव हैं। आपने अनुसूचित जाति प्राधिकरण बनाया है तो यदि अनुसूचित क्षेत्र के विधायक को छोड़ लोरमी और मुंगेली सुरक्षित है तो विधायक यहां बैठे हैं। मान लीजिये जैसे मैं कुरूद से आता हूं, मैं वहीं का बोल देता हूं। मेरे क्षेत्र में विशेष घटक के 12 गांव हैं। 70 गांव ऐसे हैं, जिनमें अनुसूचित जाति का मोहल्ला है। मैदानी क्षेत्र में आने के बाद भी कम से कम 20 गांव ऐसे हैं, जिसमें आदिवासियों की बहुलता है। क्या उनके मोहल्ले में, उनके पारा में और उनकी टोली में पैसा नहीं मिलना चाहिए ? जिस विभाग द्वारा भी पिछले साल जो राशि का आवंटन हुआ था, वह ऐसे ही आवंटन हुआ कि रिजर्व क्षेत्र के 11 सुरक्षित विधायक हैं, तो साहब वह पैसा उनका है। आप इनको थोड़ा ध्यान दीजियेगा। यह सुधारात्मक चीजें हैं।

सभापति महोदय :- चलिये, समाप्त करिये।

श्री अजय चन्द्राकर :- आपके बजट के खर्च का प्रतिशत बढ़े और बाकी दो चीजों का उल्लेख करके मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। आपने, गृह मंत्री जी ने, माननीय केदार कश्यप जी ने या आपके मंत्रिमण्डल के जिन मंत्रियों ने भी योगदान दिया हो, परंतु यह नियद नेल्लानार योजना बहुत अच्छी योजना है। एक शब्द का उपयोग हुआ है, यह महाअभियान है। यदि यह महाअभियान है तो मान लीजिये कन्वर्जेंस के सबसे अच्छे उदाहरण के रूप में रूरल डेव्हलपमेंट को भी जोड़ ले। वह मनरेगा में कन्वर्जेंस करती है तो पहला शब्द उन्हीं के साथ आया। यदि आप नियद नेल्लानार को कन्वर्जेंस कर रहे हैं तो इससे बड़ा और अच्छा मॉडल देशभर में नहीं मिल सकता। दूसरा, 1984 में देश में एक प्रधानमंत्री बने। उनकी पार्टी के लोग हमारे बीच में हैं। मैं उनकी आलोचना के लिये नहीं बोल रहा हूं। वह जिस पार्टी से बिलॉन्ग करते थे, वह पार्टी आज भी है। आदिवासी संस्कृति और आदिवासी परंपरा, पर्यटन का विषय था। क्या है कुल्हाड़ी घाट में आज जाने के बाद, दुगली में आज जाने के बाद क्या है ? दुगली में क्या परिवर्तन आया ? कुल्हाड़ी घाट में क्या परिवर्तन आया ? लेकिन साहब, आपने जब जन मन लाया तो सड़कें पहुंची, मकान पहुंचे, बिजली पहुंची, गैस चूल्हा पहुंचा। यह महसूस होता है, यह दिखता नहीं है। मैं तो आपको कहूंगा कि माननीय नेता प्रतिपक्ष जी को एक अध्ययन दौरे में नियद नेल्ला नार दिखाईये। उन गांवों में नियद नेल्ला नार का प्रभाव दिखवाईये। उनको प्रधानमंत्री जनमन योजना को दिखाईये कि

वहां Primitive tribes का विकास हुआ है। मैं, आपको बता दूं कि पहले समाज कल्याण, आदिवासी विभाग के बाद सिर्फ आदिवासी विभाग होते थे, वर्ष 1977 में Primitive tribes के लिए बजट नहीं पहुंचा तो यहां Primitive tribes के लिए अलग से योजनाएं बननी शुरू हुईं। हम उन योजनाओं में केवल पैसे देते थे तब प्रभाव नहीं दिखा था। प्रधानमंत्री जनमन योजना से यह प्रभाव दिखा। Specific यह योजना सिर्फ आपके लिए बनेगी।

श्री दलेश्वर साहू :- माननीय चन्द्राकर जी, प्रधानमंत्री जनमन योजना के पैसे का भी उपयोग नहीं कर पाये हैं।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय सभापति महोदय, मैंने, आपको एक लाईन में यह कह दिया है कि यहां आप पैसे का फ्लो बढ़ाईये। भोला जी, इतने में पर्याप्त है। मैं, आपसे यह आग्रह करूंगा कि उनको ...।

उमेश पटेल :- माननीय अजय जी, आप माननीय सदस्य का नाम तो सही लीजिए।

श्री रामकुमार यादव :- ए भोला नइ हे।

सभापति महोदय :- आप टोकाटाकी न करें। अब आप समाप्त करें।

श्री रामकुमार यादव :- माननीय सभापति महोदय, ए भोला नइ हे। ए आग का गोला हे।

सभापति महोदय :- यादव जी, आप बैठिए।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय सभापति महोदय, भोला जी यहां बैठते हैं। माननीय दलेश्वर जी क्षमा करियेगा। इनको वहां एक अध्ययन दौरे में ले जाईये। इस 1 साल में प्रधानमंत्री जनमन योजना को लागू करने के बाद उनकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति में क्या परिवर्तन आए हैं? माननीय नेता जी, आप अनुभव करें। यदि और कोई आपके विभाग की आलोचना करें तो उनको भी यह दोनों योजनाएं दिखाएं। मैं, आपको, आपकी सरकार और माननीय मुख्यमंत्री जी को इन संवेदनशील कार्यों के लिए बधाई देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। आप क्षमतावान आदमी हैं। इन विषयों पर सोचता हूँ कि आप इन्हें जनहित में अवश्य स्वीकार करेंगे।

श्री धर्मजीत सिंह (तखतपुर) :- माननीय सभापति महोदय, एक मिनट। यदि आपकी अनुमति हो तो मैं दो मिनट बोल लूं।

श्री पुन्नूलाल मोहले :- माननीय सभापति महोदय, यह अजय जी ने यह नहीं बताया। आप माननीय मंत्री जी की क्षमता के बारे में बता दें?

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय मंत्री जी के क्षमता तीन झन के लईक हे तोर क्षमता 14 झन के लइक हे। अतकी अंतर हे।

श्री धर्मजीत सिंह :- माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूँ। अभी मैं माननीय सदस्य श्री प्रणव कुमार मरपच्ची जी का भाषण सुन रहा था। उन्होंने बहुत सही बात कही।

जी.पी.एम. जिला गौरेला पेण्ड्रा मरवाही जिला पूरी तरह से बैगा बाहुल्य है। दूसरे सरगुजा और बस्तर जिले में गैर आदिवासी भी बहुत से हैं, लेकिन वहां पर आदिवासी योजनाओं का पूरा प्रभाव दिखायी देता है, पर उसका रेश्यो निकालेंगे तो जी.पी.एम. जिले में सबसे ज्यादा ट्राईबल हैं वहां पर ओ.बी.सी. और दूसरी जातियां कम हैं। इसलिए जो ट्राईबल का प्रोजेक्ट है जिसमें वह शामिल भी नहीं हैं तो आपको उसको शामिल करने की घोषणा करनी चाहिए। मैं आपसे और माननीय केदार कश्यप जी, दोनों से निवेदन करना चाहता हूँ कि आपको जी.पी.एम. जिले के दौरे में जाना चाहिए। अगर आप वहां के छोटे-छोटे कामों को करेंगे तो वह जिला बहुत आगे बढ़ जाएगा। जहां तक Primitive tribes के बैगा जाति का मामला है तो इस प्रदेश में बैगा चिल्फी रेंगाकार की तरफ से शुरू होते हैं। वह तरेगांव और दलदली, पण्डरिया के जंगल से होते हुए अचानकमार तक, वहां से पेण्ड्रा गौरेला तक जाकर वह आबादी खत्म हो जाती है। उनकी सुरक्षा और तरक्की के लिए इन्होंने जो कहा है कि वहां पर उनको प्रोजेक्ट में पैसा देना चाहिए, परन्तु उसमें पेण्ड्रा गौरेला जिला नहीं है इसलिए शायद वह वंचित है। आप उसको एड करने की घोषणा करिये।

कृषि मंत्री (श्री रामविचार नेताम) :- माननीय सभापति महोदय, मैं इसको दिखवाकर, इसको दुरूस्त करवाऊंगा और उसको सुधारूंगा।

श्री धर्मजीत सिंह :- माननीय सभापति महोदय, दूसरा एक और छोटा सा निवेदन है कि हमारे क्षेत्र में अनुसूचित जाति के बड़े-बड़े गांव हैं। आपने जो अनुसूचित जाति का बनाया है उसमें हम लोगों का कहीं नंबर ही नहीं है। जहां उस गांव में अनुसूचित जाति के लोग रहते हैं उनके विकास के लिए पहले तो था। कुछ सालों पहले तक हम इस योजना में शामिल थे, लेकिन आज नहीं हैं इसलिए उसको शामिल करने की कृपा करें। ताकि उन गांवों में जहां पर अनुसूचित जाति के लोग रहते हैं उनको भी कुछ फायदा मिल सके और उनकी गांव की समस्या हल हो सके।

माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, उसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद्।

नेता प्रतिपक्ष (डॉ. चरणदास महंत) :- माननीय सभापति महोदय, आपको धन्यवाद्। वैसे तो माननीय रामविचार नेताम जी ने जो अपने विभाग की अनुदान मांगें प्रस्तुत की हैं, मैं उसका विरोध करने के लिए खड़ा हुआ हूँ।

माननीय सभापति महोदय, मगर उसके पहले माननीय अजय चन्द्राकर जी को धन्यवाद् देना चाहता हूँ कि उन्होंने अभी बहुत कम समय लिया। हम लोग आप ही से डरते हैं कि आप 5 मिनट की बात कहकर, 47 मिनट में समाप्त करते हैं। आज छोटी-छोटी बात कहके, आपने यह खुद ही कहा है कि आप एक बड़ी बात को भूल गये, मैं आपको उसी को याद दिलाना चाहूंगा। आपकी उसमें हामी भी चाहूंगा, सहमति भी चाहूंगा और अगर असहमति है तो उसका कारण भी जानना चाहूंगा। माननीय रामविचार नेताम जी के बारे में माननीय अजय चन्द्राकर जी ने जो कुछ उनकी प्रशंसा में कहा कि वे

बहुत अच्छे विधायक, सांसद, राज्यसभा सांसद रहे और सभी समय हमारी मित्रता रही और हम एक दूसरे के अच्छे मित्र रहे हैं और अभी भी रहेंगे।

श्री अजय चन्द्राकर :- लेकिन इस बात को जब आप किसी के साथ उल्लेख करते हैं कि मित्र रहेंगे तो हम दोनों के अवैध संबंध का उल्लेख जरूर होना चाहिए।

डॉ. चरणदास महंत :- एक गाना है ना- रहे ना रहें हम महका करेंगे बनके कली, बनके सबा, वही वाली बात है। अगर आप इजाजत दें तो किसके बारे में कह दूं। चन्द्राकर जी के बारे में कह रहा हूं :-

दोस्त बनकर दुश्मनों सा वो सताता है मुझे

फिर भी उस जालीम पर मरना अपनी फितरत है तो है।

यह आपके और मेरे अवैध संबंधों को स्वीकृति प्रदान करता है। इन सबके पहले आदरणीय मंत्री जी जैसा कि आपका नाम है, वह कहां गये ? मैं उनके आये बगैर नहीं बोलूंगा।

श्री अजय चन्द्राकर :- वह बाहर गये हैं।

समय

4.11 बजे **(अध्यक्ष महोदय (डॉ. रमन सिंह) पीठासीन हुए)**

डॉ. चरणदास महंत :- मैं उनके आये बगैर नहीं बोलूंगा। तब तक दूसरी बात करते रहें। उनको सुनाना जरूरी है।

श्री अजय चन्द्राकर :- दो मिनट स्थगित करना पड़ जायेगा।

डॉ. चरणदास महंत :- नहीं, स्थगित नहीं करा रहे हैं। आपने जिस अमरौतिनबाई जी का जिक्र किया, उसके बारे में आप पिछली सरकार में इस सदन में चर्चा कर चुके हैं। बहुत सारे जैसे संग्रहालय के बारे में कह रहे थे।

श्री अजय चन्द्राकर :- सर, मैं यह कहना चाहूंगा कि वह यह नहीं था कि परलकोट विद्रोह या चोरीस के बारे में संग्रहालय में दिखाया जायेगा। अब यह लोग कोशिश कर रहे हैं कि वह दिखाया जायेगा, उसका उल्लेख किया जायेगा। इसलिए मैंने कहा कि उसमें गाईड, क्यूरेटर ये सब सही रहें जो इन सब बातों को जानें, इसलिए उल्लेख किया।

डॉ. चरणदास महंत :- आपने ठीक कहा। मैं आपके सुझाव का समर्थन करता हूं। आपने संग्रहालय बनाने के बारे में जो बात की है, यह सरकार बना रही है या वह सरकार बनाई थी ? अभी-अभी लेटेस्ट है, उसके बारे में कुछ नहीं कहना है। एक साल में कहां से बन पायेगा ? अभी तो उसकी नींव नहीं डली होगी। अध्यक्ष महोदय, जब तक रामविचार नेताम जी नहीं आते, तब तक मैं इसी तरह से

बात कर रहा हूं। (माननीय मंत्री श्री रामविचार नेताम जी के आने पर) आईये, आईये।

अध्यक्ष महोदय :- अब मुद्दे में आ जाईये।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय नेता प्रतिपक्ष जी, यह जो आपके सामने जान-बूझकर उठकर गये न, इसलिए थोड़ी प्रशंसा को कम कीजियेगा। आपको सदन के बाहर जाने की इतनी तीव्रता क्यों थी, यह भी थोड़ा अवगत करायें ?

कृषि मंत्री (श्री रामविचार नेताम) :- मैं उसी तीव्रता के साथ आ भी गया हूं।

डॉ. चरणदास महंत :- मैं आपकी प्रंशसा कर रहा था, तब आप यहां नहीं थे क्या ?

श्री रामविचार नेताम :- मैं आपकी ही बात सुनने के लिए दौड़कर फिर आया।

डॉ. चरणदास महंत :- धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह आर्थिक सर्वेक्षण है, सबको पता होगा। माननीय मंत्री जी, आप भी ध्यान दीजियेगा। आप इसके 96 नंबर पृष्ठ को खोल सकें तो खोल लीजिए। चन्द्राकर जी, आपको भी कहूंगा। यहां पर कृषि विभाग के जो उत्पादन हुए हैं, उसकी जानकारी लिखी हुई है। क्या आपने देखा है ? आपने इस तरफ ध्यान नहीं दिलाया।

श्री अजय चन्द्राकर :- क्या है कि जब आप उधर बैठते थे तो मैं आर्थिक सर्वेक्षण को ध्यान से पढ़ता था और एक बात आपके तत्कालीन मुख्यमंत्री जी को कहा था कि अपनी सरकार का आर्थिक सर्वेक्षण पढ़ लीजिए, सिंचाई का रकबा भी घटा है और आपके राज में खेती का रकबा भी घटा है।

डॉ. चरणदास महंत :- धन्यवाद। इसमें आपने वर्ष 2023 में फसल का जो उत्पादन 100 लाख टन बताया है और आपने समर्थन मूल्य पर 144 लाख टन धान खरीदी की है, इसमें 44 प्रतिशत अधिक हो रहा है तो यह 44 प्रतिशत धान कहां से आया ? जब हमारे खेतों का उत्पादन ही 100 लाख टन है तो पिछले साल हम लोगों ने 145 लाख टन कैसे खरीद लिया ? माननीय मंत्री जी, मैं इस पर आपका ध्यान चाहूंगा, आपका विचार चाहूंगा और मैं यह चाहूंगा कि आपके अधिकारियों के भी कान मेरी तरफ हों । दूसरी बात, आपने अभी-अभी वर्ष 2024 में 110 लाख टन उत्पादन बताया है तो आपने यह 139 लाख टन की खरीदी कैसे कर ली ? यह तो उत्पादन से ज्यादा...।

श्री अजय चंद्राकर :- साहब, आप विद्वान आदमी हैं । यह पैदा करते हैं, वह खरीदते हैं । खरीदने का काम कैसा है, यह आप उनसे पूछिए कि कहां से ज्यादा खरीदे ? यह मंत्रिमण्डल की ज्वाइंट रेस्पांसबिलिटी है, यह पैदा भर करते हैं, बेचारे नहीं बता पायेंगे । खरीदने वाले वह हैं ।

डॉ. चरणदास महंत :- कौन हैं ?

श्री अजय चंद्राकर :- दयालदास जी ।

डॉ. चरणदास महंत :- मैं तो इसमें माननीय अध्यक्ष महोदय जी का भी ध्यान चाहूंगा, अरूण साव जी का भी ध्यान चाहूंगा, राजस्व मंत्री जी का ध्यान चाहूंगा । हमारे उमेश का भी चाहूंगा, राघवेन्द्र

का भी ध्यान चाहूंगा कि 100 की जगह 145 और 110 की जगह 149 यह कैसे हो सकता है ? अब मैं इस पर क्या भाषण दूं या क्या कहूं ?

श्री उमेश पटेल :- मंत्री जी, क्या कोई जादू की छड़ी ले आये हैं ?

डॉ. चरणदास महंत :- अब आप इसको स्वीकार कीजिये ।

कृषि मंत्री (श्री रामविचार नेताम) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे लगता है कि आप आर्थिक सर्वेक्षण की बात कर रहे हैं । चूंकि विभाग के प्रतिवेदन के अतिरिक्त जो प्रतिवेदन यहां प्रस्तुत हुआ है । महोदय, अब यह चूंकि परीक्षण का विषय है । माननीय नेता प्रतिपक्ष जी ने जिस विषय को उद्धृत किया है, उठाया है । मैं समझता हूं कि निश्चित ही यह गंभीर विषय है, हम इसको गंभीरता से लेते हैं ।

डॉ. चरणदास महंत :- मैं तो यह आपके विचार के लिये लाया हूं । आप रामविचार हैं, आप विचार करिये कि यह कैसे हो गया ? मैं आपके विचार के लिये ही यह प्रश्न लाया हूं और दूसरा मैं आपके विचार के लिये यह भी प्रश्न उठाता हूं कि जहां-जहां धान का उपार्जन वर्ष 2023-24 या वर्ष 2024-25 में हुआ है तो बस्तर, बीजापुर, दंतेवाड़ा, कांकेर, कोंडागांव, नारायणपुर, सुकमा इनमें पिछले साल से ज्यादा उत्पादन हुआ है, पिछले साल से ज्यादा बस्तर के ईलाके में और बलरामपुर, जशपुर, कोरिया, सरगुजा, सूरजपुर और मनेंद्रगढ़-चिरमिरी । यहां भी आपने पिछले साल से ज्यादा उपार्जन किया है जबकि ऐसा माना जाता है कि आदिवासी क्षेत्रों में जो खेत हैं उसमें कम धान उत्पन्न होता है और जहां-जहां ज्यादा धान उत्पन्न होता है बिलासपुर, जांजगीर-चांपा, कोरबा, मुंगेली, रायगढ़, सक्ती, दुर्ग, बलौदाबाजार, महासमुंद, धमतरी, रायपुर इसमें पैदावार ज्यादा होती है और जहां ज्यादा पैदावार होती है वहां आपने उपार्जन कम किया है तो चंद्राकर जी आप भले ही कुछ न कहें लेकिन स्पष्ट नजर आता है कि आपकी उत्पादकता, खरीदी और उपार्जन में जो अंतर दिख रहा है । यह साफ-साफ दिखा रहा है कि आप आजू-बाजू प्रदेश से लेन-देन कर रहे हैं, आ रहा है, जा रहा है । अब मैं इसका आरोप लगाऊं कि आपके विचार के लिये छोड़ दूं ? मैं माननीय अध्यक्ष जी को यह अवश्य कहना चाहूंगा कि अगर यह गलत हो रहा है, वैसे मेरे पास वर्ष 2021 के भी आंकड़े हैं । वर्ष 2021 में 83 लाख टन उत्पादन हुआ था और 97 लाख टन खरीदी हई थी तो चलो इधर-उधर से थोड़ा-बहुत आ गये होंगे, 17 परसेंट का सवाल है । वर्ष 2022 में 100 लाख मीट्रिक टन खरीदी हुई और समर्थन मूल्य पर 160 लाख मीट्रिक टन खरीदा गया । यह उत्पादन है या समर्थन है ? उसमें 7 परसेंट की बढ़ौत्तरी है तो यह 7 परसेंट, 17 परसेंट तक तो चल जायेगा लेकिन 44 परसेंट और 36 परसेंट यह उपार्जन ज्यादा होना यह छत्तीसगढ़ के लिये एक सवाल है । इनके मंत्रिमण्डल के लिये सवाल है और सभी मंत्रियों के लिये सवाल है, इसकी जांच करायें और मैंने जो आपको जानकारी दी है, मैं केवल इसी बात को इनको अवगत कराने के लिये खड़ा हुआ हूं, बाकी मैं आपको ज्यादा परेशान नहीं करता। हमारे सभी साथियों ने पर्याप्त समय ले लिया है और आपको कम समय है, फिर भी एकाध बात मैं चूंकि आदिवासी क्षेत्र से आते रहा हूं और मेरी बीवी

आती है। तो मैंने कोरबा जिले के पोड़ी उपरोड़ा ब्लॉक के बारे कहा था कि वहां छात्रावास में एक लड़की गर्भवती हो जाती है, बच्चा पैदा भी हो जाता है और न तो छात्रावास के लोगों का ध्यान रहता, न किसी का ध्यान रहता और इसी तरीके से मेरे पास अनेक शिकायतें हैं। आजकल आपके जो स्कूल ग्रामीण क्षेत्रों में हैं, आदिवासी क्षेत्रों में हैं, वहां शिक्षक के बारे में भी, पढ़ाई के बारे में भी भरपूर शिकायत हो रही है तो इस तरह की बातों को मैं उजागर नहीं करना चाहता, क्योंकि यह प्रदेश आपका भी है, मेरा भी है। हम लोगों को इस बात के लिए चिंतित होना चाहिए। मैं सिर्फ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं और इन छात्रावासों में जो आपराधिक प्रकरण दर्ज हो रहे हैं, उसकी जल्दी जांच करा लीजिएगा और इसकी पहले जांच कराना जरूरी है । आपके सर्वेक्षण में और कौन सी किताब है? वही प्रशासकीय प्रतिवेदन में भी है। प्रशासकीय प्रतिवेदन के पृष्ठ 10 पर है कि इतना उत्पादन हुआ और इतना उपार्जन हुआ। मैं इस गंभीर बात के लिए आपकी गंभीरता चाहूंगा, आप इस पर विचार कर लें। अभी तो शायद उत्तर नहीं दे पाएंगे, मगर आने वाले समय में देंगे।

श्री उमेश पटेल :- दे देंगे।

डॉ. चरणदास महंत :- वे कहां से उत्तर देंगे। पिछले साल का थोड़ी है। पिछले कार्यकाल का उनके पास उत्तर है, पिछले पांच सालों का उत्तर है, अभी का इनके पास कोई उत्तर नहीं हैं। आपको धन्यवाद। धन्यवाद, अध्यक्ष महोदय।

श्री अजय चन्द्राकर :- अध्यक्ष महोदय, 1 मिनट। मैं एक छोटी सी बात आपके ध्यान में ला रहा हूं। अभी तक जितना नहीं सुना था, पानी का लेवल ढाई से तीन मीटर नीचे चला गया। कई गांवों में बिजली की मांग आ रही है कि लो वोल्टेज है। मैं एक गांव गया था, वहां तालाब को पानी से भरने के लिए बांध खुलवाने के लिए मांग हुई। इतना जलस्तर नीचे गया। मैंने बोला कि मार्च में तो कभी डेम खुलता नहीं। नेताजी जी, आप सुनिए, जो मैं बोल रहा हूं। मुझे इसमें आपकी मदद चाहिए । विधान सभा में कभी-कभी ऐसी घटनाएं हो जाती है, बातचीत हो जाती है कि हम निर्णय की ओर बढ़ जाते हैं। रबी फसल के बारे में अब जल स्तर जो गिर रहा है, गर्मी जिस स्थिति में है, एक सर्वदलीय बैठक आहूत कीजिए कि इसमें कोई न कोई निर्णय हो। आप कृषि मंत्री हैं, आप पहल कर सकते हैं। इस साल स्थिति बहुत गंभीर होने वाली है। अभी से बहुत गंभीर है। मैं सर्वदलीय इसलिए बोल रहा हूं कि राजनीतिक इस्तेमाल मत हो कि सरकार ऐसा कर रही है, ऐसा कर रही है और नेता प्रतिपक्ष जी जिनको बोलें, जिस ओर से बोलें, लेकिन ये छत्तीसगढ़ के सामने एक गंभीर प्रश्न है, इसको जरूर आप अपने वक्तव्य में शामिल करिए। जो भी आप सोचते हैं, सरकार सोचती है।

कृषि मंत्री (श्री राम विचार नेताम) :- अध्यक्ष महोदय, आपका बहुत-बहुत आभारी। आज मैं समझता हूं कि कृषि विभाग से संबंधित और ट्राइबल विभाग से संबंधित मांग पर लगातार अभी 2 दिन से चर्चा चल रही है। मैं सबसे पहले तो इस मेरे विभाग से संबंधित मांग पर जिन माननीय सदस्यों ने

भाग लिया और अपने जो बहुमूल्य सुझाव दिए और अंत में माननीय नेता प्रतिपक्ष जी ने जो अपना अमूल्य सुझाव दिया, मैं निश्चित ही आपके सुझाव के आधार पर हम कितना आगे बढ़ सकते हैं और इस विभाग के माध्यम से यहां पर प्रदेश की बेहतरी के लिए हम कितना काम कर सकते हैं, हम सबका एक ही उद्देश्य है और उसी उद्देश्य के लिए हम सब यहां उपस्थित भी हुए हैं। अध्यक्ष महोदय, आदरणीय ब्यास कश्यप जी ने चर्चा की शुरुआत और कुछ समस्याओं की ओर ध्यान आकर्षित किया । अगर मैं अपने भाषण में नहीं बता पाया तो लिखित में भी जवाब भेजूंगा । पूर्व विधान सभा अध्यक्ष और वरिष्ठ नेता आदरणीय धरमलाल कौशिक जी ने विभिन्न योजनाओं के बारे में जानकारी दी । आदरणीय दिलीप लहरिया जी, आदरणीय धर्मजीत सिंह जी को तो हमने उस दिन भी सुना और आज भी आपका प्रेरक उद्बोधन हम सबको प्राप्त हुआ । आदरणीय धर्मजीत सिंह जी के साथ-साथ आदरणीय भूपेश बघेल जी ने भी अपनी बातें रखीं । आदरणीय दलेश्वर साहू जी ने बड़े तीखे बाण चलाए, आदरणीय भावना बोहरा जी ने ड्रोन दीदी से लेकर अन्य बातों को रखा । आदरणीय रामकुमार यादव जी, माननीय नीलकंठ टेकाम जी, माननीय उद्धेश्वरी पैकरा जी, माननीय कुंवर सिंह निषाद जी, माननीय अटल श्रीवास्तव जी, आदरणीय गोमती साय जी, आदरणीय लखेश्वर बघेल जी, आदरणीय रायमुनी भगत जी, आदरणीय संगीता सिन्हा जी, माननीय पुन्नूलाल मोहले जी, माननीय प्रबोध मिंज जी, भाई जनक ध्रुव जी, प्रणव कुमार मरपची जी, आदरणीय अजय चन्द्राकर जी सहित हमारे नेता प्रतिपक्ष जी के भी सुझाव और कुछ कमियों की ओर ध्यान आकर्षित किया है ।

अध्यक्ष महोदय, अगर देखा जाए तो हमारे विभाग में मांग संख्या 15 अनुसूचित जाति उपयोजना, त्रि-स्तरीय पंचायत राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता, मांग संख्या 33 आदिम जाति कल्याण विभाग से संबंधित, आदिम जाति कल्याण विभाग से लेकर एक बड़ा विभाग जिससे अन्न प्राप्त होता है, कृषि विभाग से संबंधित मांगों के बारे में लोगों ने अपने विचार किये हैं । ये बजट की मांगें हैं, विभाग के कार्यकलाप और रूप रेखा हम प्रस्तुत करते हैं । आगे आने वाले साल में हमारी क्या योजनाएं हैं और उनके लिए हमारी दृष्टि क्या है । स्वाभाविक है कि पक्ष और विपक्ष हैं तो आपके बाण भी हमें सहना है । आपके सवालों के जवाब देना है । मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि तू इधर उधर की बात न कर, बता तेरा कारवां लुटा कैसे ? अध्यक्ष महोदय, प्रदेश की जनता ने प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के लिए, हमारे देश ही नहीं बल्कि दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता आदरणीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी की गारंटी के आधार पर कि छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो हम गांव, गरीब, किसान, नवजवान, मजदूर, बुजुर्गों के लिए काम करेंगे, आदिवासियों के लिए, वंचित वर्गों के लिए काम करेंगे । हमने प्रदेश की जनता के सामने संकल्प पत्र प्रस्तुत किया । हमने गारंटी दी कि हमारी सरकार आने के बाद हम प्रदेश के बहुसंख्यक समाज चाहे चाहे अनुसूचित जाति हो, जनजाति हो, पिछड़ा वर्ग हो, अल्पसंख्यक हो, सबके लिए यह सरकार काम करके दिखाएगी । अध्यक्ष महोदय,

हम लोगों ने छत्तीसगढ़ को बनाया है तो हम लोगों को दर्द है, हमने बनाया है, हम ही संवारेंगे। ये करने की पीड़ा है, क्षमता है, जज्बा है, ये संकल्पना है, इस भाव से हम सब काम कर रहे हैं। (मेजों की थपथपाहट) अध्यक्ष महोदय, छत्तीसगढ़ निर्माण के बाद आपके नेतृत्व में वर्ष 2003 में हमारी सरकार बनी। वर्ष 2003 तक क्या था, आप सबको मालूम है कि 300 करोड़ का बजट हुआ। राजकुमार कॉलेज के सभागार में बजट प्रस्ताव पास हुआ। वहां से चलते-चलते आपके नेतृत्व में प्रदेश ने इन 15 सालों में विकास की गाथा ही नहीं लिखा बल्कि बुलंद इमारत बनाने का फाउंडेशन तैयार किया। लेकिन आज दुख के साथ कहना पड़ता है और खेद भी है कि आपने पिछले पांच सालों में क्या किया ? हमने इतना सुंदर चमन बनाया, आपने उस चमन को उजाड़ने का काम किया।

श्री उमेश पटेल :- कैसे किया ?

श्री रामविचार नेताम :- मैं आ रहा हूं, धीरे-धीरे सभी बातों का जवाब दूंगा। मैं आपकी बातों को पानी पी-पीकर सुना भी तो हूं।(हंसी) मैं लगातार दो दिनों से सुन रहा हूं। आदरणीय दलेश्वर जी ने ऐसा शक्ति बाण चलाया लेकिन आपका शक्ति बाण निष्फल हो गया, सब फूस हो गया। अध्यक्ष महोदय, आदरणीय हमारे पक्ष विपक्ष के सदस्यों ने जो विचार और सुझाव दिए।

श्री उमेश पटेल :- माननीय मंत्री जी, आप इधर उधर की बात को छोड़िए, आप बस इतना बता दीजिए कि उत्पादन कितना हुआ है ?

श्री रामविचार नेताम :- मैं वह भी बता रहा हूं। सभी ने सुझाव दिए हैं, मेरी पूरी कोशिश होगी कि आपके जो सकारात्मक सुझाव आए हैं, उसको हम प्राथमिकता के आधार पर बजट में भी शामिल करेंगे और आगे इस सुझाव के आधार पर हम काम करने की कोशिश करेंगे। अध्यक्ष महोदय, हमारे विभाग में अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग समाज के हितों के विकास की मूलधारा भारतीय जनता पार्टी की मूलधारा में है। हमारी सरकार ने गांव, गरीब, किसान के साथ-साथ अनुसूचित जाति, जनजाति वर्गों के विकास के लिए, उनके उत्थान के लिए जो काम किया है, वह सब किसी से छिपा हुआ नहीं है। अगर हम आपके कार्यकाल की समय की बात करें तो जितनी निगम, आयोग, मंडल से लेकर प्राधिकरण से लेकर जिलों का पुनर्गठन से लेकर बस्तर के सुदूर अंचल में इतनी सारी जिलों का निर्माण हुआ, उसके पीछे भी सोच यही थी कि उन क्षेत्रों के रहवासी जो बड़ी तादाद में हमारी 80-90 प्रतिशत आदिवासी लोग निवास करते हैं, आज उन क्षेत्रों में नक्सलवाद से लड़ाई लड़ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, आपने उस पीड़ा को देखा, आपने उस पीड़ा को देखते हुए जिला के साथ-साथ बहुत सारी योजनाओं में स्वीकृति दी, आपने वहां पर बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स की भर्ती की, तमाम सारे खाली पद थे, उसकी भी भर्ती की। अध्यक्ष महोदय, हम लोगों ने ये काम करके दिखाया है। छत्तीसगढ़ के निर्माण करने के पीछे का भी यही उद्देश्य था। हमारे छत्तीसगढ़ में जो ट्राईबल बाहुल्य प्रदेश है, जहां लगभग 32 प्रतिशत एस.टी. निवास करती है, करीब 12 प्रतिशत एस.सी. निवास करने वाले लोग हैं, लगभग 47 प्रतिशत

ओ.बी.सी. लोग निवास करते हैं, ऐसी स्थिति में हमारे छत्तीसगढ़ का चहुमुखी विकास, बेहतरी विकास कैसे हो सके, इसके लिए जरूरी है कि वहां तक प्रशासन कैसे पहुंच पाए, शासन का पूरी तरह से विकेन्द्रीकरण हो, सरकार की योजना का सही ढंग से क्रियान्वयन कैसे हो और इस लिहाज से छत्तीसगढ़ का निर्माण करना जरूरी था। इस पीड़ा को छत्तीसगढ़ की जनता ने और हम लोगों ने समय-समय पर हमारे केन्द्र के तत्कालीन नेतृत्व के सामने रखा भी है। यह हम सबका सौभाग्य है कि छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण करने का जो संकल्प मध्य प्रदेश की विधान सभा में प्रस्तुत हुआ था, उस समय मध्य प्रदेश विधान सभा के आप भी सदस्य रहें, आदरणीय महंत जी भी तत्कालीन मंत्री रहें और एक भाग्यशाली मैं भी था कि मैं भी उस सभा का एक सदस्य हुआ करता था। किस परिस्थिति में यह हुआ? जबकि यहां पर हमारा बहुमत नहीं था। यह मालूम होते हुए कि यदि हम छत्तीसगढ़ अलग राज्य बनायेंगे तो वहां कांग्रेस की सरकार बनेगी, इसके बावजूद हमारे आदरणीय तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने यहां छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण करके व कांग्रेस का मुख्यमंत्री बनने के बावजूद यहां पर किसी प्रकार के विकास में बाधा नहीं डाला। तब से हमारे विकास की गाथा शुरू होती है। हमने वही नहीं किया, बल्कि हमने तो इस वर्ग के विकास के साथ-साथ देशभर में हमारे ST वर्ग के लिए एक अलग मंत्रालय का भी गठन किया। जो आदिवासी मंत्रालय बना। आदिवासी मंत्रालय का गठन करने के बाद समाज कल्याण। एक समय था जब ट्राइबल विभाग समाज कल्याण विभाग से संचालित होता था, लेकिन हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल जी के नेतृत्व में सरकार ने निर्णय लिया कि अलग से एक मंत्रालय बनाकर ट्राइबल विभाग की तमाम जितनी योजनाएं हैं, उनका सीधा क्रियान्वयन इस ट्राइबल विभाग के माध्यम से क्यों न हो। ऐसा करके हम सबको एक अवसर मिला और उस अवसर के साथ में इतना बड़ा एक ऐतिहासिक निर्णय हुआ। तब से लेकर अब तक हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं। यही नहीं हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेन्द्र मोदी जी के बनने के बाद प्रदेश में आदिवासी समाज व ST-SC वर्ग के लिए जिस प्रकार से योजनाएं बनाकर काम करना शुरू हुआ है और काम करने के साथ-साथ आपको मालूम होगा कि एक समय आपकी ही सरकार के मुखिया तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय हमारे राजीव गांधी जी हुआ करते थे तो उन्होंने एक सभा में बोला था कि हम यहां से 100 रूपये देते हैं तो उसमें से मात्र 15 रूपये गरीबों तक पहुंच पाता है। यह बात हमने नहीं बोला है, बल्कि आपकी तत्कालीन सरकार के माननीय प्रधानमंत्री जी ने बोला था। अध्यक्ष महोदय, आप तब और अब में अंतर देखिये। अब के प्रधानमंत्री जी का कहना है कि यदि हम 100 रूपये दे रहे हैं तो वह 100 रूपये सीधे गरीबों के खाते में जाना चाहिये और जा रहा है। (मेजों की थपथपाहट) इसलिए गरीब कल्याण के लिए आज जो जमीन व धरातमल में प्रगति दिखाई दे रही है, इसका यही कारण है।

अध्यक्ष महोदय, छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद आज आप हमारी सोच देखिये। मैं हमारी सोच की ओर इंगित कर रहा हूं। छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद अभी हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय विष्णुदेव

साय जी बने हैं। यह गरीब परिवार से हैं। चाहे जो भी हैं। यह हमारे ST वर्ग से belong करते हैं। आदिवासी समाज का बेटा आज पहली बार छत्तीसगढ़ राज्य में मुख्यमंत्री बना है। देश का सर्वोच्च संवैधानिक पद राष्ट्रपति का होता है, उस पद पर आज किसी आदिवासी समाज की, आदिवासी की बेटी और उसमें भी विशेष पिछड़ी जनजाति की बेटी संवैधानिक पद के उस सर्वोच्च शिखर पर बैठी हैं। यह कल्पना किसी दूसरे की नहीं, बल्कि भारतीय जनता पार्टी की ही हो सकती है। अध्यक्ष महोदय, इसके साथ ही हमारी पार्टी ने कई मुख्यमंत्री व कई राज्यपाल भी बनाये हैं। हमारी सरकार व हमारी पार्टी की सोच यही है कि सबका साथ-सबका विकास व सबके प्रयास से हम इस देश व प्रदेश को विकसित प्रदेश बनाना चाहते हैं। इस देश को विकसित बनाने के लिए छत्तीसगढ़ का योगदान क्या हो सकता है, इस दिशा में अलग-अलग विभागों के माध्यम से हम सब काम कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, वैसे भी हम लोगो को कभी साम्प्रदायिक पार्टी बता देंगे, कहीं और कुछ बता देंगे। भारतीय जनता पार्टी के मूल में ही कहीं न कहीं महापुरूषों का नाम जुड़ा हुआ है। प्रभु श्री राम की बात करें तो प्रभु राम भी कहीं न कहीं इस समाज से जुड़कर ही, इस समाज के बीच रहकर भगवान बने। समाज ने उन्हें एक तरह से साख देकर इतना बड़ा किया। जब प्रभु राम के बारे में बात करते हैं तो सरगुजा अंचल से, सुदूर अंचल से चलते हुए बिलासपुर के रास्ते से होते हुए दण्डकारण्य में रहे। प्रभु राम वनवास के समय अधिक समय इन्हीं क्षेत्रों में रहे। इसीलिए ट्रायबलों का नाम करीब-करीब प्रभु राम के नाम से शुरू होता है। जैसे मेरा नाम राम विचार है। आप लोग कभी राम के नाम का विचार कर कभी ग्रहण करते तो कम से कम इधर-उधर जाल में नहीं फंसे रहते। अध्यक्ष महोदय, बहुत सारे लोग, हमारे गांव एवं क्षेत्र का नाम..।

श्री रामकुमार यादव :- मंत्री जी, आपके नाम राम विचार ए, ऐती रमन सिंह जी ए, ऐसने राम कुमार यादव घलो ए।

श्री राम विचार नेताम :- अध्यक्ष महोदय, गांव है, शहर है, कई शहरों का नाम राम के नाम से जुड़ता है। इसलिए हम लोगों का समाज का समावेश है, मैं समझता हूं कि प्रभु राम से अच्छा भक्त कोई नहीं हो सकता है।

श्री विक्रम मण्डावी :- माननीय मंत्री जी, आप हमारी बातों पर विचार नहीं करते। आप राम तो हैं, लेकिन हमारी बातों पर विचार नहीं करते।

श्री रामकुमार यादव :- ए तुमन उपर मा राम राम तरी तरी सरकाय वाला हा, त।

श्री राम विचार नेताम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार ने जिस प्रकार से कृषि और ट्राइबल विभाग के इतना बजट दिया है, मैं इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री और माननीय वित्त मंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। मैं इसलिए भी आभार व्यक्त करता हूं क्योंकि पिछली बार आदरणीय वित्त मंत्री जी ने GYAN के माध्यम से बजट प्रस्तुत किया था। इस बार आदरणीय वित्त मंत्री जी ने बजट में GATI को प्राथमिकता दी है। GATI को प्राथमिकता इसलिए भी दी है कि अगर

GATI रूक जाये तो वह अवरूद्ध हो जायेगा। इसलिए गतिमान बनाए रखना जरूरी है।

नेता प्रतिपक्ष (डॉ. चरण दास महंत) :- रामविचार जी, गति के बाद सद्गति होती है।

श्री राम कुमार यादव :- अउ चन्द्राकर जी के हो गय ए दुरगति। ये पहला पंक्ति वाला मन कर दे हा दुरगति। ओखरे बर मैं कहथव कि मेहनत करे मुर्गी अण्डा खाय फकीर।

श्री राम विचार नेताम :- अब आप लोग इसी तरह रहेंगे तो आप लोग किधर जा रहे हैं, यह तो मैं नहीं बोलूंगा कि आपकी दुर्गति हो रही है। आप खुद दुर्गति करवा रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय, अभी हम लोगों ने GATI के बारे में चर्चा की। यदि हमारी GATI न रहे, हमारी सभी प्रगति रूक जायेगी। इसलिए हमारे माननीय वित्त मंत्री जी का जो बजट आया है, कृषि और ट्राइबल विभाग से संबंधित जितने अनुदान मांग में राशि का प्रावधान किया है, मैं उसके लिए उन्हें बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं, माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार भी व्यक्त करता हूं। माननीय वित्त मंत्री जी ने गतिमान बजट प्रस्तुत किया है, इसके लिए मैं उन्हें बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं।

अध्यक्ष महोदय, विपक्ष बार-बार बोलता है कि डबल इंजन की सरकार है। डबल इंजन की सरकार है, आपको अभी तक डबल इंजन की सरकार का पता नहीं चला है ? अब तो ट्रिपल इंजन हो गया है, चार इंजन हो गया है। आप सुने नहीं होंगे। आपको प्रदेश की जनता देखना नहीं चाहती है, अब प्रदेश की जनता आपके बहकावे नहीं आना चाहती है। क्यों ? क्योंकि आप लोगों ने 5 साल में ही इतना दिखा दिया, सिखा दिया कि जनता अब आपकी तरफ सोचने वाली नहीं है। इसलिए सभापति महोदय, अभी भी समय है, अभी भी चेत जाईये, दलेश्वर जी, आदरणीय लखेश्वर जी, आप लोग कहां फंसे हुए हैं?

समय :
4:45 बजे

(सभापति महोदय (श्री धर्मजीत सिंह) पीठासीन हुए)

सभापति महोदय, आप लोग इस जाल से, इस जंजाल से निकलिये और इधर देखिये। आईये, हम लोग तो आपको गंगा स्नान के लिए लेकर जाने वाले हैं। (मेजों की थपथपाहट) हम आपको अयोध्या दर्शन करायेंगे, काशी दर्शन करायेंगे, मथुरा दर्शन करायेंगे और महाकुंभ में डुबकी भी लगवायेंगे। आपके उधर जितने भी पाप होंगे, उसको वहीं धुलवा देंगे। इसलिए आप लोग इस दलदल से निकलिये। सभापति महोदय, इसलिए अभी हमने खोले है अपने पंख ..।

डॉ. चरणदास महंत :- सभापति जी।

श्री रामविचार नेताम :- मैं आपके लिए एक पंक्ति कह रहा हूं।

सभापति महोदय :- मंत्री जी, एक मिनट।

डॉ. चरणदास महंत :- मंत्री जी, वे लोग आपके साथ इसलिए गंगा नदी में डुबकी लगाने नहीं गये कि कहीं आप गंगा में गर्दन को दबोचकर उनको सद्गित को न पहुंचा दें। (हंसी)

श्री रामकुमार यादव :- सभापति जी, तीरथ के बात आईस हावय ता छत्तीसगढ़ मा एक कहावत हे। तीरथ गये तीन झने ठग, ठाकुर अऊ चोर, पाप तो घटय नई, तीन मन लादे और। ये बात तुमन ऊपर ही लागू होवत हे।

श्री रामविचार नेताम :- माननीय सभापति महोदय,

अभी हमने खोले हैं अपने पंख, आसमान नापना बाकी है,

इरादे हैं हमारे बुलंद, उड़ान बाकी है। (मेजों की थपथपाहट)

डॉ. चरणदास महंत :- क्या आप वापस लोक सभा में जाने वाले हैं? (हंसी)

श्री रामविचार नेताम :- आदरणीय सभापति महोदय, मैंने बताया कि हमारे ट्रायबल विभाग, जिसमें पूरे प्रदेश में 85 सेड्यूल ब्लॉक हैं, जिसमें एस.टी. की जनसंख्या 32 प्रतिशत है, 12.5 प्रतिशत से ऊपर एस.सी. की जनसंख्या है और 44 प्रतिशत अनुसूचित जातियों के समूह, उप समूह मिलाकर लगभग 95 है। बहुत सारे माननीय सदस्यगण कहते हैं कि अमूक-अमूक जातियां ट्रायबल की अनुसूची में नहीं आती हैं। आदरणीय अजय चन्द्राकर जी ने इस विषय को रखा कि हमारा जो टी.आर.आई. संस्था बना है, वह इसी काम के लिए बना है। जिस पैमाने पर उसके Parameters बने हुए हैं, उस Parameters के आधार पर ही विभाग सर्वेक्षण एवं परीक्षण करता है और पूरी रिसर्च टीम उनकी जानकारी लेकर भारत सरकार को सब्मिट करती है। भारत सरकार की जो स्वतंत्र एजेंसियां हैं, वह भी उसकी जांच करती है। उनकी भी टीम आकर मिलान करते हैं, देखते हैं, जब उनके लगता है कि यह होने लायक है तब यहां से Recommend होकर जाता है, भारत सरकार उसको Recommend करती है और जब संसद में बिल पास होता है तभी जाकर राष्ट्रपति जी के माध्यम से वह पूरी जातियां बनती है। बाकी जातियों में इस तरह की बहुत सारे रिसर्च और इसकी उतनी व्यवस्था नहीं है, जितना कि Tribal कि किसी हरसी-तिरघी में भी है। यह एक समस्या है। अभी इस विभाग में बहुत सारे सदस्यों ने जिक्र किया था कि इस विभाग में अनेकों योजनाएं भी संचालित हैं। योजनाओं के साथ-साथ अलग-अलग आयोग, निगम बने हुए हैं। इस आयोग के माध्यम से हम विभिन्न वर्गों के लिए काम करते हैं, उनकी बेहतरी के लिए और उनके विकास के लिए, इस तरह से हम काम करते रहते हैं । सभापति महोदय, इस बार जो हमारा विभागीय बजट है, वर्ष 2025-2026 के राजस्व और पूँजीगत मद में कुल बजट प्रावधान राशि 2956 करोड़, 40 लाख 52 हजार प्रस्तावित किया गया है । सभापति महोदय, इसी प्रकार से अनुसूचित जनजाति वर्ग की राशि रूपये 2205 करोड़ रूपये 19 लाख 38 हजार रूपये, अनुसूचित जाति वर्ग हेतु राशि 531 करोड़ 17 लाख 64 हजार तथा अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक के लिये 220 करोड़ 3 लाख 50 हजार का प्रावधान इस बजट में किया गया है । सभापति महोदय, इस विभाग के माध्यम से जो हमारी जनजातीय उपयोजना है, अनुसूचित जनजाति उपयोजना के क्रियान्वयन के लिये, उनकी मॉनिटरिंग के लिये, समय-समय पर उसकी समीक्षा भी की जाती है । हमारे पास समय-समय पर मॉनिटरिंग करने के लिये टीम

भी होती है,परियोजना सलाहकार समितियॉ भी होती है और इस तरह से विभाग का काम होता है । सभापति महोदय, इसी प्रकार से यदि हम जनजातीय उपयोजना की अगर बात करें तो जनजातीय उपयोजना के बारे में आदरणीय दलेश्वर जी ने अभी बात रखी थी। सभापति महोदय, हम देखें तो पूरे जनजातीय क्षेत्रों में ट्राईबल सब प्लॉन के तहत जो टी.एस.पी. में आपने बातें रखी है, मैं लखेश्वर जी और दलेश्वर जी की जानकारी में लाना चाहूँगा कि तमाम जो डिपार्टमेंट हैं, उन सभी विभागों को ट्राईबल सब प्लॉन के तहत हम राशि मुहैया कराते हैं, जो हमारी संवैधानिक व्यवस्थायें हैं, उसके तहत ट्राईबल की जनसंख्या 32 परशेंट के लगभग है, उतनी राशि आपके डिपार्टमेंट के माध्यम से इस वर्ग के उत्थान के लिये, इस वर्ग के कल्याण के लिये, उनकी बेहतरी के लिये, इस वर्ग के विकास के लिये, इतना-इतना प्रावधान किया जायेगा । सभापति महोदय, मैं बताना चाहूँगा कि वर्ष 2025-2026 में राज्य के मुख्य बजट में आदिवासी उपयोजना अंतर्गत इसमें मांग संख्या 41, मांग संख्या 42, मांग संख्या 57, मांग संख्या 68, मांग संख्या 75, मांग संख्या 76, मांग संख्या 82 और मांग संख्या 83 के विभिन्न विभागों के बजट के आधार पर कुल बजट प्रावधान रूपये 40 हजार करोड़ 800 करोड़ 76 लाख 49 हजार किया गया है । सभापति महोदय, इसके माध्यम से, प्रदेश के सारे विभागों के माध्यम से, इस वर्ग के उत्थान के लिये, उनके कल्याण के लिये, बजट रखा जाता है और उसके तहत हम राशि मुहैया कराते हैं । अब आपने प्रश्न किया कि काम नहीं हुआ है ? सभापति महोदय, यह स्वाभाविक है कि विभिन्न विभागों की जानकारी जब समय पर प्राप्त नहीं होती है और दूसरे विभाग की प्रगति का रिपोर्ट भी हमारे पास नहीं आता है तो जो हम ऑकड़े देते हैं तो स्वाभाविक है कि अंतर होगा, लेकिन मार्च के अंत तक बहुत सारे विभागों की जानकारी होती है, खर्च करने का होता है, हम किसी के स्टाईपंड का भुगतान कर रहे हैं, उसे तो हम एडवांस में नहीं दिखा सकते ? छात्रावास और आश्रम के लिये बिल्डिंग बनाया है, उसे तो हम एडवांस में नहीं दिखा सकते ? इस तरह का आपने जो आरोप लगाया है, मैं समझता हूँ कि यह ठीक नहीं है । सभापति महोदय, हम लोगों ने पिछली बार की अपेक्षा 32.74 प्रतिशत अधिक बजट प्रावधान किया है और हमारी सरकार प्रदेश के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति बाहुल्य ग्रामों के विकास, स्थानीय अनुसूचित जनजाति समुदाय, अनुसूचित जातियों के सामाजिक और आर्थिक उत्थान के लिये प्रतिबद्ध है । सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि अभी माननीय सदस्यों की ओर से इस वर्ग के उत्थान के लिये हमारी सरकार द्वारा बहुत सारे कार्यक्रम चल रहे हैं, मैंने उसके बारे में भी जानकारी दी । प्रधानमंत्री जनजाति विकास न्याय महाभियान पीएम जनमन योजना जो प्रदेश के विशेष पिछड़ी जनजातियों के उत्थान के लिए चलायी गयी। देश के आजादी के बाद विशेष पिछड़ी जनजातियों की जो सूची बनी, देश के सामने जो सूची प्रस्तुत हुई, उसमें हमारे छत्तीसगढ़ की 5 जनजातियों को शामिल किया गया था, इन 5 जनजातियों में बैगा, पहाड़ी कोरवा, कमार, अबूझमाड़िया, बिहोर जनजाति थे । इस वर्ग के योजना तो बनी, लेकिन जमीन में कहीं पर दिखाई नहीं दी थी । अगर

यह योजना दिखाई दी तो हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी और हमारे मुख्यमंत्री जी के कार्यकाल में दिखाई दिया । इस वर्ग के उत्थान के लिए पीएम जनमन योजना चली, जिसके बारे में माननीय सदस्यों ने अभी बताया, रायमुनि जी ने बताया कि उस गांव के लोगों से पूछिए, जिस गांव में चलने का रास्ता डगर तक नहीं था, उस गांव के लोगों से पूछिए, जिस गांव में एक प्रायमरी स्कूल, पेयजल की व्यवस्था तक नहीं थी, राशन दुकान तक नहीं था, आंगनबाड़ी केन्द्र तक नहीं था, वहां के लोगों से पूछिए, आज यह जानने का समय है । आप लोग उन क्षेत्रों में जाईए । अगर इन वर्गों से थोड़ा सा प्यार है, दर्द है तो उन क्षेत्रों में जाकर पूछिए कि पीएम जनमन योजना के तहत यह काम हुआ है तो ठीक हुआ या नहीं हुआ । (मेजों की थपथपाहट) इस बारे में उनकी पीड़ा को देखिए । उस पीड़ा को लेकर माननीय प्रधानमंत्री जी ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो काम किया है, उसको मैं समझता हूं कि आप उपर तौर पर नहीं समझ पाएंगे । लेकिन जब हम लोग उनके बीच में जाते हैं, उनसे बात करते हैं तो पता चलता है कि उनकी पीड़ा क्या थी ? देश की आजादी के इतने वर्षों के बाद भी आपने यह कल्पना की थी क्या ? यह जो गैप्स होते थे, इसको कैसे भरा जाये, ऐसा सोचकर हमारे केन्द्रीय नेतृत्व के मार्गदर्शन में, माननीय प्रधानमंत्री, देश के यशस्वी गृहमंत्री जी के नेतृत्व में हम सब उनके मार्गदर्शन में काम कर रहे हैं । उनकी यही सोच है, उनकी सोच को जमीन में उतारने का काम हम लोगों ने किया है और उस आधार पर उनके लिए पीएम जनमन योजना के तहत हम काम कर रहे हैं, उनके लिए गरीबों का आवास देने का काम कर रहे हैं । विशेष पिछड़ी जनजातियों के लिए इस बजट में 300 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है । (मेजों की थपथपाहट) विशेष पिछड़ी जनजातियों के लिए इस तरह से योजना बनाकर, उनकी जमीनों को समतलीकरण करके इस बजट में हमने प्रावधान किया है । उनकी जमीन में पेयजल, पानी की व्यवस्था कैसे की जाये, बिजली की व्यवस्था कैसे की जाये, यह वृहद योजना बनाकर हम लोग काम कर रहे हैं । यही नहीं, आपने नियद नेल्लानार के बारे में बात की । आप कल्पना नहीं कर सकते कि उन क्षेत्र के लोगों ने एक प्रकार से उजाला देखा, वहां के लोगों ने सोचा नहीं था, बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं होगा। मुझे तो लगता है कि वहां एक बार जरूर सामूहिक रूप से जाकर देखना चाहिए कि आज वह एक तरह से खुली हवा में सांसें नहीं ले रहे हैं, बल्कि विकास की दौड़ में आगे पहुंचे हैं । आज देश और दुनिया क्या कर रही है, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, वहां बैठकर वहां के लोग, वहां के गरीब बच्चे, वहां की बालिकाएं, वहां की माता-बहिनें, वहां के मेहनतकश मजदूर ये सब देख रहे हैं और सीख रहे हैं । वे अपने आप को धन्य भी मान रहे हैं कि आज इस सरकार के आने से हमारी जो प्रगति हुई, इस सरकार के आने से इन्होंने हमें रोशनी दी, इस तरह से हमें रोशनी मिली है, आज वे समझ सकते हैं । मैं समझता हूं कि आप तरह-तरह की आलोचना करिए, लेकिन उनकी तकलीफ, दर्द का मज़ाक मत बनाइए। मेरा यही कहना है। सभापति महोदय, इसके लिए हम सब काम कर रहे हैं। यही नहीं हम सब आगे चलकर इन वर्गों के समग्र विकास के लिए एक बहुत बड़ी योजना "धरती आबा योजना" ला रहे हैं।

हमारे भगवान बिरसा मुंडा जी के जन्म जयंती के नाम पर इस योजना की शुरूआत हुई है। इसके माध्यम से पूरे देश की योजना बनी। देशभर में ट्राईबल की 10 करोड़ से ज्यादा जनसंख्या है। हमारे छत्तीसगढ़ की जनसंख्या और देश के आदिवासी समाज के विकास के लिए 80 हजार करोड़ रुपए की योजना बनी है। कितने की? 80 हजार करोड़ रुपए की। इस योजना में हमारे छत्तीसगढ़ के 6 हजार से अधिक गांव शामिल हैं। इसमें हम लोग एक नहीं बल्कि कई विभागों को मिलाकर, इस योजना का लाभ देकर इन वर्गों को विकास के रास्ते पर कैसे बराबरी पर लाया जाए, उनके लिए रोड, पानी, बिजली, स्कूल, अस्पताल, सिंचाई के संसाधन बने, उनकी कैपेसिटी कैसे बिल्टअप की जाए, ये सब सोचकर एक वृहद योजना बनाकर काम कर रहे हैं। अब आप कहेंगे कि इतना बजट दिया है, खर्च नहीं हुआ। बजट दिए हैं, योजना बनी है, कार्ययोजना भारत सरकार की निगरानी में है। हमारे प्रदेश के इस वर्ग के उत्थान के लिए हम लोग योजना बनाकर काम कर रहे हैं और एक-एक चीज वहां से देखी जा रही है। एक-एक जिले की निगरानी की जा रही है। यही नहीं बल्कि कहीं भी कुछ होता है, वहां से निगरानी होती है। आपके जैसे नहीं कि उस समय एक ही निगरानी होती थी कि इस महीने में कम माल पहुंचा है। अब ऐसा नहीं है। अब तो उस समय का देखिए कि माल पहुंचाने वाले खुद मालखाने में हैं। हैं कि नहीं? चले गए। (मेजों की थपथपाहट) इसलिए हम कह रहे हैं कि आप आग खाये हो, तो कोयला तो निकलेगा। निकलेगा ना? इसलिए आज ये स्थिति है।

सभापति महोदय, मोबाईल एप के सर्वेक्षण के अंतिम आंकड़ों के अनुसार राज्य के 18 जिलों के कुल 2161 बसाहटों में 59800 से अधिक PVTG (Particularly Vulnerable Tribal Groups) परिवार निवासरत हैं, जिनकी जनसंख्या लगभग 2 लाख, 29 हजार है। इनके उत्थान के लिए हम सब कृतसंकल्पित हैं। जैसा बताया कि तमाम सारे विभागों के माध्यम से हम इनके उत्थान के लिए काम कर रहे हैं। हम इस विभाग के माध्यम से अनुसूचित जाति, जनजाति वर्ग के उत्थान के लिए, अल्पसंख्यक, पिछड़ा वर्ग के शैक्षणिक, सामाजिक, आर्थिक एवं अन्य आवश्यक क्षेत्रों में विकास को प्राथमिकता देते हुए समाज की मुख्य धारा में समाहित किए जाने के सतत प्रयास को बल देने का कार्य कर रहे हैं। इसके लिए विभाग के बजट में वित्तीय वर्ष 2025-26 में कई कार्यों की स्वीकृति के लिए हमने प्रावधान किया है। जहां तक अनुसूचित जनजाति विकास योजना की बात है, हम विभाग में 3350 से अधिक छात्रावास और आश्रम संचालित करते हैं। स्वाभाविक है कि जब इतनी बड़ी संख्या चलाते हैं। क्या हमने बिल्डिंग नहीं बनायी है? बहुत वर्षों से बने हैं और वर्षों से बहुत सारे छात्रावास आश्रम चल रहे हैं । इसके लिये कोई बखान की जरूरत नहीं है। हम हर साल लड़कियों का हो, चाहे उन बच्चों के बारे में हो या बच्चियों के बारे में हो। मैं समझता हूं कि हम जिस प्रकार से यहां एक आम बोल चाल की भाषा की तरह प्रयोग करते हैं और चित्रण करते हैं, मैं समझता हूं कि चित्रण की जगह नहीं होनी चाहिए। यह संवेदनशील मुद्दा है। यह बहुत ही संवेदनापूर्ण है। सभापति महोदय, मैं इसके साथ-साथ एकलव्य विद्यालय के बारे

में कहना चाहूंगा है। हमारे 75 एकलव्य विद्यालय हैं। इस बात को मैं भी मानता हूं कि उन 75 विद्यालयों में से बहुत विद्यालयों के भवन अभी नहीं बने हैं। लेकिन मैं आज आपके बीच में यह भी कहने के लिये खड़ा हुआ हूं कि आज पहली बार हमारी सरकार ने उन छात्रावासों के भवन और आश्रमों के भवन बनाने के लिये पिछली बार के बजट में प्रावधान किया था और इस बार भारत सरकार ने हमें 21 एकलव्य विद्यालय के नये भवन बनाने के लिए बजट में प्रावधान किया है। (मेजों की थपथपाहट) हम जिसके टेण्डर की अंतिम स्थिति में है और टेण्डर खुलने की स्थिति में है। इसलिए हम कह सकते हैं कि एकलव्य विद्यालयों के माध्यम से जो बच्चे वहां पर निवास करके अध्ययन कर रहे हैं और वहां पर अपना भविष्य सुधारने के लिये गये हैं, उनके लिये हमारी चिंता है और उनके साथ हमारी पूरी संवेदना है। हमारी सरकार का और हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी का लक्ष्य है कि उन सभी वर्ग के प्रति हमारा लगाव और सहानुभूति है। इसलिए उनके लिये जो भी सरकार को करना होगा, उसके लिए हम पीछे नहीं रहेंगे। आप देखियेगा कि एक साल या दो साल समय जरूर लगेगा, लेकिन नये परिवेश में और नये मॉडल में हमारे जितने आश्रम और छात्रावास हैं, वह एक-दो सालों में आपको दिखाई देने लगेंगे। (मेजों की थपथपाहट)

सभापति महोदय, इसके साथ-साथ हमारे बहुत सारे विभागों की अन्य योजनाएं हैं, हमने उन योजनाओं का अभी जिक्र नहीं किया है। हमारा जो बजट प्रावधान किया गया है, उस बजट प्रावधान के माध्यम से हमने जो-जो व्यवस्था की है। आपने उसमें अभी संग्रहालय के बारे में जिक्र किया था। आदरणीय अजय चन्द्राकर जी और बाकी लोगों ने भी संग्रहालय के बारे में जिक्र किया था। हमारे देश में जितने ट्राईबल संग्रहालय बन रहे हैं, उनमें से छत्तीसगढ़ में सबसे अच्छा संग्रहालय बनने जा रहा है। (मेजों की थपथपाहट) जो विभिन्न थीम के आधार पर बनने जा रहा है।

श्री अजय चन्द्राकर :- उसमें एक दीर्घा पुन्नूलाल जी की उपलब्धियों के लिये भी रखियेगा। वह जो कर्तब किये हैं, कर रहे हैं और करेंगे, वह छोटे-मोटे लोग नहीं कर सकते।

श्री राम विचार नेताम :- सभापति महोदय, जब हमारा संग्रहालय बनकर तैयार हो जायेगा तो हम लोगों ने निश्चित ही हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति जी के करकमलों से इसका उद्घाटन करने का कार्यक्रम बनाया था। लेकिन किन्हीं कारणों से यह कार्य स्थगित हुआ है। हमारी निर्माण प्रक्रिया जारी है और यह जैसे ही पूर्ण हो जायेगा तो हम निश्चित ही आप सब की उपस्थिति में उसका उद्घाटन करेंगे। चूंकि यह संग्रहालय किसी एक सरकार का नहीं हैं, बल्कि यह प्रदेश का एक धरोहर बनने जा रहा है, इसमें हमारे आदिवासी समाज के महापुरूषों ने देश की आजादी से लेकर, अपनी संस्कृति की रक्षा के लिए जिस प्रकार से योगदान दिया, जिस प्रकार से लड़ाईयां लड़ीं और जिस प्रकार से संघर्ष किया और शहीद हुए हैं, वहां उन सब की गाथा उसके माध्यम से चित्रण किया गया है, दर्शाया गया है। वहां पर अलग-अलग गैलरियां बनी हैं, उन गैलरियों में इन सब का उल्लेख किया जा रहा है। मैं समझता हूँ कि

अगर इस बीच में कहीं होगा तो इस सत्र में तो नहीं, लेकिन हम अगले सत्र में कोशिश करेंगे कि वहां आप सब के साथ एक कार्यक्रम रखेंगे। निश्चित तौर पर वहीं पर मैं आप सभी को भोज दूंगा। वहां पर भी हम भोज की व्यवस्था करेंगे। माननीय सभापति महोदय, हम यह चाहते हैं कि प्रदेश के जितने भी आश्रम और छात्रावास हैं...।

सभापति महोदय :- माननीय मंत्री जी...।

श्री रामविचार नेताम :- माननीय सभापति महोदय, अभी मैंने ट्राईबल विभाग से शुरू किया है।

सभापति महोदय :- इसलिए आपसे कह रहा हूँ। थोड़ा आगे का कहें। आप बोलिए। आपको मना नहीं कर रहे हैं।

श्री रामविचार नेताम :- माननीय सभापति महोदय, हमने जैसा बताया कि यहां जितने भी आश्रम और छात्रावासों के भवन पुराने हैं। यह सब मानते हैं। हम विधान सभा में भी प्रश्न का उत्तर देते हैं। यहां इतने आश्रम छात्रावास का भवन नहीं है, जीर्णशीर्ण अवस्था में है, पानी नहीं है, बिजली नहीं है, शौचालय नहीं है। यह इस तरह की आम समस्याएं हैं। आज हमारी संख्या इतनी बढ़ गई, लेकिन उतनी ही सीटें रह गईं। यहां भवन उतने ही रहे, पिछले 5 सालों में इसमें कोई ध्यान नहीं दिया गया। हमारे उतने ही और वही भवन रह गये। यहां उतने ही शौचालय रह गये, उनकी संख्या बढ़ा दी तो वह कहां जाएंगे ? वहां पानी की व्यवस्था नहीं है, पानी की वैकल्पिक व्यवस्था नहीं है। यह इस तरह की आम समस्याएं हैं। हमने इसकी मॉनिटरिंग के लिए प्रदेश स्तर पर एक कमेटी बनायी है और वरिष्ठ अधिकारियों की हर जिले में, हर संभाग में ड्यूटी तैनात कर दी, हमने कमेटी बना दी और वह एक महीने के अंदर रिपोर्ट देंगे। वहां विजिट करेंगे, दौरा करेंगे और अपनी रिपोर्ट देंगे कि प्रदेश के किस आश्रम और छात्रावास में किस चीज की कमी है, वहां क्या व्यवस्था है? वहां पर सुरक्षा की व्यवस्था है या नहीं ? वहां पानी, शौचालय की व्यवस्था है या नहीं ? इन सभी चीजों की विस्तृत रिपोर्ट देंगे। उसके आधार पर हम..

श्रीमती संगीता सिन्हा :- माननीय सभापति महोदय, मेरा माननीय मंत्री जी से एक निवेदन है कि आपके जो छात्रावास हैं, वहां पर अधीक्षिका रहनी चाहिए। वहां पर न रहकर, वह दूसरी जगह आवासीय में रहते हैं।

सभापति महोदय :- आपने अपनी बात बोल दी।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- माननीय सभापति महोदय, मेरा यह निवेदन है कि उसमें उन अधिकारियों पर कार्यवाही की जाये, जो वहां पर नहीं रहते ।

सभापति महोदय :- माननीय संगीता जी, जब माननीय मंत्री जी बोलें तो उन्हें बोलने दीजिए और माननीय नेता प्रतिपक्ष जी बोलें तो उन्हें बोलने दीजिए।

श्री रामविचार नेताम :- आप केवल सुझाव दीजिएगा या कुछ करियेगा।

सभापति महोदय :- आप आगे बढ़िये।

श्री रामविचार नेताम :- माननीय सभापति महोदय, यहां इस तरह से बात करते हैं कि वहां यह कर दीजिए, वह कर दीजिए। पिछले 5 सालों में आप क्या कर रहे थे ? उस समय आपने कार्य करवा दिया होता तब आज तो बोलने का अवसर ही नहीं मिलता। अगर पूर्व में आपने इस वर्ग के लिए ध्यान दिया होता, आदरणीय मैं आपके लिए भी बोल रहा हूँ...।

श्रीमती अनिला भेंडिया :- 15 साल में नइ करे रहेव ते पाय के होईस हे।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- माननीय सभापति महोदय, अभी इन 15 महीनों में घटनाएं घटित हो रही हैं। यह पहले घटित नहीं हुई थी। अगर पहले यह घटनाएं घटित होती तो हमने कुछ किया होता।

सभापति महोदय :- माननीया संगीता जी, अब आप बैठिए। बहुत हो गया। माननीय मंत्री जी आप बोलिए।

श्री रामविचार नेताम :- माननीय सभापति महोदय, अब ठीक है। यहां पर बहुत से लोगों ने "प्रयास" के बारे में चर्चा की। हमने इसे किस प्रकार से उद्देश्य को लेकर प्रयास बनाया। माननीय सभापति महोदय, मैं आपको बताऊं कि जब यहां प्रयास संस्था बना तब यह तात्कालीन मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह जी की सोच और कल्पना थी। मैं समझता हूँ कि उसको समाज भूल नहीं सकता। इस वर्ग के उत्थान और बेहतरी के लिए जिस प्रकार की संवेदनशीलता दिखाते हुए, उन्होंने सुदूर अंचल में बस्तर की आजादी और हमारे प्रदेश की सुरक्षा के लिए जो काम कर रहे हैं वहां उन क्षेत्रों में जो जवान शहीद होते थे, वहां जो नक्सलियों के आतंक में जी रहे थे, वह नक्सली भी मारते थे और यदि वहां पुलिस गई तो पुलिस भी मार देती थी, नक्सली कहकर मार देते थे उनके बच्चों को लाकर, उनको बेहतर शिक्षा देकर, उन्हें काबिल बनाने के लिए संस्था खोली गयी, वह "प्रयास" था। यहां पहले एक जगह पर प्रयास संस्था की शुरूआत हुई, आज यहां पर 15 जगहों में है। यहां उस प्रयास के माध्यम से न जाने कितने बच्चों का भविष्य संवरा है, कितने बच्चों ने अपना भविष्य बनाया है। यही नहीं, इसी से प्रेरणा लेते हुए दिल्ली में हम लोगों ने दिल्ली में ट्राइवल यूथ हॉस्टल का संचालन करके कोचिंग की व्यवस्था की है। यह हमारी सरकार ने किया था, हम लोगों ने 50 सीट खोल करके शुरूआत की थी। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय वित्त मंत्री जी को बधाई दूंगा, धन्यवाद भी दूंगा कि यहां की स्थिति को देखते हुए पिछली बार के बजट में 50 सीट की जगह में 200 सीट की स्वीकृति दी है। (मेंजों की थपथपाहट) उस 200 सीट में बच्चे competition करके प्रवेश ले रहे हैं। वह जहां चाहते हैं, अच्छी-अच्छी जो कोचिंग संस्थान हैं, उन कोचिंग संस्थान के आसपास में बहुत सारे पी.जी. हैं, उन बेटियों के रहने के लिए जो बेहतर पी.जी. हो सकता है, वहां कोआर्डिनेशन के लिए हमारे अधिकारी जाते हैं, काम कर रहे हैं, उनकी व्यवस्था कर रहे हैं। सरकार के पूरे खर्च से वहां पर यह व्यवस्था कराई जा रही है। यहां के मेधावी बच्चे, होनहार बालक-बालिकायें आज अपना भविष्य संवारने लगे हैं और इसका रिजल्ट आने लगा है। यह काम करने

वाली सरकार है। हम सिर्फ घोषणा करने वाले नहीं हैं। हम बुलंद इरादों के साथ आये हैं, काम करने के लिए आये हैं, लोगों की बेहतरी के लिए आये हैं, लोगों के जीवन को संवारने के लिए आये हैं। इस दिशा में सोच ले करके हम काम कर रहे हैं। सभापति महोदय, स्वाभाविक है कि जब हम अच्छे काम करेंगे तो कुछ लोग कुछ बुराई भी करेंगे। उसकी हमें फिक्र नहीं है। इसलिए फिक्र नहीं है प्रदेश की जनता, गांव, गरीब, किसान, मजदूर, नौजवान बच्चे, बुजुर्ग सब का समर्थन भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है। आापने देखा होगा कि अभी क्या हुआ, आपका तो पूरा उजड़ गया, सब उजाड़ हो गया। कई ऐसी जगह मिली जहां अध्यक्ष बनाने के लायक ही कोई जिला नहीं बचा, सब जगह निर्विरोध हो गया। अधिकांश जिलो में, अधिकांश नगर निगमों में..।

श्रीमती अनिला भेंडिया :- लोगों का उठा लिये, कहां से अध्यक्ष बनेगा। .. (व्यवधान)

श्री रामकुमार यादव :- चुनाव हा खिसका दिहा। जहां-जहां तुंअर अध्यक्ष हा नई बनत रहिस हे, उहां डेट ला खिसका दिहे रहिस।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- जहां हमारा अध्यक्ष बनने जा रहा था, उनको तो आपने निरस्त ही कर दिया। आप लोग लगातार निरस्त करते आये।

श्री रामकुमार यादव :- वो एस.डी.एम. हा बीमार पड़ गये।

श्रीमती अनिला भेंडिया :- कभी-कभी अपनी भी कमजोरी बता दिया करें।

श्री रामकुमार यादव :- जहां-जहां तुंअर अध्यक्ष नई बनत रहिस हे, उहां एस.डी.एम. ला पेचिश हो गये रहिस हवय, अचानक पेट खराब हो गये।

श्री विक्रम मंडावी :- वहां पर डेट पर डेट मिल रही है।

सभापति महोदय :- रामकुमार जी, आप बैठिये न। माननीय मंत्री जी को बोलने दीजिए।

श्री रामविचार नेताम :- माननीय सभापति महोदय, इसलिए हम परवाह नहीं करते कि प्रदेश की जनता के बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं, उनका समर्थन हम सबको भरपूर मिल रहा है। इसलिए आगे बढ़ करके हम ये सब काम कर रहे हैं। हम लोगों ने पहली बार पहले पूजा स्थलों के विकास के लिये, देवगुड़ी का यद्यपि प्रारंभ बहुत पहले से हुआ था, लेकिन इसके निर्माण के लिए, उसके साथ में एक और जोड़े हैं कि आदिवासी समाज का जो कल्चरर प्रोग्राम होता है, कहीं कर्मा होता है, कहीं और भी डांस होते हैं, तीज-त्यौहार में जो उनका प्रोग्राम होता है, उनके लिए कहीं-कहीं कोई स्थान नहीं होता था, उसके लिए अखरा विकास के लिए 250 लाख रुपये का प्रावधान इस बजट में किया गया है। इसी प्रकार से कर्मा के संवर्द्धन, संरक्षण के लिये, विकास के लिये, हम लोगो ने बजट में 250 करोड़ रुपये की व्यवस्था की है। धरती आवा, धरती के भगवान के नाम से हम लोगों ने जो प्रावधान किया है, इसके तहत आगामी भारत सरकार से जो हमें ग्रांट्स मिलने वाले हैं, उसके तहत हम लोगों ने बजट में प्रावधान किया है। माननीय सभापति महोदय, इसके साथ-साथ जहां-जहां आश्रम, छात्रावास सुरक्षित नहीं हैं, घेराबंदी नहीं हैं, कहीं

कंसर्टिना वायर की जरूरत है, कहीं छात्रावास या आश्रम अधीक्षक के रहने के आवास की व्यवस्था नहीं है, उसके लिए भी हम लोगों ने व्यवस्था करने का बजट में प्रावधान रखा है। सभापति महोदय, हां ये बात जरूर है कि आज समय इतना बदला हुआ है, एक समय था कि आश्रम और छात्रावास में ही अधीक्षक रहा करते थे। वर्तमान समय में बहुत अच्छा अनुभव नहीं आ रहा है। इसको सुनिश्चित किया जायेगा कि उसी कैंपस में अधीक्षक का निवास हो और सुरक्षित हो। वह वहीं रहें और उसकी मॉनीटरिंग करने के लिए ही हमने टीम का गठन किया है । हम लोगों ने इसके लिये भी व्यवस्था की है। गिरौदपुरी-भण्डारपुरी के बारे में आदरणीय पुन्नूलाल जी ने प्रश्न के माध्यम से और आज अपने भाषण के माध्यम से भी ध्यान आकर्षित कराया है । माननीय सभापति महोदय, आप सोच सकते हैं कि गिरौदपुरी के उत्थान के लिए हमारी सरकार ने उस समय जब कोई सोचने वाला नहीं था और बाबा गुरु घासीदास जी का नाम ले-लेकर लोगों ने यहां छत्तीसगढ़ में राज किया लेकिन उनके उत्थान के लिए कोई काम नहीं किया, नारा लगाते रहे । खूब नारा लगाते रहे लेकिन कोई काम नहीं किया । (शेम-शेम की आवाज)

श्री रामकुमार यादव :- गुरु घासीदास जी के जैतखाम ला टोरे बर जात हे तेला तुमन जांच नइ कराए सका । गुरु घासीदास जी के जैतखाम ला टोरे जाथे ओला तुमन पकड़े नइ सका ।

सभापति महोदय :- बैठिए । रामकुमार जी, बीच में नहीं टोकते हैं ।

श्री रामविचार नेताम :- माननीय सभापति महोदय, हमने इसके लिये बजट में प्रावधान किया है । मैं आपको उस समय का बता दूं कि पिछली बार इनकी सरकार थी । उस समय कितना बजट में प्रावधान किया था, कोई बजट नहीं रखा, कोई उत्थान का काम नहीं किया । हमारी सरकार के आने के साथ...।

श्रीमती अनिला भेडिया :- माननीय मंत्री जी, अब हो गया न । बजट को रखवा दीजिये न । बहुत देर हो गयी ।

श्री रामविचार नेताम :- माननीय सभापति महोदय, मैं आपके बीच में इस सदन में यह कहना चाहता हूं कि गिरौदपुरी में जो भी आवश्यक काम है । जो-जो काम बचा हुआ है, हमारी सरकार आदरणीय विष्णुदेव साय जी के नेतृत्ववाली सरकार अभी हम उसे पूरा करेंगे (मेजों की थपथपाहट) और बाबा जी का जो सम्मान है, बाबा जी ने देश और दुनिया को जो संदेश दिया है उस संदेश का हम सब अनुसरण करते हैं, पालन करते हैं और आदरणीय पुन्नूलाल मोहले जी आपने चूंकि प्रश्न उठाया है, आपने इस बारे में चिंता व्यक्त की है । एक भी किसी कांग्रेस पक्ष के लोगों ने आप जैसा कोई विचार व्यक्त नहीं किया । काश अगर किया होता तो यह 5 साल पहले से वहां बनकर तैयार हो गया होता । आज यह स्थिति है । माननीय सभापति महोदय, महान संत बाबा गुरू घासीदास जी के पावन स्थल भण्डारपुरी...।

श्री अजय चंद्राकर :- क्या है माननीय रामविचार नेताम जी आप 5 साल की बात कर रहे हैं । असल बात यह है कि गुरू जी की सेवा में कोई chance नहीं था न, वे लोग तो वह निर्णय करते थे जिसमें chance रहता था । कुछ chance ही नहीं था तो कहां से गुरू की सेवा होती ।

श्री रामकुमार यादव :- गुरू घासी दास जी हा दारू ला झन बेचा कहे रिहिस हे, तुमन दारू भट्ठी में अइसे ही रूम बनात हावा ।

सभापति महोदय :- रामकुमार जी आप बार-बार मत खड़े होईए ।

श्री रामविचार नेताम :- माननीय सभापति महोदय, महान संत गुरु बाबा घासीदास जी के पावन स्थल...।

श्री रामकुमार यादव :- गुरू घासीदास जी हा दारू ला बंद करवाये बर कहे रिहिस हे ।

सभापति महोदय :- आप बैठिए न ।

श्री अजय चंद्राकर :- ओकर जगह में दूध पीबो ।

श्री रामविचार नेताम :- माननीय सभापति महोदय, भण्डारपुरी जिला बलौदाबाजार भाटापारा में एक गुरूद्वारा मोतीमहल के निर्माण के लिये भी बजट में प्रावधान किया गया है । (मेजों की थपथपाहट) इसके साथ-साथ मांग संख्या-64 में भी बजट में प्रावधान किया गया है । इसमें वित्त एवं विकास निगम के ऋण वापसी के बारे में है । शहीद वीर नारायण सिंह आदिवासी संग्रहालय के बारे में बताया है कि जो 10 एकड़ में बन रहा है । यह 45 करोड़ रूपये की ऊपर की राशि से बन रहा है। अभी और भी राशि की जरूरत होगी वह भी हमारी सरकार देगी, हम पूरा करेंगे और देश में एक सुंदर, सुसज्जित सबसे ऐतिहासिक धरोहर के रूप में इस संग्रहालय को बनाकर छत्तीसगढ़ को हम सुपूर्द करेंगे । (मेजों की थपथपाहट) सभापति महोदय, हमने बताया कि यहां 15 गैलरी का निर्माण हो रहा है जिसमें विभिन्न भोपालपट्टनम विद्रोह, परलकोट विद्रोह, तारापुर विद्रोह, लिंगागिरी विद्रोह, उन सबके बारे में नवीन gallery में उल्लेख किया गया है । इसी प्रकार से मैंने जो बताया कि वर्ष 2025-26 की मांग संख्या-41 में विवेकानंद गुरूकुल उन्नयन योजना में राज्य आयोजना मद में भवन निर्माण हेतु राशि 50 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है जिसमें छात्रावास की बिल्डिंग बननी है । इसी प्रकार से हमारे गुरूकुल उन्नयन योजना में राज्य आयोजना मद से 70 करोड़ रूपये की राशि इसमें हम लोगों ने छात्रावास-आश्रमों के लिये बजट में स्वीकृत किया था, जिसका टेंडर हम लोगों ने कर दिया है और इसके साथ ही साथ टोटल अर्थात् हम यह कह सकते हैं कि वर्तमान में, आदरणीय बघेल जी, सुन लीजिए। वर्तमान में 192 भवन निर्माणाधीन हैं। अभी चल रहे हैं तथा 167 भवन निविदा स्तर पर हैं। इतना निविदा स्तर पर है।

श्री बघेल लखेश्वर :- मेरी विधान सभा के भवन का तो आपकी सूची में नाम ही नहीं है।

श्री राम विचार नेताम :- अभी उसका टेंडर में है। टेंडर में है।

सभापति महोदय :- सुनिए न, आप लोग बीच में न बोलें।

श्री अजय चन्द्राकर :- अभी पूरे छत्तीसगढ़ का विहंगम दृश्य प्रस्तुत हो रहा है। उसी के अंदर बस्तर विधान सभा है। आप लोग सिर्फ बस्तर, चित्रकूट, कोंटा ऐसा ऐसा बोलते थे। अभी पूरे छत्तीसगढ़ के आदिवासियों के लिए बात हो रही है।

श्री रामकुमार यादव :- 2047 तक बन जाएगा।

श्री अजय चन्द्राकर :- 2047 तक तो भारत विकसित राष्ट्र हो जाएगा। बनना ही बनना है।

श्री राम विचार नेताम :- सभापति महोदय, हम लोगों ने इसके साथ ही साथ जनजाति गौरव दिवस का जो निर्णय हुआ, भारत सरकार ने जो घोषणा किया, इसके लिए हम सब गौरवान्वित हैं । छत्तीसगढ़ ही नहीं, बल्कि देशभर के हमारे ट्राइबल समाज के लोग इसमें गौरवान्वित हैं। देश में इस प्रकार का कभी यह अवसर नहीं मिला था, जो भगवान बिरसा मुंडा जी की जयंती को देश ने पूरा गौरव दिवस के रूप में मनाने का निर्णय किया और हमारे लिए तो और भी प्रसन्नता की बात है कि पूरा वर्ष जन्म जयंती से लेकर 15 नवंबर, 2024 से 15 नवंबर, 2025 तक ये पूरे साल भर हमारा गौरव दिवस का काल चलने वाला है और चल रहा है और इसके माध्यम से तमाम सारे देश भर में अलग-अलग राज्यों में प्रदेश के अलग-अलग जिलों में जितने भी आदिवासी समाज के जो महापुरूष हुए, एस.टी. वर्ग के जितने भी लोगों ने देश की आजादी के लिए योगदान दिया, अपनी संस्कृति, धर्म की रक्षा के लिए जिन्होंने योगदान दिया है, उनके स्थान को चिन्हित कर उनके इतिहास को जानकर, उनका इतिहास लेखन के साथ-साथ उनके उस स्थान को हम आदर्श ग्राम के रूप में डेवलप कर हम उनको सम्मान दे रहे हैं। निश्चित ही इसके माध्यम से आज मुझे यह कहते हुए भी प्रसन्नता हो रही है कि ये गौरव दिवस जब जशपुर में मनाया गया तो वहां हजारों हजार की संख्या में लोग उपस्थित हुए और वहां हमारे देश के यशस्वी केंद्रीय मंत्री माननीय मनसुख मांडविया जी की उपस्थिति में बहुत जबरदस्त कार्यक्रम आयोजित हुआ। इस तरह हमारा विभाग ये सब काम कर रहा है। आदरणीय, आपने आयोग के बारे में प्रश्न किया कि आयोग का अभी तक गठन नहीं हुआ, गठन बहुत जल्द हो जाएगा। आयोग में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, चूंकि अभी लगातार इलेक्शन होते रहे। हमारी सरकार बनने के बाद लोकसभा के चुनाव आए। लोक सभा के बाद अभी नगर निगम, पंचायतों का चुनाव आ गया। अब धीरे-धीरे हम लोग एक तरह से खाली हो गए हैं तो सभी माननीय सदस्यों के प्रस्ताव आ रहे हैं, उन प्रस्तावों के आधार पर माननीय मुख्यमंत्री जी के सम्मुख हम सब प्रस्ताव देंगे, जिसके आधार पर ये सब हो जाएगा। इसके साथ-साथ कृषि की भी जानकारी है। मैं समझता हूं कि कृषि के बारे में आदरणीय प्रधानमंत्री जी की सोच और केन्द्र सरकार की जो सोच है कि हमें कृषि को बढ़ावा देने के लिए क्या-क्या करना है?

सदन को सूचना

सभापति महोदय :- सभा के समय में रात्रि साढ़े 7:00 बजे तक की वृद्धि की जाये। मैं समझता हूं कि सभा सहमत है।

सभा द्वारा सहमति प्रदान की गई।

सभापति महोदय :- श्री राम विचार नेताम, कृषि मंत्री की ओर से माननीय सदस्यों के लिए स्वल्पाहार की व्यवस्था लॉबी स्थित कक्ष में एवं पत्रकारों के लिए प्रथम तल पर की गई है। कृपया सुविधानुसार स्वल्पाहार ग्रहण करें।

वित्तीय वर्ष 2025-2026 की अनुदान मांगों पर चर्चा (क्रमश:)

श्री राम विचार नेताम :- सभापति महोदय, मांग संख्या 13, कृषि एवं मांग संख्या 54, कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा से संबंधित व्यय का भी है। इस विषय के बारे में भी मुझे अपनी कुछ जानकारी रखनी है। सभापति महोदय, परहित का पर्याय है किसान, परिश्रम का भी पर्याय है किसान, ढूंढता है तू किसे यहां, धरती का भगवान है किसान (मेजो की थपथपाहट) ।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय मंत्री जी, लंच में कुछ अलग चीज तो नहीं खाए हो, आज भारी शायरी, कविता सुना रहे हो ।

श्री रामविचार नेताम :- खाने को तो आदरणीय मोहले जी वाली चीज खानी थी, लेकिन कोई असर नहीं हो रहा है । सभापति महोदय, कृषि और ऋषि संस्कृति में हम सब रचे बसे हैं और भगवान का सबसे बड़ा वरदान है तो वह है कृषि । मनुष्य या अन्य जीव हों, सबको इसकी जरूरत है, बिना अन्न के तो कोई रह नहीं सकता। आज इस विभाग की महत्ता है, माननीय सदस्य की ओर से ही बात रखी गई थी कि एक समय ऐसा था जब लोग दाने-दाने के लिए भटकते थे । अमेरिका से आयात होता था, रशिया से आयात होता था । उस समय की भुखमरी की स्थिति आदरणीय सदस्यों को मालूम होगा, तब के हालात क्या थे ? देश में क्या स्थिति थी, हमारे प्रदेश की क्या स्थिति थी ? इन ट्रायबल क्षेत्रों की स्थिति तो और भयावह थी । उन क्षेत्रों में न तो खेती के संसाधन थे और न ही खेती करने की जानकारी थी । शाक-सब्जी कैसे होगी यह तो देखने की बात थी ? धीरे-धीरे देश की आजादी के बाद जितनी भी सरकारों ने काम किया, सबने अच्छी तरह काम किया, हम यह नहीं कह सकते कि किसी ने अच्छा काम नहीं किया । लेकिन आमूल-चूल जो परिवर्तन आया, यह परिवर्तन 2014 के बाद आया । हम कृषि को

प्राथमिकता देते हुए कैसे काम करें, इनके लिए किस तरह से योजना बननी चाहिए, यदि योजनाएं बन रही हैं तो जमीन में कैसे उतरनी चाहिए, यह सब सोचकर हमारी सरकार ने काम किया ।

समय
5.32 बजे

(अध्यक्ष महोदय (डॉ. रमन सिंह) पीठासीन हुए)

इसलिए आज चेंज दिखाई दे रहा है तो मैं समझता हूं कि यह केन्द्र सरकार की योजनाओं के साथ-साथ केन्द्र सरकार की निगरानी का भी बड़ा असर है । जिसकी वजह से कृषि विभाग ने आज कार्य किया है । अध्यक्ष महोदय, मैंने बताया कि कृषि, मनुष्य को परमात्मा का दिया हुआ सबसे बड़ा वरदान है । कृषि मानव सभ्यता के विकास का सबसे बड़ा अनुसंधान है, सबसे बड़ी खोज है । जैसे कृषि में अनुसंधान हुआ । तरह तरह के बीज आ गए, तरह तरह की खेती होने लगी, तरह तरह के फूलों की खेती और सब्जियों की खेती होने लगी, हम सोच नहीं सकते थे । जिस तरह से आज अनुसंधान हुए, यह उसी का नतीजा है । मैं समझता हूं कि प्रगतिशील किसानों का नेतृत्व करने वाले बहुत से लोग इस सदन में भी बैठे हैं । कई बार आप लोगों ने हम लोगों को एक तरह से आईना भी दिखाया है, जानकारी भी दी । हम लोग चाहते हैं और हम सब लोगों का एक ही उद्देश्य है कि हम यहां के किसानों की लागत मूल्य कैसे घटाएं और उनकी उत्पादकता कैसे बढ़ाएं और उनको कीमत कैसे मिले ? इस सोच को लेकर भारत सरकार ने योजना बनाई, उसी योजना की देन है कि भारत सरकार ने किसान सम्मान निधि की शुरूआत की । इसके पीछे की सोच भी यही थी कि किसानों को हम क्या देते हैं ? किसान जो इतने सारे लोगों का पेट भरते हैं, उनके लिए काम करते हैं, गर्मी हो, बरसात हो, धूप हो, ठंडक हो, हर महीने परिश्रम करता है, मेहनत करता है । अगर उसको, उसकी मेहनत का पैसा सही ढंग से नहीं मिलता है तो वह हतोत्साहित होता है, वह कुंठित होता है । इसलिए भारत सरकार, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार ने किसान सम्मान निधि योजना बनाई, 6 हजार रूपये सिर्फ कागजों में नहीं खातों में जा रहा है, इसलिए मैं इस बात को बताना चाहूंगा। आज एक से अनेक कृषि यंत्र आ चुके हैं, एक जमाना था कि गांव में एक दो ट्रैक्टर हुआ करते थे, आज गांवों में करीब-करीब सभी घरों में ट्रैक्टर खड़े हैं, आज गांवों के सभी घरों में कोई न कोई कृषि यंत्र है, हार्वेस्टर है, बहुत सारी स्कीम के तहत् लिए हैं। मजदूरों को अधिक मजदूरी देना पड़ता था, मशीनों में कार्य करते हैं तो जल्दी हो जाता है, संगीता जी, आप तो इससे सहमत हैं, सभी सदस्य सहमत हैं। भारत सरकार ने स्कीम बनाई कि हम इसमें भी किसानों को सब्सिडी देंगे। उसमें ST SC OBC कोई भी हो, पहले आओ, पहले पाओ। उस योजना के तहत् भारत सरकार ने सब्सिडी दी। इसके तहत् किसानों का इनपुट कॉस्ट कैसे कम हो, ऐसा सोच करके ये योजना लागू की गई। आज मशीनों में, उपकरणों में, ट्रैक्टरों में, ट्रालियों में, हार्वेस्टर में 40 प्रतिशत से लेकर 45, 50 प्रतिशत तक सब्सिडी दे रहे हैं, यह बहुत बड़ी राशि है। अध्यक्ष महोदय,

इसी प्रकार से हम विभाग के माध्यम से बहुत सारी योजनाएं संचालित कर रहे हैं। हमारे नेता प्रतिपक्ष जी ने धान खरीदी में आर्थिक सर्वेक्षण की ओर ध्यान आकर्षित किया था, आप चावल की बात कर रहे हैं, हम धान की खरीदी करते हैं तो स्वाभाविक है कि वह अंतर दिखाई देगा। इसलिए आप धान को चावल में परिवर्तित करेंगे तो स्वाभाविक है कि उससे डेढ़ गुना अधिक आ जाएगा। आदरणीय अमर अग्रवाल जी हैं, वित्त मंत्री रहे हैं, मैं समझता हूं कि उन्हें इसके बारे में बहुत अच्छी जानकारी है।

नेता प्रतिपक्ष (डॉ. चरणदास महंत) :- अध्यक्ष महोदय, आपका आर्थिक सर्वेक्षण छपा है, आपका प्रशासकीय प्रतिवेदन छपा है, इसमें आपके द्वारा कहूं या अधिकारियों के द्वारा कहूं, इतनी बड़ी गलती हो रही है, उसी के आधार पर आगे गणना हो रही है, आप सीधे-सीधे स्वीकार कर लीजिए कि हमसे गलती हुई है। हम तो आपको चारों पांचों साल का बता रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय :- जो मंत्री जी का जवाब है, उस जवाब में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो आंकड़े आते हैं, उसमें चावल के ही आंकड़े आते हैं। चलिए, आपको बोलते हुए एक घंटे 15 मिनट हो गए हैं।

श्री रामविचार नेताम :- अध्यक्ष महोदय, माननीय नेता प्रतिपक्ष जी ने जो प्रश्न खड़ा किया था, मैं समझता हूं कि आपने आसंदी से व्यवस्था दी है। वे सहमत होंगे। हम धान खरीदते हैं, अगर हम धान को चावल में परिवर्तित करेंगे तो आंकड़ा ठीक बैठेगा। आपने वर्ष 2022-23 की बात की है, वर्ष 2024 में 150 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी की थी, अगर उसका चावल बनाएंगे तो लगभग 1 लाख मीट्रिक टन होगा। अध्यक्ष महोदय, कृषि विभाग से संबंधित माननीय सदस्यों ने विचार रखे हैं, उसमें उद्यानिकी विभाग और कृषि विभाग योजना के बारे में भी है। मैं एक बात और कहना चाहूंगा, माननीय धर्मजीत सिंह जी कब से इंतजार कर रहे हैं कि हमारा क्या हो रहा है, हमारा क्या हो रहा है ? माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने पिछली बार भी घोषणा की थी, मैं इस बार भी दोहरा रहा हूं कि आपकी जो तखतपुर में उद्यानिकी महाविद्यालय खोलने की मांग है, उसके लिए हम घोषणा करते हैं कि हम आपके यहां उसकी शुरूआत करेंगे और अगले सप्लीमेन्ट्री बजट में उसको शामिल करेंगे। हमारे आदरणीय दलेश्वर जी ने कुछ प्रश्न उठाये हैं, उन प्रश्नों का हमने परीक्षण कराया है। उसको देखकर जैसे भी होगा, इस प्रदेश के हित में हम निर्णय करेंगे। (मेजों की थपथपाहट)

श्री दलेश्वर साहू :- माननीय मंत्री जी, मैं आपसे थोड़ा सा रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूं। किसान सुविधा केन्द्र का भवन बन चुका है। उसमें सिर्फ instrument की जरूरत है और प्लांट एनालिसिस के लिए पैसे चाहिए। कुछ पैसे हम देना चाहते हैं व कुछ पैसे कलेक्टर देना चाहते हैं, परंतु आपके क्रय नियम का जो आड़ा है, उसको आप क्लियर नहीं कर पा रहे हैं तो मैं चाहता हूं कि आप अपनी तरफ से फण्ड दे दीजिएगा। वह ज्यादा नहीं है। यह उच्च स्तरीय किसानों के लिए बड़ा फायदेमंद होगा। आपने इतनी बड़ी घोषणा की है तो आप एक छोटी सी घोषणा और कर दीजिएगा। इसमें आपको क्या दिक्कत है ? इससे मुझे भी अच्छा लगेगा।

श्री रामविचार नेताम :- अध्यक्ष महोदय, मैंने आपको बता दिया है कि मैं उसका परीक्षण करा रहा हूं। उसका परीक्षण कराकर जैसे भी होगा, इस प्रदेश के हित में हम निर्णय करेंगे। इससे ज्यादा मैं और क्या बोल सकता हूं। अध्यक्ष महोदय, कृषि समृद्धि योजना के तहत हम गरीब लोगों को, किसानों को नलकूप खनन के लिए राशि देते हैं। इसके लिए भी अभी वर्ष 2001 से वर्ष 2025 तक लगभग 64 हजार, 921 नलकूप खनन कर 35 हजार, 482 कृषकों को लाभान्वित किया गया है। वर्ष 2025-2026 में इस योजनान्तर्गत 11 करोड़ रूपये की राशि की व्यवस्था की गई है। इसके साथ ही साथ कृषि पर्यटन में वर्ष 2025-2026 में योजनान्तर्गत इसके लिए भी 2 करोड़ रूपये की राशि का प्रावधान किया गया है। इसके माध्यम से निश्चित ही हमारे जो उन्नत कृषक हैं, जो अपनी प्रतिभा से परिश्रम व मेहनत करके देश के अनाज के भण्डार को तो भर ही रहे हैं, बल्कि देश और प्रदेश की जो जरूरत है, उसके हिसाब से अन्न या फल-फूल का भी उत्पादन कर रहे हैं। ऐसे क्षेत्रों का भ्रमण करने की भी हमारी योजना है। इसके माध्यम से हम यह करेंगे। उनका विकास करने के लिए उनको और कैसी सुविधा दी जा सके, इसके लिए भी हम योजना बना रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, हमारे माननीय सदस्य अजय चंद्राकर जी ने नियम के बारे में प्रश्न पूछा था कि हमारे कृषि विभाग के कोई नियम हैं या नहीं हैं तो मैं आपको यह बता देना चाहता हूं कि उर्वरक के लिए भी हमारे नियम बने हैं, बीज के लिए भी हमारे नियम बने हुए हैं, कीटनाशक के लिए भी राज्य सरकार के द्वारा नियम बने हुए हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी की एक विशेष योजना श्री अन्न योजना है। उन्होंने मिलेट्स की खेती को बढ़ावा देने के लिए जिस प्रकार से ब्रान्डिंग की है, मैं समझता हूं कि इससे पूरे प्रदेश को लाभ मिलने वाला है। चाहे हमारे बस्तर व सरगुजा जैसे सुदूर अंचल हो, इन क्षेत्रों में अनियमित वर्षा की वजह से वहां पर जो बारहमासी फसल होती है, वह पर्याप्त नहीं होती है तो ऐसे क्षेत्रों में इस प्रकार की फसलों जैसे-कोदो, कुटकी, रागी की खेती को बढ़ावा देने के लिए यह बहुत अच्छी योजना है। इसके बारे में भावना जी ने भी अपने विचार को व्यक्त किया था तो आपके पण्डरिया से लेकर कवर्धा वाले उन क्षेत्रों में भी इसके विकास के लिए बहुत संभावना है। इसके लिए भी विभाग ने योजना बनाकर काम करना शुरू किया है। आपके मार्गदर्शन में निश्चित ही हम मिशन मोड में इसको करना चाहते हैं कि यह जो मिलेट्स की खेती है, इसको मिशन मोड में करते हुए उनका जो उत्पादन हो रहा है, उनके लिए एक बेहतर मार्केट की भी व्यवस्था हो और साथ ही साथ जगह-जगह में, खासकर जिला मुख्यालय हो या प्रदेश के विभिन्न जो शहर हैं, उन शहरों में मिलेट्स के अलग-अलग बार क्यों न खुलें। इसके लिए अच्छे-अच्छे कैफे हैं। मैं अभी बस्तर गया था, दंतेवाड़ा गया था, वहां मैंने कहा कि आज मिलेट कैफे में ही जाकर नाशता-भोजन करेंगे। हम लोगों ने पूरे कार्यकर्ताओं के साथ वहां जाकर भोजन किया। इसी प्रकार से हमारे कोरिया जिले, बैकुण्ठपुर में वहां भी मिलेट का बहुत अच्छा कैफे है, जिसमें भिन्न प्रकार के बहुत अच्छे आयटम बनते हैं। उसमें मै समझता हूं और मेरा यह आग्रह है कि हमारे जनप्रतिनिधि वहां जाईये, हमारे अधिकारी भी जायें और वहां एक बार जरूर

नाश्ता करें, भोजन का टाइम है तो जरूर भोजन करिये। वहां बड़ी संख्या में बेरोजगार लोग N.R.L.M. के बच्चे स्व-सहायता समूह के माध्यम से दीदीयां चला रही हैं, वह आत्मनिर्भरता की एक मिशाल है। मैं समझता हूं कि इस मिशाल देखना चाहिए और इससे सीखना चाहिए। इसलिए इस दिशा में हमारा विभाग काम कर रहा है। हम उनको और कैसे सहयोग प्रदान कर सकते हैं ? जिला प्रशासन के माध्यम से, सी.एस.आर. के माध्यम से, डी.एम.एफ. के माध्यम से उनका बेहतर सहयोग करके उनका अन्य जगहों में इसका विस्तार होना चाहिए। मैं समझता हूं कि हमारे तमाम जनप्रतिनिधि एक बार वहां जाये तो अपना comments जरूर दें, आप अपना comments जरूर दीजिये। मैं तो आपको यह भी कहना चाहता हूं कि यदि आप छात्रावास में जाते हैं, हम वहां एक रजिस्टर रखेंगे, जिसमें सुधार करने के लिए comments भी दीजिये, सुधार करने के लिए संबंधित विभाग के अध्यक्ष, कलेक्टर जिला प्रशासन को भी अवगत कराईये। हमारा विभाग सिर्फ अकेले काम नहीं कर रहा हे। इस विभाग के माध्यम से तमाम विभाग जुड़कर काम कर रहे हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कि चाहे ट्रायबल विभाग हो या हमारा कृषि विभाग हो, इसके लिए हम सब मिलकर काम करें। कहीं कमी है तो उस कमी को दूर करने की गुंजाइश है, तो हम सुधार कर सकते हैं। इसलिए इस दिशा में millet mission mode में लेकर काम करना चाहते हैं।

अध्यक्ष महोदय, हमारे पास एक और योजना, लघु सिंचाई योजना है, जो तालाबों के लिए आता है, इसके लिए भी बजट में प्रावधान किया गया है।

श्री रामकुमार यादव :- एक गिलास पानी आउ लागही (कृषि मंत्री श्री राम विचार नेताम द्वारा पानी पीये जाने पर)

श्री रामविचार नेताम :- अध्यक्ष महोदय, उथला नलकूप योजना के लिए इस बार बजट में 15 करोड़ रूपये का प्रावधान किया है। इसी प्रकार हमने लघुत्तम सिंचाई योजना के लिए साढ़े आठ करोड़ का प्रावधान किया है।

अध्यक्ष महोदय, आपने फसल बीमा के बारे में प्रश्न किया था, तो मैं समझता हूं कि फसल बीमा के लिए आप लोगों, हर सदस्य ने अपने विचार में यही रखा है कि इसका और सरलीकरण कैसे किया जाये। मैं समझता हूं कि इस दिशा में आपके जो विचार हैं, इसको लेकर एक वृहद बैठक करेंगे। इसके माध्यम से और क्या अच्छा हो सकता है, इसमें आप सबकी भावना को माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाने, उनके समक्ष भी रखने की कोशिश करूंगा और इसके निराकरण की दिशा में आगे बढ़ेंगे।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार से हमारा एक scheme प्रधान मंत्री अन्नदाता आय सरंक्षण योजना, जिसमें National co-operative consumer federationn of india, millet के माध्यम से इस बार हम लोगों ने, हमारी सरकार ने निर्णय लिया है कि यहां खरीफ या रबी फसलों में मक्का, सोयाबीन, मूंग, उड़द, मूंगफली, चना, मसूर एवं सरसो फसलों को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर NAFED के माध्यम से एवं N.C.C.F. के माध्यम से खरीदी की व्यवस्था की जायेगी। (मेजों की

थपथपाहट) यह एक बड़ी उपलब्धि है। यहां रबी और खरीफ सीजन में जो उत्पादन हो रहा है, चना, उड़द, मूंग, सोयाबीन, मक्का है, इसकी खरीदी करने के लिए हम लोगों ने प्रदेश भर के जितने सहकारी संस्थाएं थीं, हम लोगों ने जहां-जहां धान उपार्जन केन्द्र रखा था, करीब-करीब उन क्षेत्रों में, उन स्थानों में भारत सरकार की इन संस्थाओं के माध्यम से इसकी खरीदी की व्यवस्था कर रहे हैं। हमने इसके लिए 80 करोड़ रूपये का प्रावधान रखा है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार से छत्तीसगढ़ में उद्यानिकी के क्षेत्र में काफी विकास कर रहे हैं। जिस प्रकार से हमारे आदरणीय प्रबोध मिंज जी ने अपनी बातों को रखा, इधर श्रीमती गोमती साय जी और अन्य सदस्यों ने भी अपने विचार के माध्यम से जानकारी दी कि उनके क्षेत्रों में उद्यानिकी का इतना अधिक लोगों का झुकाव हुआ है। वे आज काफी अधिक मात्रा में सब्जी का उत्पादन कर रहे हैं। जब इतने बड़े पैमाने पर सब्जी का उत्पादन कर रहे हैं तो उनके मार्केट की अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए, वहां पर गोदामीकरण की कैसे व्यवस्था हो, इस दिशा में हम विचार कर रहे हैं और हम यह कहना चाहते हैं कि निश्चित ही उन क्षेत्रों में यही सोच कर उद्यानिकी का विद्यालय खोल रहे हैं। उद्यानिकी के लिए उनको अलग से और कैसे सुविध दिया जा सकें, इसके लिए भी हम योजना बना कर काम कर रहे हैं। इसी प्रकार से हमारी अन्य योजनाएं हैं। हम मसाला उत्पादन के लिए भी काम कर रहे हैं। एंटीग्रेटेड पैक हाऊस निर्माण करने के लिए हम लोगों ने स्वीकृति दी है। जिला सूरजपुर एवं जिला गौरेला-पेंड्रा-मरवाही के जिला कार्यालय भवन के लिए भी हम लोगों ने स्वीकृति दी है। इसी प्रकार से हमारे प्रदेश के लिए यह भी एक खुशखबरी है कि बांस रोपण को बढ़ावा देने के लिए हमारी सरकार ने इस बजट में 10 करोड़ रूपये का प्रावधान रखा है। एक समय ऐसा था कि बांस को कहीं भी लाने-ले जाने या पास के चक्कर में लोग बहुत परेशान होते थे, बांस को एक गांव से दूसरे गांव तक ले जाने में मनाही होती थी, लेकिन भारत सरकार ने इसमें छूट देकर बांस को कृषि का दर्जा दिया है और इस वजह से हमारे विभाग के माध्यम से इसका संचालन हो रहा है और इसकी खेती को कैसे बढ़ाया जाये, उनका जो इनपुट कास्ट अधिक आता था उसे कैसे कम किया जाये, इसको भी विचार करते हुए हमारे विभाग ने पूरी योजना बनाकर हम वित्त विभाग के माध्यम से विशेष छूट देकर इसे बढ़ावा देना चाहत हैं, जिससे प्रदेश में लोग बांस का भी खेती अच्छे से कर सकें। इसी प्रकार से हमारे यहां कृषि सिंचाई योजना के तहत वर्ष 2025-2026 में सूक्ष्म सिंचाई योजना के माध्यम से हम किसानों को स्प्रिंकलर से लेकर, कृषि उद्यानिकी योजना के माध्यम से इन विभागों के लिए स्प्रिंकलर, पाईप, पंप व अन्य मशीनरियों का भी हमने इस बजट में प्रावधान किया है। इसके साथ ही साथ मक्का उपार्जन के लिए भी योजना बजट प्रावधान किया गया है। साथ ही साथ रागी के उत्पादन के लिए रागी के बीज की समस्या आती थी, उसके लिए भी विशेष योजना बनाई गई है। हमारे प्रदेश का एक बहुत ही महत्वपूर्ण धरोहर है कि इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय ने एक से बढ़कर एक उपलब्धियां हासिल की है। यहां के लिए यहां की जरूरत

को देखते हुए जो उद्यानिकी विश्वविद्यालय बना। जैसा कि यहां अजय चन्द्राकर जी ने उस ओर संकेत किया कि जब उद्यानिकी विश्विविद्यालय बना तब से भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार हुआ। उसकी भ्रष्टाचार से शुरूआत हुई। मैं समझता हूं कि आप लोगों को हमारी सरकार को बधाई देनी चाहिए कि हमारी सरकार ने इसमें कठोर कार्रवाई करते हुए दृढ़ता दिखाते हुए इसमें तत्काल पूरी जांच प्रक्रिया करके पूरी जांच करायी। जांच रिपोर्ट के बाद इसमें माननीय राज्यपाल की जो सिफारिश आई, उसके आधार पर हमने जरा भी देरी नहीं की और तत्काल कार्रवाई करके उसको जमीन पर उतारा और उसका आदेश पालन किया। इसके लिए भी हम लोगों ने विशेष योजना बनाया है।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, थोड़ा संक्षिप्त में कहिये।

श्री रामविचार नेताम :- अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी बात समाप्त करने ही वाला हूं।

श्री रामकुमार यादव :- एक गिलास अऊ पानी लाया जाय।

अजय चन्द्राकर :- सर, मैं अपने बारे में कभी किसी डिमांड मांग में नहीं बोलता हूं, लेकिन मैंने आपसे कुछ चीज मांगी थी। जब आप इतनी सारी घोषणाएं कर रहे हैं तो आपने उसको क्यों छोड़ दिया? वह छोटी-छोटी चीजें थी।

श्री रामविचार नेताम :- अध्यक्ष महोदय, वैसे भी अजय जी का कोई मांग नहीं बच सकता है और कोई छोड़ नहीं सकता है।

श्री अजय चन्द्राकर :- भैया, आपने छोड़ दिया है।

श्री रामविचार नेताम :- आपने जो बोला, वह हुआ। (मेजों की थपथपाहट)

श्री अजय चन्द्राकर :- मेरे को याद है, मैं क्या कहा हूँ, लेकिन बोलूँगा नहीं, वह आप जानते हो ।

श्री रामविचार नेताम :- मुझे मालूम है, वह उद्यानिकी वाला है ।

श्री अजय चन्द्राकर :- वह उद्यानिकी वाला है और एस.डी.ओ. एग्रीकल्चर वाला है ।

श्री रामविचार नेताम :- अध्यक्ष महोदय, मैं एक और अच्छी योजना के बारे में जानकारी दे दूँ । वर्टिकल फार्मिंग सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, इसकी स्थापना हमारे छत्तीसगढ़ में हो रहा है । यह केन्द्र की डच तकनीक पर आधारित होगा और किसानों को उन्नत विधियों, संरक्षित खेती, पॉली हाऊस, सेडनेट हाऊस तथा उच्च मूल्य वाली फसलों की खेती के लिये प्रशिक्षण और तकनीकी सहायता प्रदान करेगा। अध्यक्ष महोदय, यह इतनी अच्छी स्कीम है और इसके लिये भी हमारी सरकार ने 15 करोड़ का बजट प्रावधान किया है । (मेजों की थपथपाहट) अध्यक्ष महोदय, आज जिस प्रकार से पानी की किल्लत हो रही है, अभी माननीय अजय चन्द्राकर जी और अन्य सदस्यों ने चिंता व्यक्त की है कि हमारा जलस्तर हर साल गिर रहा है, यह समय की मांग है कि इस बारे में सदन भी विचार करे और हम सब को भी विचार करना पड़ेगा कि आज क्या हो रहा है ? अध्यक्ष महोदय, आज तालाब सूखे पड़े हैं, नदियॉ सूख जा रही है, वहां के जीव-जंतु कैसे रहेंगे, वहां गाय किस तरह से पानी और चारे के लिये तरस रही है, यह सोचने

का समय है, यह तेरा-मेरा खाली आलोचना करने का नहीं है ? हम इस सदन में बैठकर इस स्तर पर कुछ कार्ययोजना बनें, यह विचार होना चाहिये, इसमें ठोस निर्णय होना चाहिये । अध्यक्ष महोदय, आपके नेतृत्व में हम लोगों ने इस विधान सभा में बैठकर बड़े-बड़े निर्णय किये हैं और प्रदेश की जरूरत के हिसाब से इंडोर मीटिंग भी करना चाहें तो हमने इंडोर मीटिंग भी किया है, इस सदन ने किया है । अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूँ कि हमें समय के अनुसार इसकी जरूरत को देखते हुये निश्चित ही इस ओर देखना चाहिये । मैंने आप सब के माध्यम से अपने विभाग से संबंधित मांग को कुछ हद तक रखने की कोशिश की है । अध्यक्ष महोदय, समय की एक सीमा है और उसे हम उसी सीमा में पूरा करना चाहेंगे तथा उसी समय में बाकी लोग बोलना चाहेंगे । आपने जो समय दिया, माननीय सदस्यों के जो अमूल्य सुझाव आये, मैं उन सब को अपनी ओर से, हृदय की गहराईयों से बहुत-बहुत धन्यवाद देते हुये अपनी बात समाप्त करता हूँ । अध्यक्ष महोदय आपको सबसे अधिक आभार इसलिये व्यक्त करता हूँ कि हमारी मांग को आपने ध्यान से सुना और देखा भी है, अत: मुझे उम्मीद है कि इसे पूरा करने के लिये आप सब यहां पर उपस्थित हैं, अत: मेरा कृषि और ट्राईवल से संबंधित समस्त मांगों को सर्वसम्मति से पारित करेंगे । बहुत-बहुत धन्यवाद, आपको नमस्कार । (मेजों की थपथपाहट)

समय :-

6.00 बजे

अध्यक्ष महोदय :- मैं पहले कटौती प्रस्ताव पर मत लूँगा ।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि मांग संख्या - 33, 41, 42, 53, 64, 66, 68, 82, 13 एवं 54 पर प्रस्तुत कटौती प्रस्ताव स्वीकृत किये जायें।

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए।

अध्यक्ष महोदय :- अब मैं मांगों पर मत लूंगा।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि दिनांक 31 मार्च, 2026 को समाप्त होने वाले वर्ष में राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को :-

मांग संख्या - 15 अनुसूचित जाति उपयोजनान्तर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता के लिये-दो सौ उन्तीस करोड़, पैतालीस लाख, अड़तीस हजार रूपये,

मांग संख्या - 33 आदिम जाति कल्याण के लिये-एक सौ पचपन करोड़, अट्ठाईस लाख, चालीस हजार रूपये,

मांग संख्या - 41 अनुसूचित जनजाति उपयोजना के लिये - अड़तीस हजार दो सौ इकहत्तर करोड़, इक्कीस लाख, पचास हजार रूपये,

मांग संख्या - 42 अनुसूचित जनजाति उपयोजना से संबंधित लोक निर्माण कार्य-सड़कें और पुल के लिये - एक हजार आठ सौ चौदह करोड़,चौव्वन लाख, तीस हजार रूपये,

मांग संख्या - 49 अनुसूचित जाति कल्याण के लिये- दो करोड़, तिहत्तर लाख, नब्बे हजार रूपये,

मांग संख्या - 53 अनुसूचित जाति उपयोजनान्तर्गत नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता के लिये - एक सौ अन्ठानबे करोड़, तिरासी लाख, सड़सठ हजार रूपये,

मांग संख्या - 64 अनुसूचित जाति उपयोजना के लिये - तेरह हजार सात सौ बयानबे करोड़, इक्कीस हजार रूपये,

मांग संख्या - 66 पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण के लिये- दो सौ इंक्यानबे करोड़, तीन लाख, पचास हजार रूपये,

मांग संख्या - 68 अनुसूचित जनजाति उपयोजना से संबंधित लोक निर्माण कार्य-भवन के लिये- दो सौ इकसठ करोड़, पैंसठ लाख, दस हजार रूपये,

मांग संख्या - 82 अनुसूचित जनजाति उपयोजना के अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता के लिये- चार सौ इकसठ करोड़, बीस लाख, अन्ठानबे हजार रूपये,

मांग संख्या - 83 अनुसूचित जनजाति उपयोजना के अंतर्गत नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता के लिये- दो सौ तिरासी करोड़, चौदह लाख, इकहत्तर हजार रूपये,

मांग संख्या - 13 कृषि के लिये-सात हजार छप्पन करोड़, तिरपन लाख, साठ हजार रूपये तथा

मांग संख्या - 54 कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा से संबंधित व्यय के लिये- चार सौ छप्पन करोड़, छब्बीस लाख, छियासठ हजार रूपये तक की राशि दी जाये।

मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

(मेजों की थपथपाहट)

अध्यक्ष महोदय :- माननीय राजस्व मंत्री जी का वक्तव्य देंगे ।

समय :-

6:03 बजे

वक्तव्य

राष्ट्रीय राजमार्ग भारतमाला परियोजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य के विभिन्न जिलों में भू अर्जन की कार्यवाही के संबंध में

राजस्व मंत्री (श्री टंक राम वर्मा) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, भारत सरकार द्वारा घोषित राष्ट्रीय राजमार्ग भारतमाला परियोजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य के विभिन्न जिलों में भू अर्जन की कार्यवाही की गई है । उक्त परियोजना अंतर्गत रायपुर विशाखापट्टनम ईकोनॉमिक कॉरीडोर के लिए भूमि अधिग्रहण हेतु प्रारंभिक अधिसूचना भारत सरकार द्वारा दिनांक 30.01.2020 को जारी की गई तथा दिनांक 18.03.2021 को अर्जन किये जाने का अवार्ड पारित किया गया । उक्त भू अर्जन प्रक्रिया के संबंध में राजस्व विभाग को निम्न शिकायतें प्राप्त हुई थीं :-

1. शिकायतकर्ता श्री कृष्णकुमार साहू एवं श्री हेमंत देवांगन द्वारा भू-अर्जन अधिकारी/अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) अभनपुर, तहसीलदार, राजस्व निरीक्षक एवं हल्का पटवारी द्वारा शासकीय एवं निजी भूमि को उपखण्डों में विभाजित कर अधिक मुआवजा प्रदाय करते हुए शासन को आर्थिक क्षति पहुंचाने की शिकायत की गई है। उक्त शिकायत के संबंध में अपर कलेक्टर जिला रायपुर से प्राप्त जांच प्रतिवेदन अनुसार राशि रूपए 43 करोड़, 18 लाख का अधिक मुआवजा का भुगतान किया जाकर शासन को आर्थिक क्षति पहुंचाने की पुष्टि की गई है ।

2. शिकायतकर्ता श्रीमति पूजा बघेल, सभापति, राजस्व स्थाई समिति, कार्यालय जनपद पंचायत अभनपुर, जिला रायपुर द्वारा पूर्व में अर्जित भूमि कर दोबारा भूमि-अर्जन कर मुआवजा वितरण किये जाने की शिकायत प्रस्तुत की गई, जिसके संबंध में आयुक्त, रायपुर से प्राप्त जांच प्रतिवेदन अनुसार भूमि-अर्जन में संलिप्त अधिकारियों द्वारा राशि रूपये 02 करोड़, 34 लाख की आर्थिक अनियमितता की गई है ।

3. शिकायतकर्ता श्री नरेन्द्र कुमार पारख, संचालक, स्वामी बिल्डवेल प्राईवेट लिमिटेड द्वारा शिकायत की गई है कि ग्राम उरला तहसील अभनपुर में हुए भूमि अर्जन में वैध भूमि स्वामी को मुआवजा का भुगतान न करते हुए किसी अन्य व्यक्ति को मुआवजा भुगतान कर दिया गया है । आयुक्त, रायपुर से प्राप्त जांच प्रतिवेदन अनुसार वैध भूमिस्वामी के स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति को रूपए 01 करोड़, 36 लाख का मुआवजा भुगतान किये जाने की पुष्टि हुई है ।

4. शिकायतकर्ता श्री सत्यनारायण शर्मा (उपाध्यक्ष), श्री महेन्द्र कुमार अग्रवाल (सचिव), एवं श्री ठाकुर रामचन्द्र जी स्वामी जैतु साव मठ, सार्वजनिक न्यास, पुरानी बस्ती रायपुर के द्वारा मंदिर की मुआवजा राशि का आहरण अन्य व्यक्तियों को भुगतान किये जाने की शिकायत की गई है । कलेक्टर

रायपुर से प्राप्त जांच प्रतिवेदन अनुसार वर्तमान में वाद भूमि के संबंध में व्यवहारवाद व्यवहार न्यायालय रायपुर में विचाराधीन होने के बाद भी राशि रूपये 02 करोड़, 37 लाख का मुआवजा भुगतान किये जाने की पुष्टि की गई है ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, उपरोक्त प्राप्त शिकायतों के साथ-साथ सदन में अन्य सदस्यों द्वारा अन्य जिलों में भी भारत माला परियोजना अंतर्गत मुआवजा वितरण में अनियमितता किये जाने की जानकारी दी गई है। इन शिकायतों को दृष्टिगत रखते हुए तथा व्यापक लोकहित होने के कारण माननीय नेता प्रतिपक्ष द्वारा पूछे गये विधान सभा प्रश्न क्रमांक 226 की चर्चा के दौरान सदन में मेरे द्वारा आश्वासन दिया गया था कि भारत माला परियोजना अंतर्गत राज्य के सभी संबंधित जिलों में हुए भूमि-अर्जन शिकायतों की विभागीय स्तर पर संभाग आयुक्त के द्वारा जांच कराई जायेगी। कृपया अवगत होना चाहेंगे कि राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 के अंतर्गत पारित अवार्ड के संबंध में हितबध पक्षकारों के द्वारा प्राप्त आक्षेपों की सुनवाई हेतु संभाग आयुक्त आर्बिट्रेटर (विवाचक) नियुक्त किये जाते हैं। अत: प्राप्त शिकायतों के संबंध में जांच करने हेतु संभागीय आयुक्त सक्षम प्राधिकारी हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, प्राप्त शिकायतों में शासकीय कर्मचारियों के साथ-साथ निजी व्यक्तियों की भी अनियमितता में संलिप्तता परिलक्षित होने पर मंत्रिमंडल की बैठक दिनांक 12.03.2025 को निर्णय लिया गया है कि राज्य के अंतर्गत भारत माला परियोजना के भू-अर्जन संबंधित समस्त प्रकरणों में भ्रष्टाचार की प्राप्त शिकायतों की जांच राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो (EOW) छत्तीसगढ़ रायपुर से करायी जाएगी। उल्लेखनीय है कि शासकीय कर्मचारियों के विरुद्ध विभागीय अनुशासनात्मक जांच विभाग स्तर पर जारी रहेगी। शासकीय कर्मचारी एवं निजी व्यक्ति द्वारा की गई आर्थिक अनियमितता की जांच राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो (EOW) छत्तीसगढ़ रायपुर द्वारा भी की जायेगी।

नेता प्रतिपक्ष (डॉ.चरण दास महंत) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं उस दिन भी बड़ी विनम्रता से निवेदन कर रहा था कि यहां के जो आयुक्त महोदय हैं, उनकी एक सीमा है। वे राज्य के बाहर केन्द्रीय योजनाओं के बारे में, परियोजनाओं के बारे में, केन्द्रीय राशि के बारे में कुछ नहीं कर सकते और वही सीमा EOW के लिए भी है। EOW भी अपने राज्य के अधीन ही कर सकती है। चूंकि इसमें आपके केन्द्रीय मंत्री स्वयं कह चुके हैं कि राज्य में इतनी गड़बड़ी हो रही है, इसकी जांच होनी चाहिए, मैं उससे खुश नहीं हूं। आपके माननीय लोक सभा के सदस्य वहां गए थे। इन परिस्थितियों में आपने मेरा सी.बी.आई. से जांच करने का बिल्कुल नकार दिया और EOW से जांच कराना स्वीकार किया है। उससे मेरा कोई अर्थ नहीं निकलता। मेरी भावना सिर्फ ये है कि यहां जो परियोजनाएं आई हैं, केन्द्रीय सरकार की परियोजनाएं आई हैं, भारत माला परियोजना आई है, उसका जल्दी-जल्दी, शीघ्रता से निर्माण हो, कोई अनियमितता न हो और आज भी मेरी मंशा यही है। इसलिए इनका जो भी वक्तव्य आया हो, सरकार

आप हैं, जो करना चाहें करें, आप हमारी सुनेंगे नहीं, आपके इस जवाब से हम असंतुष्ट हैं और आज भी सी.बी.आई. की मांग को हम जारी रखते हैं और इस मांग के साथ हम आपकी इस सभा में उपस्थित नहीं रह पायेंगे। हम आज के इस कार्यक्रम से बहिष्कार करते हैं।

(प्रतिपक्षी दल के सदस्यों द्वारा नारे लगाए गए)

समय:

06.08 बजे

बहिष्कार

भारतीय राष्ट्रीय कॉंग्रेस दल के सदस्यों द्वारा भारत माला परियोजना अंतर्गत मुआवजा वितरण में अनियमितता की सी.बी.आई. जांच न कराए जाने के विरोध में

(नेता प्रतिपक्ष (डॉ. चरण दास महंत) के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कॉंग्रेस दल के सदस्यों द्वारा भारत माला परियोजना अंतर्गत मुआवजा वितरण में अनियमितता की सी.बी.आई. जांच न कराए जाने के विरोध में सदन से बहिष्कार किया गया।)

समय:

06.09 बजे

सदन को सूचना

भारतीय प्रबंधन संस्थान, नवा रायपुर द्वारा दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम

अध्यक्ष महोदय :- भारतीय प्रबंधन संस्थान (आई.आई.एम.) अटल नगर, नवा रायपुर द्वारा छत्तीसगढ़ शासन के माननीय मंत्रीगण को छोड़कर छत्तीसगढ़ विधान सभा के शेष समस्त सदस्यों हेतु शनिवार एवं रविवार, दिनांक 22 एवं 23 मार्च, 2025 को दो दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया है। प्रशिक्षण कार्यक्रम की समय सारणी पृथकत: वितरित की जा चुकी है। तद्नुसार उक्त दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में आप समस्त विधायकगण सम्मिलित होकर प्रशिक्षण कार्यक्रम का लाभ लें। धन्यवाद।

समय:

6.10 बजे

वित्तीय वर्ष 2025-2026 की अनुदान मांगों पर चर्चा (क्रमश:)

(2) मांग संख्या 3 पुलिस
मांग संख्या 4 गृह विभाग से संबंधित अन्य व्यय
मांग संख्या 5 जेल
मांग संख्या 30 पंचायत तथा ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित व्यय

मांग संख्या 80 त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता
मांग संख्या 46 विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी
मांग संख्या 47 कौशल विकास तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विभाग

उप मुख्यमंत्री (गृह) (श्री विजय शर्मा) :- अध्यक्ष महोदय, मैं, राज्यपाल महोदय की सिफारिश के अनुसार प्रस्ताव करता हूँ कि दिनांक 31 मार्च, 2026 को समाप्त होने वाले वर्ष में राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को -

मांग संख्या - 3 पुलिस के लिये आठ हजार दो सौ सैंतीस करोड़, तेरह लाख, सोलह हजार रूपये,

मांग संख्या - 4 गृह विभाग से संबंधित अन्य व्यय के लिये एक सौ इकतालीस करोड़, चौंसठ लाख, पच्चीस हजार रूपये,

मांग संख्या - 5 जेल के लिये दो सौ अठहत्तर करोड़, निन्यानबे लाख, नब्बे हजार रूपये,

मांग संख्या - 30 पंचायत तथा ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित व्यय के लिये- आठ हजार पचपन करोड़, पैंसठ लाख, सन्तानबे हजार रूपये.

मांग संख्या - 80 त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता के लिये- चार हजार पच्चीस करोड़, छिहत्तर लाख, उनहत्तर हजार रूपये,

मांग संख्या - 46 विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के लिये चौंसठ करोड़ तथा

मांग संख्या - 47 कौशल विकास तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विभाग के लिये - चार सौ चौहत्तर करोड़, आठ लाख, चार हजार रूपये तक की राशि दी जाये।

अध्यक्ष महोदय :- प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

अध्यक्ष महोदय :- कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करने वाले सदस्य उपस्थित नहीं है। अत: कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं हुए। अब मैं मांगों पर चर्चा प्रारंभ करता हूं। श्री धर्मजीत सिंह जी चर्चा प्रारंभ करेंगे।

श्री धर्मजीत सिंह (तखतपुर) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, छ: प्रदेशों से घिरे हुए छत्तीसगढ़ प्रदेश को सुरक्षित रखना, यहां की शांति व्यवस्थ को बनाये रखना, यहां की आम आवाम की जिंदगी को सामान्य बनाये रखना बहुत चुनौतीपूर्ण कार्य है। यह कार्य माननीय उप मुख्यमंत्री, श्री विजय शर्मा जी के नेतृत्व में श्री विष्णु देव साय जी की सरकार और हमारे बहादुर पुलिस के जवानों के द्वारा बखूबी किया जा रहा है। यह छत्तीसगढ़ सरगुजा के मैनपाट की पहाड़ियां, जो छत्तीसगढ़ का ताज है और जो इंद्रावती नदी बहती है, वह छत्तीसगढ़ मां के पैर पखारते हुए बहती है और इन दोनों के बीच के छत्तीसगढ़ में एक समय में सरगुजा में उग्रवाद, नक्सलवाद चरम पर था, उसे हमारे पुलिस के जवानों ने अपनी जान की आहूति देकर शांति के रास्त पर लाया और वहां पर आज अमन, चैन और शांति कायम है। लेकिन

बस्तर हमारे लिये बहुत बड़ी समस्या पहले भी थी, अभी भी है और अब उम्मीद करते हैं कि श्री अमित शाह जी के नेतृत्व में वर्ष 2026 तक बस्तर के इलाके से नक्सलवाद को खत्म करके हमारे खूबसूरत बस्तर को आगे ले जाने का काम विष्णु देव साय जी की सरकार और हमारे बहुत ही होनहार उप मुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा कर रहे हैं। (मेजों की थपथपाहट) माननीय अध्यक्ष महोदय, लगने में ऐसा लगता है कि यह बस्तर का उग्रवाद खत्म क्यों नहीं हो रहा है। लेकिन हकीकत यह है कि श्रीलंका का जाफना, जो प्रभाकरण जैसे बहुत बड़े टेरेरिस्ट का गढ़ रहा है, वह हमारे बस्तर के इलाके का सिर्फ 1/10वां हिस्सा था। लेकिन उस उग्रवाद को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों के सहयोग के बावजूद श्रीलंका की सरकार खत्म नहीं कर पा रही थी और वह खत्म हुआ भी तो वहां पर सेना को उतारना पड़ा, अंधाधुंध गोलियां चलानी पड़ी, निर्दोषों को मारना पड़ा, बम का इस्तेमाल हुआ, हवाई जहाज से बमबार्डिंग हुई, तब वह जाफना आज जाकर शांति की राह में आया है। लेकिन हम प्रजातांत्रिक देश में रहते हैं। यहां पर नक्सलवाद को खत्म करने के लिये हमारे बहादुर जवान अपने प्राणों की आहूति देते हैं। नक्सली बम ब्लास्ट में उनकी गाड़ियों को उड़ाकर उनके शरीर के टुकड़े-टुकड़े करके उनको बिखेरने का जघन्य अपराध करते हैं, उसके बाद भी इस प्रदेश में और इस देश में ऐसे लोग हैं, जो सुप्रीम कोर्ट में पहुंचकर मानवाधिकार आयोग की बात करके पैरवी करके हमारे जवानों के बलिदान को प्रश्नवाचक चिन्ह के घेरे में लेने का प्रयास करते हैं। हम प्रजातांत्रिक देश में है इसलिए उनको सेना बुलाकर नहीं मारा जा सकता। हम प्रजातांत्रिक देश में है इसलिए कई बार बेबसी में उनके अत्याचार को सहना पड़ता है। लेकिन मैं उप मुख्यमंत्री जी को, माननीय मुख्यमंत्री जी को और अपने केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह को बधाई देना चाहता हूं, जिनकी दृढ़ इच्छाशक्ति के आगे हमारे प्रदेश के बहादुर जवानों ने अपनी जान को जोखिम में डालकर, इस प्रदेश में नक्सलियों को खत्म करने के रास्ते पर अपना शौर्य और प्रदर्शन दिखाया है। इसीलिए जब तक हम अपने जवानों को उनकी सुविधा के लिए राशि नहीं देंगे तब तक हम इस प्रदेश में कैसे लड़ सकते हैं? उनके पास न जाने कहां-कहां से हथियार आते हैं, लेकिन हमारे जवानों के पास पुराने हथियार होंगे तो वह उनसे कैसे लड़ेंगे? इसलिये इस बजट में वृद्धि की गई है। इस सरकार ने संसाधनों को बढ़ाने का काम किया है। राज्य सरकार ने पुलिस बल एवं संसाधनों में वृद्धि करने के लिए वर्तमान बजट में राशि 7 हजार 786 करोड़ रूपये का प्रावधान किया है, जो पिछले वित्तीय बजट की तुलना में 10 प्रतिशत अधिक है और यह दर्शाता है कि हम अपने पुलिस की ताकत के लिए, सुरक्षा के लिए, पुलिस की हिम्मत और हौंसले को बढ़ाये रखने के लिए वित्तीय आड़े नहीं देंगे और हमने इसमें वित्तीय प्रावधान किया है।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह पुलिस की सुरक्षा के लिए क्या है? यह बजट बढ़ा है तो क्या पुलिस की सुरक्षा के लिए बढ़ा है?

श्री धर्मजीत सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, नहीं। नक्सलियों से सुरक्षा के लिए कह रहा हूँ।

श्री अजय चन्द्राकर :- क्या आपकी पुलिस को सुरक्षा की जरूरत है?

श्री धर्मजीत सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, नहीं। अभी मैं नक्सल मुद्दे में बात कह रहा हूँ। वित्तीय वर्ष 2025-2026 के मुख्य बजट में पूंजीगत परिव्यय मद 829 करोड़ रूपये का बजट में प्रावधान है जो कि विगत वित्तीय वर्ष की प्रावधानित राशि 406.61 करोड़ रूपये की तुलना में इसमें 422 करोड़ रूपये वृद्धि की गई है। माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्य में पुलिस कर्मियों के रहने की भी समस्या है। यहां पर 18 हजार 355 आवास गृह उपलब्ध हैं जबकि विभाग में उपलब्ध पुलिस बल 83 हजार 269 हैं इस तरह से पुलिस विभाग में उपलब्ध आवास का संतुष्टि प्रतिशत 22.4 प्रतिशत है। पिछले वर्ष के बजट में हमारी सरकार द्वारा 962 आवास के लिए बजट में प्रावधान किया गया, जिसमें वृद्धि करते हुए इस वर्ष पुलिस आवास हेतु प्रधान आरक्षक, आरक्षक के लिए 2 हजार 384 आवास, अराजपत्रित ग्रामीण क्षेत्र के थाना क्षेत्र के अधिकारियों के लिए 500 आवास प्रावधान किये गये हैं। पुलिस विभाग में 6 हजार 85 नवीन पदों का प्रावधान किया गया है, जो कि पिछले वर्षों की तुलना में बहुत ज्यादा अधिक है। माननीय अध्यक्ष महोदय, नक्सल उन्मूलन अभियान और कानून व्यवस्था के लिए बुलेट प्रूफ वाहन, माउंटेड जैमर वाहन, W.H.A.P. वाहन हेतु राशि का प्रावधान किया गया है। इसी प्रकार विशेष आसूचना शाखा को हल्का वाहन और मोटरसाईकिल उपलब्ध कराने के लिए भी प्रावधान किया गया है। अपराध एवं अपराधियों की जानकारी का Digitalization में लगातार प्रगति हो रही है। प्रदेश में साईबर की समस्या बहुत तेजी से बढ़ी हुई है। यहां साईबर ठगी का मामला हो रहा है। पुलिस मुख्यालय में नवनिर्मित साईबर भवन के उद्घाटन के साथ ही आधुनिक फॉरेंसिक टूल्स से युक्त साईबर फॉरेंसिक लैब राज्य साईबर पुलिस थाना साईबर क्राईम हेल्प लाईन नंबर 1930 कॉल सेन्टर और साईबर क्राईम कंट्रोल रूम प्रारंभ किया गया है। साईबर क्राईम हेल्प लाईन नंबर 1930 कॉल सेन्टर में वित्तीय धोखाधड़ी की शिकायतें प्राप्त होने पर तत्काल शिकायत दर्ज की जा रही है। छत्तीसगढ़ पुलिस द्वारा लगातार साईबर जागरूकता कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं। जिसमें साईबर जागरूकता संबंधी 410 विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से 23 लाख जनता तक पुलिस के द्वारा साईबर जागरूकता संदेश का प्रचार किया गया है। साईबर अपराध पर कार्यवाही करने हेतु रेंज स्तर पर 5 साईबर थाना, रायगढ़, कोरबा, राजनांदगांव, कबीरधाम हेतु 4 थाने, 60 लाख रूपये की लागत से रेंज साईबर थाना हेतु साईबर अपराध विवेचना में सहायक हार्ड वेयर और सॉफ्ट वेयर को क्रय किया जा रहा है। इस प्रदेश में अपराध और अपराधियों पर कड़ी कार्यवाही भी हो रही है। राज्य में कानून की व्यवस्था बहुत सामान्य है, माननीय उप मुख्यमंत्री जी के कड़े निर्णय और मुख्यमंत्री जी की दृढ़ इच्छाशक्ति के बाद। यहां जो घटनाएं होती हैं उनमें अधिकांश घटनाएं आपसी रंजिश, पारस्परिक विवाद, पति-पत्नी में विवाद, प्रेम प्रसंग के कारण और अन्य स्थानीय कारणों से होती है । वर्ष 2023 की तुलना में वर्ष 2024 में अपहरण, चोरी, बलवा, आगजनी और महिला संबंधी अपराधों में, दहेज प्रताड़ना जैसे अपराधों में कमी आई है। घटित घटनाओं

में जो अपराधी संलग्न थे, उनको जेल के अंदर भेजा जा चुका है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, पुलिस विभाग न केवल अपने पुलिस के जवानों से कानून और व्यवस्था को नियंत्रण में कर रहे हैं बल्कि पुलिस विभाग के कर्मियों के कल्याण को भी सुनिश्चित किया जा रहा है। राज्य सरकार द्वारा सूबेदार, उप-निरीक्षक, प्लाटून कमांडर संवर्ग के सीधी भर्ती वर्ष 2021 के रिक्त 975 पदों के विरूद्ध 959 अभ्यर्थियों की दिनांक 28.10.2024 को चयन सूची जारी कर चयनित अभ्यर्थियों का चरित्र सत्यापन व मेडिकल जांच की कार्यवाही की जा रही है तथा सूबेदार, उपनिरीक्षक, प्लाटून कमांडर संवर्ग के नवीन सीधी भर्ती वर्ष 2024 के रिक्त 341 पदों के लिए विज्ञापन प्रकाशित कर ऑनलाईन आवेदन प्रक्रिया आमंत्रित किये गये हैं। जनजातीय और अनुसूचित जाति के बच्चों के ऊंचाई और सीने में छूट दिये जाने के फलस्वरूप उनको ज्यादा मौका उपलब्ध करा रहे हैं। सशस्त्र बल का भी गठन हमारे गृह मंत्री जी ने, पुलिस विभाग ने किया है। छत्तीसगढ़ राज्य में सशस्त्र बल के गठन का मुख्य उद्देश्य नक्सलवाद की समस्या नियंत्रण और निवारण हेतु है। इसमें बहुत सी अन्य व्यवस्थायें की गई हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, छत्तीसगढ़ के अंदरूनी क्षेत्रों में अनेक गावों में माओवादियों के डर से वर्षों से मुख्य धारा से कटे हुए लोग थे। आम जनता के हित की योजनायें जिसमें पी.डी.एस., शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, विद्युत व्यवस्था, मोबाईल टॉवर आदि बुनियादी जरूरतें भी शामिल हैं जो आम जनता तक नहीं पहुंच पाती थी। माओवादी प्रदेश की भोली भाली जनता विशेषकर वनांचल क्षेत्र में रहने वाले हमारे आदिवासी भाई बहनों को गुमराह कर, भयाक्रांत कर उनके जीवन में प्रगति के बाधक और विकास के शत्रु हैं। माओवादियों की नजर छत्तीसगढ़ की प्रचुर प्राकृतिक एवं वन संपदा पर भी है और वह इन संसाधनों पर नियंत्रण कर अपने स्वार्थ की पूर्ति करना चाहते हैं। लेकिन हमारे पुलिस के जवानों ने, केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों ने अदम्य साहस का परिचय दे करके उनके इस मंसूबे को ध्वस्त किया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, इस सरकार की ही इच्छाशक्ति का यह परिणाम है कि बीजापुर से गलगम, बीजापुर से गंगालूर, जिला सुकमा दंतेवाड़ा के जगरगुंडा से दंतेवाड़ा, जिला दंतेवाड़ा नारायणपुर के बैलाडीला से नारायणपुर मार्गों में सुरक्षा कैंप की स्थापना की जाकर वहां बस सेवा प्रारंभ की गई है। इसी तरह से जिला सुकमा में सुकमा से किस्टाराम, सुकमा से तोंगपाल, सुकमा से भूसाराम, कोंटा से जगरगुंडा इत्यादि पहुंचविहीन क्षेत्रों में बस सेवा प्रांरभ किये जाने से निवासरत ग्रामीणों को मुख्य धारा से जोड़ने का एक बेहतरीन अवसर प्राप्त हो रहा है। इस चुनौती का सामना करते हुए जो हमारे बहुत बहादुर जवान शहीद हुए हैं, अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से उन बहादुर जवानों के चरणों में श्रद्धासुमन अर्पित करता हूं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, बहुत बड़ी-बड़ी बात करते रहते थे। एक पूर्व मुख्यमंत्री जी ने यहां पर भाषण दिया कि मैनें उप मुख्यमंत्री जी से प्रश्न किया तो उनके यहां ई.डी. भेज दी गई। उप-मुख्यमंत्री जी से कोई प्रश्न पूछा तो आपने ई.डी. भेज दिया, यह उनका आरोप था। उप-मुख्यमंत्री को ई.डी. में बात

करने का न तो कोई शौक है और न उनके अधिकार क्षेत्र में आता है। ई.डी. एक स्वतंत्र संस्था है। वह दोनों उप-मुख्यमंत्री का नाम लिये थे। आपका भी लिये थे और आपका भी लिये थे। ई.डी. एक स्वतंत्र संस्था है। अगर किसी स्वतंत्र संस्था की जांच में हर कोई ऊंगली उठाने लगे तो फिर आखिर जांच कौन करेगा? पुलिस जांच करती है तो आपको भरोसा नहीं है, ई.ओ.डब्ल्यू. जांच करती है तो आपको भरोसा नहीं है, ई.डी. जांच करती है तो आपको भरोसा नहीं है, सी.बी.आई. जांच करती है तो आप उसको बैन कर देते हैं।

समय :

6.25 बजे

(सभापति महोदय (श्री प्रबोध मिंज) पीठासीन हुए)

सभापति महोदय, इंकम टैक्स वाले आते हैं तो उनकी गाड़ियों में आपने ताला लगवा दिया था, उनकी गाड़ियों में इन लोगों ने ताला लगवा दिया था । आपको मालूम नहीं है, मंत्री जी आप उस समय मंत्री नहीं बने थे । हमको मालूम है कि पिछली सरकार में जब इंकमटैक्स वाले रेट करने गए थे तो उनकी गाड़ियों में पुलिसवालों ने चेन फंसा करके ताला बंद कर दिया था कि अब तुमको कहीं जाने नहीं देंगे और यह ईडी के बारे में उंगली उठाते हैं। अरे भई ईडी आया है और तो किसी के यहां नहीं जा रहा है, यहां भी और बहुत से लोग बैठे हैं, ईडी नहीं जा रहा है । अब ईडी जा रहा है तो उसको यहां न तो कोई रोक सकता और न तो यहां कोई भेज रहा है, ईडी अपना काम करेगा । कानून व्यवस्था बहुत ख़राब है-कानून व्यवस्था बहुत ख़राब है, क्यों ख़राब है ? अरे, कोई गुंडा है, गुंडागर्दी करेगा, पुलिस इसीलिये बनी है कि उसको दो लट्ठी मारे और अंदर करे, उसका जुलूस निकाल दे । गुंडे लोगों से क्या आइए श्रीमान बैठिए, आपने चोरी की है कि नहीं ऐसा थोड़ी न कोई पुलिसवाला पूछेगा । दो डंडा मारेगा और पूछेगा तो वह सही-सही बताएगा । प्रेम से पूछेगा तो कुछ पता नहीं चलेगा । माह अक्टूबर 2024 को कुलदीप साहू और चंद्रकांत चौधरी जो कि प्रधान आरक्षक तालिब शेख के घर में घुसकर उसकी पत्नी और बच्चों की हत्या कर दिए थे, यह जिलाबदर गुंडा- बदमाश था और यह कांग्रेस पार्टी का पदाधिकारी था । जिस पार्टी का पदाधिकारी एक प्रधान आरक्षक की मतलब बिना जुर्म के उसकी पत्नी और बच्चों की हत्या कर दे और आप कानून और व्यवस्था की बात करते हैं । आपको यहां रहना था, हम आपको कानून और व्यवस्था बताते । एक भिलाई का निगरानी बदमाश है उसको पुलिस ने Encounter किया और उसकी मौत हो गई । उसके खिलाफ बहुत आपराधिक प्रकरण थे और याद रखिए, इस प्रदेश में अगर गुंडे और बदमाश ठीक से काम नहीं करेंगे तो बुल्डोजर भी खड़ा है और हमारे पुलिस में Encounter specialist लोग भी हैं, गुंडे-बदमाश ठोक दिए जाएंगे और गुंडे-बदमाशों के मकान ध्वस्त कर दिए जाएंगे । (मेजों की थपथपाहट) यहां पर यह मत समझिए कि यह उत्तर प्रदेश नहीं है तो यहां

कुछ नहीं होगा । पूरा उत्तर प्रदेश अभी पूरे देश के लिए नज़ीर बना हुआ है । कोई अगर बहुत ज़्यादा कंट्रोल से बाहर होगा तो उसको यहां की पुलिस ठीक करेगी ।

माननीय सभापति महोदय, आपको खेलकूद को बढ़ावा देना चाहिए । पहले तो खेलकूद के दम पर पुलिस में डॉयरेक्ट भर्ती हो जाती थी । मैंने अभी प्रतिवेदन में पढ़ा था कि आप लोग कोई दूसरा खेल खिलवा रहे थे । क्या था, कोई हमारी जानकारी वाला नहीं था । थोड़ा football, hockey ऐसा पुलिस का आयोजन कराइए और उसमें जो अच्छे लोग हों, उनको सलेक्ट करिए, उनको प्रमोशन दीजिए । मैं जंगलवार फेयर की तारीफ करना चाहता हूं कि जंगलवार फेयर इस देश का एक इकलौता ऐसा संस्थान है जो अपने आपमें बहुत अजब-गजब है और वहां हमारे नक्सली जवानों को नक्सलियों से मुकाबला करने के लिए बहुत ज्यादा अच्छी व्यवस्था वह उपलब्ध कराते हैं ।

माननीय सभापति महोदय, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की मंशा के अनुरूप राज्य पुलिस प्रशिक्षण की गुणवत्ता वृद्धि की दृष्टि से छत्तीसगढ़ पुलिस और राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय गांधी नगर के बीच सहयोग और समन्वय हेतु दिनांक 21.01.2025 को अनुबंध पारित किया गया है इसका मतलब है कि हमारी पुलिस की इफिशियेंसी बढ़ेगी, इसका मतलब है कि हमको बड़े से बड़े ज्ञान प्राप्त होंगे । इसका मतलब है कि हमारे बहादुर जवानों की अगर और तकनीक बढ़ जायेगी तो वह और भी ज्यादा बहादुरी से काम करेंगे । महिलाओं की सुरक्षा के लिये भी अब तय कर दिया गया है कि इस प्रदेश में एफ.आई.आर. महिला पुलिस अधिकारी द्वारा ही लेख किया जाना अनिवार्य है । राज्य में पूर्व में स्थापित 4 महिला थानों के अतिरिक्त 5 अन्य नवीन महिला थाना जिला राजनांदगांव, कबीरधाम, रायगढ़, बस्तर और जशपुर में खोले जाने हेतु 300 पदों की स्वीकृति प्रदान की है और इसी तरह से इसमें बहुत से और भी काम हैं । न केवल यह हैं बल्कि एक बहुत जरूरी विभाग भी आपके पास है । नगर सेना अग्निशमन आपातकालीन सेवाएं एस.डी.आर.एफ. । जो हम लोग हर प्रदेश में एन.डी.आर.एफ. और एस.डी.आर.एफ. का सुनते हैं तो आपने हमारे प्रदेश में भी 27 जिला मुख्यालयों के अग्निशमन केन्द्रों को पहले नगरी निकायों में थे, उसे आपने ले कर कार्य प्रारंभ किया है। अग्निसुरक्षा का प्रमाण पत्र एन.ओ.सी. भी देते हैं तो इसको जरा ठीक से सोचकर दीजिएगा। कई लोग फर्जी निकलवा लेते हैं, वह न निकलने पाए। आपने अग्निसुरक्षा के लिए मॉक ड्रिल भी किया है। जन जागरूकता के प्रयास किए हैं, जिसके अंतर्गत वर्ष 2024 में स्कूल कॉलेजों में 67, अस्पतालों में 11 और अन्य संस्थाओं में 40, कुल 118 स्थानों में मॉक ड्रिल कर आपने अपने इस संस्थान को कार्य करने के लिए परखा है, देखा है। आपने 157 संस्थानों का फायर ऑडिट भी किया है। एक विभाग जेल विभाग और है। जेल विभाग में 33 जेल हैं। 5 केंद्रीय, 20 जिला और 8 उप जेल, वर्तमान में 33 जेलों की अधिकृत बंदी क्षमता, आवास क्षमता 14,733 है। इसके विरुद्ध 1 मार्च, 2025 की स्थिति में 18,525 बंदी परिरुद्ध हैं। जेलों की बंदी आवास क्षमता में वृद्धि और सुधार हेतु योजनाबद्ध तरीके से कार्य हो रहा है। नवीन जेल एवं अन्य जेलों में 54 बंदी

बैरकों का निर्माण पूर्ण होने के बाद 3200 बंदी आवास क्षमता में वृद्धि होगी, जिसमें 14,733 से बढ़कर 17,933 तक की क्षमता हो जाएगी। बेमेतरा में खुली जेल के लिए 48 पदों के निर्माण हेतु 1 करोड़ रूपये का प्रावधान है। जिलों में 31 बंदी बैरकों के निर्माण कार्य हेतु 31 करोड़ रूपये का प्रावधान है। दूसरी तरफ जेल में हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सिस्टम भी लगा रहे हैं। सभापति महोदय, जो कुख्यात दुर्दांत अपराधी हैं, जिनको ले जाने में पुलिस वालों को भी परेशानी होती है, उनको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में सीधे कोर्ट से जोड़कर उनको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करा दो ताकि उनको न्याय भी मिल सके और उनकी व्यवस्था भी सरकार को ज्यादा न झेलना पड़े। हम अपराधियों से घृणा नहीं करते, अपराध से करते हैं। इसीलिए बंदी छत्तीसगढ़ संशोधन अधिनियम 221 लागू किया गया है। इस अधिनियम के अंतर्गत राज्य की जेलों में निरूद्ध दंडित बंदियों को एक वर्ष में 21 दिन के स्थान पर 42 दिन, दो अवसर के स्थान पर तीन अवसरों के लिए तथा 10 के स्थान पर 14 दिन अस्थाई मुक्ति का प्रावधान दिया गया है। ताकि वे लोग भी अपने आगामी भविष्य के लिए अच्छा आचरण करके रहें और उनको बहुत सी ट्रेनिंग की व्यवस्था दी गई है। वह सब हो जाएगा। अब मैं माननीय उप मुख्यमंत्री जी के प्रधानमंत्री आवास, ग्राम पंचायत के बारे में बात कहना चाहूंगा। ग्राम पंचायतों के लिए हमारी सरकार और खास कर मोदी जी का पूरा रूझान ग्राम पंचायतों की ओर है। वे एक-एक चीज का ख्याल रख रहे हैं। चाहे जन मन योजना के तहत सुदूर अंचल में बसे हुए बैगा लोगों की बात हो, चाहे हमारे गांव में जो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने प्रधानमंत्री आवास दिया है, उसकी बात हो। चाहे हमारे गांव में शौचालय बनाने की बात हो, चाहे हमारी माताओं बहनों को महतारी वंदन की राशि देने की बात हो, चाहे पंचायत भवन बनाने की बात हो, चाहे पंचायतों में अन्य विकास कार्यों की बात हो, सारे का सारा पैसा आप विभिन्न माध्यमों से दे रहे हैं। अधोसंरचना मद से और क्या-क्या बहुत से मद हैं, उसमें आप पैसा देते हैं, जिसमें बहुत सा काम सब गांवों में हो रहा है। पर मैं आपको प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) पर निवेदन करना चाहता हूं कि वर्ष 2016 में इस योजना की शुरूआत शुरूआत हुई थी, जिसका मूल उद्देश्य हर गरीब को पक्का मकान उपलब्ध कराना है। यह केंद्र और राज्य सरकार के साझा प्रयासों का परिणाम है, जहां केंद्र और राज्य सरकार मिलकर गरीबों के स्वयं के पक्के आवास के सपने को पूरा करने में अपनी भूमिका निभाते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य में अब तक कुल 19,45,902 आवासों की स्वीकृति दी गई है, जिसमें से केवल 2,36,805 आवास पूर्ववर्ती सरकार द्वारा की गई है, शेष 17,09097 गरीबों को पक्का आवास दिलाने का काम विष्णुदेव साय की और विजय शर्मा की सरकार ने करने का निर्णय लिया है। (मेजों की थपथपाहट) दुर्भाग्य से पिछली सरकार की उदासीनता और गरीबों की तकलीफों से मुंह मोड़ लेने के कारण 12 लाख से अधिक गरीब परिवार अपने पक्के मकान से वंचित रह गए और ये जघन्य पाप इन विरोधी दल के लोगों पर लगा है । लेकिन जब हमारी सरकार बनी, श्री विष्णुदेव साय मुख्यमंत्री बने तो उन अधूरे कार्यों को गति दी । हमारी सरकार बनने के बाद आज दिनांक तक 2 लाख, 57 हजार 326 आवास पूर्ण कर

लिए गए हैं । पूर्व सरकार के 2 लाख, 46 हजार, 215 अधूरे आवास में से 1 लाख, 77 हजार 143 आवास पूर्ण कराया गया है (मेजो की थपथपाहट) । अभी भारत सरकार से नरेन्द्र मोदी जी ने छत्तीसगढ़ की तरफ, जिन्होंने यहां गारंटी भी दी थी छत्तीसगढ़ का ध्यान रख रहे हैं । इनको तो न कोई देता था और न ही ये मांगने जाते थे । 11 लाख 50 हजार नये आवासों का लक्ष्य प्रदान किया है । वर्ष 2024-25 के बजट में इसके लिए 8 हजार करोड़ का प्रावधान इस सरकार ने किया है (मेजो की थपथपाहट) । इतना ही नहीं पूर्ववर्ती सरकार द्वारा राजनीतिक लाभ लेने के उद्देश्य से चलाई गई मुख्यमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के 47,090 गरीब परिवारों के भी आवास विष्णुदेव साय ने पूरे कराए हैं । इसके अतिरिक्त प्रधानमंत्री जनजातीय न्याय महाअभियान के अंतर्गत विशेष पिछड़ी जनजाति के 26,455 हितग्राहियों को पक्के आवास की स्वीकृति दी गई और रूपए 296 करोड़ की राशि सीधे उनके बैंक खातों में अंतरित की गई है ।

भारत सरकार द्वारा पीएम जनमन योजना अंतर्गत 775 बसाहटों के लिए भारत सरकार से 715 सड़कें लम्बाई 2,449 किलोमीटर और लागत 1,699 करोड़ की स्वीकृति प्राप्त हुई है । 2025-26 में राज्य शासन द्वारा पीएम जनमन योजनाअंतर्गत सड़कों के निर्माण हेतु राशि 500 करोड़ का प्रावधान किया गया है (मेजो की थपथपाहट) । अध्यक्ष महोदय, ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ सड़क बना रहे हैं, यह विभाग उसकी गुणवत्ता का भी ख्याल रख रहा है । वित्तीय वर्ष 2024-25 में राष्ट्रीय गुणवत्ता समीक्षकों द्वारा 158 सड़कों का निरीक्षण किया गया, जिसमें संतोषप्रद श्रेणी का प्रतिशत 95.57 है, राज्य गुणवत्ता समीक्षकों द्वारा 1,465 सड़कों का निरीक्षण किया गया, जिनमें 7 सड़कें असंतोषप्रद श्रेणी में थीं, इस प्रकार संतोषप्रद श्रेणी का प्रतिशत 99.52 है । मतलब, हमारे विभाग के लोग कार्य की गुणवत्ता के लिए चिंतित है, हमारे विभाग के लोग सरकार के एक-एक पैसे को जनता के उपयोग में लाने के लिए लगे हुए हैं, एक-एक सड़क का निरीक्षण किया जा रहा है । जहां भ्रष्टाचार हुआ है, उसकी 7 सड़कों को अलग कर दिया गया है । भ्रष्टाचार जहां होगा, वहां हमें यह सुविधा नहीं मिल पाएगी । वर्ष 2010-11 से 2024-25 तक कुल 8,772 सड़कें, लम्बाई 34,264 किलोमीटर, राशि 4,524 करोड़ के बीटी नवीनीकरण के कार्य स्वीकृत किये गये हैं । कुल 7669 कार्य, लम्बाई 29,922 किलोमीटर के कार्य, कुल राशि 3,692 करोड़ रूपए व्यय कर पूर्ण किये गये हैं । वर्ष 2025-26 में राज्य शासन द्वारा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत संधारण कार्य हेतु अनुरक्षण मद से राशि 199.20 करोड़ और सड़कों की सतह मजबूतीकरण, सुदृढ़ीकरण के लिए नवीनीकरण कार्य हेतु मद में 350 करोड़ का अलग से प्रावधान किया गया है । अध्यक्ष महोदय, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत प्रारंभ से अब तक 9,252 सड़कें, लम्बाई 44,967 किलोमीटर, 458 वृहद पुल, कुल राशि 18,119 करोड़ की स्वीकृति प्राप्त हुई है, इससे राज्य की 11,701 पात्र बसाहटें लाभान्वित हो रही हैं । योजना के प्रारंभ से अब तक वृहद पुल पूर्ण कर 15 हजार करोड़ का व्यय किया जा चुका है, लम्बाई 40,500 किलोमीटर । जनमन में

भारत सरकार द्वारा विशेष रूप से कमजोर जनजाति, पीजीटीजी के विकास हेतु मैं इसको बोल चुका हूं। माननीय सभापति महोदय, मैंने गुणवत्ता के बारे में भी बता दिया है। एक केन्द्रीय प्रयोगशाला है, दो क्षेत्रीय प्रयोगशाला है, 32 परिक्षेत्र इकाई है, 34 मैदानी प्रयोगशाला स्थापित है, इनके साथ-साथ इसमें 30 मोबाईल वैन भी चल रहे हैं जो जांच पड़ताल कर रहे हैं।

माननीय सभापति महोदय, मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना। ये बहुत ही अनूठी योजना है। दिनांक 23 अप्रैल, 2011 से लागू है, राज्य शासन द्वारा शत-प्रतिशत राज्य पोषित इस योजना का उद्देश्य ऐसी बसाहटें जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के मापदंडों में नहीं है, उसे जोड़ने का है, ये बहुत ही बढ़िया है। इस योजनांतर्गत पूरे प्रदेश में अब तक 1858 सड़कें, लंबाई 5618 किलोमीटर राशि 2956 करोड़ की स्वीकृति जारी कर 1745 सड़क 4859 किलोमीटर लंबाई पूर्ण कर 2294 करोड़ व्यय किया गया है। चालू वित्त वर्ष में इस योजना हेतु 92 करोड़ का बजट प्रावधान अपूर्ण एवं नवीन सड़कों हेतु किया गया है। इस वित्तीय वर्ष में 95 किलोमीटर सड़क निर्माण का लक्ष्य है, अद्यतन 13 सड़कें लंबाई 58 किलोमीटर पूर्ण की जा चुकी हैं। इसमें मुख्यमंत्री सड़क योजना भी कार्यरत है जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से नहीं जुड़ पाई है, वह इस सड़क से जुड़ेंगी, पुल पुलिया भी बनेगा। राज्य में स्थापित उद्योगों एवं व्यावसायिक प्रतिष्ठानों की वर्तमान जरूरत के अनुसार आपने 8 शासकीय ।T। में अतिरिक्त ट्रेड में प्रशिक्षण प्रारंभ करने हेतु बजट में प्रावधान किया है। सभापति महोदय, ।T। एक ऐसा ट्रेड है जिसके माध्यम से हम अपने बच्चों को हुनरमंद बना सकते हैं। इसके माध्यम से उनको आजीविका का साधन खोजना भी नहीं पड़ेगा, वे स्वयं अपना दुकान और एजेंसी खोलकर काम कर सकते हैं। पहले ।T। में दो चार घीसे-पीटे ट्रेड हुआ करते थे, आपने हिम्मत की, आपने कम से कम विचार किया कि नये ट्रेड खोल रहे हैं, इसको खोलना बहुत जरूरी है, न केवल 8 ।T। में बल्कि हर जगह खोलना चाहिए, इसको बदल दीजिए, आज के युग के हिसाब से रखिए। अब बढ़ई वाला काम है तो ठीक है, लेकिन आज के मार्डन युग में जो जरूरी है जिसकी बाजार में डिमांड है या जिसकी लोगों को आवश्यकता है, आप उस ट्रेड को खोलने के लिए जरूरी प्रयास करिएगा।

माननीय मंत्री जी, आपका विभाग जहां हमारे प्रदेश को शांतिपूर्ण जीवन जीने के लिए सुरक्षा देता है, कोई भी प्रदेश हो, जब तक वहां की कानून व्यवस्था ठीक नहीं है, चाहे वहां हीरा रहे, सोना रहे, चांदी रहे, चाहे वहां कितने भी अच्छे नेता रहें, कितने भी अच्छे अधिकारी रहें, जहां अशांति है, वहां पर विकास हो ही नहीं सकता, इसलिए आप शांति रखने का काम कर रहे हैं। मैं कह सकता हूं कि हमारा प्रदेश शांति का टापू बनने की ओर पहुंच गया है, पहुंचने वाला है, हम इन चार वर्षों में यहां शांति के टापू के रूप में रहेंगे। कोई भी अपराधी तत्व अगर छत्तीसगढ़ में आ करके यहां अशांति फैलाने की कोशिश करेगा तो हमारी पुलिस, हमारे मंत्री और मुख्यमंत्री उसको कुचल करके रख देंगे। (मेजों की थपथपाहट) वहीं हम ये भी आश्वस्त हैं कि पंचायत के माध्यम से हमारा गांव जब तक सुंदर नहीं बनेगा, हम शहरों

में चाहें जितना भी दीनदयाल ऑडिटोरियम बना लें, अगर हमारे गांव में चैतूराम से बैसाखूराम की गली सी.सी. का नहीं होगा तब तक हम उसमें विकास की झलक नहीं देख सकते। अगर हमारी माताओं-बहनों को पीने का पानी नहीं मिलेगा तो इन बड़ी पानी टंकियों से हमको क्या लेना देना है। अगर हमारी माताओं-बहनों को शौचालय नहीं मिलेगा तो बिहार वाले का जो बड़े-बड़े पाठक वाला टायलेट चलता है, उससे किसी को क्या लेना देना है। हमारे गांव में बिजली आना चाहिए, सी.सी.रोड बनना चाहिए, पानी आना चाहिए, आंगनबाड़ी बनना चाहिए, बच्चों की सुरक्षा होना चाहिए, स्कूल होना चाहिए, टीचर होना चाहिए और यही गांव का विकास छत्तीसगढ़ को विकसित राज्य बनाएगा। यही हमारी सरकार का संकल्प है कि हम मोदी जी के नेतृत्व में, विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में विकसित राज्य की ओर बढ़ेंगे। हमारे गृहमंत्री जी बहुत ही अच्छे हैं, क्योंकि इनको मैं बहुत दिनों से जानता हूं। यह उम्र में भी मुझसे छोटे हैं और मेरे घर के पास ही रहते हैं तो मैं इनके बारे में जानता हूं। इनको कितने अनुभव की जरूरत है? जब इनकी सरकार थी तो यह पुलिस की प्रताड़ना से कितने परेशान थे। पुलिस ने इनको जेल तक तो भेज दिया था। पुलिस ने इनके ऊपर दमनकारी कार्रवाई की थी। वक्त-वक्त का खेल है। आज आप गृहमंत्री बने हैं, वही आपको जेल भेजने वाले आपके आदेश मान रहे हैं। लेकिन आप इन भूत और वर्तमान के अनुभव से उज्जवल भविष्य की कल्पना करेंगे और अच्छी सरकार, शांति व्यवस्था वाला प्रदेश और विकसित गांव बनाने के लिए काम करेंगे। मैं आपसे दो मांगें करना चाहता हूं कि मेरे यहां जनपद पंचायत, तखतपुर का भवन बहुत खराब है। मैं एक बार वहां पर गया था। वह कब का बना है, इसको भगवान जाने। आप वहां पर एक नया जनपद पंचायत भवन बनवा दीजिये, क्योंकि मीटिंग में हम तभी जा पायेंगे, जब वह भवन बन जायेगा। उसकी दीवार के ऊपर यदि कोई चलता है तो नीचे हिलते रहता है। कुछ गांवों में ग्राम पंचायत भवन भी नहीं है तो उन भवनों को भी बनवाने के लिए आप स्वीकृति प्रदान करेंगे। मैं आपसे ऐसी आशा करता हूं। आपका विभाग आगे बढ़े। छत्तीसगढ़ की जनता आपकी ओर आशा भरी निगाह से देख रही है कि आप अमन-चैन कायम करके छत्तीसगढ़ के विकास के रथ का पहिया चलाते रहें और उसको आगे बढ़ाते रहें। यही कहते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। (मेजों की थपथपाहट)

सभापति महोदय :- श्री विक्रम मण्डावी जी। (अनुपस्थित) श्री रोहित साहू जी।

श्री रोहित साहू (राजिम) :- बहुत-बहुत धन्यवाद, सभापति महोदय। आज माननीय उप मुख्यमंत्री जी के विभाग से संबंधित अनुदान मांग की चर्चा में बोलने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं। सबसे पहले तो मैं माननीय उप मुख्यमंत्री जी व माननीय गृहमंत्री जी को बहुत-बहुत धन्यवाद व बधाई देता हूं और उनकी अनुदान मांग का भरपूर समर्थन भी करता हूं। बहुत सारी बातें हमारे आदरणीय वरिष्ठ सदस्य नेता जी के माध्यम से सुनने को भी मिली हैं। मैं आपके समक्ष कुछ बातें रखना चाहूंगा। सबसे पहले तो साइबर

संबंधी जो घटनाएं तेजी से बढ़ रही हैं, उस संबंध में हमारी सरकार व माननीय गृहमंत्री जी ने कदम उठाया है। जैसे बहुत सारे जिलों में जो 5 नये साइबर पुलिस थाना स्थापित करने की घोषणा की गई है, उसके समर्थन के लिए मैं आपको बहुत-बहुत बधाई देता हूं। साथ ही साथ हमारी सरकार महिलाओं की सुरक्षा को लेकर बेहद गंभीर व संवेदनशील है। हमारी सरकार के आने के बाद 3 जिलों में 3 नवीन महिला पुलिस थाना स्थापित करने के लिए बजट में प्रावधान किया गया है। इसके लिए भी मैं माननीय मंत्री जी को बहुत-बहुत बधाई व धन्यवाद देता हूं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारी सरकार के आने के बाद गरीबों की जो चिंता की गई है, गरीबों के लिए जो काम किये गये हैं, इसके लिए मैं हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय गृहमंत्री जी व माननीय उप मुख्यमंत्री जी को बहुत-बहुत बधाई दूंगा। एक बहुत ही महत्वपूर्ण काम था। जिसके लिए जिस समय हम लोग विपक्ष में थे, उस समय से हम इस लड़ाई को लड़ते आ रहे थे और जैसे ही हमारी सरकार बनी तो हमारी सरकार बनने के बाद हमारे छत्तीसगढ़ के माननीय मुख्यमंत्री जी के माध्यम से हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेन्द्र मोदी जी की गारंटी को हमने पूरा करने के लिए फैसला लिया है। इसके लिए मैं पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश के गरीब परिवार की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी व माननीय गृहमंत्री जी का बहुत-बहुत आभार व्यक्त करता हूं। गरीबों के लिए हम लोग जब गांव में जाते थे तो गांव में हमारी कई माताएं-बहनें घर से निकलती थीं और जब हम चुनाव के दरमियान चलते थे तो वह हमारे हाथ को खींचकर अपने घर ले जाती थीं और हमको बताती थीं। उनकी आंखों से आंसू निकलते रहते थे और वह बोलती थीं कि बेटा, आप मेरे घर की स्थिति को देख लीजिए। करीब 5 साल से हम इंतजार कर रहे हैं, लेकिन हमारे घर में छत नहीं बन पा रही है, हमारे घर में झिल्ली डली हुई है, हमारे घर में पैरा डला हुआ है, झोपड़ी बनी हुई है और हमारी बदतर स्थिति है। हम लोग बारिश के समय में पूरी नींद सो नहीं पाते हैं। यदि इसकी चिंता किसी ने की है तो छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद माननीय विष्णुदेव साय जी की सरकार और हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा जी, जिनके पास पंचायत विभाग भी है, के नेतृत्व में आज पूरे छत्तीसगढ़ के हर गरीब परिवार के घर को पक्का बनाने का सपना साकार हो रहा है, मैं उसके लिए छत्तीसगढ़ शासन को, माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय उप मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं। यह बहुत बड़ी उपलब्धि है। यह योजना सन् 2016 से प्रारंभ हुई थी, लेकिन दुर्भाग्यवश 5 साल कांग्रेस की सरकार बनी रही। कांग्रेस की सरकार बनने के बाद गरीबों का आवास बनना बंद हो गया, यह बहुत दुर्भाग्यवश था। आज वही जनता जनार्दन के आशीर्वाद से छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और सरकार बनते ही हर गरीब का फिर से पक्का बनाने का काम चालू हुआ है।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को बोलना चाहूंगा कि अभी भी कई ऐसे गरीब परिवार है, जिनका नाम पंचायत के आवास की सूची अभी तक शामिल नहीं है। कई

ऐसे गरीब परिवार हैं, जो गांव में जाते हैं, जब गांव में निकलते हैं, कोई सभा के माध्यम से किसी कार्यक्रम में जाते हैं तो कई गरीब परिवार ऐसे निकलते हैं और वह बोलते हैं कि भईया हमारा भी आवास तो बनवा दीजिये। अब तो विष्णु देव जी की सरकार है। हमें बहुत विश्वास है कि अब सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनी है, तो हमारा घर जरूर पक्का बनेगा। आज यह बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि छत्तीसगढ़ में माननीय विष्णु देव साय जी की सरकार ने उन गरीब परिवारों के नाम को जोड़ने के लिए, उनका आवास बने, पंचायत की आवास सूची में उसका नाम शामिल हो, इस दृष्टि से हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने जिलाधीश और पूरे पंचायत को आदेशित किया है। मैं इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं।

माननीय सभापति महोदय, मैं बताना चाहूंगा कि यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है। आवास के साथ-साथ गांव का गरीब परिवार, गांव का बसाहट में, गांव के गली में स्वच्छता को लेकर हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और पूरे देश में ऐलान किया था कि हर घर में शौचालय निर्माण हो। आज हमारी माताओं-बहनों की सुरक्षा की दृष्टि से, हमारी माताओं-बहनों की लाज और सम्मान की दृष्टि यह कदम उठाया गया, मैं उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद दूंगा। माननीय सभापति महोदय, मैं आपको बता दूं कि जिस समय गांव के घरों में शौचालय नहीं होते थे, माननीय उप मुख्यमंत्री जी जानते हैं कि हम लोग एक साथ जिला पंचायत में भी थे, मैं उस समय सरपंच भी था, तो गांव में जब शौचालय नहीं थे तो गांव की महिलाएं शौच करने के लिए गली से निकलना पड़ता था, रोड के किनारे जाना पड़ता था, तालाब के किनारे में जाना पड़ता था, उस समय बहुत शर्मिन्दी महसूस करती थीं। यदि इसकी भी चिंता किसी ने की है तो यही भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने की है, हमारे माननीय नरेन्द्र मोदी जी की सरकार, माननीय विष्णु देव साय जी की सरकार ने की है। आज सबके घर में शौचालय बना है। आज हमारी माताएं, बहनें, बुजुर्गों को शौच के लिए कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। आज जो ऐसी स्थिति हुई है, आज पूरे छत्तीसगढ़ की माताओं-बहनों का सम्मान का ख्याल किसी ने किया है तो छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है।

माननीय सभापति महोदय, विपक्ष तरफ की कुर्सियां खाली हैं। बहुत सारी बातें करनी थी, लेकिन समय की नजाकत को देखते हुए मैं बहुत कम बोलना चाहूंगा। सभापति महोदय, आपके माध्यम से बहुत ही शानदार पहल माननीय विजय शर्मा जी, हमारे आदरणीय उप मुख्यमंत्री ने ओ.डी.एफ. को लेकर बात की हैं। मैं हमारी सरकार को बहुत-बहुत धन्यवाद दूंगा। एक महत्वपूर्ण विषय है कि हमारे गांव की महिलाएं, जिनको अभी महतारी वंदन योजना के तहत लाभ दिला रहे हैं। गांव की हमारी ऐसी माताएं और बहनें हैं, आज हमारी सरकार ने हमारी माताओं और बहनों को लखपति बनाने के लिए महिला समूह की योजना बनाई है, आज हमारी सरकार आने के बाद 1 लाख से अधिक लखपति दीदी बनाये जाने का लक्ष्य रखा था, जिसके विरूद्ध आज दिनांक तक 2 लाख 15 हजार 603 महिलाएं ऐसी हैं, जो लखपति

दीदी बनने जा रही हैं, मैं इसके लिए माननीय हमारे सदस्यों से आग्रह करूंगा कि एक बार जोरदार टेबल थपथपाकर धन्यवाद दीजिये। (मेजों की थपथपाहट) यह हमारे छत्तीसगढ़ सरकार के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। श्री विष्णु देव साय जी की सरकार आने के बाद बहुत बड़ी-बड़ी योजना शानदार ढंग से सुचारू रूप से गांव तक पहुंच रही है। मैं माननीय विजय शर्मा और माननीय मंत्री जी को हृदय से धन्यवाद दूंगा, जिसके माध्यम से हमारी सरकार की हर योजना अंतिम व्यक्ति तक पहुंच रही है।

माननीय सभापति महोदय, मैं कुछ मुख्य-मुख्य बातें बोल रहा हूं। हमारी सक्रिय श्रमिकों द्वारा अकुशल श्रम रोजगार की मांग की जाती थी। इन परिवारों को रोजगार उपलबध कराने के लिए महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना अंतर्गत वर्ष 2025-2026 के अंतर्गत 1550 लाख मानव दिवस श्रम रोजगार की आवश्यकता है। अत: महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना के लिए बजट में प्रावधान किया गया है, मैं इसका भी भरपूर समर्थन करता हूं। साथ ही साथ छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय, भिलाई, छत्तीसगढ़ अधोसंरचना विकास एवं स्थापना अनुदान हेतु वित्तीय वर्ष 2025-2026 के बजट में राशि रूपये 20 करोड़ रूपये के भवन निर्माण हेतु स्वीकृति की गई है। बजट में कुल राशि 46 करोड़ रूपये का प्रावधान रखा गया है, जिससे छत्तीसगढ़ के स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय, भिलाई, छत्तीसगढ़ में अधोसंरचना विकास की वृद्धि होगी। शासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालय, अंबिकापुर भवन के निर्माण संबंधी कार्य हेतु वित्तीय वर्ष 2025-2026 में बजट में 2 करोड़ रूपये का प्रावधान रखा गया है, इसके लिए मैं माननीय मंत्री जी को बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं। साथ ही साथ फार्मेसी महाविद्यालय, रायपुर एवं नवीन फार्मेसी महाविद्यालय, राजनांदगांव में स्थापना हेतु अनुदान हेतु वित्तीय वर्ष 2025-2026 में राशि एक करोड़ रूपये का प्रावधान रखा गया है, इसके भी मैं माननीय उप मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दूंगा। साथ ही साथ मुख्यमंत्री ग्राम गौरव पथ योजना बहुत शानदार योजना है। इसके पहले भी बहुत सारे ऐसे गांव थे, जिसमें एक गांव से दूसरे गांव को जोड़ने के लिए इस योजना की शुभारंभ हुई थी और आज यह योजना हमारी सरकार में आने के बाद आपके माध्यम से मुख्यमंत्री ग्राम गौरव योजनांतर्गत प्रदेश के कुल स्वीकृत 7348 कार्यों के लिए 2259 किलोमीटर की लंबाई निर्माण हेतु 1429 करोड़ रूपये स्वीकृत किए गए हैं, इसके लिए भी मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद दूंगा। इस योजना के अंतर्गत 1134 करोड़ रूपये व्यय कर 7217 कर्यों के लिए 2249 किलोमीटर की लंबाई में निर्माण कार्य कराया गया है। चालू वित्तीय वर्ष में इस योजना हेतु अपूर्ण कार्यों के लिए 50 करोड़ रूपये का बजट प्रावधान किया गया है। इसी वित्तीय वर्ष में अद्यतन 5 किलोमीटर लंबाई के 23 गौरव पथ निर्माण हेतु पूर्ण कार्य कर राशि 5 करोड़ रूपये व्यय की गई है। वर्ष 2025-2026 में राज्य शासन द्वारा मुख्यमंत्री ग्राम गौरव पथ योजनांतर्गत राशि 100 करोड़ रूपये बजट का प्रावधान किया गया है। इससे 120 किलोमीटर लंबाई का नवीन गौरव पथ का निर्माण होगा, जिससे हमारे प्रदेश के कई क्षेत्रों में 100 करोड़ रूपये की लागत से गौरव पथ का निर्माण होगा। इससे हमारा

गौरव भी बढ़ेगा, इसके लिए मैं माननीय उप मुख्यमंत्री एवं माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत-बहुत धन्यवाद दूंगा। मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा। क्योंकि जब विपक्ष के सदस्य नहीं रहते हैं और उस बीच में वे बोलते हैं तो उतना अच्छा नहीं लगता है। मेरे विधान सभा क्षेत्र की कुछ बाते हैं। गरियाबंद जिला के राजिम मेरा विधान सभा क्षेत्र है, जो छत्तीसगढ़ के प्रयाग के नाम से जाना जाता है। माननीय उप मुख्यमंत्री जी, आप दोनों अभी वहां कुम्भ मेले में गये थे। आपके माध्यम से इस समय राजिम कुम्भ की धरती में, छत्तीसगढ़ के प्रयाग में कुम्भ कल्प मेले का भी बहुत शानदार अयोजन हुआ था। माननीय मंत्री जी, मैं इसी अवसर में एक मांग करूंगा। पूर्व में भी मैंने आपके माध्यम से आवेदन प्रस्तुत किया है। पूर्व में जब मैं विपक्ष में था तब मैंने मेरे विधान सभा क्षेत्र में बहुत धरना-प्रदर्शन और घेराव भी किया था। लोग बड़े उम्मीद लगाये बैठे हैं कि हमारे क्षेत्र के का बेटा, हमारे किसान का बेटा विधायक बना हुआ है। ऐसे चार-पांच गांव हैं, जहां गौरव पथ की मांग थी। पूर्व में जो विधायक थे, उनका मैंने ही घेराव किया था। मेरे माध्यम से गांव के हजारों किसान उनका घेराव किये थे। मैंने उस रोड को गौरव पथ बनाने के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है। जैसे तर्रा गांव में वोट नहीं डालेंगे करके बहिष्कार करने के लिए आंदोलन किये थे। एक बेलटुकरी गांव है, जहां बहुत पुरानी गंभीर समस्या है। दो-चार गांव ऐसे हैं, जहां गौरव पथ की मांग की गई है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि इस मार्च के बाद जैसे भी राजिम विधान सभा क्षेत्र में गौरव पथ निर्माण के लिए स्वीकृति प्रदान करने की कृपा करेंगे। साथ ही साथ मैं बजट में देख रहा था कि मुझे बजट में मुख्यमंत्री ग्राम गौरव पथ योजना के लिए गरियाबंद जिला नहीं दिखा है। माननीय सभापति महोदय, जिसके माध्यम से बजट का प्रावधान हुआ होगा या जिन्होंने बजट का लेख किये होंगे, मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा। चूंकि मैं उस क्षेत्र का विधायक बन गया हूं तो लोगों का उम्मीद है कि मुख्यमंत्री ग्राम गौरव पथ योजना में गरियाबंद जिला, राजिम विधान सभा के बारे में बजट में उल्लेख नहीं हुआ है, कृपया उसे भी जोड़ने की कृपा करेंगे, ताकि मेरे बहुत सारे ऐसे गांव है, जहां मुख्यमंत्री ग्राम गौरव पथ सड़क योजना का प्रावधान बजट में हो जाये । सभापति महोदय, इससे राजिम के छोटे-छोटे गांव जो है, उसे मुख्यमंत्री ग्राम गौरव पथ योजना का लाभ मिल सके । माननीय सभापति महोदय, कुछ पंचायतों में नया निर्माण भी करना है, हमारे नये-नये पंचायतों में भी कहीं पर भवन निर्माण का काम है तो कहीं सी.सी. रोड़ बनाया जाना है, मुझे विश्वास है कि यह आपके माध्यम से होगा । सभापति महोदय, जनता को भी विश्वास है कि छत्तीसगढ़ में विष्णु देव साय जी की सरकार बनने के बाद छत्तीसगढ़ में चहुमुखी विकास भी हो रहा है और मैं बहुत-बहुत बधाई दूँगा, धन्यवाद दूँगा कि छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद जो पांच साल में कांग्रेस के कार्यकाल में जितने भी काम हुये होंगे, उससे तीन गुना ज्यादा काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ है, मैं इसके लिये छत्तीसगढ़ के माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय जी को और पूरे मंत्रिमंडल और सभी सम्माननीय सदस्यों को बधाई देता हूँ । सभापति महोदय,

आपने मुझे जो बोलने का अवसर दिया, मैं इसके लिये बहुत-बहुत धन्यवाद दूँगा । माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने मेरी बात को ध्यान से सुना है, मैं उनको भी धन्यवाद देते हुये अपनी बात यहीं समाप्त करता हूँ । जय हिन्द, जय छत्तीसगढ़ । (मेजों की थपथपाहट)

सदन को सूचना

सभापति महोदय :- चूँकि प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यगण माननीय उप मुख्यमंत्री जी के विभाग के अनुदान मांगों पर चर्चा के लिये उपस्थित नहीं है । स्वस्थ संसदीय परंपराओं के दृष्टिगत रखते हुये माननीय उप मुख्यमंत्री जी की अनुदान मांगों पर कल चर्चा कराई जायेगी, जिससे प्रतिपक्ष के सदस्य भी चर्चा में अपनी सहभागिता दे सकेंगे ।

सभापति महोदय :- सभा की कार्यवाही मंगल वार, दिनांक 18 मार्च, 2025 को 11.00 बजे दिन तक के लिये स्थगित।

(7 बजकर 3 मिनट पर विधान सभा मंगलवार, दिनांक 18 मार्च 2025 (फाल्गुन 27, शक संवत, 1946) के पूर्वान्ह 11.00 बजे तक के लिये स्थगित हुई)

दिनेश शर्मा
सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा

रायपुर (छ.ग.)
दिनांक : 17 मार्च, 2025